खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-06) अंक-42 मंगलवार 17 जनवरी, 2017 27 पौष, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-04 (भाग-06) में अंक 42 एवं 43 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 भाग (6) मंगलवार, 17 जनवरी, 2017/27 पौष, 1938 (शक) अंक-42

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1 श्री शरद कुमार

2 श्री संजीव झा

3 श्री पंकज पुष्कर

4 श्री पवन कुमार शर्मा

5 श्री अजेश यादव

6 श्री महेंद्र गोयल

7 श्री वेद प्रकाश

8 श्री सुखवीर सिंह दलाल

9 श्री ऋतुराज गोविंद

10 श्रीमती बंदना कुमारी

11 श्री जितेंद्र सिंह तोमर

12 श्री राजेश गुप्ता

13 सुश्री अलका लाम्बा

14 श्री आसिम अहमद खान

15 श्री हजारी लाल चौहान

16 श्री गिरीश सोनी

17 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)

18 श्री राजेश ऋषि

19 श्री महेंद्र यादव

20 श्री आदर्श शास्त्री

21 श्री गुलाब सिंह
22 श्री कैलाश गहलोत
23 कर्नल देवेंद्र सहरावत
24 सुश्री भावना गौड़
25 श्री विजेंद्र गर्ग
26 श्री मदन लाल
27 श्री सोमनाथ भारती
28 श्रीमती प्रमिला टोकस
29 श्री नरेश यादव
30 श्री करतार सिंह तंवर
31 श्री प्रकाश
32 श्री अजय दत्त
33 श्री दिनेश मोहनिया
34 श्री सौरभ भारद्वाज
35 सरदार अवतार सिंह कालकाजी
36 श्री नारायण दत्त शर्मा
37 श्री राजू धिांगान
38 श्री मनोज कुमार
39 श्री नितिन त्यागी
40 ओम प्रकाश शर्मा
41 श्री एस. के. बग्गा
42 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43 श्री राजेंद्र पाल गौतम
44 श्री श्रीदत्त शर्मा
45 चौ. फतेह सिंह
46 श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 भाग (6) मंगलवार, 17 जनवरी, 2017/27 पौष, 1938 (शक) अंक-42

सदन अपराह्न 2.07 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

शोक संवेदना

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण! जैसा कि आप सबको विदित है कि कल 05 दिसम्बर, 2016 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता का लंबी बीमारी के बाद असामयिक निधान हो गया। लगभग 14 वर्ष तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं सुश्री जयललिता राजनीति के अतिरिक्त दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुपर स्टार रहीं और भारतीय राजनीति के अग्रणी नेताओं में से एक थीं। उनके निधान से न केवल तमिलनाडु अपितु भारतीय राजनीति को भी अपूरणीय क्षति हुई है। वे जमीन से जुड़ी नेता थीं और अपनी सरकार की प्रत्येक योजना में उन्होंने सदैव गरीब जनता के हितों का ध्यान रखा। इसीलिए अपने समर्थकों में वे अम्मा के रूप में प्रसिद्ध थीं।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से सुश्री जयललिता के निधान पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि

उनके परिजनों, समर्थकों तथा प्रशंसकों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

माननीय सदस्यगण! आपको जानकर अत्यंत दुख होगा कि गत 09 जनवरी, 2017 को पूर्व महानगर पार्षद श्री कुलानंद भारतीय जी का निधन हो गया। वे वर्ष 1983 से 1990 तक दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य रहे तथा शक्ति नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें शिक्षा विभाग के कार्यकारी पार्षद का दायित्व सौंपा गया था। वर्ष 1928 में गढ़वाल (उत्तराखंड) में जन्मे श्री कुलानंद समाजसेवी थे और धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वे कई सामाजिक संगठनों के संरक्षण भी थे।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से कुलानंद भारतीय के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण! यह अत्यधिक दु:ख का विषय है कि 8, नवम्बर 2016 को प्रधनमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए लंबी लाइनों में लगने के दौरान सैंकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यह अत्यधिक निराशापूर्ण और भयावह स्थिति है क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप इतने अधिक लोगों को अकारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्रशासनिक विफलता और लापरवाही इसके लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त हाल में कानपुर के निकट इंदौर-पटना एक्सप्रेस और सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस की दुर्घटनाओं में भी अनेक व्यक्ति असामयिक रूप से काल के ग्रास बने तथा पटना में भी नाव पलटने से लगभग 21 लोगों की मौत हो गई और अनेकों लापता हो गये।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन नागरिकों के असामायिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा मिनट का मौन धारण किया जाएगा। अत: हम सभी अपने स्थान पर खड़े हों।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय : अवतार सिंह कालकाजी।

सरदार अवतार सिंह कालका : अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

ना कहूं अब कि, ना कहूं तब कि, बात कहूं मैं जब कि।
अगर ना होते गुरू गोविन्द सिंह, तो सुन्नत होती सब की।।

मानयोग दिल्ली विधान सभा दे स्पीकर साहिब, उप-स्पीकर साहिब, मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री ते विधायक साहिबान जियो,

वाहेगुरू जी का खालसा
वाहेगुरू जी की फतेह।।

सारियां गुरू नानक नाम लेवा संता वल्लो सरबंसदानी, साहिब-ऐ-कमाल श्री गुरू गोविंद सिंह जी दे 350 साला प्रकाश पूर्व बड़ी श्रद्धा, चाअ अते धूमधाम नाल देश विदेशां च मनाया जा रेहा है। इस पावन मौके ते समूचे पूरे सदन नू बधाई दिंदा हां।

साहिब श्री गुरू गोविंद सिंह जी की अदूत्ती, लासानी ते महान सखसीयत दे गुणा दा वर्णन करन लई शब्दां दी घाट पे जांदी है। हकीम अल्ला यार

खां योगी जी लिखदे हन...

करतार की सौगंध है, नानक की कसम हैं।
जितनी भी हो गोविंद की, तारीफ वहू कम हैं।

हरचंद सिरे हाथ में, पूर जोर कलम है।
सतिगुरू के लिखूं वसफ कहां ताबी रकम है।

इक आंख से किया, बुलबुला कुल बहर को देखे।
साहिल को या मंझधार को, या लहर को देखें।

जोगी जी कहते हैं कि करतार की सौगंध व श्री गुरू नानक देव जी की कसम है कि श्री गुरू गोविंद सिंह जी की तारीफ जितनी भी कर सकें, वो कम है। वे लिखते हैं कि माना कि मेरे हाथ में बहुत ताकतवर कलम है पर फिर भी मैं गुरू जी की सभी खूबियां लिख सकूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। मैं तो एक बुलबुले की तरह हूं जो अपनी आंख से किसी सागर का निर्णय कैसे कर सकता है? मैं तट को देखूं, मझधार को देखूं कि लहर को देखूं!

इस विच कोई शक नहीं, कि श्री गुरू गोविंद सिंह जी विच ओ सारे गुणां दा खजाना सी जो एक महान सखसीयत च होना चाहीदा है। गुरू साहिब जी वारे कुझ कहन पहलां सोच पैदा हुंदी है कि गुरू कलगीधर जी दे गुणां दा वर्णनकिथों शुरू करिये! जेकर गुरू साहिब जी नूं विद्ववान वजों वेखिए तां उना जिहा कोई विद्ववान नहीं....गुरू साहिब जी नूं दानी वजों वेखिए तां उना जिहा दुनियां ते कोई दानी नहीं जिसने देश ते कौम लई अपना स रव न्स दान कर दित्ता होवे, जेकर लिखारी दे पखखों वेखिए ता गुरू कलगीधर जिहा कोई लिखारी नजर नहीं ओंदा, ज ेकर गल कवि वजों शुरू करिए ता

उनां वरगा कवि वी नहीं दिसदा, जेकर गुरू कलगीधर जी नूं संत वजों वेखिए तां उनां जेहा कोई संत नजर नहीं ओंदा जेकर सिपाही वजों वेखिए तां उनां जिहा सिपाही कोई नहीं, इस लई ही गुरू साहि जी नूं ''संत-सिपाही'' वी किहा जांदा है।

जे कर असीं गुरू सहिब जी नूं फकीर वजों वेखिए तां उनां जिहा फकीर कोई नहीं, जिसने शहिनशाह हो के माशीवाडे दे जं गलां च पोह माह दियां ठंडीयां रातां कंडेयां ते विशाई करके ते ढीम दा सहाणा बनाके गुजारियां होन. ...जे कर इन्कलाब दी गल्ल करिये तां उना जिहा इन्कलाबी वी कोई नहीं होया जिसने दी दुखियां अते दब्बे-कुचले लोकां दी बांह पुड़ के निडर ते बेधड़क योधाबना के वक्त दी, जालम ह कुमत दी इट नाल इट खडका दीत्ती होवे, जे कर योधे व जों गल्ल करिये तां रणभूमि च गुरू कलगीधर पातशाह जिहा कोई सूरवीर नहीं, जे कर दयालु वजों वेखिए तां उनां जेहा कोई दयालु नहीं दिसदा, गुरू साहिब जी दे तीर नाल एक तोला सोना लग्गा हुंदा सी जो रणभूमि विच मरण वाले दे अंतिम संस्कार दीयां रस्मां अते जंग वीच जख्मी होये सिपाही दे इलाज लई कंम आवे।

मुकदी गल की गुरू गोविंद सिंह जी दी लासानी, अदुति ते महान शखसीयत नू ''तूं बेअन्त - तूं बेअंन्त'' आंख के ही उसतित किति जा सकदी है। गुरू गोविंद सिंह जी ऐह बहु-पखी जीवनमहान मुति दा सोमा है जो कौम दी सदा अगवाई करता है, ते करदा ही रहेगा।

सिख धर्म दी श्नींह श्री गुरू नानक देव जी ने बाबर दे समय रखी ते बाबर दा राज शुरू होन तो 350 साल पहला ही लगभग सारा हिन्दुस्तान इस्लामी हुकूमत दे अधीन चलेआ आ रहा सी। संचार च घौर अंधकार, अज्ञानता सी। जात-पात दी कुरीतियां, ब्राह्मण दे कर्म-कांड, वहम भ्रम, ते स्त्रीयां दा अपमान

पुरे जोरां ते सी। कौमी ताना बाना लीरो–लीर हो चुका सी। गुरू नानक देव जी ने ऐनां कुरीतियां विरूद्ध क्रांतिकारी इंकलाब लियांदो ते अज्ञानता आते अंध कार च डूबे लोका नूं ज्ञान दे के प्रकाश वल तोर के वहमा भ्रमा च कडेया। गुरू नानक साहिब जी दी सोच दे दसवें पहरेदार क लगीधर पातशाह जी ने अपने तो पहलां गुरू साहिबान वलों सिरजे गये आदर्श नू क्रियात्मक रूप च प्रगट करके इक नवे समाज दी संरचना किति।

धर्म दी रख्या लई दिल्ली विच शहदत देन वाले नोवें पातशाह श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जीदउे घर ते माता गुजरी जी दी कुखों पटना शहर बिखे जन्म लेण वाले श्री गुरू गोविंद सिंह (जिना दा बचपन दा ना गोबिन्द राय सी) ने आनंदपुर साहिब दे किला केशगढ़ साहिब विच खालसा पंथ दी सिरजना किति। भरे भंडाल चों पंज प्यारे चुन के 'खंडे दी पाहुल' शका के ओना नू 'सिंह' (शेर) दा खिताब अते पंज ककार वखसिस किति ते फिर आप वी पंजां प्यारआं तों 'खंडे' दी पाहूल शक के गोविंद राय तो गोविंद सिंह सज गये। इस तरह गुरू कलगीधर पातशाह जी ने सदियां तो दबे–कुचले लोकां दे मना अंदर इक नवीं रूह फूकी तां के जिना लोकां ने कदे राज करन दा सुपना वही नहीं सी वेख्या, उना नूं राज गदींया दा मालक बणाया जा सके। गुरू साहिब जी चाहुन्दे सन की गद्दीयां दा मालक इस धरती ते सच्चे सुच्चे ही होण न की राजे जां रजवाड़े उना अंदर भारत दी आम जनता प्रति जज्बा सी कि ओह हर हालत मविच न बनराबरता खत्म करके इक बराबरी दा समाज सिरज के देन। गुरू साहिब जी ने इस सोच नूं ले के अपना सारा परिवार देश कौम तों वार दित्ता ते सदियां तों लूट खसुट दा शिकार होई भारत दी आम जनता नूं गददीयां दा वारिस बणाया ते चिड़ियां कोलों बाज तुडवाउन अते सवा लखनाल इक लडाउन दा सिर्फ सुपना ही नहीं सी वेख्या सगों प्रतख रूप

विच कर विखाया। गुरू कलगीधर दी वचन बद्धता दा जिक्र सरदार रतन सिंह भंगु ने अपने शब्दां विच इस तरां किता है :

मत सनाआ ओ बारह जात।
जाने नहीं राजनीत कि बात।
जट बूट कही नहीं जग माही।
बनिए, बकाल किगड खड़ी सदाई।
लुहार तरखान हुण जात कमीनी।
शिपो कलाल नीचन प ै कृपा किनी।
रूजर गवार हीर कमजात।
कमवोई मुदन कोए पूछे न बात।
झीवर नाई रोडे घुमयार।
भट्ट ओ ब्राह्मण हूत्ते संगवार।
बहुरूपये लुबाने ओ घुमयार
इन गरीब सिखन को दयो पातशाही।
ऐ याद रखें हमरी गुरी आई।

कुज इतिहासकारां वल्लों गुरू गोबिंद सिंह जी दी सखश्यित नूं अपणे शब्दां विच इस तरहां लिखओ 'इबटसन' अनुसार हिंदुस्तान दे इतिहास विच पहली बार कोई धर्म सियाशी ताकत बनेया एते ऐसी कौम दा जन्म होया जो अपने आप विच इक वखरी किस्म दी सी। नीवीं जात वालेयां श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी दी अगवाई हेठ निरे बहादरी दे गुण ही नहीं प्रताप कीते सगों ओ दुखी इंसान वास्ते आपा वारण लई तैयार हो गये। एहें क्यों? क्योंकि गुरू साहिब ने सिखों विचों व्यक्तिगत स्वार्थ खत्म करके दूज्जे लई मरण दा चा पैदा कित्ता।

सी. एन. पेन' लिखदा है कि 'एहे गुरू गोबिन्द सिंह की ही हन जिन्ना ने जात पात दे दैंत नूं सिंघा तों पकड़ के काबू कित्ता। जात-पात दियां जड़ां ते कुलहाडा मारियां एते ऐसी कोम बनाउण दा फैसला कित्ता जो ख्याली ते असली तौर ते इक होवे।

ऐडमंड चेंडलक बहुत खूबसूरत शब्दां विच लिखदा है के गुरू गोबिंद सिंह जी फिलाहासफर अते मनोविज्ञानी सन। हिंदुस्तानी वीच ओ अजह गुरू हन जिन्हाने फुलाट (किरपान) दी ठीक वरतों की ती। सिखों नूं रहत देनी अते उस लऐ पंज कक्के चुनने, उनां दे असली फिलहासफर होंन दा इक जिउदां सबूत हैं। गुरूजी जिथे लोका दी अक्ल बदली, उथे शक्ल वी बदला हदीती। पंज कक्कारां दा पाव ही ऐ सी के सिख वी अमली फिलहासफर बण जाण।

हरीराम गुप्ता लिखदे हण के गुरू गोबिंद सिंह जी ने लिताडे लोकां नूं सरदार तू सूरमे बणा देता। ऐना लिताडे होऐ लोका ने 'अमृत दी दात' परापत करके ते शब्दराहिं ऐसी शक्ति परापत कर लई की ऐ लोक गुरू जी दी आवाज ते बन्दूकां आगें पेलां पाउन्दे सन। डल्ले वाली शाखी दा सब नूं पता है के गुरू जी दी गोली दा निशाना बनन लई सिख ईक दूजे तों मोहरे होण लई झगडदे सन।

गुरू गोबिंद सिंह जी केसगढ़, फतहगढ़, होलगढ़, आन्नंगढस, लोहगढ़, पोंटा साहिब तों अबचल नगर अस्थान दी रचना कीति। उनां नूं जबर जुल्म दे विरूद्ध भगानी, नदोणसय, गुलेर जां हूसेनीस, आन्नदपुर साहिब, च मकोर दी गडी ते मुक्तसर दिया जंगा लडियां ते विरोधी सरकारी फौजां नूं भाजड़ा पा दितियां। गुरू साहि जी दे वढेग साहिबजादा बाबा अजलीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह चमकोर दी गढ़ी दी जंग च शहीद होये ते छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी सरहदं दिया दीवारां विच चीण के शहीद कीते गये,

माता गुजर कौर जी गुरू चरणां विच लीन हो गये। ऊपरंत कलगीधर पिता ने साबों की लत वंडी विखे 'श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी' विच नौवे पातशाह श्री गुरू तेग बहादुर जी बाणी दरज करके सम्पूर्ण होण दा एलान कित्ता।

अपने अंतले समय गुरू कलगीधर पातशाह जी नांदेड चले गये, जथे उनां ने माधोदास बैरागी नूं 'खंडे दी पाहुल' शका के सिंह सजाया तें नाम 'गुरूबख्स सिंह' रख्या....

ते अपने तर्कसां विचों पंज तीर, कुंज चौणवें सिंह, इक नगारा ते निशान साहिब दे के हिदायत किती की प ंजाब जा के ओथों दे जाल्म हाकमां दे जुल्मां विरूद्ध मुहिम जारी रखण ते नाल ही 'बंदा बहादुर' दा खिलाब बखशीश किता। एक दिन नादेंड दे इकांत नगर विच गुरू साहिब जी श्री रहरासी साहिब दे पाठ करण मगरों आराम कर रहे सन तां सूबे सरहंद वजीर खां वलों गुरू साहिब जी ते कातिलानां हमला क रणलई भेजे गये दो पठानां विचों इक पठान ने अचानक गुरू जी ते हमला करके दिल दे नेडे खब्बी वखी विच डूंगा वार किाा, दूजा वार करन तों पहलां गुरू साहिब ने अपनी कटार नाल ओथे ही ढेरी कर दितादूज्जे पठान नूं सिंगा ने पार बुला दित्ता।

इस हमले विच गुरू साहिब जी दे ढूंगा जखम होएआ जिस नूं हकीम वलों सीउ दित्ता गया। गुरू जी दा जखम ठीक हो रहा सी पर इक दिन गुरू कलीगधीर पातशाह जी ने इक करडी कमान दा तिल्ला चढान दी कोशिश कीति जिस कारण जखम फिर खुल गया ते ज्यादा ल हू वगणा कारण वचन आस लगभग खतम हो गयी।

गुरू गोबिंद सिंह जी ने सिखां नूं बुलाया ते आख्यां की अकाल पुरख दे भाने नूं हर समय मनन लई तैयार हरना चाहिदा है। अपने सांसारिक जीवन

दे आखरी पलां विच गुरू साहिब जी ने सिंगा नूं संबोधित करदेयां वचन कीता के जो गुरमता पंज सिंह इकट्ठे ते इकागर हो के श्री गुरू ग्रंथ जी चौं हुक्म ले के पास क रनगे उस गुरमते विच में आप हाजिर होवांगा।

गुरू गोबिंद सिंह जी ने इस्नान करके जप्पू जी साहिब दा पाठ करके अरदासां कितां अते श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी नूं गुरआयी प्रदान कीति ते सिंगा नूं वचन कीता के आज तों ले के सिख धर्म दे गुरू' साहिब श्री गुरू ग्रंथ सहिब जी होनगें। गुवाणी विच ही गुरू दी जोती विदमान रहेगी। 7 अक्टूबर 1708 नूं सवेरे मनुखता दे महान उमरइऐ ते सरबंस दानी, साहिब श्री गुरू गोबिंद सिंह जी आपनी संसारिक यात्रा संपूर्ण करके अकाल पुरख विच आभेद हो गये।

असी गुरू साहिब जी दे परोपकारां दा कर्ज उतारना तां दूर सगों उणां दे कीते गये परोपकारां नूं गिनन विच वी असमर्थ हां पर साढ़ा फर्ज बनदा है। की असीं गुरू की लगीधर पातशाह जी दे दस्से होये मार्ग ते चल के अपणा मनुखी ज नम सफल करिये। साढी तीन सौ पचास साल प्रकाश पूरब मनाया वी तां ही सफल है जे कर असी श्री गुरू गोबिंद सिंह साहिब जी दे बचनां नूं मनिऐ।

ऐना शब्दां नाल मैं अपनी गल नूं विराम देंदा हां, होई भूल-चूक दी खिमा।

वाहेगुरू जी का खालसा।
वाहेगुरू जी की फतेह।।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं जरनैल जी चर्चा हो गयी इस पर। बोल दिया उन्होंने। नहीं... सिर्फ एक मिनट के लिए मैक्सिमम। नहीं, बिल्कुल नहीं प्लीज। क्वेश्चन ऑवर का सारा समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, बोलिए।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) :

सूरा सा पहचानिए जो लड़े दीन के हेत,
पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छाड़े खेत।

मानस की जात सब्बे के पहचानबो दे मैसेज नूं अपनी जीवनी तों हटाके सारी दुनियां नूं भाईचारे का इंसा दी हितां दी राखी लई कदी सुरक्षा र्ल अपना सारा परिवार कुर्बान कर देन वाले दसवें पिता सरवंशदानी श्री गुरू गोबिंद सिंह जी दे 350 साला प्रकाश पूर्व ते मैं सारेआं नूं बहुत-बहुत बधाई देन्दा हा ते नाल ही नाल धन्यवाद करदा हां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दा डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया जी दा जिनोने उस दिन छुट्टी भी रखी ते नाल उचेचे तौर ते डिपटी सीएम सहाब ने अपने घर कीर्तन दरबार रखके सारे दिल्ली दियां संगता नूं बधाई दीती। दिल्ली सरकार वलों क्योंकि सारा साल ही 350 साला जन्मशताब्दी दा है दिल्ली सरकार वलों पंजाबी अकादमी खास तौर ते इस साल बहुत सारे इवेंन्टस प्लान कीते गये हन। जीवे तुसी देखयां खाली बिहार विच ही नहीं पूरी दुनियां विच भी 350 सौ साला प्रकाश पूर्व बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया गया है कि दिल्ली सरकार पंजाबी अकादमी वलों वी इस साल भी....

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करो। हुण कन्क्लूड करें।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) **:** वडे पदर ते मल्टीमीडिया शो सेमिनारत े होर बहुत सारे प्लान नें एक बार फिर तू अपने वलों दिलली सरकार वलों सारेआं नूं गुरू गोबिंद सिंह जी दे 350 साला प्रकाश पर्व दे बहुत-बहुत बध ाई देन्दा हां।

वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत बधाईयां त्वानू। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण! मुझे आपको....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सर मेरा प्वाईन्ट ऑफ आर्डर है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अभी समय दे रहा हूं।

माननीय सदस्यगण! मुझे आपको सूचित करना है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र से हमारे माननीय निर्वाचित सदस्य श्री जरनैल सिंह जी ने दिनांक 14 जनवरी, 2017 दोपहर बाद अपराह्न से इस सदन की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उक्त त्यागपत्र को स्वीकार किया है। श्री जरनैल सिंह जी एक अच्छे वक्ता ही नहीं, एक गंभीर व्यक्तित्व के सदस्य थे। इस सदन की गरिमा को उन्होंने निरंतर बढ़ाया है। मैं श्री जरनैल सिंह जी को उनके आगामी राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हां, बताइये विजेन्द्र जी।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये जो सत्र बुलाया गया नये वर्ष में, मैं इसको इल्लीगल करार देता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आप बोलिये नहीं। उनको बोलने दीजिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, रूल-19 का (वन) बहुत साफ है। मैं दो-तीन बातें इसमें बहुत संक्षिप्त में कहूंगा कि रूल 19 (1) में जब

भी आप सैशन शुरू करेंगे तो एलजी एड्रेस होगा। और उस पर चर्चा होगी, नये साल में।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये बहुत कन्ट्राडिक्टरी है कि मानसून सैशन अब विन्टर सैशन में कर रहे हैं। क्योंकि जिसका पार्ट है, वो मानसून सैशन है। और छठा पार्ट! मेरे पास बीस साल का पूरा लेखाजोखा है, जितनी सिटिंग हुई हैं यहां पर आज तक। जो पहली विधान सभा थी, जब आप उसके सदस्य थे 1993 से 1998 तक। एक बार हुआ है पार्ट वन, पार्ट टू। फिर ऐसे ही पांच साल में सेकेंड एसेम्बलीज जोड़ी। एक से तेरह तक उसमें एक बारह हुआ पार्ट वन और पार्ट टू। फिर उसके बाद जो सैशन हुआ पालिर्यामेंट थर्ड सैशन हुआ तब भी एक बार हुआ। यानी की रेयरली कभी ऐसा हुआ है एक बार। दूसरी बात जो है जो स्पेशल सैशन है ये बहुत ही रेयरली होता है। जैसे 1998 में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था और उस वक्त फैक्ट्रीज को सील करने का तब स्पेशल सैशन हुआ था। कुल मिलाकर के ये 6-6 पार्ट होना एक-एक सैशन के और वो भी चार-चार, पांच-पांच तक, छः-छः महीने तक, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए इस सैशन में होने वाली कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगता है और हमारा ये कहना है कि ये पार्ट में सैशन क्यों किया जा रहा है बार-बार, इसका भी कोई वैलिड रीजन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप इसमें रूल-17 का हवाला देंगे। लेकिन ये रूल-17 का मिसयूज हो रहा है। रूल-17 का मिसयूज है। ये इल्लीगल है। इस सदन में आप जो भी कदम उठायेंगे, मुझे लगता है कि दो दिन कोई फैसला लेंगे, उस पर इल्लीगेलिटी जो है, वो एक सवाल बनकर खड़ी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी।

उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष को नियम, कायदे, कानून की तो जानकारी है, अच्छी बात है। उन्होंने जो अपनी बात थी, वो कहां से कटेगी, किस कानून से कट जायेगी, उनको पहले से उसका भास था और उन्होंने उसका भी उल्लेख कर दिया। सिर्फ एक इशू उन्होंने उठाया, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। क्योंकि विधान सभा के अंदर सदस्यों का, माननीय अध्यक्ष का, विधान सभा से निकली हुई सरकार का अपना एक काम करने का स्टाइल होता है, अपना एक मेन्डेट होता है, अपनी एक सोच होती है। क्योंकि सदन में एक टिप्पणी उठी, तो मुझे लगता है कि सदन के रिकार्ड में यह बात भी रहे। हमारे हिसाब से विधान सभा के सत्र को ब्रेक में चलाना, मतलब यह कोई बहुत अच्छी, कहीं कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि कोई सैशन होगा और वो दस दिन तक लगातार चलेगा, फिर क्लोज हो जाएगा तो अच्छी बात मानी जायेगी या अगर विधान सभा किसी मुद्दे पर अलग-अलग समय पर दस दिन बैठती है तो वो घटिया बात मानी जाएगी तो ऐसे वर्किंग स्टाइल को इस विधान सभा ने अगर तय किया कि हमें सैशन बुलाना है, सरकार ने तय किया, उसको छोटा या बड़ा करना, ठीक नहीं है। सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है, सरकार अगर सैशन बुलाने का अनुरोध करती है और सदन बैठता है तो उसको छोटा या बड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कम से कम कहूंगा कि अगर यह विधान सभा इतनी तत्पर है जनता के इशूज पर डिस्कस करने के लिए कि एक बैठक को भी लगातार आगे चलाती है और जल्दी-जल्दी बैठती है, बहुत औपचारिक जो 20 साल का इन्होंने हवाला दिया कि औपचारिक सैशन बुलाने की प्रक्रियाएं, औपचारिक रूप से

उनको पैकेज करने की प्रक्रियाओं से ऊपर हट कर अगर कर रही है तो इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं किया जाना चाहिए। अच्छी बात है कि जनता के मुद्दों के प्रति स्पेशल सैशन बुलाना, बैठकों को लगातार चालू रखना जब जरूरत पड़े तुरंत प्रभाव से बैठक बुलाना, यह एक प्रोग्रेसिव विधान सभा की निशानी जानी चाहिए। इसको गलत नहीं माना जाना चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वैसे एलजी एड्रेस होना चाहिए था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एल. जी. एड्रेस नही हुआ आज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर दे रहा हूं। विजेन्द्र गुप्ता जी ने सदन के बीच में अपनी बात रखी है और मुझे आज कुछ समाचार पत्रों से भी यह पढ़ने को मिला था। इस धारणा के संबंध में उनके क्या विचार हैं, मुझे इसकी जानकारी मिली है। सदन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा विजेन्द्र जी ने अभी कहा भी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2017 को जारी प्रेस विज्ञप्ति को इन शंकापूर्ण समाचारों का आधार बनाया गया है। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी के आपत्ति के मुख्यत: दो आधार हैं :

1. यह कि विधान सभा का सत्र भागों में बुलाया जा रहा है, जिसका उत्तर अभी मनीष जी ने भी दिया; और

2. यह कि माननीय उपराज्यपाल को आज सत्र को सम्बोधित करने के

लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था, क्योंकि श्री गुप्ता के अनुसार आज नये वर्ष में नये सत्र का पहला दिन है।

दुर्भाग्यवश, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में खुद को गुमराह किया है। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1 7(1), जो विधान सभा के सत्र की बैठकों को, यदि सत्रावसान नहीं किया जाता तो भागों में बुलाने की अनुमति देता है, इस नियम के प्रति उनकी अज्ञानता से यह भ्रांति फैली है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैंने तो ज्ञान बता दिया...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी दे रहा हूं। मैंने सारा लिखा है। विजेन्द्र जी, देखिये, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। मैं 17(1) बोल रहा हूं। एडिट क्या करूंगा, आप सुन तो लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 17(1) का ज्ञान मैंने दिखा दिया...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी बता रहा हूं आपको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप अज्ञानी कह रहे हो...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, अभी मैं जानकारी दे रही हूं पूरी। पूरा सुन लीजिए। एक बार पूरी जानकारी दे रहा हूं। आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूं। इस नियम के प्रति उनकी अज्ञानता से यह भ्रांति फैली है। इसी तरह के समान नियम लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य विधान सभाओं की नियम पुस्तिकाओं में मौजूद हैं तथा उनको समय-समय पर लागू किया गया है। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जब भारतीय संसद के सत्रों की बैठकों को भी भागों में बुलाया जाता रहा है।

माननीय उपराज्यपाल महोदय की कथित अवमानना के शरारतपूर्ण आरोप की बात करें तो, जो मुख्यत: माननीय उपराज्यपाल महोदय को गुमराह करने के लिए लगाया गया है, मैं सबको यह साफ तौर पर बता देना चाहूंगा कि माननीय उपराज्यपाल महोदय को यदि आज सत्र को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता तो यह वास्तव में नियमों का उल्लंघन होता। श्री गुप्ता के गलत जानकारी पर आधारित दावों के विपरीत, आज का सत्र नये कैलेंडर वर्ष का पहला सत्र नहीं है। यह केवल चौथे सत्र का पुन: समवेत हुआ भाग है, जो कैलेंडर वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। लोक सभा में भी बहुत पहले वर्ष 1962-63 में और पिछले दशक में 2003-04 में इस बात के उदाहरण हैं कि जब लोक सभा के शीतकालीन सत्र विभाजित होकर नये कैलेंडर वर्ष में चले गये और नये कैलेंडर वर्ष में पुन: समवेत हुई बैठक को राष्ट्रपति नये कैलेंडर वर्ष में चले गये कैलेंडर वर्ष में पुन: समवेत हुई बैठक को राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के लिए नया सत्र नहीं माना गया। यह लोक सभा का उदाहरण दे रहा हूं।

वास्तव में, वर्ष 2004 में जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्री परिषद ने 2003 के शीतकालीन सत्र की बैठक को पुन: समवेत करने का अनुमोदन किया। आपको ध्यान होगा, अंतरिम बजट उस समय पेश हुआ था। लोक सभा अध्यक्ष ने तुरंत ऐसा करने के लिए सहमति दे दी। उस समय इस पर आपत्ति की गई तो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि वर्ष 2004 की पुन: समवेत की गई बैठक वर्ष 2003 के शीतकालीन सत्र का दूसरा भाग थी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : चुनाव का विषय...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, चुनाव का विषय नहीं, बजट आ रहा है, नये सत्र की बात कर रहे हैं, अभी सुन लीजिए पूरा, मैं आपको पूरे नियम दे रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, जो आप बता रहे हैं, यहां कौन सी परिस्थितियां हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप दो मिनट बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ऐसी कौन सी परिस्थिति है, मानसून सैशन में? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप न तो नियम पर चलेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यह मानसून सैशन है कि विंटर सैशन है? दो सैशन मिक्स किए जा सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं लिखाकर लाया हूं पूरा पढ़ने के बाद, पूरे कानून को लेकर के आया हूं। आप दो मिनट बेठ जाइये, प्लीज। बीच में मत डिस्टर्ब करिये।

बैठक वर्ष 2003 के शीतकालीन सत्र का दूसरा भाग थी और राष्ट्रपति महोदय को किसी ऐसे सत्र को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित करना उचित नहीं होता, जिसे नये कैलेंडर वर्ष का पहला सत्र नहीं माना जा सकता।

माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी, अब यहां के कोट कर रहा हूं, माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी दिनांक 29 मार्च, 2010 को रामदास अठावले बनाम भारतीय संघ, रामदास अठावले जी वर्तमान में मंत्री हैं, उस वक्त विरोधी दल के सदस्य थे, आपको ध्यान होगा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला इसी विषय को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आपको दे रहा हूं। मामले में इस बात का समर्थन किया था।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में बने रहने के लालच के कारण ऐसे असभ्य आरोप लगाने से पहले, एक बार भी, इस सदन, इनके नियमों तथा गरिमा के बारे में नहीं सोचा। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के सम्मान, सदन की प्रतिष्ठा और नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। मेरी उनको यह सलाह है कि वे, उनको दी गई सरकारी सुविधाओं का उपयोग तथ्यों की जांच करने में करें, न कि निर्लज्ज, असत्य भाषण में। मैं उन्हें, माननीय उपराज्ण्यपाल महोदय के पद को ऐसे गलत सूचनाओं पर आधारित विवाद में घसीटने के लिए चेतावनी देने के लिए बाध्य हूं। आपने कई बार प्रयास किया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यह जो आपने भाषा का प्रयोग किया, मेरा उस पर विरोध...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, आप विरोध दर्ज कर लीजिएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने जिस तरह किया था...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने कई बार उपराज्यपाल को...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप चेतावनी दे रहे हैं, मैं यहां पर आपको ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, दो मिनट रूक जाइये। मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर लूं पहले।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने जो भाषा का प्रयोग किया है, वो एक अध्यक्ष की गरिमा को कम करता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, दो मिनट रूक जाइये। यह सीरियस मैटर है प्लीज। मैं उन्हें माननीय उपराज्यपाल महोदय के पद को ऐसे गलत सूचनाओं पर आधारित विवाद में घसीटने के लिए चेतावनी देने के लिए बाध्य हूं। इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष के रूप में सबको यह आश्वस्त करता हूं कि सभी नियमों तथा परंपराओं और माननीय उपराज्यपाल महोदय की, सदन की कार्यवाही में परिकल्पित भूमिका का पूर्ण सम्मान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मैं मीडिया के बंधुओं से भी यह कहना चाहूंगा कि वे तथ्यों की जांच किये बिना किसी भी समाचार को प्रकाशित न करें और अनावश्यक विवाद को प्रचारित न करें क्योंकि इससे सदन की गरिमा का हनन होता है।

विजेन्द्र जी, अनेक बार उपराज्यपाल को लेकर आपने कई वक्तव्य दिये, जिनका मीडिया में प्रचार-प्रसार हुआ और मैं उनको सुनता रहा, समझता रहा, देखता रहा लेकिन मैंने कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन इस बार नये उपराज्यपाल आये हैं, उनको भी आपने....वे एक सज्जन व्यक्तित्व हैं, सरल व्यक्तित्व हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं। उनको भी इस चीज में आपने घसीटने का प्रयास किया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे इजाजत मिलेगी अपनी बात कहने की?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, दो मिनट रूक जाइये, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो इसलिए मुझे, माननीय उपराज्यपाल नये आये हैं फिर भी मैं कह रहा हूं और कहीं अगर आपको लग रहा था कि यह बात हुई है, आप बात कर सकते थे मुझसे आकर, सरकार से बात कर सकते थे, अभी जुम्मा-जुम्मा उनको आये हुए 15 दिन हुए हैं और उन 15 दिनों के अंदर फिर एक कंट्रोवर्सी दिल्ली में खड़ी हो, यह दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दिल्ली के कामों का रोकने का यह प्रयास है, मैं यहां तक टिप्पणी कर रहा हूं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूं। कष्टदायक, पीड़ादायक शब्दों के साथ, अब मैंने अंत में जो पढ़ा है, वो लिखा हुआ नहीं पढ़ा है। मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और इसलिए मैंने समय लगाकर इसको ढूंढा है।

विजेन्द्र गुप्ता : विद् ड्यू आल रिगार्डस पूरे सम्मान के साथ और आपकी गरिमा और आपके हर प्रकार से मुझसे बड़े होने के कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई है जिस तरह की भाषा का प्रयोग अध्यक्ष की कुर्सी से हुआ है। दूसरा, विपक्ष ने जो बात कही, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। जब मेरा सवाल यह है कि क्या मानसून सैशन....आपने टेक्निकल आधार पर सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है लेकिन वास्तविकता यह है कि जब विंटर सैशन आप कॉल कर रहे हैं तो उसकी परमिशन उपराज्यपाल महोदय से होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। उपराज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल एक इंस्टीट्यूशन है, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, वहां कोई भी हो सकता है ए. बी. सी.

लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं एलजी ऑफिस की बात कर रहा हूं। मैं उपराज्यपाल के पद की बात कर रहा हूं। उपराज्यपाल से संस्तुति लेना हर सैशन से पूर्व, ये सदन की मर्यादाओं का भी और मेनडेट भी है, वो नहीं हुआ। विंटर सैशन, मानसून सैशन का पार्ट कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है।

तीसरा, जितनी चीजें आपने यहां बताई, क्योंकि समय उतना मुझे नहीं मिलेगा, ये सब सिलसिलेवार, ये स्पेशल सर्कमस्टान्शियल चीजें हैं, अगर लोकसभा भंग हो गई है, 2004 में लोकसभा भंग हो गई थी एक प्रकार से, उस समय का सारा किस्सा निकालेंगे तो उसमें से आपको ये सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। प्रश्न यह है कि क्या ये एक अच्छी परंपरा है कि आज तक. ...आपने पार्लियामेंट की तो बात की लेकिन शायद विधानसभा की करते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन मुझे मालूम है आपके पास जो एडवाइज हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा की ज्यादा है और असेम्बली की कम है इसलिए बीस, ये मेरे पास पूरी डिटेल है।

अध्यक्ष महोदय : अब विजेन्द्र जी, हो गया। नहीं, अभी सारा स्टार्ड क्वेश्चन का समय बर्बाद हो रहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इस पूरी डिटेल में ये देखिये, मैं ये आपको भी दे देता हूं। पार्ट-1 एंड पार्ट-2 अब आप सेवेंटीन की बात करते हैं, बात सेवेंटीन की नहीं हैं सवाल है, सेवेंटीन आपको पावर देता है, परंतु उसका इस्तेमाल कहां करना है...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अब मेरी बात सुन लीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कब करना है, ये आपके ऊपर है। अब मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल बोल रहा होता तो मैं जरूर बोलता। मैं आपसे न किसी भी विवाद में जाने की कुछ चेष्टा करूंगा, न ही मैं आपकी बात को, काटने की चेष्टा करूंगा लेकिन मैं अवगत कराऊंगा। मैं आहत हुआ हूं। जो शब्दावली आपने एक सदस्य के लिए प्रयोग की है, मुझे लगता है, वो आपका वापस लेनी चाहिए। वो मेरा आपसे आग्रह है। इसको यहां से हटाना चाहिए। आप किसी सदस्य के बारे में असभ्य और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये और भी उस विपक्ष के लिए जिनके सदस्य पहले ही कम हैं उनके लिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, चलिए। मुझे सौरभ जी...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हतोत्साहित करने की कोशिश की गई।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता हुआ है मैं रूलिंग दे रहा हूं, नहीं, मैं रूलिंग दे रहा हूं प्लीज बैठिये।

मुझे दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी के आचरण पर अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि उपराज्यपाल के संवैधानिक पद पर उनके आचरण के संबंध में व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव भी है। मेरा यह मत अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है तथा संवैधानिक पद पर होने के कारण मैं अपने विचार सदन के साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उपराज्यपाल के पद की गरिमा की रक्षा करने के लिए बाधय हूं। सदन का समय इतना कीमती है कि इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसलिए मैंने इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया।

श्री सौरभ भारद्वाज : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सौरभ जी, इस पर अब कुछ नहीं प्लीज आ गई है। स्टार्ड क्वेश्चन। आज सदन के सदस्यों से नियम-54, 55 और नियम-59 के तहत विभिन्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज समय का अभाव है तथा दिल्ली नगर निगम से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है, अतः मैं इनमें से किसी भी सूचना को आज स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। समय बहुत हो गया है, मैं शॉर्ट में ये बात करूंगा कि केवल क्वेश्चन प्रस्तुत कर दीजिये, पढ़ने की जरूरत नहीं। तोमर जी, क्वेश्चन नंबर एक।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री जितेंद्र सिंह तोमर : धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न सं. 01 प्रस्तुत है :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र मे बीस से अधिक बस शेल्टर्स या तो गायब हो चुके हैं अथवा अत्यंत दयनीय स्थिति में है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि माननीय परिवहन मंत्री को इस स्थिति के बारे में मेरे द्वारा अवगत कराया गया था;

(ग) इस संबंध में माननीय परिवहन मंत्री को लिखे गये पत्रों के ऊपर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ताकि इन स्थानों पर अत्याधुनिक बस क्यू शेल्टर्स बनाये जा सकें;

(ङ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है तथा यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं :

(क) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाये गये बस स्टैंडों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है;

(ख) जी हां;

(ग) माननीय विधायक की पत्रावली के संबंध में डीटीआईडीसी द्वारा माननीय विधयक को सूचित किया गया है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड के स्थान पर नए बस क्यू शेल्टर्स के निर्माण का प्रावधान है तथा पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित 1397 बस क्यू शेल्टर्स की सूची में इन्हें सम्मिलित कर लिया गया है;

(घ) व (ङ) प्रस्तावित 1937 बस शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) पीपीपी मॉडल में बनाने हेतु निविदाएं नवम्बर 2013, जून 2014 व फरवरी 2015 में भी आमंत्रित की गई थी, परंतु इन निविदाओं द्वारा कोई भी सफल आवेदक नहीं मिला। डीटीआई डीसी के निदेशक मंडल द्वारा वर्तमान में यह फैसला लिया गया है कि आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स की मूल लागत को कम करने के लिए डिजाइन में तब्दीली की जाए। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग इस संबंध में नए डिजाइन पर कार्य कर रहा है। सरकार से अनुमोदन मिलने के उपरांत नई निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, तदनुसार नये बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा; और

(च) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी।

श्री जितेंद्र सिंह तोमर : माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक जवाब मैं मुझे बताया गया है कि 1397 बस क्यू शेल्टर्स के लिए आपने निविदाएं आमंत्रित की थीं नवंबर 2013 में, जून 2014 में और फरवरी 2015 में। न मैं इस सदन का सदस्य 2014 में था न 2014 में था। मैंने 20 शेल्टर्स के लिए तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री गोपालराय जी से बात भी की थी और कई पत्र भी इनके पास भेजे थे और मुझे तब भी बताया गया था अप्रैल-मई 2015 में कि आपने 20 शेल्टर्स जो बाताए हैं, उनको हमने 1397 में शामिल कर लिया है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि 1397 की निविदा आपने 2013 में भी की तो मेरे 20 बढ़ जाने चाहिए इसमें। आपने 2014 में भी की तो भी मेरे 20 बढ़ जाने चाहिए। फरवरी 2015 में सरकार हमारी बनी थी तो एक तो जो लोग उत्तर देते हैं, थोड़ा उनसे बात कर लें प्लीज और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब दो साल हो गये हैं हमारी सरकार को और मैंने दो साल पहले ही लिखा था, मार्च के महीने में लिखा था गोपालराय जी को, जब ये परिवहन मंत्री थे, तो 20 क्यू शेल्टर्स अगर खराब हों, अगर नहीं हों, हैं ही नहीं, गायब हैं वहां से, तो ये गलत संदेश जा रहा हे। मेरी आपसे प्रार्थना है आप बहुत डायनमिक मिनिस्टर हैं। आप कृपया इसको पर्सनली लेकर इसको बायफरकेट कर दीजिये। ये 1397 कभी नहीं हो पायेंगे, दो साल निकल गये। तीन साल भी निकल जायेंगे। इसको या तो सौ-सौ में कर दीजिए, पचास में कर दीजिए, विधान सभा वाइज कर दीजिए, बहुत बढ़िया मॉडल नहीं है तो इतना तो कर दीजिए कि लोग बारिश और धूप से बच जाएं, आपसे प्रार्थना है ये मेरी प्लीज।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये बीस क्यू शेल्टर्स जो बताये हैं, जो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि 1397 जो हैं, इसके अंदर पूरी दिल्ली के वो बस क्यू शेल्टर्स हैं, जिनके लिए कोई भी निविदा नहीं आई थी। उसमें वो पहले से शामिल थे तो रफ्ली जो इनकी बनाने की कॉस्ट आती है; 15 लाख रूपये के करीब एक बस क्यू शेल्टर्स की कॉस्ट आती है तो मैंने इसको रिडिजाइन करने के लिए कहा है कि 15 लाख में क्योंकि उसका पैसा निकल नहीं पाता है और बजट से इतना पैसा कि लगभग दो सौ, ढाई सौ करोड़ सिर्फ बस सेल्टर्स बनाने के लिए संभव नहीं था तो इसके डिजाईन को रिवाइज किया जा रहा है जल्द ही इसके दोारा से टेंडर किये जाऐं और मैं आदरणीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपक जो रिंग रोड है, वजीरपुर डिपो से लेकर धौलाकुंआ तक उसको रिडिजाइन किया गया है, उसके अंदर बस क्यू शेल्टर्स का पूरा दोबारा से बनाया जा रहा है, सारे बनेंगे और साथ में जितनी सड़क के ऊपर सुविधाएं होनी चाहिए, सारी साथ में दी जाएंगी। जल्द ही काम स्टार्ट होने वाला है।

श्री जितेंद्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां आप वजीरपुर डिपो से कह रहे हैं, मेरी विधानसभा में सिर्फ दो बस क्यू शेल्टर्स आते हैं वो बाकी 18 तो दे दो प्लीज।

परिवहन मंत्री : देखिये जो 1397 हैं, उनका डिजाईन इसीलिए रिवाइज किया जा रहा है कि कम कॉस्ट में बन सकें कि जो आदमी टैंडर देने जाता है, उसको हम पैसे नहीं देते हैं। उसको सिर्फ एडवरटाईजिंग के अधिकार मिलते हैं वे उस पैसे इतने बना नहीं पा रहा है। वो ऐसी जगह पर हैं, जहां पर फुटफाल कम है तो इसकी कॉस्टिंग को कम कराया जा रहा है और जल्द ही इसका नया टेंडर किया जाएगा और हो जाएगा वो।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. दो। फतेह जी।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या दो।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड फतेह सिंह जी, एक सेकेंड, सप्लीमेंटरी है।

श्री प्रकाश : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1397, बड़ा टाईम लग जाएगा। तीन साल हमें भी हो गये हैं उस पर मेहनत करते-करते और क्या ये एमएलए फंड से नहीं बनवाये जा सकते के जिस-जिस विधायक के एरिये में बस शेल्टर्स आते हैं, वो अपने एमएलए फंड से बना लें इसे?

परिवहन मंत्री : मैं तो सलाह ये दूंगा कि एमएलए फंड खर्च न करें तो अच्छा है। अगर फिर भी कोई सदस्य बनाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : चलिये, प्रश्न संख्या दो चौधरी फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। प्रश्न संख्या दो प्रस्तुत हैं:

क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग की गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में मीत नगर रेलवे क्रासिंग पर अंडरपास बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो इस अंडरपास के निर्माण का इसकी अनुमानित लागत, इस परियोजना के प्रारंभ और पूर्ण होने के लक्ष्य की तिथि सहित विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या दो का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) हां, रेलवे विभाग द्वारा रोड अंडर ब्रिज के बॉक्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है अब अंडरपास के एप्रोच बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग करेगा;

(ख) इस कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति रू. 4,50,12,500/- की प्राप्त हुई है। यह स्वीकृति दिनांक 09.08.2016 को मिली है। प्रारंभ होने की अनुमानित तिथि 30.04.2017 एवं समाप्त होने की तिथि 31.12.2017 है; और

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कोई सप्लीमैंट्री? चलिये धन्यवाद। प्रश्न संख्या तीन अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न सं. तीन प्रस्तुत है :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदनी चौक क्षेत्र में कार्गो की लोडिंग/अनलोडिंग के संबंध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) सामान ढोने वाले व्यावसायिक वाहनों द्वारा एन. जी. टी. के आदेशों के उल्लंघन के विरूद्ध ट्रैफिक पुलिस द्वारा किये गये चालानों की संख्या रहित की गयी कार्रवाई का विवरण क्या है?

गृह मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या तीन का उत्तर इस प्रकार हैं :

(क) व (ख) माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने अपने आदेश दिनांक 16.03.2015 ओ. ए. नम्बर 21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम भारत सरकार एवं अन्य निर्देश दिया था कि सभी बाजारों विशेषकर लाजपत नगर, करोलबाग, साउथ एक्स, चांदनी चौक और अन्य अधिक प्रदूषित बाजारों में प्रतिदिन सुबह 11.00 बजे से 8.00 बजे रात्रि तक माल का उतारना व चढ़ाना निषेद्य किया जाए। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का अनुपालन दिल्ली यातायात पुलिस के द्वारा पूरी तरह से किया जा रहा है। अधिनियम, पार्किंग एवं आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषियों को धारा 122/177 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं 1 32/179 के तहत दंडित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का चांदनी चौक क्षेत्र में उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दिल्ली यातायात पुलिस के द्वारा अभियोजित किये गये वाहनों की सूचना इस प्रकार है

वर्ष	चालानों की संख्या	
	व्यावसायिक वाहन	निजी वाहन
2015 (16.03.15 से 31.12.15)	416	7.10
2016	328	850
2017 (15.01.2017 तक)	43	40
कुल योग	787	1600

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय, यहां जो जो जानकारी दी गई है, मैं बिल्कुल भी उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूं। सच्चाई कुछ और है, जो यहां बताया गया है। मेरे पास हिदुंस्तान टाईम्स की और दैनिक जागरण की कटिंग है जो आज की सच्चाई चांदी चौक, खारी बावली की बताती है कि एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साबित यही होता है 2016 में पूरे साल में सिर्फ 328 चालान हुए, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि चांदनी चौक जैसे व्यावसायिक स्थल में एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर पूरे साल भर में सिर्फ 328 वाहन! मैं उम्मीद कर रही थी कि इसके तीन हजार से भी ऊपर चालाने हुए होंगे। लेकिन तभी यह उम्मीद की जा सकती थी कि जब एनजीटी के आदेश का पूरी तरह से पालन हो रहा होता। साफ दिखता है, पालन नहीं हो रहा और ये सब काम दिल्ली पुलिस की पूरी मदद से हो रहा है इसका खुलासा आज के दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाईम की अखबार में हुआ भी है।

मेरा दूसरा प्रश्न यही है कि वहां पर जो रेहड़ी और पटरी को लेकर ई-रिक्शा और रिक्शा को लेकर ये तीन और बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग घंटों जाम में रहते हैं, उसको लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, रेहड़ी पटरी वालों को, क्या उनके लिये योजनायें हैं? क्योंकि एनजीटी के आर्डर के अनुसार चांदनी चौक, लाल किले से फेहपुरी कोई भी रेहड़ी और पटरी नहीं लग सकती। दोनों तरफ कोई भी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती और रिक्शा जो है, उसकी कोई संख्या तय होनी चाहिए जो कि नहीं है। मैं इस पर जानकारी चाहती हूं इस पर सरकार के पास क्या जानकारी है? धन्यवाद।

गृह मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो कहा है, इसके बारे में कन्सर्ड डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके इनका जवाब बाद में दे दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या चार विजेंद्र गर्ग जी। इसमें उत्तर नहीं है।

श्री विजेंद्र गर्ग : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 04 प्रस्तुत है :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजेंद्र नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सी ब्लॉक कम्यूनिटी सेंटर, नारायणा विहार में पॉली क्लिीनिक के निर्माण हेतु तीन हजार वर्ग गज भूमि आवंटित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पॉली क्लिीनिक का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत सहित इसके प्रारंभ होने की संभावित तिथि का विवरण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 04 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) आरंभ में इस स्थान पर 100 बेडिड अस्पताल बनाने का प्रस्ताव था। बाद में इस स्थान पर पॉली क्लीनिक बनाने का निर्णय लिया गया;

(ख) पॉली क्लीनिक के लिए प्लान बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करने की योजना है; और

(ग) उपरोक्त।

अध्यक्ष महोदय : हां सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री विजेंद्र गर्ग : मैं जानना चाहता हूं कोई बाधा है जसकी वजह से

इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और अध्यक्ष महोदय इसका लिखित जवाब भी अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इस सवाल का जवाब इसमें नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी-अभी मिल गया है।

श्री विजेंद्र गर्ग : जी।

स्वास्थ्य मंत्री : यही एक प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले काफी टाईम से रूके हुए हैं और एलजी साहब ने चार सौ-पांच सौ फाइलें अपने पास मंगा ली थी तो उसकी वजह से दिल्ली सरकार के ज्यादातर प्रोजेक्ट रूक गये थे। उनमें से एक ये भी एक प्रोजेक्ट था तो उसके लिये, सभी को पता है कि कामों को रूकवा दिया गया था। उसके लिए सभी को खेद है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेंद्र गौतम जी। प्रश्न संख्या पांच।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या पांच प्रस्तुत है :

क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज किस तिथि को बनाना प्रारंभ हुआ;

(ख) इस सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण हेतु पिछली सरकारों द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया;

(ग) इस ब्रिज के निर्माण पर अब तक कितना पैसा खर्च हो चुका है;

(घ) इस ब्रिज के पूर्ण होने की संभावित तिथि क्या थी; और

(ङ) यह ब्रिज कब तक जनता को समर्पित कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या पांच का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) पहुंच सड़क का कार्य दिनांक 27.05.2008 को अवार्ड हुआ था जब कि मुख्य सेतु का कार्य दिनांक 26.02.2010 को अवार्ड हुआ था, और उसी अनुसार कार्य प्रारंभ हुआ;

(ख) रू. 1131 करोड़;

(ग) 45 माह; और

(घ) सितंबर, 2017

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमैंट्री? प्रश्न संख्या छः सौरभ भारद्वाज।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या छः प्रस्तुत है :

क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण द्वारा वर्ष 201 3 से 2015 के बीच ग्रेटर कैलाश विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खिड़की एक्सटेंशन और पंचशील बिहार में बनायी गयी सड़कों और नालियों का, उनके वर्क आर्डर की प्रतियों सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में फाईबर इन्टरनेट टेलीकम्यूनिकेशन केबल बिछाने वाले वेन्डर्स को विभाग द्वारा दी गयी रोड कटिंग परमीशन का इन परमीशन्स की प्रतियों सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) रोड कटिंग के नाम पर जिनी व्यक्तियों/आरडब्ल्यूएज द्वारा सड़कों की गैर–कानूनी खुदाई और पैसा ऐंठने के संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गयी शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) चिराग दिल्ली के नया गामियां मोहल्ले में चौपाल के निर्माण के संबंध में ढांचागत खामियों, खराब कार्यकुशलता व कार्य के निष्पादन में देरी का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) इन खामियों के लिए जम्मेदार अधिकारियों/ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 06 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) वर्ष 2013–15 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने खिड़की विस्तार तथा पंचशील विहार (ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र) में निम्न दो कार्य कराए;

1. ग्रेटर कैलाश विधान सभा के अंतर्गत पंचशील विहार (कालोनी पंजीकृत संख्या 12 20) में सड़क गलियों एवं नालियों का निर्माण एवं विकास कार्य;

2. ग्रेटर कैलाश विधान सभा के अंतर्गत खिड़की विस्तार (कालोनी पंजीकृत संख्या 897) में सड़क गलियों एवं नालियों का निर्माण एवं विकास कार्य;

(दोनों कार्य के वर्क ऑर्डर की सूची (क) व (ख) संलग्न है।)

(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में फाईबर इंटरनेट टेलीकम्यूनिकेशन केबल बिछाने वाले वेंडर्स को कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी है;

(ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, शहरी विकास विभाग के द्वारा उपरोक्त अनाधिकृत कालोनियों में मनोनीति कार्य प्रदायी/निष्पादित संस्था है एवं तदनुसार अनाधिकृत कालोनी सेल के आदेश पर उपरोक्त निर्माण कार्य कराये गये। माननीय विधायक की शिकायत पर विभाग द्वारा दक्षिण दिल्ली नगर निगम एवं एयरटेल को पत्र भेजे गए जिनकी प्रतिलिपि माननीय विधायक को भी दी गयी;

यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पत्र संख्या EE(M)-II/SZ/2015-16/D-403 दिनांक 01.10.2015 जिसके अंतर्गत अंकन रूपये 4,54,560/- की धनराशि जमा कराने के बाद सड़क काटने की दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृति दी गई। क्योंकि यह जमीन सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत नहीं है। जिसके कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सका। तथापि विधायक महोदय के शिकायत पत्र को शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार को कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है :

(घ) चिराग दिल्ली के नयागामिया मौहल्ले में निर्माणाधीन चौपाल के कार्य निष्पादन में देरी का मुख्य कारण चौपाल के मधय से बिजली के तारों को गुजरना था। जिसके हटने के उपरांत इस चौपाल का कार्य सुचारू रूप से चल सका। जहां तक ढांचागत शिकायत का प्रश्न है कार्य चलते समय अचानक शटरिंग ढीली होने के कारण कुछ सामान्य खामिया पैदा हो गयी, जिनको बाद में ठीक करा दिया गया; और

(ङ) इस कार्य की जांच हेतु एक सिमति का गठन कर दिया गया है।

BY REGISTERED POST

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
CIVIL DIVISION NO: V. GOVT. OF DELHI
SAID-UL-AJAIB VILLAGE : NEW DELHI.

No.108/13-14/EE/CD.V/Acsy6992-6898 Dated: 06-09-13

To,

M/S Ranjeet Construction Co.,
Prop. Sh Ashok Jha.,
Govt. Contractor,
E-423, Hari Nagar-II, Sourabh Vihar,
New Delhi-110044.

Sub:- Development of road streets and construction of side in Panchsheel Vihar Colony (Regd.No. 1220) in Greater Kailash Constituency.

HO.A:-4217(P)U.C.

Sir,

Your tender for the work mentioned above has been accepted on behalf of the President of India at your tendered rates amounting to Rs. 1,18,85,842/- (Rupees One Crore Eighteen Lac eight five Thousand eight Hundred & forty two only), which is 36.18% below the estimated cost of Rs. 2,05,52,925/- put to tender.

You are requested to submit the performance guarantee of Rs 5,94,292/- (Rupees Five Lacs ninety four Thousand two hundred & ninety two Only), with in 9 days of issue of this letter. The performance

guarantee shall be in any of the prescribed from as provided in clause I of the General condition of contract for I & FC Department.

On receipt of prescribed performance guarantee, necessary letter to commence the work shall be issued and site of work shall be handed over to you thereafter.

Please note that the time allowed for carrying out the work entered in the tender is ISO Days, will be reckoned after 15 days from the date of issue of this letter. The stipulated date of start and completion are 22.09.2013 & 18.02.2014 respectively.

Yours faithfully,

(ANIL KUMAR)
EXECUTIVE ENGINEER: V
For & on behalf of President of India.

No. 108/13-14/EE/CD.V/Acs/6892-98 Dated:6-9-13

Copy to:-

1. The Vigilance Officer Q&FQ, Department, Govt. of NCT of Delhi 5/9, Under Hill Road, Delhi.
2. The Chief Engineer (I&FC), Govt of Delhi. Concerned Department,
3. The Superintending Engineer (F.C.IV), Govt of Delhi.
4. Concerned Department

5. The Assistant Engineer -I, (CD-V), Govt of Delhi, with the direction that there should not be any deviation beyond the permissible limit and to keep strict supervision while carrying the work with proper field/Lab tests as per specification so as to maintain the quality of subject work. Copy of acceptance of tender by SE(FC-IV) vide letter No.SE/FC-IV/SW/CD-V/T-49/2013-14/3854/ dated- 5/09/2013 is attached herewith, with the direction to ensure strict compliance of T&C laid down by SE(FC-IV)in accepter of tender.

6. Cashier (CD-V), Govt of Delhi.

EXECUTIVE ENGINEER: V

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
CIVIL DIVISION NO:V. GOVT. OF DELHI
SAID-UL-AJAIB VILLAGE : NEW DELHI.

NO.124/L3-14/EE/CD.V/Acs.8573-84 Dated: 5-10-13

To

M/s Kamal Builders,
Prop. Sh Kamal Gupta,
Govt. Contractor,
451-A, Asola P.O. Fatehpur Beri,
New Delhi-110074

Sub:- Development of road streets and construction of side drain in Khirki Extension colony (Regn. No. 897) at Greater Kailash (AC-50).

H.O.A:-4217 (P) U.C.

Ref. (1) Performance Guarantee submitted by you vide your letter No. Nil Dated. 03.10.2013.

(2) This office letter of intent/acceptance of tender vide letter N0.7953-59 dated 26.09.2013.

Sir,

In continuation to the letters referred above, you are requested to attend this office to complete formal agreement within 7 days from stipulated date of start.

You are also requested to contact the Assistant Engineer Sb. J.P.Sejwal, (CD.V), (I&F) Department, Govt. of NCT of Delhi for taking possession of site and starting the work.

Yours faithfully

Encl: Schedule of quantities
& Special conditions.

(ANIL KUMAR)
EXECUTIVE ENGINEER-V
For and on behalf of President of India
Civil Division No.V(I&F) Department

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : (क) का जवाब जो आया है, जो हमारे यहां रोड्स बनी है, वो हमारी सरकार बनने से पहले बनी थी और क्योंकि वर्क आर्डर के अंदर दिखाया जा रहा है कि इसमें रोड्स और नालियां दोनों बननी थी। यहां पर सिर्फ रोड्स बनी हैं तो मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि वो इसकी जांच कराए कि नालियों का पैसा कहां गया? ये मसला हमारी सरकार बनने से पहले का है और दूसरा ये है कि (ग) भाग के उत्तर में ये कहा गया है कि ये जो रोड्स हैं; इरीगेशन फल्ड ने बनाई थी और जो इसकी ओनरशिप है, वो अर्बन डवलपमेंट डिपार्टमेंट की है। तो इसके अंदर जो रोड़ कटिंग की परमिशन थी, वो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कोरपोरेशन नहीं दे सकता था मगर इसमें साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कोरपोरेशन ने ना सिर्फ परमिशन दी बल्कि उसके एवज में 4,54,000/- रूपए भी उन्होंने खा लिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि या तो इरीगेशन फल्ड या अर्बन डवलपमेंट मिनिस्टरी इसकी भी जांच कराए और जो मेंने निजी जांच की थी, वो ये थी कि इसके अंदर ये परमिशन भी जो दी गई है, साउथ दिल्ली म्यनिसिपल कोरपोरेशन की, वो भी फोर्ज्ड परमीशन थी। उकसे रिकार्डस एकसडीएमसी के पास उपलब्ध नहीं है और ये पैसा कुछ प्राइवेट लोगों को दिया गया है और जो लास्ट भाग का उत्तर है, उसके उत्तर में आपने बताया कि समिति का गठन कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय सदस्य संज्ञान में जो प्रश्न लाए है कि सैंक्शन्ड जो पैसा था; सड़क और नाली दोनों का था और केवल सड़क बनी है, नाली नहीं बनी है और दूसरा ये

जो कटिंग का परमिशन एमसीडी ने दिया है, इसकी भी हम जांच के आदेश तुरंत कमेटी गठित करके इसकी भी जांच कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, फतेह सिंह जी, नहीं समय जरा कम है, एक क्वैश्चन और ले रहा हूं बस प्लीज।

चौ. फतेह सिंह : सर ये बहुत जल्दी है...जिसके संबंध में ये क्वेश्चन भी है जीओ जो रिलाइंस ग्रुप नाम की एक कंपनी है वे सारी दिल्ली के अंदर कटिंग कर रहे हैं और वो एक केबल डाल रहे हैं, क्या आपके माधयम से इस बात की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि क्या उसने इस रोड कटिंग का पैसा विभिन्न डिपार्टमेंट को जमा कराया है या नहीं कराया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे वो अनाधिकृत कॉलोनी कालोनी हो, वो ऐसी कटिंग रातों-रात, मतलब बड़े पैमाने पर सारी दिल्ली में की जा रही है उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न आया है, ये एक डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है तो मेरे ख्याल से खास तौर से जो शहरी विकास विभाग है वो मेरे ख्याल से संज्ञान लेकर और सारे विभागों से संज्ञान में, सबको नोटिस देकर के और रिपोर्ट इकट्ठा कर...

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। लिखित में बाद में दें जैन साहब, अगर अभी नहीं है।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य ने बताया है कि वो रातों-रात बिना परमिशन के शायद

ऐसा कर रहे हैं तो सभी विभागों से पूछा जाएगा, पीडब्ल्यूडी से भी, बाकी डिपार्टमेंटस से भी, एमसीडी से भी पूछा जाएगा कि ये परमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे है। हो सकता है कि ये लोग जैसा कि अक्सर होता है कि ये शायद लोकल स्टाफ के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हों, तो इसका पूरा संज्ञान लेकर, पूरी जांच करके बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। वैसे समय पूरा हो गया है स्टार्ड क्वेश्चन का, अंतिम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बग्गा जी प्रश्न संख्या सात।

श्री एस. के. बग्गा : महोदय, प्रश्न संख्या सात प्रस्तुत है :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने से संबंधित अधिनियम के अनुसरण में इसके महिला कर्मचारियों की शिकायतें सुनने हेतु आंतरिक समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां तो यूनिट, जिला, हेड क्वार्टर आदि विभिन्न स्तरों पर गठित की गयी इन समितियों का विवरण क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या सात का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) दिल्ली पुलिस के आदेश संख्या नं. 19681-771/सी एंड टी/एसी-2/पीएचक्यू दिनांक 15.07.2016 के द्वारा केंद्रीय आंतरिक शिकायत समिति (जो कि पहले जाना जाता था केंद्रीय यौन उत्पीड़न समिति) बनाया गया है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है; और

(ख) उपरोक्त आदेशानुसार सभी श्रेणी/इकाईवार में समिति का गठन करने का आदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा गया है।

ANNEXURE-A

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI

ORDER

'A Central Internal Complaint Committee' is hereby re-constituted with the following officers to over see the action taken by the Committees constituted in all Ranges/Units as per S.O. No. 436/2014 for dealing with the complaints of sexual harassment at the work place:-

1.	Smt. Garima Bhatnagar, Jt. CP/Traffic,	Chairperson
2.	Shri O.P. Mishra, Addl. CP/Ops. & Comn.,	Member
3.	Smt. Esha Pandey, Addl. DCP-I/North Distt.,	Member
4.	Centre for Social Research an NGO,	Member

The previous order N0.14441-541/C&T/ (AC-II)/PHQ dated 27.5.2016 is hereby cancelled.

This has the approval of CP, Delhi.

Sd/-
(G.S. Awana)
Dy. Commissioner of Police:
Headquarters: Delhi

No.19681-771/C&T (AC-II)/PHQ,dated, New Delhi, the 15-07-2016

Copy for information and necessary action to the:

1. Smt. Garima Bhatnagar, Jt. CP/Traffic, Delhi, Chairperson of the Committee.
2. Shri. O.P. Mishra, Addl.CP/Ops., & Communication, Member of the Committee.
3. Smt. Esha Pandey, Addl.DCP-I/North Distt., Member of the Committee.
4. Centre for Social.Research an NGO, Member, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi through DCP/South District, New Delhi.
5. Addl. CP/EOW, New Delhi w.r.t your office No. 290/P. Sec./Addl. CP/EOW dated 4.7.2016.
6. All Distts./Units DCsP including P/PTC, IGIA and FRRO, Delhi/ New Delhi.
7. SO to CP., Delhi.
8. SO to All Spl. CsP/Joint CsP/Addl. CsP/Delhi/New Delhi.
9. All ACsP/Insprs./ PHQ.
10. HAR/PHQ for record.

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमेंटरी? अलका जी, नहीं प्लीज, देखिए समय हो गया है मेरी बात को समझिए। अलका जी, जिनका क्वेश्चन है, उनको अपना स्पलीमेंटरी पूरा करने दीजिए।

श्री एस. के. बग्गा : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पुलिस आम आदमी के विधायकों को बिना किसी कारण, बिना इंवस्टीगेशन के केंद्र के दबाव में आकर एरेस्ट भी कर रही है, तंग भी कर रही है, ये कानून में कहां तक उचित है, पब्लिक पूरी दिल्ली की प्रभावित है, क्या होम मिनिस्ट्री इस पर क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय : ये इससे रिलेटिड नहीं है। बग्गा जी, प्लीज।

गृहमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये तो प्रोफेशनलन हैजार्ड है। अगर आम आदमी पार्टी के टिकट पर आपने इलैक्शन लड़ा है तो जेल जाने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, लास्ट बस। अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बा : सप्लीमेंटरी यही है कि जो यौन शोषण के केसिज आए हैं, मैं बस इतना जानना चाहती हूं क्या उसकी जानकारी है कि कितने केसिज दर्ज हुए हैं; और अगर दर्ज हुए हैं तो कितने केसिस में कार्रवाई की गई है? ये दो जानकारियां सरकार से मैं चाहती हूं।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी आफ हैंड ऐसी जानकारी नहीं है। विभाग द्वारा जानकारी लेकर माननीय सदस्य को दे दी जाएगी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लोक निर्माण विभाग

8. श्री महेंद्र गोयल : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिठाला विधान सभा क्षेत्र में डी. डी. ए. की कुछ सड़कें लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण विभाग मंत्री (श्री महेंद्र गोयल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

शिक्षा विभाग

09. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल प्रबंधन समितियों में नामांकित किया गया है;

(ख) इन सदस्यों के चयन का इनकी योग्यता, इनके चयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और कार्यकुशलता के आधार पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को शार्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकारी स्कूलों के बहुत से अध्यापक नान एकेडेमिक गतिविधियों जैसे कानूनी सलाहकार, उपनिदेशक के कार्यालय इत्यादि में लगे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा लगाये गये गेस्ट टीचर्स का उनके लिए कुल स्वीकृत पदों एवं गेस्ट टीचर की प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(च) क्या सरकार का नये एकेडेमिक सेशन में नये सिरे से गेस्ट टीचर्स की भर्तियों का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) कान्ट्रैक्चूवल एवं स्थायी स्टाफ के लिए समान वेतन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26-10-2016 के निर्देशों (2013 की सिविल अपील नं. 213) के अनुपालन के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

शिक्षा विभाग मंत्री (श्री पंकज पुष्कर) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समितियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को नामांकित करने का प्रावधान है। इस नियम की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) किसी भी अध्यापक को कानूनी सलाहकार नहीं लगाया गया है। कुछ पीजीटी/टीजीटी/लाईब्रेरियन को स्वेच्छिक आधार पर कानूनी मामलों में पैरवी अधिकारियों का सहायक लगाया गया है।

(घ) पैरवी अधिकारियों के सहायकों की सूची संलग्न है।

(ङ) गैस्ट टीचरों के लिये अलग से स्वीकृत पद नहीं होते हैं।

(च) इस विषय में यथा समय निर्णय लिया जायेगा।

(छ) इस विषय में प्रक्रिया जारी हैं।

विद्यालय प्रबंध समिति

3. **विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना एवं कृत्य**–1. विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इसके पश्चात उक्त समिति कहा गया है) का गठन और सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा तथा इसमें 16 से कम सदस्य नहीं होंगे। इसका गठन इन नियमों के लागू होने के छह माह के भीतर होगा तथा प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्गठन किया जायेगा।

प्रावधान है कि इस समिति की पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

यह भी प्रावधान है कि इसमें अलाभप्रद उसमूह तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता/संरक्षकों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत विद्यार्थियों के माता-पिता या संरक्षकों से होगा।

(3) विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा :

(क) समिति का एक सदस्य स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा;

(ख) स्कूल का प्रधान समिति का सदस्य होगा;

(ग) समिति का एक सदस्य स्कूल का अधयापक होगा जिसका विनिश्चय स्कूल के अधयापक करेंगे;

(घ) एक सदस्य, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा सामाजिक कार्यकर्ता होगा।

(4) निम्न स्कूल अधयापकों को विशेष आमंत्रित के रूप में विद्यालय प्रबंध समति में सम्मिलित किया जायेगा :

(i) एक सामाजिक विज्ञान अधयापक

(ii) एक विज्ञान अधयापक

(iii) एक गणित अधयापक

(5) विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यो की व्यवस्था के लिये विद्यालय का प्रधानाचार्य इसका पदेन अध्यक्ष होगा। उपाधयक्ष अभिभावक सदस्यों से होगा। विद्यालय अधयापक सदस्य, समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

(6) उक्त समिति की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार होगी तथा बैठक के विनिश्चय का कार्यवृत्त समुचित रूप से अभिलिखित किया जायेगा और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) उक्त समिति, अधिनियम की धारा 21 की उपधररा (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्–

(क) उक्त समिति, विद्यालय के आस-पास में रहने वाली जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में, अधिनियम में

यथा प्रतिपादित बालक के अधिकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों, स्कूल, संरक्षकों तथा माता-पिता के कर्त्तव्यों के बारे में, जानकारी प्रदान करेगी;

(ख) अधिनियम की धारा 2 4 तथा धारा 2 8 के खंड (क) तथा (ङ) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी;

(ग) इस बात के लिए निगरानी करेगी कि अध्यापकों पर अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा गैर शैक्षिणिक कार्यों का भार न डाला जाए।

(घ) विद्यालय के आसपास के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा लगातार उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट, सन्नियमों तथा मानकों के बनाये रखने को मॉनीटर करना।

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक एवं श ारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार नि:शुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को सर कार अथवा स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना।

(छ) अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की आवश्यकताओं की पहचान करना, योजना तैयार करना तथा निगरानी करना।

(ज) नि:शक्तताग्रस्त बालकों की पहचान तथा नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और माधयमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना।

(झ) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(8) यदि उक्त समिति को अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एक पृथक खाते में रखा जायेगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी।

(9) उपनियम (8) में उल्लिखित लेखा पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष/उपाधयक्ष तथा संयोजक के हस्ताखर होंगे और तैयार करके एक माह के भीतर निधि प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सौंपा जायेगा।

List of Assistant to Pairvi Officer

Sl. No.	Name of Assistant to DEO/PO	Designation
1	2	3
1.	Sh. Ajay Km. Pandey,	TOT (Hindi)
2.	Sh. Kiran Pal Singh,	Librarian
3.	Sh. Mohd. Kamil Khan,	PGT English
4.	Sh. Omkar S. Dhaka	Vice Principal
5.	Sh. Sachin Kohli	TGT (N. Science).
6.	Smt. Sonal Jain	TGT (Math)
7.	Sh. Anil Kaushik	PGT (English)
8.	Sh. Manoj Kumar	TGT (N. Science)
9.	Sh. Virnesh Kumar	Librarian
10.	Sh. K.P. Teotia	TGT (N. Science)
11.	Sh. Mukesh K. Gaur	PGT (Commerce)
12.	Sh. Shyam Bihari	TGT (English)
13.	Sh. Laxmi Narain	TGT (Hindi)
14.	Sh. Satya Pal Singh	PGT (English)
15.	Sh. Prabhat Ranjan,	TGT (Sanskrit)

1	2	3
16.	Sh. Deepak Kumar	Librarian
17.	Sh. Deepak Kumar	Librarian
18.	Sh. Pankaj Yadav	TGT (N. Science)
19.	Sh. Anil Kumar	TGT (N. Science)
20.	Sh. Anil Kumar	TGT (Hindi)
21.	Sh. Rahul Dev	TGT (English)
22.	Sh. Rishpal Singh	PGT (Geography)
23.	Sh. A.K. Nagar,	PGT (English)
24.	Sh. Pradeep Kaushik	Yoga Teacher,
25.	Sh. Nawab Singh	TGT (N. Science)
26.	Sh. Tanveer Alam.	TGT (N. Science)
27.	Sh. Anil Arora	TGT (N. Science)
28.	Sh. Rajiv Tanwar	TGT (English)
29.	Sh. Harish Lal Tamta	PGT (English)
30.	Sh. Naresh Kumar Rathi	PGT (English)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

10. **श्री गिरीश सोनी :** क्या **उपमुख्यमंत्री**/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एफ ब्लॉक, मादीपुर स्थित सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की संख्या दो सौ से बढ़ाकर पांच सौ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य में देरी के क्या कारण हैं तथा किन एजेंसियों द्वारा अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना बाकी है; और

(घ) इस अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा।

उपमुख्यमंत्री (श्री गिरीश सोनी) : (क) जी हां,

(ख) जी नहीं।

(ग) FAR से वृद्धि के कारण नया प्लॉन अभी बनाया जाना है इसके लिए एक सलाहकार की नियुक्ति अभी की जानी है।

(घ) उपरोक्त स्थिति में निर्माण कार्य की तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है।

11. **श्री नितिन त्यागी**

क्या **उप मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकाल दिसंबर, 2016 में समाप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नये बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 , 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान प्राप्त हुए राजस्व का विवरण क्या है;

(घ) वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगाये गये विज्ञापनों/होर्डिंग्स से वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान प्राप्त हुए राजस्व का विवरण क्या है;

(ङ) वक्फ बोर्ड की संपतियों पर अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2016 में आये नये पट्टों/किरायेदारों का विवरण क्या है;

(च) नवम्बर एवं दिसंबर 2016 में विधवा पेंशन वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) इेमामों एवं मुआज्जिमों का वेतन वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं?

उप मुख्य मंत्री (श्री नितिन त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा प्राप्त हुए राजस्व का विवरण निम्नलिखित है–

वर्ष	राशि रूपये में
2013-14	6,37,90,090/-
2014-15	4,81,52,416/-
2015-16	5,58,00,476/-
2016-17 (नवम्बर-2016 तक)	3,53,44,026/-
Grand Total of	Rs. 20,30,87,008/-

(घ) वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगाये गये विज्ञापनों/होर्डिंग्स से प्राप्त हुए राजस्व का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	राशि रूपये में
2013-14	1,83,07,055/-
2014-15	1,80,59,626/-
2015-16	2,21,63,074/-
2016-17 (नवम्बर-2016 तक)	1,26,82,087/-
Grand Total of	Rs. 7,12,11,842/-

(ङ) दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अक्टूबर, नवम्बर एवम् दिसंबर, 2016 में कोई नई किरायेदारी नहीं हुई है।

(च) मार्च, 2016 में दिनांक 11.03.2016 के नोटिफिकेशन द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा विधवाओं को पेंशन वितरित की गई थी, परंतु आर्थिक तंगी के कारण इसका वितरण नहीं हो पाया है।

(छ) दिल्ली वक्फ बोर्ड में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ईमामों एवं मोअज्जिनों को वेतन वितरित नहीं किया जा सका है, धन की व्यवस्था होते ही इसका वितरण जल्द कर दिया जायेगा।

12. **श्री श्रीदत्त शर्मा :** क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आई. एस. बी. टी. रोड-शास्त्री पार्क क्रॉसिंग पर अंडरपास अथवा फ्लाईओवर बनाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव है।

(ख) एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव यूटीपेक को अनुमोदन हेतु भेजा गया है जसका अनुमोदन अपेक्षित है।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

13. श्री शरद कुमार : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र में आइ. एस. बी. टी. के निर्माण हेतु सरकार द्वारा भूमि चिन्हित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थान पर आई. एस. बी. टी. के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विधान सभा क्षेत्र में आई. एस. बी. टी. कब तक बन जायेगा?

परिवहन मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।

(ग) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।

14. श्री अजेश यादव : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बादली विधान सभा क्षेत्र में नये स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु चिन्हित की गयी भूमि का विवरण क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में नये स्कूल कब तक खुल जायेंगे?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां। बादली विधानसभा क्षेत्र में दो नये विद्यालय लिबासपुर गांव एवं भलस्वा डेयरी जे. जे. कालोनी में खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) भलस्वा डेयरी जे. जे. कालोनी में भूमि पहले से ही अधिग्रहित है जिसमें एक हिस्से में राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल/राजकीय बाल सीनियर सेकेंडरी स्केल, भलस्वा डेयरी, जे. जे. कालोनी पहले से ही निर्मित है। इसी भूमि के दूसरे हिस्से पर 100 नये कमरों का विद्यालय भवन बनाने की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को दी जा चुकी है।

लिबासपुर गांव में ग्राम सभा से 12582 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण कर उस पर चार दीवारी बना दी गई है। इसी भूमि पर भवन निर्माण हेतु नक्शा तथा एस्टीमेट देने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं।

(ग) 1. भलस्वा डेयरी में नया विद्यालय सत्र 2018-19 में खुलने की संभावना है।

2. लिबासपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा नक्शा तथा एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसे भी यथाशीघ्र शुरू किया जाने की कोशिश है।

15. श्री जगदीश प्रधान : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग में एक रचनात्मक टीम का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस टीम में नियुक्त किये गये प्रोफेशनल्स एवं सलाहकारों का विवरण क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों में इस उद्देश्य हेतु किये गये व्यय का विवरण क्या है; और

(घ) सरकार के पास अपने स्वयं के अनुभवी इंजीनियर्स एवं अधिकारी होते हुए भी इस रचनात्मक टीम के गठन के क्या क ारण हैं?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) जी हां।

(ख) पेशेवरों और सलाहकारों की इस टीम में नियुक्ति के विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तारीख	त्याग पत्र की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जगदीश बी करमचन्दा नी	वास्तुक	16.05.2016	30.09.2016	पद मुक्त
2	स्मृति ए. जासुजा	वास्तुक	09.05.2016	20.05.2016	पद मुक्त
3	सिद्धार्थ खतरी	उत्पादन/औद्योगिक डीजाईनर	30.05.2016	30.11.2016	पद मुक्त
4	नितेश भाटिया	वास्तुक	16.05.2016	08.12.2016	पद मुक्त

1	2	3	4	5	6
5	प्रेणा गुप्ता	वास्तुक	23.05.2016	30.11.2016	पद मुक्त
6	अम्बिका पालीवार	वास्तुक	05.05.2016	30.11.2016	पद मुक्त
7	दिव्या सूर्यपली	पर्यावरण योजनाकार	01.06.2016	30.09.2016	पद मुक्त
8	मनीषा मलिक	लेड स्केप आकिटेक	15.06.2016	30.11.2016	पद मुक्त
9	रश्मि श्रीवास्तव	सौफ्टवेयर इंजीनियर	14.06.2016	07.12.2016	पद मुक्त
10	जशवत तेज काश्ला	अरबन डिजाईनर	01.06.2016	19.09.2016	पद मुक्त
11	हर्ष शर्मा	वास्तुक	16.06.2016	05.12.2016	पद मुक्त
12	शिया कॉल	वास्तुक	01.06.2016	31.07.2016	पद मुक्त
13	आशीष डे	वास्तुक	01.06.2016	-	कार्यरत
14	इरान बाशा	शहरी योजनाकार	05.05.2016	-	कार्यरत
15	लवी सत्या	परिदृश्य वास्तुकार	13.05.2016	-	कार्यरत
16	मुखर सिंह	वास्तुकार	20.06.2016	-	कार्यरत
17	रमनीत कौर	औद्योगिक डीजाईनर	09.05.2016	-	कार्यरत

(ग) नवम्बर 2016 तक व्यय रू. 63.66 लाख हुआ है।

(घ) 1. लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार, के कार्य की योजनाओं को बनाने एवं निष्पादित करने हेतु एक महत्वपूर्ण विभाग है।

2. अगले 2-3 वर्षो में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से नियोजित और क्रियान्वित करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए रचनात्मक टीम को अनुबंधित करके अधिसंरचना को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है।

3. लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार के अभियतांत्रिकी ईकाई की स्थापना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग भारत सरकार की तरह की गयी है जबकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत इस विभाग का दायित्व भारत सरकार के अंतर्गत विभाग के दायित्व से नितांत भिन्न है। दिल्ली सरीकार में आधारभूत परियोजनाएं हैं जबकि भारत सरकार में मूलत: भवन निर्माण का कार्य है। अत: विभाग में भवन निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए कुछ आंतरिक क्षमता है परंतु आधारभूत परियोजनाओं के परिकल्पन, निष्पादन संचालन एवं अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, न्यूनतम निर्माण प्रदूषण आदि विषयों पर विभाग की कोई आंतरिक क्षमता नहीं है। आधारभूत ढ्ज्ञांचे में अंतराष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराओं का अध्ययन के तदुपरांत विभाग को परामर्शदाता नियुक्ति के लिए स्पष्ट निविदा शर्तो का मसौदा तैयार करना होता है। यह एक विषम व्यावसायिक कार्य है जिसक लिए आंतरिक क्षमता

आवश्यक है। इन विषयों के लिए विभाग परामर्शदाता पर आश्रित है। अत: परामर्शदाता से उसकी तकनीकी भाषा में सरकार का पक्ष रखने और सरकार की आवश्यकता को प्रारंभिक जामा देने के उद्देश्य से इस दल की संरचना की गई। यह इस सरकार की पहल है जिससे उच्च कोटि परिकल्पना द्वारा दिल्ली की आधारभूत आवश्यकताओं को सुदृढ़ किया जा सके और इनके निष्पादन में न्यूनतम प्रदूषण रखते हुए उनका सार्थक अनश्रवण किया जा सके। विभाग द्वारा इन कार्यो के लिए कर्मियों को नियोजित रूप से ठेके पर लगाया गया है जिससे आवश्यकता के अनुसार दल को घटाया बढ़ाया जा सके।

16. **श्री विजेन्द्र गुप्ता** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम की हालत खराब हुई है;

(ख) डी.टी.सी. के बेड़े में शामिल बसों की कुल संख्या कितनी है एवं इनमें से कितनी बसें वास्तव में चालू हालत में हैं;

(ग) पिछले वर्षों में डी.टी.सी. द्वारा इन बसों की दशा सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि लगातार मरम्मत के कारण चलती हुई बसों का बेड़ा कम होता जा रहा है;

(ङ) पिछले दो वर्षों में डी. टी. सी. के बेड़े में शामिल की गई नई बसों का विवरण क्या है;

(च) क्या निकट भविष्य में नई बसें खरीदने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो खरीदी जाने वाली बसों की संख्या एवं उन पर अनुमानित व्यय का विवरण क्या है;

(ज) नई बसें खरीदे जाने में देरी होने के क्या कारण हैं;

(झ) डी. टी. सी. को वर्ष 2015-16 में हुए घाटे का विवरण क्या है; और पिछले तीन सालों में यह घाटा कितना बढ़ा है;

परिवहन मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान में दि. प. नि. में कुल बसों की संख्या 4020 है एवं इनमें से 4009 बसें परिचालन हेतु अनुसूचित हैं।

(ग) 11 बसों (जो कि स्क्रैप नोर्मस पूरा करने के कारण स्क्रैप के लिए खड़ी हैं) को छोड़ कर सभी बसें चालू हालत में हैं।

(घ) यह सत्य नहीं है।

(ङ) पिछले दो वर्षों में डी. टी. सी. के बेड़े में कोई भी नई बस शामिल नहीं की गई है।

(च) बसें खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परंतु क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत नई बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है।

(छ) और (ज) उपरोक्त 'च' अनुसार

(झ) पिछले 4 वर्षो में डी टी सी का घाटा निम्न प्रकार है

वर्ष	कार्यकारी घाटा रू. करोड़ में	कुल घाटा क्षति और लोन पर ब्याज सहित और पिदली अवधि समन्वय उपरांत
2012-13	723.98	2914.40
2013-14	942.89	1369.74
2014-15	1019.36	2917.76
2015-16	1250.14	3411.10

वर्ष 2015-16 में 7 वेतन आयोग के लागू होने, पेंशन भुगतान तथा सरकारी लोन के ब्याज के कारण घाटा बढ़ा है।

17. श्री कर्नल देवेंद्र सहरावत : क्या **उपमुख्यमंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य न्याय सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 01.01.2014 से अब तक किये गये व्यय का पूर्ण विवरण क्या है?

उपमुख्यमंत्री : (क) संलग्न है।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण
प्री फेब बिल्डिंग पटियाला, हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

2013-14 से 2016-17 के लिए अनुदान एवं खर्च का विवरण

(रूपये हजार में)

वित्तीय वर्ष	213-14		2014-15		2015-16		2016-17 31 दिसम्बर-16 तक	
अनुदान के लिए मांग	बजट	खर्च	बजट	खर्च	बजट	खर्च	बजट	खर्च
मुख्य शीर्ष 2014 उपशीर्ष								
ई-1(2)(2)(1) वेतन	50000	48739	62870	62579	81100	74665	12600	650524
ई-1(2)(2)(4) घरेलू यात्रा व्यय	0	0	30	13	20	0	100	12
ई-1(2)(2)(5) कार्यालय व्यय	12500	12561	14500	14014	15500	15250	18000	11092
ई-1(2)(2)(8) लघु कार्य	100	0	0	0	200	0	200	0
ई-1(2)(2)(9) चिकित्सा व्यय	1000	972	1000	975	1600	1543	1800	1044

राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अंतर्गत 2013-14 से दिसंबर-16 तक के लिए अनुदान एवं खर्च का विवरण

(रूपये हजार में)

क्र. सं.	दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण	प्रारंभिक शेष	अनुदान प्राप्ति	वर्ष के अंतर्गत कुल कोष	वर्ष के अंतर्गत खर्चा	वर्ष के अंतर्गत अंतिम शेष
1	2013-2014	15429	17200	32629	16234	16395
2	2014-2015	16395	13000	29395	14688	14705
3	2015-2016	14705	33100	47805	44944	2861
4	2016-2017 दिसंबर-16 तक	2861	65000	67861	30200	37661

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण-सहायता अनुदान-राज्य सरकार 2013-14 से दिसंबर-16 तक का विवरण

(रूपये हजार में)

क्र. सं.	दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण	प्रारंभिक शेष	अनुदान प्राप्ति	वर्ष के अंतर्गत कुल कोष	वर्ष के अंतर्गत खर्चा	वर्ष के अंतर्गत अंतिम शेष
1	2013-14	11,826	45,000	56,826	44,470	12,356
2	2014-15	12,356	45,000	57,356	42,099	15,257
3	2015-16	15,257	41,250	56,507	46,961	9,546
4	2016-17 दिसंबर 16 तक	9,546	48,750	58,296	37,087	21,209

कंप्यूटराईजड राउडेड फिगर

18. श्री चौधरी फतेह सिंह : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गोकलपुरी विधान सभा क्षेत्र में नये नालों के निर्माण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाना है; और

(ग) इन परियोजनाओं का पूर्ण विवरण क्या है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं है।

19. श्री पंकज पुष्कर : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य विभागों में काम कर रहे डी. टी. सी. के कर्मचारियों का विवरण क्या है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के वेतन का व्यय डी. टी. सी. द्वारा वहन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों पर किये जाने वो व्यय का वर्षवार विवरण क्या है;

(घ) इस व्यय के कारण डी.टी.सी. को होने वाले घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है;

(ङ) क्या डी. टी. सी. द्वारा अपनी भूमि एवं संपत्तियों को बिना किसी एग्रीमेंट के अन्य एजेंसियों को स्थानांतरित कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो जब यह स्थानांतरण किया गया उन तिथियों का व इससे होने वाले घाटे एवं इस घाटे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का विवरण क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा कलस्टर बसों को उनमें चलने वाले बस पासों पर प्रति किलोमीटर के आधार पर कोई मुआवजा दिया जाता है;

(ज) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है एवं वर्ष 2015-16 में सरकार द्वारा इन बस पासों पर कलस्टर बसों का कितना मुआवजा दिया गया; और

(झ) वर्ष 2015-16 में चलने वाली कलस्टर बसों की संख्या कितनी है?

परिहवन मंत्री : (क) 288 डी. टी. सी. कर्मचारी दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में डाईवर्टिड कैपेसिटी में काम कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र.सं.	अवधि	राशि (रू. में)
1.	अगस्त 2005 से मार्च 2006	6,25,50,661
2.	अप्रैल 2006 से मार्च 2007	3,72,04,175
3.	अप्रैल 2007 से मार्च 2008	4,13,37,972
4.	अप्रैल 2008 से मार्च 2009	4,34,04,873

क्र.सं.	अवधि	राशि (रू. में)
5.	अप्रैल 2009 से मार्च 2010	4,34,04,873
6.	अप्रैल 2010 से मार्च 2011	5,83,45,546
7.	अप्रैल 2011 से मार्च 2012	7,78,55,573
8.	अप्रैल 2012 से दिसंबर 2012	7,15,80,570
9.	जनवरी 2013 से दिसंबर 2013	8,19,87,547
10.	जनवरी 2014 से दिसंबर 2014	5,63,83,547
11.	जनवरी 2015 से दिसंबर 2015	5,89,37,413
12.	जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 (लगभग)	9,09,37,413

(घ) दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार दिल्ली परिवहन निगम के घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में Garant-in-Aid दी जाती है। अत: जिम्मेदारी का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार

(छ) और (ज) दिल्ली सरकार द्वारा कलस्टर बसों को उनमें चलने वाले बस पासों पर वर्तमान में अलग से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार इन बसों के संचालन में आने वाले वाईविल्टी गेप फंडिग को वहन करती है।

(झ) 1284 बसें।

20. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उपमुख्यमंत्री**/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बिना ओपन टेंडर मंगाये नामिनेशन के आधार पर अस्पतालों में 03 सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार सी. वी. सी. एवं जनरल फाईनेन्सियल रूल्स द्वारा निर्धारित कोडल फार्मेलिटीज एवं प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है एवं इस पर कितना व्यय किया गया है?

उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां, रेजिडेंटस डॉक्टर्स एवं स्टाफ पर लगातार हो रहे हमलों तथा दीन दयाल उपाधयाय एवं लोक नायक अस्पताल के रेजिडेंटस डाक्टर्स के हड़ताल पर जाने के मद्देनजर वित्त विभाग, दिल्ली सरकार के अनुमोदन एवं केबिनेट फैसला संख्या 2368 दिनांक 06.06.2016 के द्वारा केबिनेट की कार्योत्तर अनुमोदन के उपरांत 03 सुरक्षा एजेंसियों को नोमिनेशन के आध ार पर लगाया गया है। संबंधित फाईल के टिप्पण के प्रासंगिक पृष्ठों एव केबिनेट फैसला संख्या 2 368 दिनांक 06.06.2016 की प्रतिलिपि संलग्न है।[1]

(ख) जी नहीं।

(ग) इस intiative की कुल अनुमानित लागत रूपये 1,72,94,961 प्रति माह और छह माह का रूपये 10.5 Crores जो केबिनेट की मंजूरी से है।

1. पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर-16940 पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

01. श्री जगदीश प्रधान : क्या **खाद्य सुरक्षा विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फलों, सब्जियों और दालों में हो रहे केमिकल्स के प्रयोग को रोकने के लए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने मामलों में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई; और

(ग) उसका पूर्ण विरण क्या है?

खाद्य सुरक्षा विभाग मंत्री : (क) दिल्ली में फलों, सब्जियों और दालों में हो रहे केमिकल्स के प्रयोग को रोकने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा, इन खाद्य पदार्थों की दुकानों तथा गोदामों में छापेमारी का कार्य (निरीक्षण) निरंतर चलता रहता है और खाद्य पदार्थों के सैम्पल जांच हेतु नियमित रूप से उठाये जाते हैं।

(ख) ऐसे मामलों में, पिछले दो वर्षो का (01.01.2015 से 31.12.2016 तक) विवरण निम्न है :

कुल सैम्पल/छापेमारी	पास	फेल
65	45	20

पिछले दो वर्षों में, जिन व्यापारियों के खाद्य पदार्थों के सैम्पल फेल हुए, उनके विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित न्यायालयों में केस दर्ज कराये गये हैं।

(ग) इसका ब्यौरा संलग्नक ''क'' में है।

संलग्नक क

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY, DELHI

Samples of Fruits, Vegetables and Pulses found to be violating Food Safety & Standards Act, lifting during the period
01/01/2015 to 31/12/2016 (Two Years)

2015

Sl. No.	Sample Number	Date of Lifting	Food Article	Address From where Lifted	Result
1	2	3	4	5	6
1	747/1041/63/2015-	6/19/2015	Black Malka	47 north avenue club road Punjabi bagh new delhi	Misbranded
2	232/1033/83/2015	7/1/2015	Mango	C-535 New Subzi Mandi Azadpur Delhi	Violation
3	232/1019/89/2015	7/1/2015	Calcium Carbide	C549 New Azadpur Mandi Delhi	Violation
4	232/1036/75/2015	7/1/2015	Calcium Carbide	c 648 sabji mandi delhi	Violation
5	1055/1038/116/2015	8/12/2015	Dal Moong Dhuli	P 5 and 6 Private Colony Sriniwas Delhi	Unsafe

6	851/1033/124/2015	9/14/2015	Split Pulse Dal Arhar	HS 17 GF Kailash Colony Market Delhi	Misbranded
7	541/1021/87/2015	9/15/2015	Masur Whole	B-8/6 Sector-11 Rohini New Delhi	Misbranded
8	541/1012/101/2015	9/16/2015	Arhar Dal	C.S.C 6 Shop No/. 13 Sector-9 Rohini New Delhi	Misbranded
9	1055/1015/87/2015	9/16/2015	Masur Whole	Shop number 46 INA Market Defence Colony South East New Delhi	Misbranded
10	1055/1021/88/2015	9/16/2015	Split Pulse Dal Arhar	Shop No. 48 INA Market New Delhi	Misbranded
11	541/1038/131/2015	9/16/2015	Malka Masoor	SHOP NO 21 CSC 6 SECTOR 9 ROHINI DELHI	Misbranded
12	541/1038/132/2015	9/16/2015	Dal Arhar	SHOP NO 43 CSC II SECTOR 13 ROHINI DELHI	Unsafe
13	541/1041/100/2015	9/17/2015	Red Malka	D 12 114 sector 7 rohini	Misbranded
14	952/1032/72/2015	9/17/2015	Split Pulse Dal Arhar	Shop no. 18 19 Bengali Market New Delhi	Misbranded
15	541/1014/104/2015	9/17/2015	Dal Moong Dhuli	D-14/227 Sector-7 Rohini Delhi	Misbranded

1	2	3	4	5	6
16	643/1041/102/2015	9/23/2015	Raj Ma Chitra	SHOP NO G 83 MANISH MALL SECTOR 22 DWARKA DELHI	Misbranded
17	233/1021/125/2015	12/3/2015	Split Pulse Dal Arhar	Khasra No 493-494 Khureni Road Narela Delhi	Unsafe
18	130/1012/147/2015	12/9/2015	Dal Chana	Shop No. 585 Shardhanand Market GB Road Delhi	Unsafe
				2016	
1	437/1041/57/2016	5/25/2016	Moong Dal Chilka	316 Roshan Vihar Shadat Pur Karawal Nagar Gali No 1 Pechan Patra Wali Gali Delhi	Unsafe
2	130/1021/113/2016	12/29/2016	Split Pulse Dal Moong	Shop No 4053/55 Ground Floor Naya Bazar Delhi	Misbranded

02. श्री जगदीश प्रधान : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अधीनस्थ प्रत्येक सरकारी अस्पताल में डाक्टर, टेक्निकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के कितने स्वीकृत पद हैं;

(ख) प्रत्येक अस्पताल में इनके कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री : (क) जनरल ड्यूटी मैडिकल आफिसर के स्वीकृत पद–1257 गैर शैक्षणिक चिकित्सक के पद–634 तथा शैक्षिक चिकित्सकों के पद–457 एवं पैरामैडिकल की सूची संलग्न है। (Annexure-A)

(ख) जनरल ड्यूटी मैडिकल आफिसर–95 गैर शैक्षणिक चिकित्सक–91 शैक्षणिक चिकित्सा – 181 एवं पैरामैडिकल की सूची संलग्न है।

(ग) डाक्टरों के रिक्त पदों का भरने के लिए UPSC के साथ मामला विचाराधीन है एवं पैरामैडिकल के पदों को भरने के लिए requisition भेजी गई थी जिसके बाद कुछ पदों को भरने के डोजियर प्राप्त हो चुके हैं। शेष रिक्त पदों के लिए डोजियर आना बाकी है ततपरश्चात शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ANNEXURE A

VACANCY POSITION IN R/O PARAMEDICAL TECHNICAL POSTS (GROUP-'C')

S.No.	Name of the Post	Sanctioned	Filled (Regular)	Vacant	Contrac-tual	Recently Dossier received from DSSSB sent to hsopitals	Clear Vacancy 5-(6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Physiotherapist	54	31	23	7	10	6
2	Occupational Therapist	35	23	12	10	2	
3	Speech Therapist	10	6	4	2	4	-2
4	Refractionist	30	20	10	10	13	-13
5	Audiometric Asst.	22	13	9	9		0
6	Asstt Dietician	44	17	27	19	10	-2
7	Telephone Operator	44	31	13	3		10
8	Junior Technical Officer (Lab Gr. III)	2	0	2	0		2
9	Technical Supervisor (Lab Gr. IV)	27	21	6	0		6
10	Technical Asstt. (Lab Gr. IV)	119	83	36	21	11	4
11	Lab Techincian (Lab Gr. IV)	326	195	131	86	8	37

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Lab Asstt. (Lab.Gr. IV)	613	303	310	277	140	-107
13	Technical Supervisor (Lab Gr. III)	10	4	6	0		6
14	Technical Asst. (Lab Gr. III)	47	19	28	9		19
15	Technical Asstt (Lab Gr. III)	47	19	28	9		19
16	Lab Technician (Lab Gr. III)	174	68	106	78	22	6
17	Tech. Supervisor (OT/CSSD)	21	19	2	0		2
18	Technical Assistant (OT/CSSD)	58	5	53	0		53
19	Technician (OT/CSSD)	241	126	115	79	20	16
20	Asstt. (OT/CSSD)	467	321	146	138	5	3
21	Pharmacist	1044	816	228	120	45	63
22	Lab Asstt in in PCR Lab Hepatitis	1	0	1	1		0
23	Lab. Technician in Group IV in PCR Lab Hepatitis	1	0	1	1	1	-1
24	Lab Asstt. (Lab Gr. III) ECG Technician	36	19	17	7		10
25	Technical Officer (Radiology)	5	2	3	0		3

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Technical Supervisor (Radiology)	35	22	13	0		13
27	Sr. Radigrapher	87	75	12	12		0
28	Radiographer	214	92	109	72		37
29	Sr. Physiotherapist	7	2	5	0		5
30	Sr. Occupational Therapist	3	3	0	0		0
31	Hearing Therapist	1	0	1	0		1
32	Dietician	8	8	0	0		0
33	Sr. Dietician	4	2	2	0		2
34	Chief Dietician	2	0	2	0		2
35	Dental Hygienist	38	27	11	5		6
36	Dental Mechanic	19	18	1	0		1
37	Sr. Dental Mechanic	3	3	0	0		0
38	Dental Mechanic Supervisor	1	0	1	0		1
39	Telephone Operator	44	31	13	3		10
40	Telephone Supervisor	1	0	1	0		1
41	Electrician	3	3	0	0		0
42	Driver	198	178	20	0		20
43	Photographer	4	1	3	0		3
44	Dark Room Asstt.	55	28	27	7		20

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Laundry Technician	3	0	3	0		3
46	Laundry Mechanic	1	1	0	0		0
47	Laundry & Linen Supervisor	1	1	0	0		0
48	Post-mortem Asstt.	12	4	8	5		3
49	Post-mortem Technician	4	0	4	4		0
50	Post-mortem Technician Asst	3	0	3	0		3
51	Mortuary Asstt	10	3	7	0		7
52	Librarian Jr./Asstt. Librarian	4	1	3	0		3
53	Library Sr.	3	0	3	0		0
54	Librarian	o	1	2	0		0
55	Library Clerk	7	4	3	0		3
56	Library Information Asstt.	4	3	1	0		1
57	Chair side Asstt.	9	2	7	2		5
58	Orthoptist	9	0	2	2		0
59	Orthoptist	1	0	1	0		1
60	Plaster Asstt.	17	0	17	3		0
61	Perfusionist	4	2	2	2		0
62	House keeper	5	0	5	0		5
63	Asstt House keeper	1	0	1	0		1

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Store keeper	3	0	3	0		3
65	Asstt. Store keeper	1	0	1	0		1
66	Jr. Store keeper	1	1	0	0		0
67	Hawaldar	13	2	11	0		11
68	Sr. Hawaldar	2	0	2	0		2
69	Carpenter	4	3	1	0		0
70	Lath Mechanic	1	1	0	0		0
71	Painter	1	1	0	0		0
72	Plumber	1	1	0	0		0
73	Ophthalmic Asstt.	2	0	2	0		2
74	General Manager (Canteen)	1	1	0	0		0
75	Dy.General Manager (Canteen)	1	1	0	0		0
76	Accountant ("Canteen")	1	1	0	0		0
77	Cashier (Canteen")	1	0	1	0		1
78	Clerk (Canteen)	14	10	4	0		4
79	Halwai (Canteen")	4	4	0	0		0
80	Asstt Halwai/Cook (Canteen")	6	5	1	0		1
81	Cook (Canteen)	4	4	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8
82	Sanitary Inspector	3	2	1	0		1
83	Sanitary Supervisor	1	0	1	0		1
84	Asstt. Security Officer	1	0	1	0		1
85	Tailor	7	5	2	0		2
86	Carpenter	1	1	0	0		0
	Total 4373	2719	1641	1003	289		349

Out of 351 vacant posts, 124 posts lab., cadre posts has been adjusted against higher posts for salary purpose. Effectively 227 posts are vacant which is approx. 5% and that is to be filled up through direct/promotion basis.

Note: The vacancy position may vary due to retirement/death/promotion/deputation/ engagement on contract/selection rrom contractual to regular, etc.

* Requisition was sent to DSSSB in the year 2010,2012, 2013 for the post of Pharmacist, Tel. Operator, Refractionist, Occupational Therapist, Physiotherapist, Audiometric Assistant, Speech Therapist, Assistant (OT/CSSD), Technician (OT/CSSD), lab. Assistant (Group IV), Lab. Technician (Group IV), Tech. Assistant (Group IV), Lab. Technician (Group ill), lab. Technician in Group IVPCR Lab. Hepatitis, Asstt. Dietician and Lab. Assistant in Group IV PGR Hepatitis. Recently, 287 dossiers of different posts mentioned in column no.8 have been received.

** ***Reason for not sending rquisition to DSSSB presently.***

In most of the paramedical vacant sanctioned post, hospitals have made contractual engagement at their own level to meet out the urgent requirement of manpower. Whereas, as per existing Govt Policy, vide letter dated 16.02.2015 services of contractual employees cannot be discontinued. Hence, due to above said reason and non-availability of clear cut vacancy, no fresh requisition has been sent to DSSSB after that.

03. श्री पंकज पुष्कर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मोहल्ला क्लिनिक्स पक्के मकानों में और कितने अस्थायी/पोर्टा केबिन्स चल रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने परिसर किराये पर लिए गए हैं और इनका मासिक किराया कितना है;

(ग) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार ऐसे मोहल्ला क्लिनिक्स का पते सहित विवरण और इन क्लिनिक्स में तैनात मेडिकल, पैरामेडिकल एवं अन्य स्टॉफ का विवरण दें;

(घ) क्या यह स्टॉफ नियमित/ठेके पर या किसी और आ धार पर लिया गया है और उनके कार्य के घंटे क्या हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार को मोहल्ला क्लीनिक्स के लिए डोनेशन मिला है; और

(च) यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री पंकज पुष्कर) : (क) 107 मोहल्ला क्लीनिकों में से 6 मौहल्ला क्लीनिक पोर्टा केबिन्स में व 101 मौहल्ला क्लीनिक किराए के भवनों में चल रहे हैं।

(ख) से (घ) विवरण संलग्नक "B" में उपलब्ध है।[1]

(ङ) से (च) नहीं, यह सत्य नहीं हैं।

04. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल बिस्तरों की संख्या, और 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक पूरे 365 दिन उपलब्ध बिस्तरों की संख्या (जो खाली थे), का पूर्व विवरण क्या है,

---

1. पुस्तकालय में संर्भ सं0 आर-16941 पर उपलब्ध है।

1. पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, शेख सराय,
2. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, 49 कम्यूनिटी सैंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश
3. वेणु आई इंस्टीट्यूटी एंड रिसर्च सेंटर, प्लाट नं 1 शेख सराय
4. गूजरमल मोदी हॉस्पिटल, मंरि मार्ग, साकेत
5. मैक्स देवकी देवी हार्ट एंड वेस्कुलर इंस्टीटयूट, 2 प्रैस एंक्लेव रोड साकेत।

(ख) उक्त अस्पतालों में 01 जनवरी 2 016 से 31 दिसंबर 2016 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बिस्तरों का उपभोग करने वाले मरीजों की उनके पते सहित सूची क्या है; और

(ग) 01 जनवरी 2016 के बीच उक्त अस्पतालों से अटैच्ड सरकारी अस्पतालों द्वारा रैफर किए गए मरीजों का रैफर करने की तिथि सहित विवरण क्या है;

(घ) इन निजी अस्पतालों द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बिस्तर उपलब्ध होने पर भी मरीजों को बिस्तर आबंटित करने से मना करने की शिकायतें और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण दें; और

(ङ) यदि अपेक्षित उक्त विवरणों में से किसी भाग की जानकारी विधान सभा को उपलब्ध न करवाने पर उसके कारण और नियम जिनके तहत यह सूचना शेयर नहीं की जा रही है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री : (क) Anexure "A" देखें। (संलग्नक)।

(ख) गोपनीयता के आधार पर यह सूची उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

(ग) Annexure "A" देखें। (संलग्नक)।

(घ) इस समय अवधि में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) गोपनीयता और R.T.I. Act 8(1) J के आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

ANNEXURE A

Report in R/O Free Treatment in IPD W.E.F From [01-01-2016] To [31-12-2016] For Eligible patients of EWS Category in Identified Private Hospital

Sl. No.	Name of The Hospital	Total No of Beds	Total No of Free Beds	Total No of Admitted Patients	Percentage of Occupancy of Free	No. of Beds Patient Reffered by Govt.	Hospitals No. of Patient Admitted by the Hospital on its own (Self)
1	Saket City Hospital (A Unit of Gujarmal Modi Hospital & Research Center for Medical Science)	214	21	1762	22.92	0	1762
2	National Heart Institute,49, Community Centre, East of Kaiiash, Delhi-110065	50	5	194	10.6	0	194
3	Pushpawati Singhania Research Institute for Liver, Renal & Digestive Diseases	106	11	872	21.66	0	872
4	Venu Eye Institute & Research Centre	67	20	8120	110.93	0	8120
5	Max Super Speciality Hospital (A unit of Devki Devi Foundation)	301	30	1480	13.48	0	1480

05. श्री महेंद्र गोयल : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा में 40 नये बस क्यू शेल्टर लगाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इन क्यू शेल्टर्स के लगाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) ये बस क्यू शेल्टर कब तक लगा दिये जायेंगे?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित 1397 बस शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नवम्बर 2013, जून 2014 व फरवरी 2015 में भी आमंत्रित की गई थी, परंतु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदक नहीं मिला। डी टी आई डी सी के निदेशक मंडल द्वारा वर्तमान में यह फैसला लिया गया है कि आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स की मूल लागत को कम करने के लिए डिजाइन में तबदीली की जाए। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग इस संबंध में नए डिजाइन पर कार्य कर रहा है। सरकार से अनुमोदन मिलने के उपरांत नई निविदाएं आमंत्रित की जाएगी तदानुसार नये बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।

06. श्री महेंद्र गोयल : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में रिठाला विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम की रूट वाईज कितनी बसें चल रही हैं;

(ख) क्या रिठाला विधानसभा की आबादी को देखते हुए विभाग की इन रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो किस रूट पर कितनी बसें और कब तक बढ़ाई जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

परिवहन मंत्री (श्री महेंद्र गोयल) : (क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की वर्तमान में परिचालित रूिट बस सेवाओं की सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(ख) वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या में कमी होने के कारण बसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या में बढ़ोतरी के उपरांत रिठाला विधान सभा क्षेत्र में परिचालित रूटों पर बस की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

(घ) उपरोक्तानुसार।

Route Originating/Passing through Rithala Vidhan Sabha Constituency

Route No.	From	To	No. of Buses
85A Spl. Trip	Rohini Sector-22	Delhi Sectt.	1 Trip
102STL	Inder Enclave	Madhuban Chowk	2
106	Qutabgarh Border	Old Delhi Rly. Station	22
113	Sannoth Village	Old Delhi Rly. Station	1
113 EXT	Ghoga Village	Azad Pur(T)	3
114	Qutabgarh	Old Delhi Rly. Station	19
114A	Auchandi Border	Azad Pur (T)	4
114 B	Katewara Village	Azad Pur (T)	1
114EXT	Ochandi Bdr	Jat Khore	1
133	Narela Terminal	Mori Gate (T)	1
140	Shahbad Dairy	Mori Gate (T)	20
174STL	Jyonti Border	Azad Pur(T)	2
182A	Sukhbir Nagar	ISBT (Maharana Pratap Bus (T)	7
191	Harewali Village	Mori Gate (T)	4
247	Kanjhawala Village	ISBT (Maharana Pratap Bus (T)	3
741	Jyonti Shivalaya	Mangla Puri	2
741A	Katewara Village	Uttam Nagar (T)	1 Trip
879	Shahbad Dairy	Janak Puri D-Blk.	30
879 A	Badli Rly. Station	Janak Puri D-Blk.	3

Route No.	From	To	No. of Buses
879 B	Shahbad Dairy	Janak Puri D-Blk.	4
889	Rohini Sec-27	H.N.Clock Tower	8
921	Rani Khera	Old Delhi Rly. Station	2
921 EXT	Mubarakpur Dabas	ISBT K. Gate	3
957	Rohini Sec-22 Terminal	Shivaji Stadium	35
962	Kanjhawala Village	Kend. Terminal	1
962A	Majra Dabas	Shivaji Stadium	2
970	Rohini Sec-1 Avantika	J.L. Nehru Stadium	9
970 Spl. Trip	Rohini Sec-1 Avantika	CGO Complex	2 Trip
970A	Rohini Sec-16	CGO Complex	2 Trip
971	Rohini Sec-1 Avantika	Anand Vihar ISBT	30
972	Bawana	Uttam Nagar (T)	16
972A	Bawana	Uttam Nagar (T)	13
975	Rohini Sec-H Extn SFS Fits	Kend. Terminal	1
984A	Rohini Sec-1 Avantika	Lajpat Nagar	5
985	Shahbad Dairy	R-Block Rajinder Nagar	4 Trip
985A	Shahbad Dairy	Karam Pura (T)	1
988	Qutabgarh	Palika Kendra	2
990	Rithala Village	Shivaji Stadium	9

Route No.	From	To	No. of Buses
990A	Rohini Sec-25 (Deep Vihar)	Shivaji Stadium	5
990B	Rajiv Rattan Avas Yojna Seo. 3 Bawana	S.N. Depot	3
990EXT	Rohini Sec-24 (Pkt-18)	Shivaji Stadium	13
990SPL I	Rohini Sec-23 (Pkt-C)	Shivaji Stadium	1
Exp-91 I	Rohini Sector-11 SFS Flats	Shivaji Stadium	1 Trip
Gramin Mudrika	Azad Pur Terminal	Azad Pur (T)	12
012 Night Service	SBT (Maharana Pratap Bus (T)	Bawana J.J Cly.	2 Trip
0114 Night Service	Old Delhi Rly. Station	Qutab Garh	1 Trip
	Total		300 + 14 Trip

07. श्री महेंद्र गोयल : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से रिठाला विधानसभा के रिठाला गांव में मास्टर प्लान-2021 के तहत बस टर्मिनल की जमीन को चिन्हित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये पत्राचार तथा दि.वि.प्रा. से प्राप्त प्रत्युत्तर की प्रतियां उपलब्ध की जाये?

परिवहन मंत्री (श्री महेंद्र गोयल) : (क) जी हां।

(ख) पत्राचार की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

DELHI TRANSPORT CORPORATION
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
I.P. ESTATE NEW DELHI

No.Dy.CGm(Civil)/12/ Dated:

Director Planning
Master Plan Review & Technical Committee,
DDA, 6th Floor, Vikas Minar,
New Delhi-110002.

Sub: Earmarking the bus terminal locations in the PDA's Master Plan-2021 under revision for PTC.

Sir,

Further to this office letter No.429 dt. 28.9.12 in which revision in the Millennium Depot, Multi Level Parking, Mehrauli Terminal and Rajghat Depot were sought. It is to further add that Traffic Deptt. of DTC has informed that due to inadequate space available with DTC they are parking buses on the road thus creating congestion. A list of such 32 locations indicating number of buses that ply from the location is enclosed.

You are requested to make necessary amendments in the DDA Master Plan-2021 for ear marking of bus terminal sites at different places of Delhi for the convenience of public under intimation to this office.

End: As above.

Thanking you,

Yours faithfully,

(A.K Chawla)
Dy.CGM (Civil)

CC: Commissioner(Tpt), 5/9 Under Hill Road, Delhi

CC: Spl.Commissioner (Tpt.) 5/9 Under Hill Road, Delhi : For his kind information.

CC: Commissioner (Plg.)DDA, Vikas Minar, New Delhi.

CC: Sr.Mgr.(T.) CMD Sectt.: for kind information of CMD.

CC: CGM (Civil): for kind information.

CC: Sr.Mgr.(C)-I, PMC

I.P. Estate: New Delhi-110002

MC/F.410/13/ Dt: 7/11/13

sioner (Land)

Making the bus terminai at 101 additional locations in the DDA's Master Plan-2021 under .... for DTC

This office letter No.Dy.CGM©/12/448 dt.17.10.12 addressed to Director(Planning), Master w & Technical Committee, DDA & subsequent reminder dt.5.7.13 addressed to you on the and above. It was requested to issue directions to concerned officers of the zonal head to sion for earmarking 32 locations for allotment of land to Tpt. Deptt. for development of bus

.........ptt. of DTC have been finalized 101 bus terminal locations & was forwarded to Director, UTTIPEC vide letter dt.25.4.13 to make provision for the space for 101 bus terminals in the lies/area/ commercial certres which are to be developed in future as was decided in the eld with UTTIPEC.

You are requested to kindly direct the concerned officer of the zonal head to make provision of land ....nls at the locations indicated in the Master Plan which is under review by DDA.

Thanking You,

Yours faithfully,

(R.S. Ranga)
Sr.Manager

GM(C) for kind inf. Pl.

ANNEXURE - A

List of places where terminal ficilities is not available

S. No.	Terminal Point	No. of Route	No. of Buses
1	2	3	4
1	Ambedkar Nagar Sec-4 /5 (Virat Cinema)	6	56
2	Anand Parvat	8	120
3	An-bedkar Nagar M.B. Road	8	190
4	Babar Pur Extension	3	63
5	Badar Pur Border	29	449
6	Bawana	5	55
7	Bawana JJ Colony	1	37
8	Bhajan Pura Wazirabad Road	1	50
9	Tehkhand	2	31
10	Dhansa Border	2	26
11	Dhaula Kuan	- 5	103
12	Dwarka More.Metro Station	2	37
13	Dwarka Sec-46-C (GGSIP University)	1	20
14	Hari Nagar clock tower	5	76
15	Hamdard Nagar	8	86
16	Harsh Vihar	6.	81

1	2	3	4
17	Inder Puri (Krishi Kunj)	9	109
18	Nityanand Marg (Mori Gate)	2	20
19	CGO Complex	8	62
20	Jahangir Puri E-Block	12	146
21	Janak Puri B-1	1	20
22	Janak Puri D-Blk	5	45
23	Jheel	5	63
24	Kalkaji DDA Flats Alakhnanda	5	61
25	Kalyan Puri	5	54
26	Kamla Market	6	99
27	Kapashera Border	6	157
28	Kesav Ngr.(Nathu Pura) Burarj Road	3	52
29	Khiyala Re-Settle Colony	4	42
30	Lajpat Nagar	3	23
31	Lampur Boarder	4	24
32	Malviya Nagar F-Blk.	4	23
33	Mangla Puri	6	128
34	Mangol Puri Y-Blk.	1	41
35	Mayur Vihar Ph-2	3	22
36	Mayur Vihar Ph-3	9	139

1	2	3	4
37	Mubarakpur Dabas	5	25
38	N.D. Rly, Station Gate No.-2	33	312
39	Nand Magri	11	75
40	Nangloi J,J. Colony	8	182
41	Nangloi Syed	2	22
42	New Seema Puri	6	84
43	Nizamuddin Rly, Station	15	212
44	Okhla Extn. Ab.Fazal Enclr	9 -	104
45	Old Delhi Railway Station	72	571
46	Poorvanchal Hostel JNU	5	34
47	Qutab Garh	4	44
48	R.K. Puram Sec-1	12	89
49	Raghubir Nagar F-Blk.	6	28
50	Rajinder Nagar R-Block	3	36
51	Rithala Village	1	28
52	Rohini Sec-1 Avantika	3	81
53	Rohini Sec-22 Terminal	2	39
54	Shahbad Dairy	6	102
55	Shalimar Bagh BH-Blk.	2	37
56	Sukhbir Nagar	1	28
57	Tikri Border	5	74

1	2	3	4
58	Tilak Nagar	20	104
59	Tri Nagar Jai Mata Market	7	56
60	Vasant ViharCPWD Cly,	3	54
61	Vivek Vihar	4	20
62	West Enclave Pitam Pura	5	30
63	Auchandi Border	2	6
64	Samey Pur	3	8
65	Bakarwala JJ Cly.	4	7
66	Bhalswa JJ Colony	2	5
67	Bhati Mines	4	12
68	Chauhan Patti	1	6
69	Chhaterpur Ext.	1	5
70	Daurala Border	1	13
71	Dera Village	1	15
72	Dilshad Garden	2	11
73	Dr.Mukherjee Nagar Bandh	2	8
74	Dwarka Sec-23	1	10
75	Galib Pur Village	1	6
76	Garhi Randhala	1	7
77	Ghoga Village	2	6
78	Haiderpur Village	3	12
79	Holumbi Kalan JJ Cly.	5	17

1	2	3	4
80	Inder Enclave Nithari	5	9
81	Indira Puri (Loni) Border	2	1.1
82	Jaitpur Village	6	15
83	Jhatikra Village	1	7
84	Jyonti Border	2	11
85	Karawal Nagar Pusta (SBS Cly Gali No-4)	2	5
86	Katewara Village	5	8
87	Madan Pur Khadar J J Cly	4	7
88	Majra Dabas	4	11
89	Mandi Village.	1	12
90	Molar Bandh School	2	5
91	Mukherji Nagar Bandh	1	5
92			
93			
94	Palla Village	2	14
95	Rohini Sec-27	1	8
96	Saket J-Blk	2	28
97	Scwa Nagar Railway Xing	2	9
98	Subhash Nagar	2	16
99	Trilok Puri 31/27-Blk.	2	19
100	Vasant Kunj Sec-C/9	4	13
101	Yamuna Vihar	1	15

08. श्री शरद कुमार : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की नरेला विधानसभा क्षेत्र के पुराने जर्जर पड़े बस स्टैंडस के नवीनीकरण और इस क्षेत्र में नये बस स्टैंड बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित 1397 बस शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नवंबर 2013, जून 2014 व फरवरी 2015 में भी आमंत्रित की गई थी, परंतु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदक नहीं मिला। डी टी आई डी सी के निदेशक मंडल द्वारा वर्तमान में यह फैसला लिया गया है कि आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स की मूल लागत को कम करने के लिए डिजाइन में तबदीली की जाए। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग इस संबंध में नए डिजाइन पर कार्य कर रहा है। सरकार से अनुमोदन मिलने के उपरांत नई निविदाएं आमंत्रित की जाएगी तदानुसार नये बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।

09. श्री महेंद्र गोयल : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र के रिठाला गांव के एक बड़े भूखंड में बसों का परिचालन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यह भूखंड दिल्ली परिवहन निगम के स्वामित्व में है;

(ग) यदि नहीं तो यह भूखंड किस निकाय के स्वामित्व में है;

(घ) क्या यह सत्य है कि परिवहन विभाग की आवश्यता व वर्तमान उपयोग देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम की संबंधित विभाग से इस भूखंड को लेने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो विभाग द्वारा संबंधित विभाग से किये गये पत्राचार का ब्यौरा दिया जाये; औरा

(च) यदि नहीं, तो उसके लिए क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां! रिठाला गांव में बने बस स्थान से दिपनि की रूट सं.-990 की बसों का परिचालन होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस संबंध में कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। अपितु इस बारे में राजस्व विभाग से जानकारी ली जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से रिठाला गांव में किसी अन्य स्थान पर बस टर्मिनल को जमीन देने के लिए वर्ष 2012 और 2013 में अनुरोध किया गया।

(च) उपर्युक्तानुसार

10. श्री गिरीश सोनी : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास बसई दारापुर में चल रहा जीवन सेंटर कई वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सत्य है कि सरकार की इस का मोहल्ला क्लीनिक जैसे और कार्यों के लिए उपयोग करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपमुख्यमंत्री : (क) यह सत्य है कि रमेश नगर मैट्रो स्टेशन के पास बसई दारापुर में चल रहा जीवन सेंटर कई वर्ष पूर्व बंद कर कर दिया गया है।

(ख) यह नीतिगत विषय है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार

11. श्री गिरीश सोनी : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दिल्ली में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने हेतु समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा अभी तक किसी एजेंसी को सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाने हेतु अधिकृत किया गया है; और

(ग) दिल्ली में सी.सी.टी.वी. कैमरे कब तक लगा दिए जाएंगे?

उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां यह सत्य है।

(ख) जी नहीं, सी. सी. टी. वी. कैमरे लगाने हेतु निवदा प्रक्रिया के उपरांत नाभिकायन (एम्पेनलमेंट) का कार्य प्रगति पर है।

(ग) नाभिकायन (एम्पेनलमेंट) का कार्य पूर्ण होते ही सी. सी. टी. वी. कैमरे शीघ्र ही लगा दिये जायेंगे।

12. श्री शरद कुमार : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली के सभी गांवों की अपनी पहचान बनाए रखने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार की प्रत्येक गांव के बाहर गांव का नाम दर्शाते हुए मुख्य द्वार बनाने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक,

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

उपमुख्यमंत्री : (क) से (च) संबंधित विषय पर राजस्व विभाग के अंतर्गत कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

13. **श्री सौरभ भारद्वाज :** क्या **उपनमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ओखला विधानसभा क्षेत्र की मोहल्ला सभा फंड के लिए वर्ष 2015-16 में 20 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की सभी 40 मोहल्ला सभाओां से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण दिया जाए;

(ग) इन प्रस्तावों के लिए तैयार किये गये अनुमानों का विवरण दें;

(घ) प्रस्तावित कार्यों के लिए वर्क आर्डर्स का विवरण दें, और

(ङ) कृपया ओखला विधानसभा क्षेत्र के सभी मोहल्ला सभा के कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण दें?

उपमुख्यमंत्री : (क) वर्ष 2015-16 में ओखला विधान सभा क्षेत्र की मोहल्ला सभा कार्यों के लिए 23 करोड़ रूपये का फंड जारी किये गये थे।

(ख) इस संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों का विवरण अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

(ग) इस विभाग में मोहल्ला सभा के कार्यों के लिए प्राप्त किये गये अनुमानों (Estimates) को सूचना अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

(घ) इस विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये मोहल्ला सभा कार्यों के निष्पादित विभागों (Executing Departments) के द्वारा जारी किये गए वर्क ऑर्डर्स का विवरण अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

(ङ) ओखला विधान सभा में वर्ष 2015–16 में संपन्न हुई मोहल्ला सभाओं के संदर्भ में मोहल्ला सभा कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण अनुलग्नक–4 पर संलग्न है।

विषय : विधान सभा प्रश्न संख्या 13 (राजस्व विभाग (मुख्यालय) के पत्र दिनांक 12/01/2017 से प्राप्त) प्रश्न कर्ता श्री सौरभ भारद्वाज जी, सदस्य, दिल्ली विधान सभा।

टिप्पणी :

1. ओखला विधान सभा में वर्ष 2015–16 में आयोजित हुई मोहल्ला सभाओं के संदर्भ में 33 कार्य विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभागीय फंड द्वारा निष्पादित किये जा रहे हैं, जिनकी लगभग लागत रूपए 74.00 करोड़ है।

2. ओखला विधान सभा में वर्ष 2015–16 में आयोजित हुई मोहल्ला सभाओं के संदर्भ में सी. सी. टी. वी. (CCTV) के 11 कार्य लंबित गाइडलाइन्स की वजह से स्वीकृत नहीं किये जा सके हैं।

3. ओखला विधान सभा में वर्ष 2015–16 में आयोजित हुई मोहल्ला सभाओं के संदर्भ में कुछ कार्य विभिन्न कारणों जैसे जमीन उपलब्ध न होना एवम् प्रस्ताव का व्यवहारिक न होने की वजह से निष्पादित नहीं हो पाए हैं।

ANNEXURE-I

मोहल्ला सभाओं में प्राप्त प्रस्तावों का विवरण

Sl. No.	Mohalia Sabha No.	Mohalia Sabha Proposals Received
1	2	3
1	1	Covering of sewer (Nala) at Abul Fazal Enclave
2	1	Construction of road in housing area of Meera Bai Polytechnic
3	1	Road Problem of Taimoor Nagar
4	1	Public Toilet, Taimoor Nagar
5	1	Cleaning and construction of road at Taimoor Nagar
6	1	Construction of Balmiki Chaupal at Taimoor Nagar
7	1	Cleaning Problem, Taimoor Nagar (Safai Karamcharis Deployment)
8	1	Providing street lights at Taimoor Nagar- Mohalia Sabha No. 1.
9	2	Road problem'of Taimoor Nagar
10	2	Public Toilet, Taimoor Nagar
11	3	Shamshan Ghat behind Khizrabad
12	3	Change of sewer line in Khizrabad

1	2	3
13	3	Sports facility in Khizrabad and Taimoor Nagar
14	4	Shamshan Ghat behind Khizrabad
15	4	Shamshan ghat behind Khizrabad
16	4	Construction of jatav dharm shala in Masigarh
17	5	New school in Jamia Nagar
18	5	Parking in Jamia Nagar
19	5	Dispensary in Jamia Nagar
20	5	Drinking water in Jamia Nagar
21	5	Sewerage in Jamia Nagar
22	5	C/o Construction of roundabout at Zakir NagarDhalan in Okhla Area, Mohalia Sabha No. 05.
23	6	Hospital (100 bed) in Jamia Nagar
24	6	Plantation at Jamia Nagar
25	7	Public Toilet, Jamia Nagar
26	7	Hospital (500 bed) in Jamia Nagar
27	7	CCTV requirement (A) Zakir Nagar West N Block (B) Jogabai Extn R Block
28	8	Public Toilet, Jamia Nagar
29	9	Public Toilet, Jamia Nagar

1	2	3
30	10	Public Toilet (Near Gaffar Nagar- Batla House Chowk)
31	10	Barat ghar/ community hall in Zakir Nagar and dhobi ghat
32	10	Girls college in Okhla Vihar
33	10	Water Pyau, Batla House
34	10	Street development in Batla House
35	10	Dustbins(At every chowk of each Block), Jamia Nagar
36	10	Sewer cleaning old Batla House, A,B,C,D,E,F,G,H, & Azim Dairy.
37	10	CCTV (Gaffar Nagar-10,AzimDairy 10, Zakir Nagar-10 Muradi Road-10, Mehboob Nagar-10, Batla House-10, Nafis Road-10 and 20 Feet Road-10), Jamia Nagar
38	11	Public Toilet (Near Gaffar Nagar, Batla House Chowk
39	11	Street Development/Safai Worker (40) Batla House
40	11	Sewer cleaning old Batla House, A.B.'C.D.E.F.G.H, & Azim Dairy.
41	12	Public Toilet (Near Gaffar Nagar, Batla House Chowk
42	12	Sewer cleaning old Batla House, A,B,C,D,E,F,G,H, & Azim Dairy.
43	12	CCTV (Gaffar Nagar-10,AzimDairy 10, Zakir Nagar-10 Muradi Road-10, Mehboob Nagar-10, Batla House-10, Nafis Road-10 and 20 Feet Road-10), Jamia Nagar

1	2	3
44	13	Dispensary- Hazi Colony
45	13	Construction of Barat ghar at Gaffar Manzil
46	13	Drainage System in Gaffar Manzil Extn
47	13	Water line in Jhuggis in Noor Nagar-2
48	13	Construction of barat ghar in Noor Nagar
49	13	Ladies park in Hazi Colony
50	13	Removal of Divider, Batla House
51	13	Street Light H-Block Batla House
52	13	Required four Safai Karamchari- Hazi Colony
53	14	Jan Suvidha Kendra- Gaffar Nagar
54	14	Construction of main gate, Ghaffar Manzil
55	14	Maintenance of Park at Gaffar Manzil
56	14	Dispensary in Gaffar Manzil
57	14	Sewer line in Gaffar Manzil
58	14	Proper Cleaning of Garbage, required four Sweepers- Gaffar Nagar
59	14	Modeler dumping Hazyard-Gaffar Nagar
60	14	Dustbin Street wise- Gaffar manzil
61	15	Concrete road in gali no-5 Noor Nagar

1	2	3
62	15	Sewer line in gali no-5 Noor nagar
63	15	Arrangement of six Safai Karamchari at Noor Nagar
64	16	Construction of Barat Ghar- Noor Nagar
65	16	Open the blockage line of water, Noor Nagar
66	16	Drinking water in Noor Nagar
67	16	Sewer line in Zhori Farm
68	17	Regularization of Noor Nagar
69	18	Repair of main road Abul Fazal Enclave
70	18	Drainage and Sewerage in Abul Fazal Enclave
71	18	Water supply in Abul Fazal Enclave
72	18	Providing street lights at Hari Kothi Road Abulfazal End. - Mohalla Sabha No. 18.
73	19	Kabristan Requirement, Abul'Fazal Enclave
74	19	Construction of school and hospital in Abul Fazal Enclave
75	19	Construction of road and footpath in Abul Fazal Enclave
76	20	Kabristan in Abul Fazal Enclave
77	20	To take land of UP Irrigation Department falling between Abul Fazal Enclave & Shaheen Bagh (65 Bigah) & to construct School, Hospital & Park

1	2	3
78	20	Mother Dairy in Abul Fazal Enclave
79	20	Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part-1, A to D Block (Mohalla Sabha No.20) in Okhla Area.
80	20	Providing street lights at Nai Basti Road from Jamia Police Station - Mohalla Sabha No, 20.
81	20	CCTV Cemara installation in Abul fazal Enclave.(50-75)
82	21	Mother Dairy in Abul fazal Enclave
83	21	Cleanlines and garbage removal in area by sweepers(25 to 40persons), Abul Fazal Enclave
84	21	Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part-1, E to N Block (Mohalla Sabha No.21) in Okhla Area.
85	21	Providing street lights at Kalindi Kunj Road from Nai Basti - Mohalla Sabha No. 21.
86	21	CCTV Cemara installation in Abul fazal Enclave.(50-75)
87	22	Linking of Shaheenbagh Metro station with foot-over Bridge
88	22	Dustbin for Garbage (4 Big & 50 Small), Abul Fazal Enclave
89	22	Cleanliness by sweepers (35 Sweepers), Abul Fazal Enclave

1	2	3
90	22	C/o Providing and fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part 2, A to EBIock Okhla Area, Mohalla Sabha No. 22.
91	22	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.22) in Okhla Area.
92	22	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.22) in Okhla Area.
93	22	CCTV Camera, Abul Fazal Enclave
94	23	Dustbin for Garbage (4 Big & 50 Small), Abul Fazal Enclave
95	23	Cleanliness by sweepers (35 Sweepers), Abul Fazal Enclave
96	23	C/o Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclaves part-2 E to H Block, Mohalla Sabha No. 23.
97	23	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.23) in Okhla Area.
98	23	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.23) in Okhla Area.

1	2	3
99	24	Dustbin for garbage in Abul Fazal Enclave
100	24	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.24) in Okhla Area.
101	24	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.24) in Okhla Area.
102	25	Community Centre in D&E Pocket Sarita Vihar
103	25	Padestrain way in Madanpur Khadar
104	25	Cleaning of drains and garbage in Madanpur Khadar
105	25	Public Toilet(Near Metro Station at Mathura Road), Madanpur Khadar
106	25	CCTV alongwith Control Room and guard in Madanpur Khadar
107	26	Conversion of H/T wire in Jasola Village
108	26	Construction of main road of Jasola Village
109	26	Cleaning and covering of drain in Jasola Village
110	26	Drinking water in Jasola Vihar and Jasola Village
111	27	Covering of Bada Nala in Jasola Village
112	27	C/o Demolishing and reconstruction of boundary wall of pocket 11 of Jasola Vihar, Mohalla Sabha No. 27.

1	2	3
113	28	Sewer line in Rajasthani Camp
114	28	Community hall in K&H Block MP Khadar
115	29	Construction of barat ghar in MP Khadar
116	29	Regarding de-silting of Sewer Line of Madanpur Khadar
117	29	C/o Raising /Construction of boundary wall near dairy farm, Janta Flats, Madanpur Khadar, Okhla Area, Mohalia Sabha No. 29.
118	30	Regarding increasing of load capacity of transformer near Barat Ghar/Gas Godown, Madanpur Khadar Village. (Aug. of 630 KVA DTR into 990 KVA DTR at Haddu Mohallah Madanpur Khadar)
119	31	Re-locating of transformer and increasing load of transformer located at Chauhan Mohalia, Madanpur Khadar. (Aug. of 630 KVA DTR into 990 KVA DTR at Chauhan Mohalia Madanpur Khadar)
120	31	Repairing of road in tanker wali gali. (Tracter wali gali Madanpur Khadar)
121	31	Water pipe line near Shiv Mandir MP Khadar
122	31	Providing street lights at Chauhan Muhallah- Mohalia Sabha No. 31.
123	31	Installation of CCTV camera in Chauhan Mohalia, Madanpur Khadar

1	2	3
124	32	Sulabh Sochalaya at Public Place, Madanpur Khadar
125	32	Dispensary in MP Khadar
126	32	Road in A-biock MP Khadar
127	32	Road in MP.Khadar Extn Gali No.1,2,3,4,5
128	32	School at MP Khadar Extn
129	32	Road-Kalindi Kunj to MP Khadar
130	32	Sewer line in C-Block MP Khadar
131	33	Road from Nirman Chowk to Kanchan Kunj
132	33	Sewer line atJaiebi Chowk, MP Khadar
133	33	Govt school in A-block MP Khadar
134	33	Water pipe line at Jalebi Chowk MP Khadar
135	33	Sewer line at A-Block MP Khadar
136	34	Requirement of CCTV Camera in Madanpur Khadar near Jalebi Chowk, Madanpur Khadar
137	35	Bridge on River in MP Khadar
138	35	Park at Jalebi Chowk, MP Khadar
139	35	Construction of Bridge at Chota Nala in MP Khadar
140	35	Imp. to boundary wall of kabristanin JJ colony Ph.Ill Madanpur Khadar Ward No.207 CNZ.

1	2	3
141	36	Sulabh Sochalaya in Madanpur Khadar are Required
142	36	Imp. to boundary wall of kabristanin JJ colony Ph.Ill Madanpur Khadar Ward No.207 CNZ.
143	37	SS School in Aali Village
144	37	Bridge on Nala Pull at Aali Village
145	37	Public Toilet at Priyanka Camp, Aali Village
146	37	Ganga water Supply and pipe line in Aali Village
147	37	CCTV Requirement in Aali village
148	38	Road from Aali to Mathura Road
149	38	CCTV Requirement in Aali Village
150	39	Hospital in Aali Village
151	39	Sewer line in Aali Village
152	39	Public Toilet at Priyanka Camp, Aali Village

ANNEXURE-II

मोहल्ला सभा कार्यो के प्राप्त किये गए अनुमानों
(Estimated) की सूची

Sl. No.	Mohalla Sabha No.	Name/Description of Work/ Estimate	Estimated Amount
1	2	3	4
1	29	C/o Raising /Construction of boundary wall near dairy farm, Janta Flats, Madanpur Khadar, Okhla Area, Mohalla Sabha No. 29.	38,30,000.00
2	5	C/o Construction of roundabout at Zakir Nagar Dhalan in Okhla Area, Mohalla Sabha No. 05.	19,000.00
3	22	C/o Providing and fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part 2, A to E BIock Okhla Area, Mohalla Sabha No. 22.	10,28,000.00
4	23	C/o Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclaves part-2 E to H Block, Mohalla Sabha No. 23.	9,42,000.00
5	27	C/o Demolishing and reconstruction of boundary wall of pocket 11 of Jasola Vihar, Mohalla Sabha No. 27.	38,51,000.00
6	20	Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part-1, A to D Block (Mohalla Sabha No.20) in Okhla Area.	9,85,000.00

1	2	3	4
7	21	Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part-1, E to N Block (Mohalla Sabha No.21) in Okhla Area.	10,70,000.00
8	22	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.22) in Okhla Area.	15,15,000.00
9	23	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.23) in Okhla Area.	15,15,000.00
10	24	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.24) in Okhla Area.	15,15,000.00
11	23	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.23) in Okhla Area.	12,45,000.00
12	24	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.24) in Okhla Area.	12,45,000.00

1	2	3	4
13	35	Imp. to boundary wall of kabristanin JJ colony Ph.Ill Madanpur Khadar Ward No.207 CNZ.	31,05,520.00
14	10, 11, 12	Sewer cleaning old Batla House, A,B,C,D, E,F,G,H, & Azim Dairy.	4,12,877.00
15	18	Providing street lights at Hah Kothi Road Abulfazal End. - Mohalla Sabha No. 18.	15,65,241.53
16	20	Providing street lights at Nai Basti Road from Jamia Police Station - Mohalla Sabha No. 20.	12,46,648.73
17	21	Providing street lights at Kalindi Kunj Road from Nai Basti - Mohalla Sabha No.21.	12,46,658.52
18	1	Providing street lights at Taimoor Nagar-Mohalla Sabha No. 1.	3,04,444.91
19	31	Providing street lights at Chauhan Muhallah-Mohalla Sabha No. 31.	3,40,666.84
20	18, 19	Reconstruction of Road from Jamia Nagar Police Station to Shaheen Bagh Police Post in Okhla Area.	2,38,61,000.00
21	30	Aug. Of 630KVA DTR into 990KVA DTR at Haddu Muhallah Madanpur Khadar-Mohalla Sabha No. 30.	25,09,094.15
22	31	Aug. Of 630KVA DTR into 990KVA DTR at Chauhan Muhallah Madanpur Khadar-Mohalla Sabha No. 31.	25,09,094,15

ANNEXURE-III

स्वीकृत किये गए मोहल्ला सभा कार्यों के निष्पादित विभागों (Executing Departments) के द्वारा जारी किये गए वर्क ऑर्डर्स का विवरण

Sl. No.	Mohalla Sabha No.	Name/Description of Work/Estimate	Name of Executing Deptt.	Awarded Amount
1	2	3	4	5
1	29	C/o Raising /Construction of boundary wall near dairy farm, Janta Flats, Madanpur Khadar, Okhla Area, Mohalla Sabha No. 29.	I&FC Deptt	25,43,000.00
2	5	C/o Construction of roundabout at Zakir NagarDhalan in Okhla Area, Mohalla Sabha No. 05.	I&FC Deptt	Work could not be taken up due to metro work in progress.
3	22	C/o Providing and fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part 2, A to EBIock Okhla Area, Mohalla Sabha No. 22.	I&FC Deptt	6,59,000.00
4	23	C/o Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclaves part-2 E to H Block, Mohalla Sabha No. 23.	I&FC Deptt	6,03,000.00
5	27	C/o Demolishing and reconstruction of boundary wall of pocket 11 of Jasola Vihar, Mohalla Sabha No. 27.	I&FC Deptt	26,88,000.00

1	2	3	4	5
6	20	Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part-1, A to D Block (Mohalla Sabha No.20) in Okhla Area.	I&FC Deptt	6,58,000.00
7	21	Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part-1, E to N Block (Mohalla Sabha No.21) in Okhla Area.	I&FC Deptt	7,16,000.00
8	22	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.22) in Okhla Area.	I&FC Deptt	9,80,000.00
9	23	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.23) in Okhla Area.	I&FC Deptt	9,80,000.00
10	24	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.24) in Okhla Area.	I&FC Deptt	9,80,000.00
11	23	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.23) in Okhla Area.	I&FC Deptt	8,05,000.00

1	2	3	4	5
12	24	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.24) in Okhla Area.	I&FC Deptt	8,05,000.00
13	35	Imp. to boundary wall of kabristanin JJ colony Ph.III Madanpur Khadar Ward No.207 CNZ.	SDMC	33,97,702.00
14	10, 11, 12	Sewer cleaning old Batla House, A,B, C,D,E,F,G,H, & Azim Dairy.	DJB	3,71,591.00
15	18	Providing street lights at Hari. Kothi Road Abulfazal End. -Mohalla Sabha No. 18,	BSES	ETC clearnace awaited
16	20	Providing street lights at Nai Basti Road from Jamia Police Station -Mohalla Sabha No. 20.	BSES	ETC clearnace awaited
17	21	Providing street lights at Kalindi Kunj Road from Nai Basti -Mohalla Sabha No. 21.	BSES	ETC clearnace awaited
18	1	Providing street lights at Taimoor Nagar- Mohalla Sabha No. 1.	BSES	ETC clearnace awaited
19	31	Providing street lights at Chauhan Muhallah- Mohalla Sabha No, 31.	BSES	ETC clearnace awaited

Annexure-IV

मोहल्ला सभा कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण

Sl. No.	Mohalla Sabha No.	Name/Description Of Work/ Estimate	Name Of Executing Deptt.	Current Status
1	2	3	4	5
1	29	C/o Raising /Construction of boundary wall near dairy farm, Janta Flats, Madanpur Khadar, Okhla Area, Mohalla Sabha No. 29.	I&FC Deptt	Work stopped due to public hindrance.
2	5	C/o Construction of roundabout at Zakir NagarDhalan in Okhla Area, Mohalla Sabha No. 05.	I&FC Deptt	Work could not be taken up due to metro work in progress.
3	22	C/o Providing and fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part 2, A to EBIock Okhla Area, Mohalla Sabha No. 22.	I&FC Deptt	Writing matter not finalized by the residents of colony.
4	23	C/o Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclaves part-2 E to H Block, Mohalla Sabha No. 23.	I&FC Deptt	Writing matter not finalized by the residents of colony.
5	27	C/o Demolishing and reconstruction of boundary wall of pocket 11 of Jasola Vihar, Mohalla Sabha No. 27.	I&FC Deptt	Work completed in may 2016.
6	20	Providing & Fixing of Signage boards	I&FC	Writing matter not

1	2	3	4	5
		in streets of Abul Fazal Enclave Part-1, A to D Block (Mohalla Sabha No.20) in Okhla Area.	Deptt	finalized by the residents of colony.
7	21	Providing & Fixing of Signage boards in streets of Abul Fazal Enclave Part-1, E to N Block (Mohalla Sabha No.21) in Okhla Area.	I&FC Deptt	Writing matter not finalized by the residents of colony.
8	22	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.22) in Okhla Area.	I&FC Deptt	Not started due to encroachment on the road.
9	23	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.23) in Okhla Area.	I&FC Deptt	Not started due to encroachment on the road.
10	24	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on Shibli road, Vir Abdul Hamid Road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.24) in Okhla Area.	I&FC Deptt	Not started due to encroachment on the road.
11	23	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.23) in Okhla Area.	I&FC Deptt	Not started due to encroachment on the road.
12	24	Providing & Fixing precast Jersey barrier (Divider) on road no.6 to Chowki wala road, Abul Fazal Enclave (Mohalla Sabha No.24) in Okhla Area.	I&FC Deptt	Not started due to encroachment on the road.

1	2	3	4	5
13	35	Imp. to boundary wall of kabristanin JJ colony Ph.Ill Madanpur Khadar Ward Mo.207 CNZ.	SDMC	Work is stopped by police due to demarcation issue and stay order by the court.
14	10, 11, 12	Sewer cleaning old Batla House, A,B, C,D,E,F,G,H, & Azim Dairy.	DJB	Work completed.
15	18	Providing street lights at Hari Kothi Road Abulfazal End. -Mohalla Sabha No. 18.	BSES	Street light scheme submitted to etc for clearance but not cleared yet.
16	20	Providing street lights at Mai Basti Road from Jamia Police Station - Mohalla Sabha No. 20.	BSES	Street light scheme submitted to etc for clearance but not cleared yet.
17	21	Providing street lights at Kalindi Kunj Road from Mai Basti -Mohalla Sabha No.21.	BSES	Street light scheme submitted to etc for clearance but not cleared yet.
18	1	Providing street lights at Taimoor Nagar- Mohalla Sabha No. 1.	BSES	Street light scheme submitted to etc for clearance but not cleared yet.
19	31	Providing street lights at Chauhan Muhallah- Mohalla Sabha No. 31.	BSES	Street light scheme submitted to etc for clearance but not cleared yet.'

1	2	3	4	5
20*	30	Aug. Of 630KVA DTR into 990KVA DTR at Haddu Muhallah Madanpur Khadar- Mohalla Sabha No. 30.	BSES	* This work is now being executed by brpl from its own funds.
21*	31	Aug. Of 630KVA DTR into 990KVA DTR at Chauhan Muhallah Madanpur Khadar- Mohalla Sabha No. 31.	BSES	* This work is now being executed by brpl from its own funds.
22*	18, 19	Reconstruction of Road from Jamia Nagar Police Station to Shaheen Bagh Police Post in Okhla Area.	UP Irrigation Depart- ment	* Proposal has been submitted to revenue department (HQ) for consideration/approval.

14. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कैलाश विधान सभा के गांव चिराग दिल्ली की दरगाह हजरत निजामुद्दीन औथ्लया रौशन चिराग दिल्ली के चबूतरे की भूमि की दिनांक 1 6.02.2016 को (एसआर वी ए, हॉजखौज) वाल्यूम सं. 1314, बुक नं. 1 पेज नं. 190 से 198 के विरूद्ध दर्ज एफआईआर पर राजस्व विभाग द्वारा क्या आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है, सब-रजिस्ट्रार की रिपोअ्र पर दर्ज एफआईआर की प्रति भी दें,

(ख) उक्त मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा की गई आपराधिक कार्रवाई का विवरण और इस मामले में दर्ज एफआईआर की प्रति सहित उपलब्ध करें,

(ग) उक्त मामले में राजस्व विभाग द्वारा सेल डीड का पंजीकरण रद्द करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण, या रद्द न करने के कारणों का पूर्व विवरण संबंधित फाइल की नोटिंग की प्रति सहित दें?

उपमुख्यमंत्री : (क) एक विक्रय पत्र संपत्ति संख्या 230 क्षेत्रफल 175 वर्ग गज खसरा संख्या 140/496, आबादी लाल डोरा चिराग दिल्ली गांव से संबंधित श्री जमीर अहमद ने मैसर्स श्री राम हॉथ्स्पटललटी प्राइवेट लिमिटेड के हक में निष्पादित किया, जिसको पंजीकरण हेतु सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, महरौली में 16.02.2016 को प्रस्तुत किया।

उक्त दस्तावेज सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, महरौली द्वारा पंजीकरण अधिनियम की धारा 32, 34, 35, 52, 58, 59 और 60 के प्रावधानों के अंतर्गत बजरिये पंजीकरण संख्या 831 बुक संख्या 1, बही संख्या 1 314, पृष्ठ संख्या 190 से 1 98 पर दिनांक 16.02.2016 को पंजीकृत किया गया।

शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्त होने के उपरांत उक्त मामला कानूनी सलाह हेतु मुडलायुक्त, दिल्ली को अग्रपेषित किया गया। मंडलायुक्त कार्यालय को कानूनी सलाह दिनांक 8.8.2016 को प्राप्त हुई। जिसके द्वारा सूचित किया गयाकि कोई भी पंजीकृत दस्तावेज बिना किसी न्यायालय के आदेश के निरस्त नही किया गया जा सकता, और न ही पंजीकरण अधिकारी दस्तावेज को निरस्त करने को अधिकृत है।

शिकायतकर्ता की शिकायत को थाना प्रभारी महरौली को अन्य दस्तावेजों सहित सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, महरौली के पत्र संख्या SR/VA/2016/HK/679 दिनांक 23.07.29016 व 08.08.2016 को अग्रसित कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि थाना प्रभारी, महरौली से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 28.04.2016 व 28..6.2016 को थाना प्रभारी को इस मामले में शिकायत की थी, इस मामले में अभी तक थाना मालवीय नगर से एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाई गयी।

(ग) उपरोक्त पैरा 'क' के अनुसार।

15. श्री पंकज पुष्कर : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजादपुर प्रेम बाड़ी फ्लाईओवर की अनुमानित लागत कितनी थी;

(ख) फ्लाईओवर का डिजाईन सिंगल पिलर 3m×3m में बदलने के पक्ष में कब निर्णय लिया गया।

(ग) डिजाईन बदले जाने के बाद संशोधित लागत कितनी थी।

(घ) इसकी मूल लागत कितनी थी, और

(ङ) लागत में कमी आने के क्या मुख्य कारण रहे?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) आजाद पुर-प्रेम बाड़ी पुल फ्लाईओवर की अनुमति लागत (प्रशासनिक अनुमोन एवं व्यय स्वीकृति) रूपये 247.17 करोड़ रूपये थी। यह स्वीकृति दिनांक 19.06.2012 को प्राप्त हुई थी।

(ख) निविदा आमंत्रित करने हेतु विस्तृत अनुमान की लागत रूपये 193. 57 करोड़ थी।

(ग) निविदा आमंत्रित करने हेतु विस्तृत अनुमान की लागत रूपये 193. 57 करोड़ थी।

(घ) कार्य निष्पादित करने हेतु निविदा की राशि (L1 Tender Amout) 181.47 करोड़ रूपये खर्च किये गये।

(ङ) कार्य आरंभ होने के पश्चात एवं कार्य के दौरान भी संरचनात्मक नक्शों को और अधिक उन्नत बनाया गया जिससे बचत हुई। फ्लाईओवर के संरेखण (एलान्मेंट) में भी सुधार किया गया। फुटओवर ब्रिज नहीं बनाया गया।

कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया। इन सभी कारणों से खर्च में अनुमानित लागत की अपेक्षा कमी आयी।

16. **श्री चौधरी फतेह सिंह :** क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या

यह सत्य है कि सरकार की यमुनापार क्षेत्र के अंतर्गत मंगल पांडे रोड को ऐलीवेटिड रोड बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ऐलीवेटिड रोड बनाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इस प्रोजेक्ट का कार्य कब से प्रारंभ हो जाएगा;

(ङ) कितनी अवधि में यह कार्य पूर्ण होने की संभावना है; और

(च) इस प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) यमुना पार क्षेत्र के अंतर्गत मंगलपांडे रोड पर बने हुए फ्लाईओवर के अतिरिक्त दो अलग-अलग ऐलीवेटिड रोड की योजना है। जिसमें एक ऐलीवेटिड रोड करावल नगर जंक्शन पर है तथा दूसरा नन्दनगरी एवम् गगन सिनेमा जक्शन पर है। इसके साथ एक अडरपास लोनी रोड पर भी प्रस्तावित है।

(ख) इसके लिए यूटिपेक से मंजूरी मिल गई है। तथा अब डीयूएसी की मंजूरी हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

(ग) इसकी अनुमानित लागत लगभग रू. 350 करोड़ है।

(घ) इस परियोजना का कार्य डीयूएसी की मंजूरी के बाद शुरू हो जाएगा।

(ङ) कार्य पूर्ण करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा।

(च) पूर्ण विवरण क्रम सं. (क) के अनुसार है। इन दोनों प्रस्तावित

एलिवेटिड रोड बनने के बाद मंगल पांडे मार्ग खजूरी खास से भोपूरा बोर्डर तक सिग्लन फ्री होगा।

17. **श्री विजेंद्र गर्ग :** क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा राजेंद्र नगर विधान सभा क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक के लिए स्थानों का निरीक्षण कर चयन कर दिया गया था, यदि हां तो चयन किये गये स्थल पर कार्य आरंभ न होने के क्या कारण हैं; और

(ख) यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) हां यह सत्य है कि राजेंद्र नगर विधान सभा क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक के लिए स्थानों का निरीक्षण किया गया था। स्थानों की उपयुक्तता की जांच की जा रही है।

(ख) स्थान निर्धारित होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

18. **श्री विजेंद्र गर्ग :** क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली अधिकांश सड़कों के फुटपाथ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और प्रतिदिन वहां मलबा और अन्य कूड़ा भी डाला जाता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जों को रोकने तथा वहां मलबा व अन्य कूड़ा डालने की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) उसका पूरा ब्यौरा क्या है।

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली मुनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा-299 के तहत सड़कों की जमीन का स्वामित्व स्थानीय निकायों का होता है। अवैध कब्जे हटाने का कानूनी अधिकार क्षेत्र, नगर निगम आयुक्त के पास होता है।

अतः इस पर हो रहे अवैध कब्जों और कूड़े के लिए कार्यवाही संबंधि त निकायों द्वारा की जानी होती है।

तथापि इस तरह के अवैध कब्जों के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा एस. टी. एफ./डी. टी. एफ. को समय-समय पर जानकारी दी जाती है और मलबे को भी लोक निर्माण विभाग के द्वारा उठा यिा जाता है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

19. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की वजीराबाद रोड-खजूरीखास चौराहे पर लगने वाले जाम से जनता को निजात दिलाने के लिए यहां पर अंडरपास बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरंभ होगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) खजूरी खास चौराहे पर जाम से निजा दिलाने के लिए एक अंडरपास का प्रावधान है। यह प्रस्ताव UTTIPEC को दिनांक 25.10.2016 को भेज दिया गया है अभी UTTIPEC द्वारा कोर ग्रुप मीटिंग में प्रस्ताव की चर्चा की जानी है।

(ख) UTTIPEC से स्वीकृति होने पर ही कार्य शुरू हो पायेगा।

(ग) अभी UTTIPEC से स्वीकृति नहीं मिली है।

20. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पांचवां पुस्ता यमुना (गांव गामड़ी) तीसरा पुस्ता (विजय कालोनी) व फुटओवर ब्रिज बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरंभ होगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) अभी इसकी कोई योजना नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के परिपेक्ष में लागू नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) के परिपेक्ष में लागू नहीं।

21. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगनेचर ब्रिज को पूर्ण कर जनता को समर्पित करने की अंतिम तिथि क्या है;

(ख) क्या सरकार की इसके अतिरिक्त भी यमुना पर कोई और पुल बनाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) सितंबर 2007

(ख) यमुना नदी पर बारापुला फेस 3 के अंतर्गत एक पुल बनाया जा रहा है।

(ग) यह पुल सराय काले खां से मयूर विहार फेस-1 को जोड़ने हेतु बनाई जा रही एलिवेटिड पर बन रहा है।

22. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोण्डा गामड़ी रोड (पांचवें पुश्ते तक) को चौड़ा करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक अमल में लाई जाएगी; और

(ग) इस रोड की प्रस्तावित चौड़ाई कितनी है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री : (क) लोक निर्माण विभाग के पास इस सड़क के चौड़ीकरण की कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के परिपेक्ष में लागू नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) के परिपेक्ष में लागू नहीं।

23. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उपमुख्यमंत्री**/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014-15 व 15-16 में 11वीं कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए;

(ख) इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के असफल होने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकारी स्कूल छोड़कर बच्चे प्राईवेट स्कूलों में जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण बताते हुए कक्षा-वाईज स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष की तुलना में सरकार ने इस वर्ष शिक्षा का बजट दो गुना किया है; और

(च) सरकार ने गत दो वर्षो में इस दिशा में क्या कम उठाये हैं?

उपमुख्यमंत्री (श्री लोक निर्माण विभाग) :

(क) वर्ष	उत्तीर्ण प्रतिशत
2014-15	62.05%
2015-16	72.74%

(ख) जैसाकि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है, वर्ष 2015-16 में 2014-15 के मुकाबले उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

असफलता के कई कारण हो सकते हैं–यथा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सुविधाओं की कमी, अभिभावकों की सहभागिता की कमी, पढ़ाने के तरीकों में कमी, इत्यादि। विगत दो वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं।

(ग) सामान्यत: ऐसा नहीं है।

(घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

(ङ) 2014-15 का बजट योजना मद 227464 लाख और 2015-16 का बजट योजना मद 401744 लाख है।

(च) लागू नहीं होता।

24. श्री विजेद्र गुप्ता : क्या **उप मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अनएडिड कुल कितने स्कूल हैं, जो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं;

(ख) इन निजी स्कूलों में दाखिले संबंधी नीति की विस्तृत जानकारी दी जाए;

(ग) ई. डब्ल्यू. एस. कैटेगरी में वर्ष 2017-18 के लिए दाखिले संबंधी क्या नीति बन्ग्र जा रही है; सकी विस्तृत जानकारी दी जाए; और

(घ) शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है; पूर्ण विवरण दें?

उपमुख्यमंत्री (श्री विजेन्द्र गुप्ता) : (क) दिल्ली में कुल 1747 अनऐडिड मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिनमें से 1337 स्कूल दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम एवम् नियम, 1973 (DSEAR) के अधीन तथा 410 स्कूल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) के अधीन हैं।

(ख) शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों में वर्ष 2 017-18 के दाखिले से संबंधित नीति सर्कुलर दिनांक 1 9.12.2016 द्वारा जारी की गई है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा डीडीए भूमि पर बने निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया संबंधित एक अधिसूचना दिनांक 07.01.2017 को जारी किया गया है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) शिक्षा विभाग द्वारा ई. डब्ल्यू. एस. केटेगरी में वर्ष 2017-18 के दाखिले से संबंधित नीति सर्कुलर दिनांक 09.01.2017 द्वारा जारी की गई है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(घ) दिल्ली में शिक्षा के व्यवसायीकरण को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निजी, गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिनांक 1997, 15.12.1999, 10.05.2005, 11.02.2009 तथा 16.04.2010 को परिपत्र/आदेश जारी किये गये हैं जिनमें उन्हें विद्यार्थियों के अभिभावकों से फीस तथा अन्य शुक्ल वसूलने संबंधित दिशा निर्देश दिये गये हैं। निजी स्कूलों के लेखा-खातों के अंकेक्षण के लिये एक तंत्र निर्धारित करने हेतु ल्ली विधान सभा ने सन् 2015 में एक विधेयक पास करके भारत सरकार को अनुमति हेतु भेजा हुआ है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे लगभग 1 38 निजी स्कूलों के लेखा-खातों का सत्यापन किया है जिन स्कूलों ने अपने स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था तथा लगभग 100 निजी स्कूलों को वष्र 2016-17 में फीस न बढ़ाने के आदेश दिये गये हैं।

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DIRECTORATE OF EDUCATION
(PRIVATE SCHOOL BRANCH)
OLD SECTT: DELHI-54

NO.DE.15(172)/PSB/2016/77 Dated:- 19th Dec. 2016

CIRCULAR

Sub: Admission Schedule for Entry Level Classes (below six years of age) for Open Seals in Private Unaided Recognized Schools of Delhi for the session 2017-2018.

In order to conduct the admission process smoothly at the Entry Level Classes (below six years of age) in l'ri\ate Unaided recognized Schools of Delhi, ihe following instructions and admission schedule Bit issued for conducting admissions for the Open Seals (other than EWS/ DG category seats) for the academic session 2017-18.

1. Admission Schedule

Sl. No.	Particulars	Time schedule
1	2	3
1	Uploading the criteria and their points in the moduleof the Departmenl al the link mentioned at point No. X till	01-01-2017 (Sunday)
2	Commencement of admission process	02-01-2017 (Monday)
3	Commencement of availability of application forms for admission	02-01-2017 (Monday)

1	2	3
4	Last date of submission of application forms in schools	23-0l-20l7 (Monday)
5	Uploading details of children who applied to the school for admission under Open Seats till	3l-0l-20l7 (Tuesday)
6	Uploading marks (as per point system) given to eachof the children who applied for admission under open seats till	06-02-2017 (Monday)
7	The date for displaying the first list of selected candidates (including Waiting List) (along with marks allotted under point system)	15-02-2017 (Wednesday)
8	Resolution of queries of parents, if any (by written email verbal interaction) regarding allotment of points to their ward in the first list till	16-02.2017 to 18-02-2017
9	The date for displaying the second list of candidates (If any) (including Waiting List) (along with marks allotted under point system)	28-02-2017 (Tuesday)
10	Closure of admission process	31-03-2017 (Friday)

2. No deviation from the above schedule shall be permitted. Each School shall display this admission schedule on its notice board and website. Further each school shall ensure that application forms for admissions are made available to all applicants till the last date

of submission of admission's application forms i.e. 23-01-2017. Only Rs.25/- (Non-refundable) can be charged from the parents as admission registration fee. The purchase of prospectus of the school by the parents shall be optional.

3. All Private Unaided Recognized Schools admitting children in pre-school, pre-primary and/or Class-I level shall reserve 25% seats for EWS/DG category students (under Section 12 (1) (c) of Right to Education Act, 2009) at Entry Level Classes, wherever fresh admissions are made as directed by the Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 24-05-2012 in WP (c) No.8434/2011 and circulated vide this Directorate's Circular No.2393-2004 dated 04-06-2012.

4. As the school has already uploaded the criteria along with the related points for admission and declared the first list of shortlisted candidates along with the points earned by them as per their criteria. 3 days lime from 16"' February to 18th February (Col. No.8) is being kept for the schools to answer queries of parents regarding the points allotted to their ward on school's criterion. Schools may devise their own responsive mechanism for parents i.e. via email telephonically or by calling a meeting.

5. Further all schools shall comply with the notification dated 28-02-2012 which directs that the number of seats at the entry level/s shall not be less than the highest number of seals in the entry level classes during the last three years 2014-15, 2015-16 and 2016-2017. The details of all entry level classes (i.e. Nursery/KG/lst) along with the seats available for admission must be declared on the portal of DoE.

6. All the Private Unaided Recognized Schools shall develop and adopt criteria for admission which shall be clear, well defined, equitable, non-discriminatory, unambiguous and transparent. The draw of lots (if any), shall be conducted in a transparent manner in presence of parents. All eligible parents of students in draw of lots will be informed well in advance by the school. The draw of lots will be conducted under videography and its footage to be maintained/ retained by the school for three months. The slips will be shown to the parents before putting in the box, being used for draw of lots.

7. No school shall adopt such criteria as abolished by the department vide order No.DE.I5/Act-1/4607/13/2015/5686-5696 dated 06-01-2016 and upheld by Honble High Court in WPC No.448/2016 vide order dated 04-02-2016. (The list or 51 criteria out or 62 is enclosed as Annexure-I)

8. All the Private Unaided Recognized Schools shall upload their criteria adopted (including points for each criterion) for admission under Open Seats at Entry Level Classes (Other than EWS/DG category seats) for the academic session 2017-18 on this Directorate's website www.edudel.nic.in at the link through login ID and password School Plant -> School Information Admission Criteria (201 7-18). The said information must be uploaded by 01-01-2017.

9. All the schools must ensure thai the criterion wise break up of points of all applicant children are displayed on their website also.

10. This year, the criteria and their points uploaded by the schools on the portal of this Directorate shall be available for public viewing

by the parents in the scroll of the official website i.e. www.edudel.nic.in under head Admission criteria (2017-18). Thus schools may ensure that the information uploaded on this Directorate's website is accurate and corresponds in totality with the information on their own website.

11. All the Private Unaided Recognized Schools shall upload the details of children who apply for admission under Open Seals and marks allotted of each of them by ihe schools under their point system, on the module available on the departmental website at the link through login ID and password -> School Plant -> School Information -> details of applicants under open seats 2017-18.

12. All the Private Unaided Recognized Schools shall also upload the details of children admitted and waitlisted under Open Seats and marks allotted to litem by the schools under their point system, on the module developed by the department.

13. The process to upload the details as mentioned above shall be communicated soon.

14. The above guidelines and schedule is not applicable for the schools running on the land allotted by DDA on the condition that "the school shall not refuse admission to the resident of the locality" or "the society shall undertake to admit 75% of the students of the neighbourhood or from the locality in which the school is located". Separate guidelines for admission in such schools shall be issued shortly. The tentative list of such schools is attached. (Annexure - II)

15. The various standing instructions/guidelines/orders in regard of various aspects of admission process issued by this Directorate from time of time and reiterated vide Circular No.F.DE/15/Act-1/2013/6161 dated 11-01-2013 are being reproduced herewith for strict compliance.

i. **Regarding prohibition of demand of Capitation fee/ Donation at the lime of admission.**

"Capitation fee means any kind of donation or contribution or payment other than the fee notified by the school". As per the order of Hon'ble High Court in I.PA 196/2004 in the matter of Rakesh Goyal Vs Montfort School and Section 13(1) of RTE Act. 2009. no school or person shall, while admitting a child, collect any Capitation fee/Donation from the parents. Any school or person who contravenes this provision and receives capitation fee. shall be punishable with fine which may extend to ten times the capitation fee charged.

ii. **Regarding prospectus and charging processing fee.**

Buying of prospectus of school along with application form is not mandatory for parents and schools can neither force parents to neither buy prospectus nor charge any processing fee. Only Rs. 25/- (Non-refundable) can be charged as admission registration fee from parents.

iii. **Regarding separate admission process for main school and Montessori/Pre-School.**

The Directorate of Education vide order No. 15702-15871 dated 23-03-1999 clarified/ordered that all Pre-schools/

Montessori schools being run by registered societies/trusts in Delhi as branches of recognized unaided schools in or outside the school premises shall be deemed as one institution for all purposes, therefore schools have to follow single admission process for their pre-school and main school considering them as one institution.

iv. **Regarding Upper Age Limit.**

For admission in the Pre-school, the Directorate of Education vide order No.F./DE/15/1031/ACI72007/7002 dated 24-11-2007 defined the minimum age as three years by 31st March of the year in which admission is being sought and there is no bar to admit the students above the minimum age fixed by the department.

v. **Regarding quantum of minimum seals at enirv level.**

Directorate of Education vide notification dated 28-02-2012 directed that the number of seats at entry level/s shall not be less than the highest number of seats in the entry class during the previous three years.

vi. **Regarding documents valid as proof of address.**

Some of indicative documents which can be considered as proof of residence of parents/ child:

i. Ration card issued in the name of parents (Mother/Father having name of child).

ii. Domicile certificate of child or of his/her parents.

iii. Voter I-Card (EPIC) of any of the parents.

iv. Electricity bill/MTNL telephone bill/Water bill/Passport in the name of any of the parents or child.

v. Aadhaar card/UID card issued in the name of any of the parents.

16. No Private Unaided Schools recognized under the provisions of DSEAR. 1973, shall process the admission of EWSTXi category students manually. The department shall conduct computerized draw of lots for admission of EWS/DG Category Students in r/o these schools.

This issues with the approval of Director (Education).

(Yogesh Pratap)

Dy. Director of Education (PSB)

Managements of all Unaided Recognized Schools/District DDEs.

NO.DE.15 (172)/PSB/2016/ Dated:-

Copy to the:-

1. Pr. Secretary to Chief Minister. GNCT of Delhi.

2. Secretary to Minister of Education. GNCT of Delhi.

3. OSD to Chief Secretary. GNCT of Delhi.

4. PS to Secretary (Education). Die. of Education, GNCT of Delhi-23.

5. Director (Education). North/East/South Municipal Corporation of Delhi.

6. Director (Education). New Delhi Municipal Council.

7. Chief Executive Officer. Delhi Cantonment Board.

8. All Addl. Direciors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs. Dte. of Education. GNCT of Delhi.

9. All Branch In-charges, Directorate of Education, GNCT of Delhi.

10. OS (IT) with the request to upload ii on ihe Departmental Website.

11. Guard file.

(YOGESH PRATAP)

DY. DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

ANNEXURE-I

Sub: List of 51 Criterion Out of 62 Criterion upheld by the Hon'ble High Court in WPC 448 of 2016 Action Committee Unaided Recognized Private Schools Vs DoE & Ors.

Sl. No	Criteria	Remarks of being unfair, unreasonable and noil- transparent
1	2	3
01	Transferable jobs/ state transfers /IST	This criterion is required for admission in upper classes to give better chances and continuation of studies of a child, It is not just to give weighlage for admission at the entry level classes. Apart from it, an individual residing in particular locality for many years has a better right to get his ward admitted in the school in his locality rather than the individual who has shifted on transfer to thai locality
02	Parents education	India is a developing country and literacy rate is not 100%. Giving weightage to parents' education criteria is unjust to the children whose parents do not have good educational background. It leads to the inequality also.
03	Parent working in sister-concern school.	The ward of Staff/Employees of any school concerned can have a right for

1	2	3
		admission to that school but extending the same benefits to the sister concern of that particular school will curtail the right of General Parents' wards.
04	Both parents are working,	There is no merit to give weightage on this criterion. Equal opportunities of admission should be given to non-working single parent working/both parents working.
05	First cousin of the child (parental / maternal).	This will create a homogenous group in a class/school which is not conducive to the overall development of child.
06	School specific criteria	This criterion has a very wide interpretation The school should have specified it in a list, reasonable and transparent manner.
07	Special ground if candidate is having proficiency in music and sports.	It is inappropriate to assign points for proficiency in music and sport to a child at the aye of 3 to 6 years.
08	Any other specific category	This is vague criterion. The school should have specified it in a just, reasonable and transparent manner.
09	Social/Noble cause.	There is no standard parameter to determine it and is likely to be misused.

1	2	3
10	Mother's qualification 12th passed	There is no merit to give weiglitagc on this criterion. Equal opportunities of admission should be given to children irrespective of their-mother's qualification.
11	Non-smoker parent	Child cannot he punished for the any particular habit of the parents, so this is unjust.
12	Empirical achievements of the parents	Parents' achievements cannot be the criteria for admission as all the children have equal rights.
13	First lime admission seekers.	There is no merit. Everyone is first time admission seeker to the entry level class.
14	First-come-first-get.	The admission schedule has been fixed by the Department prescribing the dates for submitting application, displaying the list of selected children if no particular criteria is fixed for such admission, the school may collect applications up to the last date, if number of application arc more than the seals, it may go for draw of lots and make admission as per announced schedule.
15	Oral Test	Screening Interview at the entry level is not reasonable.
16	Interview	Interview at the entry level is not reasonable.

1	2	3
17	Professional expertise	Parents' professional field cannot be the criteria for admission as all the children have equal rights.
18	Date of Birth Certificate of Child form MCD/Affidavit	This cannot be the criteria for points It is documentary proof for age.
19	Govt. employee	Parents' professional field cannot be the criteria for admission as all the children have equal rights.
20	Vegetarianism	Child cannot he punished or rewarded for any particular habit of the parents, so this is unjust.
21	Special cases	This criterion has a very wide interpretation. The school should have specified the criteria which may be just, reasonable and transparent.
22	Joint Family	This criterion is not practically determinable and as such, there is no basis of connecting it to the admission process.
23	Non - a1coho1ic	Child cannot be punished for any particular habit of the parents, so this is unjust.
24	Age	Age criterion has already been specified for Entry Level Classes by the department therefore points cannot be assigned to this.

1	2	3
25	Certificate of last school attended/Marks of previous class.	In the entry class admission, there is no certificate of last school attended and marks of previous class so it is illogical to give points to this criterion.
26	Attitudes and values	It is undefined and likely to be misused.
27	ID Proofs and Address of the documents of the parents	Department has already specified the list of documents as proofs. It cannot be a criteria for giving points.
28	Language (speak only 2 points, write only 2 points, read only 2 points)	This is illogical to give points to this criterion. Small children should be on equal footing in every respect as the entry level class is the starting level of learning.
29	Promotion/ Recognition as specified in the school website and notice board	It is not clear
30	Economic condition/ BPL Family/ Back ground - Poor Family	The parents seeking admission in a particular school are aware of the fee structure of the school and willing to pay the same, Fee structure of the school is same for everyone in the school. So the economic condition should not matter.
31	Business/ Service	It is not just and discriminatory. Parents' status does not matter at least in the education Field.

1	2	3
32	Special quality	It is undefined and likely of be misused.
33	Declaration regarding picking or drop	It is illogical. It is the choice of the parents to opt for school transport or not as per their convenience.
34	Scholar students	It is illogical. No scholastic aptitude can be tested at the entry level classes.
35	Regularity in payment of school dues	It is illogical. Parents just seeking admission of their ward in the entry level class cannot be judged on this criterion.
36	Terms and condition of school	It is not clear.
37	2 Photograph of child	It is not relevant criteria for assigning points.
38	Child whose parents/ grandparent is a significant non- financial/volunteer to In-school.	It is undefined and discriminatory.
39	Interview/G K	Interview at the entry level is not reasonable.
40	Management discretion	This criterion is not fair and Likely to be misused.
41	Management reference	This criterion is not fair and likely of be misused.

1	2	3
42	No admission criteria	In case of no admission criteria, the school has to follow the admission schedule of the department. If the number of applications are more than the seats available, then draw of lots may be conducted and admissions to he done as per schedule.
43	Oral Test /Communication Skill Interaction	Oral Test /Communication Skill Interaction at the entry level in not reasonable.
44	Parents reasons for approaching the school in terms of objective of the school	It is undefined and discriminatory.
45	Permanent resident of Delhi by birth	It is illegal and violation of fundamental right of the citizen.
46	School parameters/ school specific para meters	It is undefined.
47	Simitar cultural ethos	It is undefined.
48	SLC countersiened by EO	It is illogical as no SLC is required for admission in Entry Level Class.
49	Special permission for not completing elementary education	It is not clear.
50	Sports /Sports activity	It is discriminatory.
51	Delhi University Staff	It is illogical

ANNEXURE-II

List of Schools on Govt. Land with the Condition "not to refuse Admission to the residents of the Locality"

Sl. No.	District	Name of the school with address	School I.D.	Name of the society	Address of the society
1	2	3	4	5	6
1	NE	Canterbury public School Yamuna Vihar	1104312	Canterbury Education Society (Reud)	B-2/23A. Yamuna Vihar. Delhi 53
2	NE	DAV Public School, East of Loni Road. Delhi 93	1106226	DAV College management Committee	Chitragupta Road. N Delhi 55
3	NE	Flora Dale Sr. Sec. School. R Pocket, Dilshad Garden, Delhi 95	1106194	FDS Child Education & Social Welfare Society	J-25. Dilshad Colony. Delhi 95
4	NE	Green Field Public School. Dilshad Garden, GTB End, Delhi 93	1105208	Green Field Public School Society	Block D. Vivek Vihar
5	NE	Green Way Moden School. Dilshad Garden	1100222	Shanti Janak Sachedeva Education Society	
6	NE	Gyandeep Public School,	1104435	Gyandeep Educational	

		E-1/1201, 24 Futa Rd. Shivaji Marg. Sonia Vihar. Delhi 110094		Society	
7	NE	HansRaj Smarak Sr. Sec. School. Opp. Pocket-E. Dilshad Garden, Delhi-95	1106195	Hansraj Smark Society	J-5/2. Krishna Nagar. Delhi 51
8	NE	National Victor Public School, West Gorakh Park. Shahdara. Delhi 32	1105235	Sarvodaya Shishu Shiksha Samiti.	D-204,Main Chowk, Maujpur, Delhi-53
9	NE	Nav Jiwan Adarsh Public School. C 9. YAMUNA VIHAR. 1)1.1 III	1104367	Nay Jeewan Adarsh Public Shiksha Samiti	D-71/6, Jafrabad. Delhi 110053
10	NR	Nutan Vidya Mandir, Dilshad Garden	1106191	Nutan Vidhya Mandir Society	North Ghonda Yamuna Vihar, Delhi 53
11	NE	Siddarth International Public School. Opp. Pocket -B Park. Gurudwara Road, Dilshad Garden, Delhi 95	1106235	Ravi Bharti Shiksha Samiti	East of Loni Rd.. Main Wazirabad Rd., Delhi 93
12	NE	Siddarth International Public School. Pocket B, East of Loni Road. Delhi 93	1106196	Ravi Bharti Shiksha Samiti,	East of Loni Rd.. Main Wazirabad Rd.. Delhi 93

1	2	3	4	5	6
13	NE	St. Lawrance Public School. AK Facility Centre, Opp. LIC Colony. Dilshad Garden. Delhi 95	1105215	St. Lawrance Education Society	F-l 14, Dilshad Colony. Delhi 95
II	NE	Sunder Public School, C-6 Yamuna Vihar. Delhi-53	1104295	Sunder Shikhsa Samiti	6/201. Yamuna Vihar. Delhi 110053
15	NE	St. Moral Global Public School Blck C 6, Yamuna Vihar. Delhi 53	1104462	Marry Sweethome Public School Society	C-2/I43A. Yamuna Vihar. Delhi
16	NE	SI IP Convent School. C 12, Yamuna Vihar D 53	1104463	Educational Society For Weaker Section	F-l 14. Dilshad Colony, Delhi 95
17	NE	Arwachin International School Dilshad Garden	1106262	Arwachin Shiksha Samiti	No
18	NE	Fahan International School, between Block B2 & b-3, Yamuna Vihar.Delhi-53	1104402	Yamuna Vihar Kindergarten Education Society	C-I2/4I9, Yamuna Vihar. Delhi 110053
19	NE	Nav Jeevan Adarsh Public School, Gautampuri. Delhi-53	1105176	Nav Jeevan Adarsh Public Shiksha Samiti	Gali No. 8 Gautampuri. Delhi -53
20	South	Amity International School, Saket	1923285	Ritanand Belved Education Foundation.	A-21 House E-27. Ring Road. Defence Colony. New Delhi-24

21	South	The Pinnacle School, Punched Enclave	1925282	Babs Noronha Memorial Eduacuational & Social Welfare Society.	Block-D. Panchsheel Enclave, New Delhi-17
22	South Saket	Red Roses Public School.	1923340	R.R. Mchta Educational Trust,	A-86, Malviya Nagar, New Delhi-17
23	South	The Waulden Public School. Niti Bagh	1924147	Gabdoo Singh Memorial Educational Trust.	H-31, South Extension Part-I New Delhi-49
24	West-A	GUPS Hari Nagar	1514078	Shukho Khalsa Primary Education Soceity,	MS Block Hari Nagar
25	West-A	Guru Nanak Pulblic School Rajouri Garden	1515109	Gurudwara Shri Guru singh Sabha.	Nehru Market J- Block Rajouri Harden
26	West-A	Shadley Public School. Rajpuri Garden	1515105	Sachdeva Educational Society.	J-192. Rajouri Garden. New Ddhi-27
27	West-A	Mata Leclawanti Saraswati Vidya Mandir. Hari Nagar	1514115	Samarth Shikha Samiti. Mata Mandir Gali. Jhandewaln New Delhi	
28	West-A	Tagore Modern Public School Motia Khan	2128134	Tagore Academy Delhi	Tagore Academy Building 4833/XIII. Bara Tooti. Delhi-11006

1	2	3	4	5	6
29	West-B	Adarsh Public School. C- Block Vikas Puri	1618184	B.R, Memorial Society (Regd)Adarsh Public School.	C-Block, Vikaspuri. New Delhi.
30	West-B	Bal Vikas Public School. Paschim Vihar	1617182	Smt.Ganga Devi Edu. & Cul. Society,	A-52. Vishal Market.\eu Delhi 27
31	West-B	Bosco Public School. Sunder Vihar	1617176	Bosco Educational Welfare Society,	Pashimi Vihar. Guru Harkishan Nasar. New Delhi
32	West-B	Brain International School. Vikas Puri	1618180	Monarch Educational Society,	375 Dr. Mukherjee Nagar Delhi
33	West-B	Columbia Foundation School, Vikas Puri	1618245	Lala Amarnalh Verma Edu. & Human Society.	C-11 Vikaspuri New Delhi
34	West-B	DAV Public School. RBI Enclave, Paschim Vihar	1617187	DAV Public School.	Reserve Bank Enclave. Ring Road, Paschim Vihar.New Delhi-63
35	West-B	Divine Happy SSS Paschim Vihar	1617170	Shri Faquir Chand Suri Memorial Education Society.	C-1, New Krishna Park. Main Najagrah Road. New Delhi-110018
36	West-B	Doon Public School. Pashim Vihar	1617185	Abhinav Shiksha Sansthan (Regd.).	B-2/213, Paschim Vihar. New Delhi-63

37	West-B	Gurusharan Convent School. Pashim Vihar	1617204	All Saints Educational Society.	M-10. Guru Harkisan Nagar, New Delhi-110041
38	West-B	Holy Innocent Public School. Vikas Puri	1618232	Saraswati Educational Society.	B-3./I75. Janakpuri. New Delhi.
39	West-B	Inder Prastha Convent SSS Paschim Vihar	1618271	J.N.Edcuaiional Society.	WZ-D/101, East Ultam Nagar, New Delhi.
40	West-B	Kamal Public Sr. Sec. School. Vikas Puri	1618246	Kamal educational & Welfare Society (Rede).	D-Block. Vikaspuri.
41	West-B	Little Angels SSS. B05. Paschim Vihar	1617180	Little Angels Public School Society (Regd.).	B-l/70. Paschim Vihar. New Delhi-110063
42	West-B	Manila Modern Public School. Vikas Puri	1618183	Manila Modern Educational sociely (Regd),	15/01, Tilak Nagar. New Delhi.
43	West-B	MDH International School, Janak Puri	1618233	Mahashya Chunnilal Dharmarth Trust.	9/44, Industrial Area. Kirti Nauar. New Delhi
44	West-B	Neo Convent SSS. Paschim Vihar	1617140	Neo Guru Sikh Educational Socity,	A-258. Janak Puri. New Delhi 110058
45	West-B	New Delhi Public School. Vikas Puri	1618227	St. Tulsi Memorial Foundational Society.	Vikaspuri New Delhi

1	2	3	4	5	6
46	West-B	Prerna Public School. Vikas Puri	1618212	Vikaspuri Children Welfare & Educational Socieity.	No
47	West-B	Pusa Public School. Vikas Puri	1618199	Vidhya Educational Society,	P-26,South Extn. Part-II. New Delhi.
48	West-B	Rainbow SS School. Janak Puri	1618248	Diwan Chanel Memorial Educational Society(Regd),	C-3,Janakpuri. Neyv Delhi,
49	West-B	Rama Krishna Public School. Vikas Puri	1618166	Triveni Educational & Society Welfare Society.	C-1.169. Janakpuri. New Delhi.
50	West-B	Rich Harvest Public School, Janak Puri	1618179	Smt. Kaushalya Devi Memorial Fdun society	B-479. Meera Bagh. New Delhi-41
51	West-B	Richmond Global School. Paschim Vihar	1617162	Mala Krishanawanti Memorial Educational Society (Regd.).	C-1. G/1380, Janakpuri. New Delhi-110058
52	West-B	S S Mota Singh Public School Paschim Vihar	1617186	SS mota singh (NILA) Charitable Trust.	SS Mota Singh Marg. A 4C Janak Puri
53	West-B	S.L. Suri DAV Public School. Chander Nagar Vikas Puri	1618247	DAV College Management Committee for secondary school.	Budella, vikaspuri. New Delhi.

54	West-B	Shah International School. Ambika Vihar	1617178	Kanshi Ram Saha Memorial Educational Society,	Padam Singh Road. Jamia 1 louse. Karol Bagh. New Delhi.
55	West-B	Shiv Modern School, Pachim Vihar	1618259	Shiv Modern Edcuational Society,	WZ-68-A. Sam Garh. M.B.S Naijar. New Delhi-110018
56	West-B	St. Cecilia's Public School. Vikas Puri	1618236	Mem Kund Educational Society.	G-95 Mansarovcr Garden New Delhi
57	West-B	St. Froebel School, Paschim Vihar	1617184	Si.Froebel Education Society,	B-l/l 11. Paschim Vihar. New Delhi
58	West-B	St. Marks (iirls Public School. Meera Bauh	1617210	St.Marks Christian Educational Society,	Janakpuri Marg, C-l,Janakpuri, New Delhi-110058
59	West-B	Si. Marks SS Public School. Paschim Vihar	1617192	St.Marks Christian Educational Society,	Janakpuri Marg. C-l,Janakpuri, New Delhi-1 10058
60	West-B	St. Mary SSS. Paschim Vihar	1617172	Sarvajanik Sarvodaya Society.	27/17. Punjabi Bagh. New Delhi 26
61	West-B	St. Maihew Public School. Paschim Vihar	1617207	St. Mathew's Educational Society.	J-10/26. Rajouri Garden. New Delhi

1	2	3	4	5	6
62	West-B	St. Peters Convent School, Vikas Pari	1618231	Vikas Educational Society,	Flat no.l. 6-B, Tilak Market. Tilak Nagar New Delhi
63	West-B	Ved Vyas DAV Public School. Vikas Puri	1618229	DAV College Management Committee,	chitra Gupta Road, new Delhi-55.
64	West-B	Vishal Bharti Public School. A 1. Paschim Vihar	1617190	Modern Delhi Citicen Education Society,	4/6. Azad Market. Delhi-110006
65	West-B	CD. Goenka Public School, Paschim Vihar	1617179	St.Martin's Educational Society,	Krishna Bhawan. Flat-61/ 41 Road.Punjabi Bagh. New Delhi-110026
66	West-B	Jesus Marry Joseph School Paschim Vihar	1617221	Society of Jesus Mary & Joseph.	S/l 71. Sunder Vihar, outer Ring Road, New Delhi
67	SW-A	Bhatnagar International School Sec B Pocket X Vasant Kunj	1720145	Virendra Bhatnagar Sansthan	A-l. Ring Road. N.D.S.E-I
68	SW-A	Bloom Public School C-X Vasanl Kunj	1720169	Sundavvn Education Society	16-A/4. W.E.A-.Karol Bagh, N.D.5
69	SW-A	DAV Public School B-l Vasanl Kunj	1720148	DAV College Trust & Management Society	Arya Samaj Sec.-9, R. K. Puram

70	SW-A	Delhi Public SchoolSec C, Pocket 5 Vasant Kunj	1720149	Delhi Public School Society	R. K. Puram. N.D
71	SW-A	G.D Goenka PublicSchool Sec. B Vasant Kunj	1720133	G.R. Goenka Education Society (Regd.)	N-86. Connaught Place, N.D
72	SW-A	Masonic Public School Sec B Pocket 1 Vasant Kunj	1720155	Northern India Masonic Charitable Society (Regd.)	Freemason's 1 fall. Janpath. N.D
73	SW-A	Poorna Prajna Public School D-3. Vasant Kuni	1720138	Sri Admar Mutt Udupi Educational Council.	Block No.5 l.odhi Road. Complex. N.D
74	SW-A	Ryan International Public School Sec C Pocket 8. Vasant Kunj	1720141	St.Xavier's Education Trust	D-738. C'hitranjan Park. N. 1)
75	SW-A	The 1 leritage School D-ll Vasant Kunj. N.D	1720159	Shri K.D. Rajpal Educational Society	D-42. Boli Nagar. N.D
76	SW-A	Vasant Velley Sec-C. Vasant Kunj. N.D	1720124	Education Today	13. K-Block. Connaught Circus, N.D
77	NW-B	Aadharshila Vidyapeeth CD-Block Pitanipura. Delhi-34	1411244	St.Marks Christian Educational Society.	Janakpuri Marg, C-I.Janakpuri, New Delhi-110058
78	NW-B	Abhinav Public School Sector3 Rohini	1413244		

1	2	3	4	5	6
79	NW-B	Abhinav Public School CU Block Pitanipura	1411243	The Sarvajanik Sarvodaya Sociey(Regd.),	27 17 Punjab Bagh. New Delhi-110026
80	NW-B	Alok Bharti Public School. B-l. Sector-16	1413215	Akhil Bhartiya Gramin Swa Sangh (Regd.)	C-4/433, Sullanpuri, Delhi 41
81	NW-B	Apeejay School. Road No.42. Sainik Vihar Pitanipura	1411184	Vikas Educational Society,	Plat no.l. 6-B. Tilak Market. Tilak Nagar New Delhi
82	NW-B	Bal Bharti Public School. Sector-14. Rohini	1413222	Child Edn. Society	C/o Bal Bharti Public School. Ganga Ram Hospital Road. New Delhi
83	NW-B	Brilliants' Convent Pitampura	1411205	DAV College Management Committee,	Chitra Gupta Road, New Delhi-55.
84	NW -B	Cresent Public School Saraswati Vihar. Delhi-34	1411217	Modern Delhi Citizen Education Society.	4/6. Azad Market. Delhi-110006
85	NW-B	CRPI Public School. Rohini Sector 14 Rohini	1413243	St.Marlin's Educational Society.	Krishna Bhawan, l'lat-6l/ 4l Road.Punjabi Bagh, New Dellii-110026
S6	NW-B	DAV Public School. Ashok Vihar	1411186	Maav Shiksha Samiti.	C/o A-l. Ring Road, NDSE. Part-1. New Delhi

87	NW-B	DAV Public School. Sec-7. Rohini, Delhi	1413257	Dayanand Model School Educational Society.	Arya Samaj Premise, west Patel Nagar. New Delhi-08
88	NW-B	Decent Public School Sector-3 rohini	1413203	Decent Educational & Child Devlepment Society,	A-3/102 Sector-3. Rohini
89	NW-B	Delhi International Public School Sector-9 Rohini	1413277	Late Shri Bhihari l.al Educaiionl Society,	HD-14. Pilampura, Delhi-110088
90	NW-B	Delhi Public School Sector-24 Rohini	1413221	Delhi Public School Socien	F-Block, East of Kailash, New Delhi
91	NW-B	G.D. Goenka Public School. Sector 22 Rohini	1412249	The Lord Chaitanya Educational Society.	61 1-26. Sector-7, Rohini. Delhi 85
92	NW -B	Gita Ratan Jindal Public School Sector-7 Rohini	1413229	Rohini Education Society,	B-42. Main Road. Majlis Park. Delhi-33
93	NW-B	Glorious Public School Seclor-9 Rohini	1413274	Glorious Educational Society,	B-8, SFS Flats J-Pocket, Pitampura. Delhi-34
94	NW -B	Delhi International Public school. Sec- 3 Rohini	1413210	Sant Kabir Educational Society.	C-l/9. Model Town-III, Delhi
95	NW-B	Guru Nanak Public School. Pushpanjali Enclave Pitam Pura	1411212	Shri Guru Singh Sabha Society	Road No.50, Punjabi Bagh. New Delhi-26

1	2	3	4	5	6
96	NW–B	Happy Home Public School Sector-11 Rohini	1413204	Green Land Education Welfare Society.	G-22/339. Sector-7 Rohini
97	NW-B	Himalaya Public School. JP Block Pitampura	1411256	No	
98	NW-B	Jagannath International School. Pushpanjali Enclave Pitam Pura	1411193	Mother Gian Edn. Society,	F-1/U. Block, Pitampura. Delhi-34
99	NW-B	Jain Bharti Model school, E-Block Sector-16 Rohini	1413208	Sky Land Educational Society.	B-567. Avantika Sector-1 Rohini. delhi-85
100	NW-B	Lancer's Convent School, Preshanl Vihar	1111256	Anand Education Society.	Ashok Vihar-I. Delhi-52
101	NW-B	Little Fairy Public School Ashok Vihar Delhi	1411226	Mohan Memorial Educational Society.	Mohan Market. 11 - Kawal Park Azadpur. Delhi-33
102	NW-B	Maharaja Agarsain Adarsh Public School H- DU Block Pitampura	1411231	Sri Aggarwal Dharamshala Trust (Rcgd.)	Hardhyan Singh. Karol Bagh, Delhi
103	NW-B	Maharaja Agarsain Model School. CD Block Pitam pura	1411182	Sri Agrasen Edn. Society,	CD-Blk. Pitampura. Delhi

104	NW-B	Maharaja Agarsain Public School Ashok Vihar	1411187	Aggarwal Welfare Society.	D-Blk Ashok Vihar
105	NW-B	Manvi Public School Sector-7 Rohini	1413214	Shri Nand Lai Malik Memorial Education Society,	H.No. 329, Bharat Nagar. Double Storey. Delhi-52
106	NW-B	Merry International School Sector-7 Rohini	1413216	Merry International Educational & Charitable Socielv.	D-231. Prashant Vihar. Delhi-42
107	NW-B	MM Public School Vasuclha Enclave Pitampura	1411192	M.M. Public School Society.	Rani Bagh. Delhi-34
108	NW-B	Mother Divine Public School, Sector-3 Rohini Delhi-85	1413211	M.d. Memorial Charitable & Educational Society.	
109	NW-B	Indian Convent Public School Pitampura	1411197	Mother Land Edn. Society,	11-14. DSIDC Industrial Complex. Rohtak Road, Nangoli,Delhi-41
110	NW-B	Mount Abu Public School, Sector-5, Rohini	1413239	Mount Abu Educational Society.	Shalimar Bagh, Delhi
111	NW-B	N.K. Bagrodia Public School. Rohini	1413198	Seth Sagarmal Bagrodia Charatable Trust.	H.No-ED.81, VillageTagore Garden New Delhi-17
112	NW-B	Nav Bharti Piblic School Dipali Pitampura	1411200	Bharti Edn. Socicty (Rcgd.),	30/21. Shakti Nagar. Delhi-7

1	2	3	4	5	6
113	NW-B	KMT World School. Pitampura	1411220	Vidyapati Sansthan,	11-4 Pilampura, Delhi
1 14	NW-B	North Ex Public School Sector-3 Rohini	112127	Sharda Education Welfare Society.	C-585, Saraswati Vihar, Pitam, Delhi-34
115	NW-B	Prestige Convent School Sector-8 Rohini	141200	Shiv Shakti Education Society.	B-1193. Mangol Puri. New Delhi-83
116	NW-B	Prince Public School Sec-24 Rohini	141212	Prince Public School Sucicl.	Budh Vihar Delhi-11
117	NW-B	Queen Merry School Sector-25 Rohini	1413180	Mittal Educational Society.	15-16 Narender Bhawan. Azad Pur Delhi
118	NW-B	Raja Ram Mohan Roy Public School Sector-8 Rohini	1413184	Mohit Bal Vikash Parishad,	R-576 Rishi Nagar. Rani Bagh, Delhi-34
119	NW-B	Remal Public Sr. Sec. School Sector-3 Rohini	1413238	Rcmal Public School Society.	Block-A Pkt-2 Scctor-3 Rohini. Delhi-85
120	NW-B	Rising Star Academy 110. Raj Nagar Pitam Pura	1411209	Rising Star Academy Edn. Soeiety.	10/41. President's Estate. New Delhi-04
121	NW-B	Rockfield Public School Rohini	1413197	Rockfield Educational Society (read)	4C/21 Old Rajinder nagar. New Delhi

122	NW-B	Rose Merry Public School MD Block Pitampura	141110	Santa Cruz Edn. Society, SP-14. Maurya Enclave, Pitampura, Delhi-34	
123	NW-B	G.D. Goenka Public School. Sector 09 Rohini	1413275	S. Kirpal Education Society, (regd.).	1/2. Jai Dev Park, New Delhi-26
124	NW-B	Rukmani Devi Public School Sector-4 Rohini	1413241	Seth pokharmal Education Society.	1.11-39 Vaishakha Enclave, Pitampura.
125	NW-B Enclave,	Rukmani Devi Public School CD Block Pitampura	1411219	Seth Pokharmal Edn. Society.	LU-39 Vaishakha Pitampura. Delhi-34
126	NW-B	Ryan International School Sector-25 Rohini	1413189	St. Lawrance Education Society	Sector-C pkt-8 Vasant Kunj. Delhi-57
127	NW-B	S.D. Public School BU Block Pitampura	1411213	Sanatan Dharam Edn. Trust Read	East Punjabi Bagh, Delhi
128	NW-B	Sachdeva Public School FP Block Maurya Enclave Pitampura	1411221	Sri Laxman Das Sachdeva Memorial Edn. Society.	AN-3A. Shalimar Bagh. Delhi
129	NW-B	Sachdeva Public School. Sector-13 Rohini	1413217	Sri Laxman Das Sachdeva Memorial Edn. Society.	AN-3A. Shalimar Bagh. Delhi
130	NW-B	Spring Days Model School Ashok Vihar	1411229	Modelways Edn. And Welfare Society.	1A-62-B. Ashok Vihar. Phase-I. Delhi-52

1	2	3	4	5	6
131	NW-B	Spring Field School FD Block Pitampura Delhi	1411188	Sprinficld Edn. Society. Pitampura. Delhi.	E-l-U-51. Vishkha Enclave.Pilaiupiira
132	NW-B	St. Angle's School Sector-15 Rohini	1413253	Bal Shiksha Avam Bodhik Vikas Samiti.	101, Sharda Niketan Near Saraswati Vihar. Delhi-34
133	NW-B	St. Colombo Public School Pitampura	1411202	Edn. Society of Rani Bagh,	1006. Next to Gurudwara. Rani Baah. Delhi-34
134	NW-B	St. Giri Public School Seclor-3 Rohini	1413254	Goswatni Vidyapeeth Society.	1/15 West Patel Nagar New Delhi-8
135	NW-B	Si. Margaret Sr. Sec. School Prashant Vihar Rohini	1413219	St. Margarate Educationa Society	A-122. Nirankari Colony Delhi-09
136	NW-B	St. Prayag Public School 4/5 Pitampura Delhi 34	1411195	St. Prayag Edn. Society,	AE-41. Shalimar Bagh, New Delhi
137	NW-B	St. Stephen School PI 1 Block Pitampura, New Delhi-34	1411227	Gitlshan Edn. Society,	27. Raj Nagar, Pitampura. Delhi-34
138	NW-B	The Heritage School Seclor-23 Rohini	1413276	Lord Krishna Educational Society (reg)	52'9. Pkl C X, Sector-3 Rohini
139	NW-B	Titiksha Public School, Rohini	1413247	Titiksha Acadimic Society,	122/10. Bhola Nath Gali West Ghonda Delhi-53

140	NW-B	Vidya Bharti Public School Sector-15 Rohini	1413252	Bharti Educational Trust,	4 Ram Kishore Road. Civil Lines, Delhi-54
141	NW-B	Vidya Jain Public School Sector-6 Rohini	1413254	Vardhman Mahavira Education Society.	C-6/I7I, Lawrance Road, Delhi
142	NW-B	Vikas Bharti Public School, Rohini	1413196	Gugan Solanki Memorial Education Society (Regd)	TU-42. Pitampura. Delhi-34
143	NW-B	Vishal Bharti Secondary School Saraswati Vihar Pitampura	1411242	J. K. Saraswati Memorial Edn. Society.	260, Rajdhani Enclave. Rani Baah. Delhi-34
144	NW-B	VSPK International School Sector-13 Rohini	1413209	Giri Raj Education & Welfare Society.	28 Ground Floor, Indra Vihar, Delhi09
145	NW-B	Yuva Shakii Model School Sector— Rohini	1413248	Yuva Shakti Education Society (regd).	R-18. Budh Vihar Colony. Delhi-41
146	NW-B	Venkateshwar Global School, Sector-13, Rohini	1413289	Aslioka Educational & Welfare Society.	H.No.245. B-5. Sector-7, Rohini. Delhi-1 10085
147	NW-B	THE Sovereign School. Sector-24, Rohini	1413292	Rohini Education Society.	B-42. Main Road, Majlis Park. Delhi-33
148	NW-B	Indian Convent Public School, Sector-24. Rohini	1413278	Bhagwan Education Society,	AM-29, Shalimar Bagh Delhi

1	2	3	4	5	6
149	NW-B	Delhi International School, Sector-3 Rohini	1413210	Sr. Kabir Educational Society	C-l/9. Model Town-III. Delhi
150	NW-B	Maxfort School, Pitampura	1413291	The Tandon Edn. Society,	SD-65. Tower Apartment, Main Road Pitampura. Delhi
151	NW-B	Laurel High The Schol, Pitampura	1411254	Millenium Child Education Society.	129, Harsh Vihar, Pitampura, Delhi-34
152	NW-B	DE Indian Public School. Sector-24 Rohini	1413294	M.D. Education Society (R),	G-69, Ashok Vihar. Phase-I. New Delhi-52
153	NW-B	Himalaya Public School, Seclor-7 Rohini	1413207	Tandon Education Society,	B-9. Gujranwalan Town, Delhi-1 10033
154	NW-B	Maxfort School.Sector 23 (H2) Rohini	1413291	Mohini chandanani Charitable Trust.	Janakpuri. New Delhi
155	NW-B	PP Internation School ID-Block Pitampura	1411255	P.P. Charitable Trust.	2708. Bank Street. Karoal Bagh. New Delhi-110005
156	NW-B	Jagannath international School F-1/4 Vishakha Enclave Pitampura	1411190	Mother Gian Edn. Society,	Pitampura. Delhi

157	NW-B	Bal Bharti Public School. Parwana Road. Pitampura	1411223	Child Edn. Society	
158	NW-B	Himalaya Foundation (JP Block, Market. Pitam Pura)	1411256	Mata Thakur Devi Educational & Charitable Society.	212, Kamla Market. New Delhi
159	NW-B	Presidium School Ashok Vihar, Ph-ll	1411252	Jindal Cheritable Society.	Flat No. 2 Pkt-B-5. S.F.S Sector-S. Rohini, Delhi
160	NW-B	Rukmani Devi Public School. (Junior Wing) GD- Block. Pitampura. Delhi	1411257	Seth Pokharmal Edn, Society	LU-39. Vishakha Enclave, Pitampura. Delhi
161	NW-B	Adriel High School. Sec-24. Rohini	1413305	Mair Rajput Edu. Society,	11/4. Central Market, Ashok Vihar, New Delhi
162	NW-B	Tecnia International School. Sec-8. Rohini	1413281	Babson education society.	19. DDA market. A Block Saraswati Vihar. Pitampura. Delhi-34
163	SE	DAV Public School. Kailash Hills. East of Kailash. Delhi-10065	1925262	DAV College Managing Committee	chitra gupta road. Pahar Ganj, New Delhi-55
164	SE	Good Samaritan School, Sarita Vihar	1925346	The Good Samailans,	121. Mandakani Enclave, New Delhi-19

1	2	3	4	5	6
165	SE	Kalka Public School. Alaknanda	1925261	Kalka Educational Society.	M-3. Kalkaji New Delhi-19
166	SE	New Green Field, alaknanda	1925266	New Green Field Educational Society.	Marg-22. Saket New Delhi
167	SE	St. Giri Public school, Sarita Vihar	1925297	Goswami Vidyapeeth Society.	1/15 West Patel Nagar New Delhi-8
168	SE	Deepalaya School, Kalkaji Extn.	1925347	Deepalaya,	46 Institutional Area D-Block Janakpuri New Delhi
169	SE	G.D. Geonka Public School, J-Block. Sarita Vihar	1925427	Rai Bahadur Raghbir Singh Educational Soceily,	K-10, Kailash Colony. New Delhi
170	SW-B	Bal Bharti Public School. Sector 12, Dwarka	1821227	Child Education Society	c/o Bal Bharti Public School. Sir Ganga Ram Hospital Marg. ND-60
171	SW-B	Basava International School. Sector 23. Dwarka	1821222	Lord Basavcweshar Education Society.	Site-I. Sec-23, Dwarka, ND-75
172	SW-B	BGS International School. Sector 5. Dwarka	1821217	Sri Adichunchan giri Shikshana Trust (R).	CA-17, Vijay Nagar, Bangalore-560040.

173	SW-B	Delhi International School. Sector 23 Dwarka	1821210	Nav Jagrati Niketan Education Society.	18/42, Punjabi Bagh, New Delhi-26
174	SW-B	Delhi Public School. Sector 3, Dwarka	1821185	Delhi Public School Society.	Sector-12 R. K Puram
175	SW-B	ITL Public School. Sec 9. Dwarka	1821202	Vasudeva Educational Foundation Society,	211. Pralap Chamber, Gurdware Road, Karol Bagh, ND
176	SW-B	Indraparstha International School. Sector 10. Dwarka	1821180	Kama Devi Charitable and Educational Society.	larun Enclave ND
177	SW-B	J M International School, Sec 6, Dwarka	1821214	Ferry Educational Society,	236,Pockel-B, Sec-24, Rohini. Delhi -85
178	SW-B	Jinvani Bharti Public School, Sec 4, Phase 1. Dwarka	1821181	Palam Jain Edl. & Welfare Society.	WZ-577, Vill. & P.O. Palam, ND
179	SW-B	MDH International School. Sec 6, Dwarka	1821216	Mahasha Chunilal Charitable Trust.	C-l. Janak Puri. New Delhi-58
180	SW-B	Modern Convent School, Sec 4, Dwarka	1821190	Modern Charitable Foundation (regd.).	CP-13 Mayur Enclave Pitam Pura. Delhi-34
181	SW-B	N K Bagrodia Public School, sec 4, Dwarka	1821139	M.I.. Sethi Charitable Trust.	C-69. NDSE Part-ll. ND-49

1	2	3	4	5	6
182	SW-B	Paramount International, Sec 23, Dwarka	1821219	Delhi Sanskar Bharti Shiksha Samiti.	PU-108. Pitampura. New Delhi
183	SW-B	Pragaii Public School. Sec 13. Dwarka	1821193	Pragaii Educaiioinal & Welfare Society (reed.).	A-5-C/28A. Janakpuri. ND-58
184	SW-B	Queen's Valley Public School, sec 8. Dwarka	1821220	Durga Parvali Khailan Memorial Centre.	Site-B. Sec-8. Dwarka. Phase-I.N.D-77
185	SW-B	R D Rajpal Public School, sec 9,Dwarka	I821215	Arihanl Civic Services Society.	14/105. Rani Jhansi Road. ND
186	SW-B	Sachdeva Global Public School, sec I8A. Dwarka	1821221	Shri Lakshman Das Sachdeva Memorial Edl. Society (Reed.).	AN-3A. Shalimar Bagh. ND-85
187	SW-B	Sam International School, sec 12 phO 1. Dwarka	1821218	Lucky Education Society,	6/47. Punjabi Bagh (West). ND-26
188	SW-B	Saraswaii Model School, Sec 10, 1 hvarka	1821223	Bahubali Educational Socielv.	D-2A/60A. Janakpuri, ND
189	SW-B	St. Gregorios School, sec II. Dwarka	1821186	The Gregorian orthodox Church Society (Reud.).	B-2, Janakpuri. ND
190	SW-B	St. Mary's School, sec 19. Dwarka	1821188	St. Marry's Education Society	B-2. Safdarjung Enclave, ND-29

191	SW-B	Vandana International School, sec 10. Dwarka	1821205	Ved Edl. & Welfare Society.	19-20. K-l Extn. Mohan Garden. ND-59
192	SW-B	Venketshwar International School, sec 10, Dwarka	1821189	Sri Venkateshwar Education Society,	A1/29, Freedom FighterEnclave, IGNOU Road, New Delhi -68
193	SW-B	Vishwa Bharti Public School, sec 6. Dwarka	1821214	Vishwa Bharti Women's Welfare Institution,	Rainawarim Sri Nagar, J&K, Camp Office Secior-28. Aran Vihar. Noida
194	SW-B	Adarsh World School Sector 12 Dwarka. New Delhi-75	1821233	Sri Sankara Education Society.	211, Pratap Chamber. Gurudwara Road. Karol Bagh, Delhi
195	SW-B	Bal Bhavan International School Sector-12. Dwarka. New Delhi-75	1821230	Lagan Kala Upvan (regd.).	Phase-II. Mayor Vihar. N.D.-91
196	SW-B	Dwarka International School Sect.-l2.Dwarka. New Delhi-75	1821224	Radiant Educatioinal Society.	PU-l04. Piiampura. ND
197	SW-B	G. D. Gocnka Public School Sector lO.Dwarka, New Delhi-75	1821235	Lakhmi Chand Charitable Society.	Elephanta Lane. Behind Sec 10 6. Market. Sec-10. Dwarka, ND

1	2	3	4	5	6
198	SW-B	Gold Eield Public School Sec-10. Elephant lane. Opp. Plot No. 28-Cosmos Group House Scoeity, Dwarka. New Delhi-75	1821269	Sudiksha Association For Educational Advancement & Dissemination.	A-147. Majlis Park. Delhi.
199	SW-B	M.B.S. International Sector-11. Dwarka, New Delhi	1821259	Nav Bharti Educational Society.	H-162 DDA Flat. Ashok Vihar. Phase-1. Delhi-52
200	SW-B	Max Fort School Sector-7. Dwarka. New Delhi-75	1821225	Samarpit Edl. & Welfare Socielv.	Sec-7. Plol No.-9. Main Road. Dwarka. N.D.-89
201	SW-B	MR Vivekanand Model School Sect.-13 Dwarka. New Delhi-75	1821229	Shishu Nav Nirman Shiksha Samiti.	Mukh ram Park Estn., Tilak Naaar. ND-18
202	SW-B	N.K. Bagrodia Global School Sector-17. Phase-2. Dwarka. New Delhi-78	1821227	Scth Sagarmal Bagrodia Charatable Trust,	H.No.-ED.8l. Village Tagore Garden New Delhi-17
203	SW-B	Neo Great Mission Public School Sec-5. Dwarka. New Delhi.	1821273	Prabhas Educational and welfare society.	D-40, Sanjay Enclave. Rajpur Road. Uttam Nagar, New Delhi-59

204	SW-B	Nirmal Bhartia School Sector-14 Dwarka. New Delhi-75	1821226	Nirmal Society for Edn..	C-124, Okhla Industrial Area. PH 1. ND-20
205	SW-B	Opg World School Sector. 18. Dwarka.New Delhi	1821274	Chandra educational and welfare society,	B-94. Okhala Industrial Area. PH.-II. New Delhi-110005
200	SW-B	Presidium School Sec-16-B. Dwarka Phase-II.HAF. Poket-A, New Delhi	1821236	Florence Nightangle Educational Society.	HAF PK-2. Sec-1613. Dwarka. Delhi
207	SW-B	Presidium School Sec-22. Dwarka, New Delhi	1821270	Lata Sher Singh Jeevan Vigyan Memorial Trust Socielv.	Sec-22. Phase-1. Dwarka, New Delhi-1 10075
208	SW-B	Shreeram World School Sector-10. Dwarka. New Delhi	1821278	Mala Phoolan Wali educational Socielv.	Sec.-IO Dwarka. ND.
209	SW-B	Sri Venkateshwar International School Sector-18B, Dwarka, New Delhi-75	1821231	Diamond Educational & Welfare society,	Sec-18. Dwarka. Delhi
210	SW-B	The Indian Heights School Sector-23. Dwarka. New Delhi-75	1821238	Bhagwati Devi Foundation.	30. Naiwala, Karol Bagh, Delhi

1	2	3	4	5	6
211	East	Bharat National Public School.Ram Vihar. Delhi..	1001163	Bharat National School Education Society.	Parwana Road. Brij Puri Extn. Delhi
212	East	DAV Public School, Srestha Vihar. Delhi.	1001175	DAV. College Trust & Managing Committee.	C'hitra Gupl Road. New Delhi -55
213	East	DAV, Shaheed Rajpal Public, Dayanad Vihar	1001183	DAV. College Trust & Managing Committee.	C'hitraGupl Road, New Delhi -55
214	East	Vivekanand Public School. B-Block. Anand Vihar	1001181	Vivek Educalion Society,	East Vinod Nagar. Delhi
215	East	Vivekanand School. D-Block. Anand Vihar. 1001182	1001182	Vivekanand Shiksha Samiti	
216	East	Modern Public School. Rishabh Vihar. Delhi.	1001161	Adhunik Bal Siksha Samity,	29 Soulh Anarkali EXTN.
217	East	Laxmi Public School, Karkardooma. Delhi.	1003211	Laxmi Educational Society	M 83-84-85 Laxmi Nagar. Delhi-92
218	East	St. Joseph Acamcdy. Saviia Vihar. Delhi.. 1001167	1001167	St. Joseph Academy	Jawala Nagar
219	East	Guru Harkishan Public School, Hargovind Enclave. Delhi	1001185	Guru Sikha Gurudwara, Management Committee.	Rakab Ganj. N. Delhi

220	East	Nutan Vidya Mandir. AGCR Enclave. Delhi	1001209	Nutun Vidya Mandir Society	Gandhi Nagar. Delhi
221	East	Happy English School. Sharad vihar. delhi	1001213	Happy English School Education Society	CO-Op. House Building Society
222	East	New Oxford Public School. B Block Vivek Vihar. Delhi	1002271	Minocha Educational Society	C-263, Vivek Vihar. Delhi-95
223	East	Sai.Wan Public School. Kondli Gharouli Complex. Mayur Vihar. Delhi	1002268	Salwan Education Trust.	10, Murina Arcade. Con. Circus, N.D-I
221	East	National Victor Public School, IP. Extension. Delhi-92	1002270	Sarvidya Sishu Sikhsa Simiti.	B-204. Main Chowk, Maujpur, Delhi 53
225	East	Somervilie School Vasundhara Enclave. Delhi-96	1002272	Lot I. Carry Baptist Mission.	5. Ansari Riad. N. D.2
226	East	ASN Sr. Sec School Mayur Vihar. Pin 110091	1002273	Santan Diiaram Adarsh Shiksiia Sansthan	401. Jwala Nagar. Shahdra. Delhi
227	East	Plato Public School IP Extn. (Near Meena Apartments), Patparganj. 110092	1002274	Plato Education Society,	C-275, Vivek Vihar. Delhi

1	2	3	4	5	6
228	East	St. Andrews Scots. Sr.Sec. School I.P.Extn. (Patpargang) Delhi 11192	1002275	St. Andrews Scots. Education Society,	G-26. Jagat Puri. Delhi 51
229	East	Ahlcon Pub School Mayur Vihar. Pilasei. Delhi-91	1002276	Shanti Devi Progressive Education Society.	B-4/205. Safadarjang Enclave
230	East	Bal Bhavan Public School Pocket B, Mayur Vihar, PhaseII, Delhi 91	1002277	Lagan Kala Upvan.	IX-6633. Gandhi Nagar. Delhi-31
231	East	Mother Global Public School Cblock, Preet Vihar. Delhi92	1002278	Secular Educational Society,	G-97. Prcct Vihar. IXIhi-2
232	East	Preet Public Sec. School Bblock, Preet Vihar, Delh192	1002280	Preet Nagar Co-operative House Building Society Ltd..	FC26. Dallupura Vasundhara Enclave. Pin 110096
233	East	East Point School Fc26. Dallupura.Vasundhara Enclave. Pin 110096	1002281	East Point Education Society,	
234	East	Hillwood Academy	1002282	Harward India Society.	23. Chitra Vihar. Delhi-92
235	East	Adarsh Vidya Bhawan, IP extn. Patparganj, Delhi 92	1002283	Adarsh Vidya Sansthan.	F-278. Laxmi Nagar. Delhi-92

236	East	Mayur Public School I.P. Extn. Delhi92	1002284	Mayur Education Society (Regd.).	E-237. Last Vinod nagar. Delhi-91
237	East	Rishabh Public School Pocket IV. Mayur Vihar, Ph	1002285	Rishabh education society.	Pkt-IV Mayur Vihar-I. Delhi-91
238	East	Mayo International School PS5 IP EXTN.(institutional AREA), Patparganj Delhi-92	1002287	Lakhpat Shiksha Samiti (Regd.).	Munga Nagar. Karawal nagar Road. Delhi-94
239	East	Ryan International School Gharauli. Delhi 110096	1002316	Mother education society,	18 Hargovind enclave. Delhi-92
210	East	Vidya Bal Bhawan Public School Mayur Vihar Phase III	1002322	Ganga shiksha samiti.	MB-92 Master Block Shakarpur. Delhi-92
241	East	Evergreen Public School Vasundhara Enclave Delhi 96	1002346	Jyotimay Bal Shiksha Samiti	153 West Azad Nagar. Delhi-51
242	East	Mother mary's School Site No 1. Sahkarita Marg, Opp. OCS Apartment. Mayur Vihar. Phase I. Delhi 110091	1002353	Dr. Walia Charitable Trust.	G-60 Laxmi Nagar. Vikas Nagar, Delhi-92
243	East	Kala Niketan International School Residential Complex.	1002355	Shimla Education and Welfare Society.	1449/11 C Durgapuri Extension Delhi-53

1	2	3	4	5	6
		Gazipur Xing, ND24, Gazipur. Delhi-96			
244	East	Dashmesh Public School Vasundhara Enclave. Mayur Vihar. Phase II. Delhi	1002356	Dashmesh Education Society	C-Block Vivek Vihar. Delhi-95
245	East	Bharti Public School Kondli Mavur Vihar Phase III	1002357	Bharti Educational Trust	A-109. Radhey Shyam Park Exten Parwana Road. Delhi-51
246	East	Angels Public School Vasundhra Enclave	1002359	Shahdara Angels Educational Society.	3/39. Sahdev Gali Vishwas Nagar. Delhi-32
247	East	Amity International School Mayur Vihar.Phase I	1002361	Ritnand Balved Education Foundation ,	AKC House E 27. DefenceColony Ring Road. New Delhi-24.
248	East	Vivekanand Internalion School P.S. 3.IP. Extension, Paiparganj. Delhi92	1002364	St. Vivekanand Educational & Cultural Welfare Society.	St. No4 Vishwas Nagar, shahdara
249	East	Ahlcon internalion School Mayur Vihar Phasel, Delhi-91	1002365	Shanti Devi progressive education society.	B-4/205, Safadarjang Enclave
250	East	Vanasthali Public School,	1002375	All India Digamber Jain	2922/43 Beedan Pura

		Mayur Vihar, Ph.-III		Society.	Saraswatu marg. Karoal Bagh. New Delhi
251	East	New Oxford Public School B.Block (B122A)Vivek Vihar Delhi	1002271	Dr. Shakuntla Education Society.	C-263, Vivek Vihar. Delhi-95
252	East	Vanasthali Public School, Preet Vihar	1002371	All India Digamber Jain Society ,	2922/43 Beedan Punt Saraswati marg. Karol Bagh, New Delhi
253	East	St. Mary's Sr. Sec. School Pocket A2. Mayur Vihar Phase III Delhi96	1002321	Delhi Catholic Archdiocese ,	1 Ashok Place. New Delhi-01
254	East	Mountlitra Zee	100238-1	SSR Educational & Welfare Society.	S-2322. G.No.11. Raghubarpura No. 2. Delhi
255	East	Gautam Modern School	1002389	Pragya Educational & Cultural Society.	A-153. Kondli Delhi-96
256	East	Bharat Bharti Public School, U107 Shakerpur Ext.	1002264	Shivali Shiksha Sansthan.	U-158. Shakarpur Exten Vikas Marg. Delhi-92
257	East	Saai Memorial Public School. Geeta Colonv. Delhi	1003239	Saai Memorial Education Society (Regd.).	PKt-C. Scctor-4/318. Rohini. Delhi

1	2	3	4	5	6
258	East	Bal Mandir Sr. Sec. School. Defence End.. Vikas Marg	1003262	Bal Hakikat Shiksha Samili (Regd.)	Gali No. 16. Rajgarh, Delhi-31
259	East	Lovely Public Sr. Sec. school. P.D. Vihar. Delhi-92	1001198	Lovely Bal Shiksha Parishad (Regd.),	2/24, Geeta Colony. Delhi-31
260	East	St. Lawrence Convent. Geeta Colony. Facility Centre. Delhi-31	1003212	Gagan Education Society (Regd.),	192, Sainik Vihar. Pitampura Delhi-34
261	East	DAV Public School. Mausam Vihar. Delhi-51	1003206	DAV College Managing Committee.	Chitra Gupta Road. New Delhi
262	East	Bharti Public School. Swasthya Vihar. Vikas Mars	1003235	Bharti Educational Trust,	A-109 Radhcy Shyam Park Extn. Parwana Road. Delhi
263	East	Sch International School. New Rajdhani Enclave. Vikas marg. Delhi-92	1003247	Vaish Education Foundation.	3728. Kalra Dhoomimal, Churiwalan Delhi
264	NWA	AG DAV Public School. Model Town	1309234	DAV Collage Management Committee.	Model Town, Behind Police Quarters. Delhi-110009

265	NWA	Guru Teg Bahadur Public School. Model Town	1309189	Guru Teg Bahadur Public School Society	D-l/14. Model Town, Delhi-110009
266	NWA	Goodley Public School, Shalimar Bagh	1309197	Goodley Public Educational Society,	B.D. Block Shalimar Bagh 11 A-55, Shalimar Bagh. Paschimi, Delhi
267	NWA	Little fairy Public School. G.T.B. Nagar	1309229	Mohan Memorial Educational Society.	Mohan Market. 11- kawal Park Azadpur. Delhi-33
268	NWA	Mahaveer School. R.P. Bagh (minorety)	1309193	Mahaveera Foundation (regd).	Sangam Park Extcn G.T. Karnal Road. Delhi-33
269	NWA	Mount Abu Public School	1310418	Mount Abu Educational Society.	BJ(West). Shalimar Bagh, Delhi 52
270	NWA	Navjeevan School, G.T.B. Nagar	1309179	Navjeevan Society,	A-1632. Jhangir Puri Delhi
271	NWA	North Delhi Public School. Shalimar Bagh	1309178	Hari Ram Meorial Educational Society (R)	Co North Delhi Public School. B/A-54 (Paschimi) shalimar Baah. Delhi

1	2	3	4	5	6
272	NWA	Queen mary school Model Town (Minority)	1309238	No	No
273	NWA	Tagore Modern School. Shalimar Bagh		Integrated Child Development Social Welfare Society	4833 Deputy Ganj, Bara Tooti, Delhi-110006
274	NWA	The Srijan School			
275	NWA	DAV Centenary Public School. Sector-H-l Pocket1-5 DDA Nardil Project		DAV College Trust & Management Society,	Chitra Gupta Rd. Nev. Delhi 110055
276	NWA	St Marjanne Public School.	1304199	St Margaralc Fducaliuna Society	B-I.C Dhirpur Delhi-4

GOVT. OF NATINAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
(PRIVATE SCHOOL BRANCH)
OLD SECTT., DELHI-54

NO.DE.15(172) PSB/2016/12684-12695 Dated:- 09-01-2017

CIRCULAR

Sub: Admission Schedule for Entry Level Classes (Nurscry/KC/ 1st) for open seats in Private Unaided recognized Schools of Delhi for the session 2017-2018.

In partial modification of this Directorate's Circular No. DE.15 (I72VPSB/20I6/77 dated 19th December, 2016 on the subject cited above, the admission schedule shall be as under for the schools under reference:-

I. Admission Schedule

Sl. No.	Particulars	Time Schedule
1	Last date of submission of application form in schools	31-01-2017 (Tuesday)
2	Uploading details of children who applied to the school for admission under Open Seats	up to 10-02-2017 (Friday)
3	Uploading marks (as per point system) given to each of the children win applied for admission under Open seats	Upto 20-02-2017 (Monday)

Sl. No.	Particulars	Time Schedule
4	The date for displaying the first list of selected candidates (including waiting list)(along with marks allotted under Point System)	28-02-2017 (Tuesday)
5	Resolution of queries of parents, if any (by written/email/ verbal interaction) regarding allotment of points to their ward in the first list	01-03-2017 to 04-03-2017
6	The date for displaying the second list of selected candidates (if any) (including Waiting List) (along with mark-, allotted under point system).	15-03-2017 (Wednesday)
7	Closure of admission process	31-03-2017 (Friday)

Other contents of the circular dated 19th December, 2016 shall remain unchanged. This issues with the prior approval of the Competent Authority.

(DR. ASHIMA JAIN), IAS

ADDL. DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

Manager/HoS of
All concerned Private Unaided Recognized Schools of Delhi

NO.DE. 15 (172)/PSB/2016/684-12695 Dated: 09.01.2017

Copy to the:-

1. Secretary to Chief Minister. GNCT of Delhi.
2. Secretary to Minister of Education. GNCT of Delhi.
3. OSD to Chief Secretary. GNCT of Delhi.
4. Secretary (Education), Dte. of Education. GNCT of Delhi.
5. Director (Education). North/East/Souih Municipal Corporation of Delhi.
6. Director (Education). New Delhi Municipal Council.
7. Chief Executive Officer. Delhi Cantonment Hoard.
8. All Add). Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs. Dte. of Education. GNCT of Delhi.
9. All Branch In-charges. Directorate of Education. GNCT of Delhi.
10. OS (IT) with the direction to upload it on the Departmental Website.
11. Guard file.

(YOGESH PRATAP)

DY. DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-ORDINARY) GOVERNENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DIRECTORATE OF EDUCATION) OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

NO.F/DE/15/1031/ACT/2016/12668 Dated: 07/01/2017

NOTIFICATION

NO. F/DE/15/1031/ACT/2016/ 12668 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of Delhi School Education Rules, 1973, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following Order to amend the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-primary class) Order, 2007 published vide Order No. F/DE/15/1031/ACT/2007/7002 dated 24.11.2007, for the Private Unaided Recognized Schools of Delhi running on the land allotted by Delhi Development Authority/Other Government Land Owning Agencies, with the condition 'shall not refuse admission to the residents of the locality' or ' shall undertake to admit 75% of the students of the neighborhood and from the locality in which the school is located' or any other similar condition for ensuring the admission in neighborhood/locality, for conducting the admissions at Entry Level Classes i.e Pre-school/Nursery, Pre-primary/KG and 1st under the Open/General Seats (Other than 25% EWS/DG Category admissions mandated under Right to Education Act, 2009) in such Private Unaided Recognized Schools of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called

the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-primary Class) Amendment Order, 2017.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In clause 14, the following shall be added after sub-clause (vi) namely:-

(vii) Private Unaided Recognized Schools of Delhi running on the land allotted by Delhi Development Authority/Other Government Land Owning Agencies, with the condition 'shall not refuse admission to the residents of the locality' or ' shall undertake to admit 75% of the students of the neighborhood and from the locality in which the school is located' or any other similar condition for ensuring the admission in neighborhood/locality, shall admit the children in entry level classes on neighborhood criteria in the following manner.

(a) Criteria for Neighbourhood

(i) Admission shall first be offered to students residing within 1 km of the school.

(ii) In case the vacancy remains unfilled, students residing within 1 to 3 kms of the school shall be admitted.

(iii) If there are still vacancies, then the admission shall be offered to other students residing within 3 to 6 kms of the school.

(iv) Students residing beyond 6 kms shall be admitted only in case vacancies remain unfilled even after considering all the students within 6 kms area.

(b) Process of Admission within Neighbourhood

(i) The school shall declare the total number of seats for General Category (Total seats - EWS/DG seats) as per the guidelines prescribed by the department.

(ii) The school shall first segregate the applications having residence within the first neighbourhood range of 0-1 km.

(iii) Out of the total applications from the first neighbourhood range of 0-1 km, the school shall first give admission to all siblings.

(iv) If the applications of sibling category, in neighbourhood range of 0-1 km are in excess of the seats of General Category, the draw of lots of all sibling applications (which have residence within 1 km), shall be conducted to admit the students against the number of available seats.

(v) If the applications of sibling category within 0-1 km are less than the seats of General Category and if seats still remain vacant after exhausting sibling applications, the school shall admit the students on the basis of draw of lots from the remaining applications received under the neighborhood range of 0-1 km.

(vi) In case the total applications of 0-1 km is less than the number of seats of General Category, and vacancies still remain unfilled after exhausting the applications from the distance range of 0-1 km, the applications from the second distance range of neighbourhood of 1-3 kms shall be considered in the above manner.

(vii) If vacancies still remain unfilled after exhausting the applications from the distance range of 1-3 kms, the applications from the third distance range of neighbourhood of 3-6 kms shall be considered in the above manner.

(viii) Students residing beyond 6 kms shall be admitted only in case vacancies remain unfilled even after considering all the students within 6 kms after following the procedure as mentioned above.

(c) Regarding Minority Schools

Minority schools shall have the right to reserve seats for the students belonging to the minority concerned. The extent of seats reserved and admission procedure to be followed for reserved seats shall be publicized through their websites and notice boards. The process of admission for the reserved seats shall be fair and transparent. The remaining unreserved seats shall be treated as Open/General Seats and admission to these seats will be conducted on the basis of neighborhood limits as prescribed above in clause 14(vii) (a) & in the manner as prescribed in 14(vii) (b) above.

(d) Regarding Schools set up for the Specific Categories

The schools set up for the Specific Categories (such as schools set up for specific Government services like Armed Forces/Paramilitary Forces/Central Services/All India Services; schools set up for Children With Special Needs etc.) may reserve seats for admission of wards of specific respective segments. The extent of seats reserved and admission procedure to be followed for reserved seats shall be publicized through their websites and notice boards. The process of admission for the

reserved seats shall be fair and transparent. Such schools shall reserve 25 % seats for EWS/DG Category as mandated by Right to Education Act, 2009. The remaining seats shall be treated as Open/General Seats and admission to these seats will be conducted on the basis of neighborhood limits as prescribed above in clause 14(vii) (a) & in the manner as prescribed in 14(vii) (b) above.

(e) Regarding Feeder Schools

In view of the judgment of the Hon'ble High Court in WPC 3723/ 1997 and as circulated vide order dated 23.03.1999, the clause 14(vii) shall apply to the feeder schools of the main schools running on the land allotted by Delhi Development Authority/Other Government Land Owning Agencies, with the condition for ensuring the admission in neighborhood/locality (as specified in 14(vii) above) irrespective of the type of land on which such feeder schools are functioning.

(f) Regarding Management Quota

There shall be no Management Quota in admissions for the schools as specified in clause 14(vii) above.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(DR. ASHIMA JAIN, IAS)

ADDITIONAL SECRETARY, EDUCATION

NO. F/DE/15/1031/ACT/2016/ 12668 Dated: 07/01/2017

Copy to:

1. Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi
2. Secretary to Chief Minister, Delhi
3. Secretary to Dy. Chief Minister/Minister of Education, Delhi
4. OSD to Chief Secretary, Delhi
5. Secretary (Education), GNCTD
6. Director (Education), GNCTD
7. Directors (Education) South, North, East Delhi Municipal Corporations.
8. Director (Education), New Delhi Municipal Council.
9. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.
10. Director, Directorate of Information and Publicity, GNCTD
11. All Special Directors/Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs, Directorate, of Education, GNCTD
12. All Branch In-charges. Directorate of Education, GNCTD
13. OS (IT), with the direction to place it on the website of Directorate of Education.
14. Guard file.

(DR. ASHIMA JAIN, IAS)
ADDITIONAL SECRETARY, EDUCATION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION,
(PRIVATE SCHOOL BRANCH)
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No.F.DE.15 (315)/PSB/2016/12701-711 Dated: 09/01/2017

CIRCULAR

Subject: Guidelines for admission of EWS/DG Category at Entry Level Classes in Private Unaided Recognized Schools of Delhi for the session 2017-18,

1. **For Private Unaided Schools (Non-Minority) Recognized under Delhi School Education Act & Rules, 1973.**

   In continuation of this Directorates Circular no. 12430-35 dated 08-12-2016. Directorate of Education is facilitating admissions of EWS/DG category in Private Unaided Schools recognized under Delhi School Education Act & Rules, 1973 at the Entry Level Classes (Nursery/Pre-school, KG/Pre-Primary and Class-f) for academic session 2017-18 from 10-01-2017 by making ONLINE SYSTEM. The list of such schools is available on the departmental website under head EWS/DG ADMISSIONS 2017-18 -> List of schools recognized under DSEAR, 1973, which will be a part of these online admissions.

   Admissions of EWS (annual income less than one lakh rupees)/DG category (SC/ST/OBC Non-creamy layer/Physically Challenged/ Orphan and Transgender) shall be made through Computerized Lottery System in the said schools against 25% seats reserved for them under the provisions of Right to Education Act, 2009. Filling

of Unique Identification Number (Aadhaar Number) or Enrollment ID in r/o of the EWS/DG category candidate for online registration has been made compulsory for this session i.e. 2017-18.

All the Users/Applicants should visit Directorate of Education website www.edudel.nic.in and click the button EWS/DG ADMISSIONS 2017-18 for detailed information and instructions. Please read the instructions carefully before filling in the complete Registration Form/Application Form.

The online applications shall be accepted till 31-01-2017 (Tuesday). Further datelines of the online admission process will be issued time to time.

2. For Private Unaided Schools Recognized by this Directorate under Right to Education (RTE) Act, 2009 and Private Schools regulated by Local Authorities.

   (a) The schools up to Elementary Level recognized by Directorate of Education under RTE Act, 2009. schools up to Primary level recognized by Local Authorities and schools up to Primary Level recognized by this Directorate under RTE Act, 2009 now regulated by Local Authorities are not the part of this Online Admission Process for Academic Year 2017-18. These schools shall conduct admissions of EWS/DG category seats manually as being done in previous years as per schedule given below:-

Admission Schedule:-

Commencement of admission process.	10/01/2017 (Tuesday)
Commencement of availability of application for admission.	10/01/2017 (Tuesday)
Last date of submission of application form in schools.	31/01/2017 (Tuesday)

The date of displaying the first list of selected candidates (including waiting list).	28/02/2017 (Tuesday)
The date of displaying the second list of candidates (if any) including waiting list.	15/03/2017 (Wednesday)
Closure of admission process.	31/03/2017 (Friday)

(b) 25% seats shall be filled with the children belonging to EWS/ DG category as defined in the provisions of RTE Act, 2009 in the manner as prescribed in this Directorate's Notification dated 07-01-2011 and other orders / instructions issued in this regard form time to time.

(c) Admissions of the children belonging to Economically Weaker Section & Disadvantaged Group Category shall be made by the private unaided recognized schools on the following neighbourhood criteria.

(i) Admission shall first be offered to eligible students belonging to EWS and Disadvantaged Group residing within 1 KM of the specific school.

(ii) In case the vacancies remain unfilled, students residing within 3 KM of the school shall be admitted.

(iii) If there are still vacancies, then the admission shall be offered to other students residing within 6 KM of the school

(iv) Students residing beyond 6 KM shall be admitted only in case vacancies remain unfilled even after considering all the students within 6 KM area.

(Copy of the circular No. 15 (110)/DE/(Act)/2011/7563-74 dated 13/02/2012 issued in this regard in pursuance to Hon'ble High Court's order dated 31//01/2012 in WPC 636/2012 & 40/2012 enclosed as Annexure-I)

****However, Schools shall accept forms from all applicants under EWS & Disadvantaged Group Irrespective of distance of residence from school, and then segregate them slab-wise as mentioned above for draw of lots.**

(d) 25% admissions to children belonging to Economically Weaker Section & Disadvantaged Group category at entry level classes i.e. pre-school/nursery, pre-primary/KG and Class- I, wherever fresh admissions are made, shall be granted by the Private Unaided Recognized Schools of Delhi. They shall ensure the admissions of 25% children belonging to EWS/DG Category at all entry level classes on the existing strength of students in respect of entry level classes at any given point of time. (Copy of the circular No. 2393-2004 dated 04/06/2012 issued in pursuance of Delhi High Court's Order dated 24-05-2012 in WPC 8434/2011 enclosed as Annexure-II).

(e) The Directorate of Education has devised a Common Registration Form for admission under EWS & Disadvantaged Category and the same is uploaded in the scroll on the official website of Directorate of Education i.e. www.edudel.nic.in for the benefit of such schools as well as the applicants. (Copy of the same is enclosed as Annexure-III). All such schools are directed to use the said format only by downloading the said form or using a printed version of the application form. Parents may get the Common Registration

Form from the schools or may download the same from the above mentioned website. Every school shall ensure that the Registration forms in the prescribed proforma are made available free of cost to all applicants under EWS & Disadvantaged Group Category without any barrier/hindrance.

(f) The school shall acknowledge the application for admission against free seats through a proper receipt and shall assign each application a registration number. The Registration-Slip (Annexure-IV) shall also indicate the date(s) of display of list of eligible candidates for draw, date(s) of draw, date(s) of display of list of successful candidates including waiting list and last date of admission.

(g) In case, the application of any child is found not to be in order and is rejected, the reasons for its rejection shall be recorded and communicated to the parents.

(h) **Observers for draw of lots of EWS & Disadvantaged Group Category:** Directorate of Education will provide observers for draw of lots of EWS & Disadvantaged Group category only like previous years. The instructions issued in this regard vide Circular No. F.DE./15/PSB/2013/6621-28 dated 22-01-2013 shall be followed strictly. (Copy of the circular enclosed as Annexure-V)

(i) After completion of admission process, each school shall send information/details regarding the number of filled and vacant seats under EWS & DG category at Entry Level Classes to the Chairman of the District Admission Monitoring Committee/Deputy Director of Education of district concerned by 1600 hours on 07-04-2017. Simultaneously, the details shall also be provided on the online

module available on this Directorate's website:- www.edudel.nic.in. All DDEs of the districts shall compile the said data (Number of filled and vacant seats of EWS/DG Category) zone-wise and forward the same to Private School Branch (PSB) on 13/04/2017 for taking further necessary action.

(j) The admission to such vacant seats of EWS/DG Category is an ongoing process which may continue throughout the academic year and the District Admission Monitoring Committee has been empowered to get filled such vacancies and can take steps as per the direction contained in sub-clause (d) of this Directorate's notification No. 15(172)/DE/Act-1/2010/69 dated 07/01/2011 and Rule 13 of Delhi Right to Education Rules, 2011 (Annexure-VI)

Any person residing in Delhi, having the residence proof of Delhi and requisite Income Certificate (less than one lakh rupees annually) issued by the Revenue Department of GNCTD or BPL/AAY (ration card)/Food Security Card holder are eligible for applying in these Private Unaided Recognized Schools for admission of their ward under Economically Weaker Section Category, The condition of minimum residency period of 03 years in Delhi for applying to admission under Economically Weaker Section & Disadvantaged Group Category has been waived off. (Copy of Circular No.DE-15/Act-lAA/PC No.3168/ 13/2013/11734-11738 dated 14/11/2013 issued in pursuance of Hon'tie High Court of Delhi Order dated 07/10/2013 in WPC No.3168/2013 enclosed as Annexure-VII).

Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Class Non-Creamy Layer, Children With Special Needs and suffering from the Disabilities as defined in the Persons With Disabilities Act,1996,

Orphans and Transgender shall be considered as Disadvantaged Group Category as defined in Section 2 (d) of the RTE Act-2009. (Income Certificate is not required to claim the benefit of DG Category) (Copy of notification and instructions No. F. 15(172)/DE/Act/2010/4926-40 dated 17/10/2012 in r/o 'Orphan' & and notification dated 09/10/2014 in r/o Transgender are enclosed as Annexure-VIII & IX)

The minimum age limit for the children to be admitted at the entry level classes as on 31/03/2017 is as under:

For Nursery/Pre-School	-	Minimum 3 years.
For KG/Pre-Primary	-	Minimum 4 years.
For Class I	-	Minimum 5 years.

For any grievance relating to admission process in EWS/DG category, complaints or queries may be registered at the link http://doepvt.delhi.qov.in or at helpline numbers 8800355192 & 8800355146 (between 10.00 AM to 5.00 PM on Monday to Friday).

All the above directions are issued for strict compliance by all concerned. Non compliance of the order shall be viewed seriously

This issues with the approval of competent authority.

(DR. ASHIMA JAIN, IAS)

ADDITIONAL DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

Managements/H.O.S of Private Unaided Recognized
Schools All DDEs (Districts)

No.F.DE.15(315)/PSB/2016/12701-711 Dated: 9/Jan/2017

Copy to:-

01. Pr. Secretary to Chief Minister, Delhi.

02. Secretary to Dy. Chief Minister/Minister of Education, Delhi

03. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.

04. Secretary (Education), Directorate of Education, GNCT of Delhi.

05. Director (Education), SMCD, NMCD & EMCD.

06. Director (Education), New Delhi Municipal Council.

07. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.

08. All Special/Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs. Directorate of Education, GNCT of Delhi.

09. All Branch In-charges, Directorate of Education. GNCT of Delhi.

10. OS (IT) to upload it on the Departmental website.

11. Guard file.

(YOGESH PRATAP)

DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

25. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उपमुख्यमंत्री**/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा 18 जनवरी 2016 को 9623 अधयापकों की भर्ती के आदेश जारी किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा इन अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया आदेश के उपरान्त तुरंत जारी की जानी चाहिए थी;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अभी तक इनकी भर्ती की प्रक्रिया तक आरंभ नहीं कर पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जाएगी?

उपमुख्यमंत्री : (क) शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 1 8.01.2016 के आदेश द्वारा अधयापकों के 9623 नवीन पद सृजित किये गये हैं।

(ख) से (ङ)

1. शिक्षा विभाग में पी. जी. टी. तथा टी. जी. टी. पदों के भर्ती नियमों के अनुसार 75% रिक्तियां पदोन्नति द्वारा तथा 25% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने का प्रावधान है।

2. शिक्षा विभाग पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए प्रयासरत है।

3. सीधी भर्ती के कोटे की रिक्तियों को भरने के लिये केबिनेट निर्णय

संख्या 2269 निांक 4.12.2015 के अनुसार M/s Edcil India limited के द्वारा भर्ती परीक्षा करायी जानी है।

4. यह मामला प्रक्रियाधीन है।

26. **श्री गिरीश सोनी** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की मादीपुर विधान सभा क्षेत्र के 102-एन, रघुवीर ख्याला पुलिस थाने के सामने की खाली भूमि पर विद्यालय बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) यह विद्यालय कब तक बनाना शुरू हो जाएगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में सरकार की मॉडल स्कूल खोलने की भी कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि बसई दारापुर में रमेश नगर के समीप खाली पड़ी भूमि पर भी सरकार की कोई शिक्षण संस्थान खोलने की योजना है;

(छ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार की इस भूमि को सार्वजनिक पार्क या समाज कल्याण के किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग में लाने की कोई योजना है; और

(झ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

उपमुख्यमंत्री : (क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के 102 एन रघुवीर नगर

खयाला पुलिस थाने के सामने की खाली भूमि शिक्षा विभाग को आबंटित नहीं है। अत: वर्तमान में विद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार अब सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने पर कार्य कर रही है।

(च) और (छ) बसई दारापुर में रमेश नगर के समीप खाली पड़ी भूमि शिक्षा विभाग को आबंटित नहीं है। अत: वर्तमान में विद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

(ज) और (झ) उपरोक्तानुसार।

27. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में 30.09.2007 तक 'हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम' के तहत कुल स्वीकृत और बांटे गए फंड के आवेदकों के बैंकों का खातावार विवरण सहित प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत धनराशि, अस्वीकृत राशि और शेष बची राशि का विवरण दें;

(ख) क्या स्वीकृत की गई धनराशि पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए है;

(ग) इस योजना के तहत 30 दिसंबर, 2016 तक 7.5 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम ऋण पाने वाले छात्रों की संख्या का विवरण दें;

(घ) दिल्ली सरकार की वेबसाइट http://studentloan.delhi.gov.in के माधयम से ऋण के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या का विवरण दें;

(ङ) वर्ष 2015-16 के अंतर्गत इस योजना के विज्ञापनों परव्यय राशि का विवरण;

(च) क्या यह सच है कि पब्लिक सैक्टर बैंक की कुछ चुनिंदा शाखाएं ही विद्यार्थियों को यह ऋण प्रदान कर रही हैं?

उपमुख्यमंत्री : (क) 'हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमैंट गारंटी स्कीम' के तहत लोन देने का काम बैंक करते हैं और सरकार आवेदक छात्र की गारंटी लेती है। ताकि उसे किसी तरह की को-लेटरल गारंटी न देनी पड़े।

वित्त वर्ष 2016-17 में विभिन्न बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोन के रूप में 30.09.2016 क 332 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें कुल 3.29 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई। विस्तृत जानकारी अनुलग्नक 'क' में है।

(ख) बैंकों द्वारा आवेदक छात्रों द्वारा मांगी गई समय अवधि के अनुसार लोन स्वीकृत किया जाता है।

(ग) इस योजना के तहत 30 दिसंबर, 2016 तक 7.5 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम ऋण पाने वाले छात्रों की संख्या 03 है।

(घ) दिल्ली सरकार की वेबसाइट http://studentloan.delhi.gov.in के माधयम से 16.01.2017 तक ऋणव के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या 405 है।

(ङ) सूचना एवं प्रसार निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के विज्ञापनों पर रूपये 30,04,115/- का व्यय हुआ है।

(च) पब्लिक सैक्टर के 13 बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा, जिसका विवरण वेबसाइट http://studentloan.delhi.gov.in पर उपलब्ध हैं, ऋण प्रदान किया जा रहा है।

ANNEXURE - 'A'

Details of approved application

Sl. No.	Application Number	Name	Santioned Loan Amount	Bank Name
1	2	3	4	5
1	30050000000005	Manju Rana	245000	SBI
2	30050000000008	Akhil Garg	210000	Canara Bank
3	30050000000010	Shubham Saxena	700000	Vijaya Bank
4	30050000000011	Gitesh	194000	SBI
5	30050000000014	Shivam Yadav	187624	SBI
6	30050000000019	Harshit Maheshwari	190000	SBI
7	30050000000020	Ritika Bansal	241000	SBI
8	30050000000021	Neeraj	565000	SBI
9	30050000000024	Aakashyadav	581000	SBI
10	30050000000027	Deepak	285000	SBI
11	30050000000028	Achal Kumar	485000	Canara Bank
12	30050000000033	Saquibsiddique	198000	SBI
13	30050000000034	Sajalsaha	180000	SBI
14	30050000000036	Deepak Saini 628000	Vijaya Bank	
15	30050000000040	Mukul Mathur	645000	Union Bank
16	30050000000041	Deepak Malik	750000	Allahabad Bank
17	30050000000043	Prince Verma	530000	Sydicate Bank

1	2	3	4	5
18	30050000000046	Abhishek Arora	278460	Allahabad Bank
19	30050000000052	Surya Kumar	411000	SBI
20	30050000000054	Pankaj Singh	565000	SBI
21	30050000000055	Shekhar	600000	Sydicate Bank
22	30050000000056	Aditi Kachhwah	100000	SBI
23	30050000000058	Krishan Sethi	108000	SBI
24	30050000000059	Ankit Kumar Sah	338460	SBI
25	30050000000061	Sachin Dubey	144124	Vijaya Bank
26	30050000000065	Ankit Sharma	230000	Vijaya Bank
27	30050000000071	Devesh Yadav	1000000	SBI
28	30050000000073	Aryan Jogia	651000	Allahabad Bank
29	30050000000081	Sahil Kumar Singh	285000	SBI
30	30050000000082	Vishal Singh Rana	325000	SBI
31	30050000000088	Taniya Kashyap	40650	Vijaya Bank
32	30050000000090	Jeevan Prakash	300000	SBI
33	30050000000092	Ketan Mahajan	139000	Vijaya Bank
34	30050000000094	Vineet Kumar	363000	SBI
35	30050000000096	Gaurav Kumar	92062	Vijaya Bank
36	30050000000097	Sumit Bharti	94000	Vijaya Bank
37	30050000000099	Naman Gupta	260700	SBI
38	30050000000104	Parth Gupta	300000	Union Bank
39	30050000000106	Sahdeep Singh	260700	SBI

1	2	3	4	5
40	30050000000109	Mayank Rastogi	745000	Vijaya Bank
41	30050000000112	Sumit Sharma	83737	SBI
42	30050000000113	Vandanachauhan	142000	Allahabad Bank
43	30050000000115	Bijender Singh Chauhan	480000	Allahabad Bank
44	30050000000118	Riddhim Pant	110000	Vijaya Bank
45	30050000000120	Himanshu Pal	194500	Bank of Baroda
46	30050000000122	Nishita Bajaj	285500	Canara Bank
47	30050000000125	Abdussamad	142000	Vijaya Bank
48	30050000000126	Arun Singh	257000	SBI
49	30050000000129	Sumitra	180000	SBI
50	30050000000130	Shivani Verma	400000	Vijaya Bank
51	30050000000133	Naveen	270000	SBI
52	30050000000138	Rajbeer Singh	71000	SBI
53	30050000000149	Suraj	300000	SBI
54	30050000000150	Vilakshan Mehta	400000	Vijaya Bank
55	30050000000153	Palash Upadhyay	233500	Vijaya Bank
56	30050000000156	Deepak Kumar	329500	Bank of Baroda
57	30050000000161	Deepanshu Singh	815000	SBI
58	30050000000163	Shekhar Suman	400000	Vijaya Bank
59	30050000000166	Divyansh Thakur	565000	SBI
60	30050000000167	Yashika	414000	SBI
61	30050000000175	Amogh Manuja	372000	SBI

1	2	3	4	5
62	30050000000177	Himanshu Singh	700000	Vijaya Bank
63	30050000000181	Shashikant Sharma	282000	Sydicate Bank
64	30050000000183	Nishank Dawar	300000	Sydicate Bank
65	30050000000187	Avinash Singh	358000	Vijaya Bank
66	30050000000188	Bharat Batra	650000	Vijaya Bank
67	30050000000199	Hardik	147000	SBI
68	30050000000200	Ankit Jindal	378000	SBI
69	30050000000207	Raju Kumar	412000	Allahabad Bank
70	30050000000216	Kartik Madan	447800	Vijaya Bank
71	30050000000220	Purtika	94000	Allahabad Bank
72	30050000000222	Sunny Soni	418000	Sydicate Bank
73	30050000000223	Jahanavi	66200	Vijaya Bank
74	30050000000224	Mayan Kgoyal	97250	SBI
75	30050000000226	Gurpreet Singh	387000	SBI
76	30050000000236	Rahul Singh	273000	SBI
77	30050000000238	Nitesh Sharma	298600	SBI
78	30050000000256	Anshul	99500	Sydicate Bank
79	30050000000260	Sunil Kumar Singh	437000	SBI
80	30050000000261	Aparna Tyagi	215000	Sydicate Bank
81	30050000000268	Yatharth Bajaj	145000	Sydicate Bank
82	30050000000271	Pallavi Thakur	120000	Vijaya Bank
83	30050000000273	Shreya Chand	560000	SBI

1	2	3	4	5
84	30050000000275	Mayank Sharma	487000	SBI
85	30050000000286	Jasjit Singh	140000	Union Bank
86	30050000000288	Salonigarg	332000	Vijaya Bank
87	30050000000290	Mohd Faiz Anwar	100190	SBI
88	30050000000297	Aqil Ahmad	621000	SBI
89	30050000000303	Ayush Kumar Vaish	400000	Vijaya Bank
90	30050000000305	Sindhu Sharma	250000	Sydicate Bank
91	30050000000306	Simran Dua	430000	SBI
92	30050000000308	Anshul Tripathi	283000	Allahabad Bank
93	30050000000309	Rohit Khatta	581000	SBI
94	30050000000324	Prateeksoni	550000	Allahabad Bank
95	30050000000326	Shivanisinha	609000	Vijaya Bank
96	30050000000327	Mala	225000	Sydicate Bank
97	30050000000332	Vinik Kumar	112000	Vijaya Bank
		Total Loan Amount	32896057	

Head of Office

Directorate of Higher Education

5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सत्येंद्र जैन जी, परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं :

I. Annual Reports of DTC for the years 2012-13, 2013-14 & 2014-15 (English & Hindi Version).

II. Review of the working of DTC for the years 2012-13, 2013-14 & 2014-15 (English & Hidni Version).

III. Annual Report of Delhi Power Company Ltd. (DPCL) for the year 2014&15 (English & Hindi Version).

Annual Report of Delhi Electricity Regulatory Commissio (DERC) for the year 2015&16 (English & Hindi Version).

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष महोदय : अब सुश्री राखी बिड़ला जी व अमानतुल्लाह खान प्रश्न व संदर्भ समिति के विशेष प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

उपाधयक्ष महोदया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति सेप्रश्न एवं संदर्भ समिति का विशेष प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं, धन्यवाद[2]।

1पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–14456–60
2पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–14452–53

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब हो गया।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। 280 श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सत्येंद्र जैन जी से एक रिकवेस्ट है ये पुस्ता रोड जाती है; एक हमारे लक्ष्मी नगर विधानसभा जो है, उससे चिपका हुआ पूरा का पूरा है तो जहां पर आईटीओ का पुल क्रॉस होता है और वहां से लेकर गीता कॉलोनी तक, अनिल बाजपेयी जी यहां पर नहीं हैं, वो पूरी की पूरी रोड अभी नई रिपेयर हुई है, कोई नई टेकनीक से रिपेयर हुई है, बहुत पतली सी उसके ऊपर एक पूरी की पूरी लेयर लगी थी, उसके ऊपर या तो ट्रैफिक जल्दी चलवा दिया या क्या किया, उसमें टायर्स के गड्डे पड़ गए हैं, पूरी रोड़ ऐसी हो गई है और ये होता है कि कोई भी छोटा व्हीकल जैसे कि स्कूटी या जो आजकल बहुत चलते हैं, वो टायर्स के जो निशान बन गए हैं उसके बीच में फंस जाते हैं। वो उससे निकल भी नहीं पाते और स्किड होते हैं बहुत ज्यादा और वहां पर कई लोग गिर गए हैं, कई लोगों को चोट आई है और किसी भी तरीके की मार्किंग भी अब उस रोड पर नहीं है। पूरी की पूरी रोड ऐसे ही हो गई है तो एक बार इसको सत्येंद्र जी देख ले और उस रोड को अगर ठीक से, अच्छे से बनवा में तो बड़ी कृपा होगी।[1]

अध्यक्ष महोदय : सौरभ भारद्वाज जी, आज बड़े लक्की है आप। आपके दो-दो जा रहे हैं।

सौरभ भारद्वाज : जी, अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन का ध्यान लगभग 6-7 बार म्युनिसिपल कोरपोरेशंस की स्ट्राइक जो हो गई हैं, हो रही हैं और राजनैतिक कारणों से जो स्ट्राइकर्स कराई जा रही है, उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, बार-बार दिल्ली के अंदर जब से नई सरकार बनी है बार-बार सेनिटेशन वर्कर्स की स्ट्राइक दिल्ली के अंदर कराई जाती है। इससे पहले बहुत कम कभी सुनने में आता था कि इस तरीके की स्ट्राइक्स दिल्ली के अंदर हो रही हों और बार-बार जब भी स्ट्राइक्स होती हैं, एमसीडी की जो पोलीटिकल लीडरशिप हैं, वो इसका पूरा का पूरा दोषारोपण दिल्ली सरकार के ऊपर करती है, हर बार ये केसिस हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज को सुनते हैं और इसके अंदर जो एमसीडी के ऑफिशियल्स की तरफ से ऐफिडेविट दर्ज किए जाते हैं, उसके अंदर अलग बात कहीं जाती है और एमसीडी की जो पॉलीटिकल लीडरशिप है; चाहे वो ईस्ट एमसीडी हो, चाहे वो नोर्थ एमसीडी हो, इनके मेयर हों, या इनकी स्टैंडिंग काउंसिल के कमेटी के चेयरमैन हों, वो बाहर आकर अखबारों में, मीडिया के अंदर ये बयान देते हैं कि दिल्ली सरकार उनको फंड नहीं दे रही है जिसक कारण सेनेटेशन वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : सौरभ जी, आपका नोटिस भी प्राप्त हुआ है कॉर्पोरेशन से संबंधित, उसमें चर्चा करिए ना। मेरा ये आग्रह है आपसे। ज्यादा उचित रहेगा।

श्री सौरभ भारद्वाज : जी-जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। तो ज्यादा सदस्यों का नंबर आ जाये इसलिए मैं कह रहा हूं। श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : मैं नियम 280 के अंतर्गत दिल्ली के शहरीकृत गांवों की दुर्दशा का उल्लेख करना चाहता हूं। तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में वजीराबाद, विराम घाट, गोपालपूर, मलिकापुर, ढका आदि अबर्नाइज्ड विलेजेज हैं, जिनकी स्थिति बहुत नारकीय बनी हुई है। इस संदर्भ में दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ नीतिगत सुधार की आवश्यकता है जिसका मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा। एक रूरल डवलपमैंट बोर्ड है जो कि केवल रूरल विलेजेज है, वहां काम करता है, ट्रांस जमुना बोर्ड अपने भौगोलिक परिसीमा है और जो अर्बन डवलमैंट है, हालांकि वो एक इन्सीट्यूशन है लेकिन उसकी भी अर्बनाईज विलेजेज के लिए कोई स्कीम या कोई बजटीय एलोकेशन नहीं है। ये पूरा जो क्षेत्र है, उसका रख-रखाव एमसीडी के अंतर्गत आता है लेकिन जैसा कि एमसीडी की वित्तीय स्थिति है, उसके अंतर्गत वहां विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शहरीगत गांवों की स्थिति बिल्कुल अनाथ जैसी हो गई है और इन शहरीकृत गांवों में नालियों और सड़कों की स्थिति ऐसी है कि वहां चिकनगुनिया, मलेरिया का हर वर्ष रोगों का एक स्थाई अड्डा बन गया है। शहरीकृत गांवों की स्थिति असल में झुग्गियों से भी बदतर हो गई है। क्योंकि वहां भी एक तरह से डुसिब के माधयम से काम हो पा रहे हैं। इन शहरीकृत गांवों के मूल अभिलेखों की भी स्थिति बहुत खराब है जिसकी वजह से यहां जितनी भी सार्वजनिक जमीनें है, उस पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। विधान सभा की पिछली बैठक में भी इस पर संज्ञान लिया गया था लेकिन मेरा अनुरोध है कि कोई भी सरकारी विभाग शहरीकृत गांवों की सार्वजनिक जमीनों पर कब्जों को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा प्रश्न है और मेरा सुझाव है कि क्या एक अर्बनाइज विलेजेज डवलपमैंट बोर्ड की स्थापना करना समाचीन होगा, उचित होगा, समय की मांग होगी।

दूसरा, इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन हो, समयबद्ध हो, अगले वित्त वर्ष में इसकी पर्याप्त योजना हो। जब तक इस बोर्ड की स्थापना हो तब तक अभी के लिए भी मेरा अनुरोध रहेगा बजट निर्माण का समय है, आगामी वित्त वर्ष में कुछ ना कुछ बजट अर्बन डवलपमैंट मिनिस्टरी के माध्यम से जरूर आवंटित हो जिसमें न्यूनतम काम जो कि बहुत जरूरी हैं, वो इन अर्बनाईज विलेजीज में हो सके, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : धन्यवाद सर, आपने मुझे नियम-280 के अंतर्गत अपनी बात कहने का मौका यिा। अपना मामला रखने से पहले दो वाक्य में अपनी बात कहना चाहूंगा कि पूरी विधान सभा को, पूरे देश को सर्वज्ञ दानी साहिब श्री गोविंद सिंह जी के 350 साला प्रकाशोत्सव पर बहुत-बहुत बधाई हो। और दूसरी बात हमारे नये चुने हुए हमारे एलजी साहब पूरी विधान सभा, पूरी दिल्ली सरकार उनका दिल से अभिनंदन करती है, अपनी सरकार का प्रतिनिधि बनाती है उनको और ये भी उम्मीद चाहेंगे कि वो।

अध्यक्ष महोदय : भई, ये विषय इसके अंतर्गत नहीं है प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : दिल्ली के सारे जितने भी काम है वो जल्दी से जल्दी करवा दें ताकि दिल्ली की जनता जो इतने दिन से त्रस्त थी, वो सारे काम अच्छे से हो पायें।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, अब विषय पर आ जायें प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : सर, 280 में मुझे एक छोटी सी बात रखनी थी। एसडीएमसी ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर रही है सर। पीडब्ल्यूडी की

सड़क पर अगर हम देखें जेल रोड पे पीडब्ल्यूडी की सड़क लेकिन वहां के काउन्सलर जो कि एसडीएमसी के महापौर भी हैं, उन्होंने वहां पर पार्किंग बनानी शुरू कर दी, एफआईआर होने के बावजूद भी उस काम को नहीं रोका गया, इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन की जा रही है। वहां पर डीडीए की एक बहुत बड़ी लैंड है, जहां पर उस कालोनी के लिए क्लब बनाया जाना था। वहां पर उन्होंने पार्क बनवा दिये और सरकार का कई करोड़ों रूपया उसमें लग गया है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो अगर महापौर ऐसा करेगा तो पूरी तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, वहां पर रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर बार-बार उनके जो यूज करने वाला जो टूल्ज है, उनको उठा लाता है, मजदूरों को काम करने से बंद करवा कर आता है लेकिन अगले दिन फिर वो वहां पर ऑरनामेमंटल गेट बनाया जाता है, दिल्ली सरकार ने ही नहीं, कमिश्नर ने भी 6 महीने पहले ऑर्डर पास किया था कि ऑरनामेंटल गेट बनाने बिल्कुल बंद किये जायेंगे, लेकिन उनको नाम लिखवाने का इतना शोक है कि वो ऑरनामैंटल के गेट पर गेट बनवाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार संज्ञान ले और इस पर जो कार्रवाई सख्त से सख्त की जा सकती है, वो करने के लिए मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण कुमार जी, उपस्थित नहीं है, श्री एस के बग्गा जी।

श्री एस. के. बग्गा : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने 280 नियम के अंतर्गत मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धयान पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ दिलाना चाहता हूं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सरकार अफसर निगम पार्षदों के कहने

पर एमएलए के कामों को मना करते हैं और यदि काम करते भी हैं तो काफी समय के बाद तंग करके करते हैं। मेरे क्षेत्र कृष्णा नगर विधान सभा में काफी कार्यों के एस्टीमेट बनने है लेकिन जेई निगम पार्षद के मना करने पर कार्य नहीं कर रहे हैं। ईडीएमसी में गुंडागर्दी हो रही है, मकान बनाने के लिए लोगों से जबरन वसूली की जा रही है, नक्शा बनवाने के बाद भी जेई व निगम पार्षद के गुंडे लोगों को तंग करते हैं तथा वसूली करते हैं।

अध्यक्ष जी, ईडीएमसी हो रही है कंगाल, निगम पार्षद हो रहे हैं मालामाल। इनकी सीबीाआई जांच होनी चाहिए। ईडीएमसी इतना हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्जिज, अदर टैक्सेज लोगों से वसूल कर रही है। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ईडीएमसी बेकार के खर्चो पर खर्चे कर रही है व सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं, सफाई की हालत इतनी खराब है, आये दिन बीजेपी वाले व कांग्रेस वाले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल करवा देते हैं और एमएलए के दफ्तरों के आगे, डिप्टी सीएम के घर के आगे भी कूड़ा डलवा देते हैं, अभी हाल में मेरे दफ्तर के आगे कूड़े का ढेर लगवा दिया और धरना प्रदर्शन भी किया। मेरे कृष्णा नगर विधान सभा वार्ड-230 में निगम पार्षद ने डीडीए के कई प्लॉटों पर कब्जा कर रखा है, वहां से किराये की आमदनी खा रहा है तथा पीडब्ल्यूडी की जगह भी घेर रखी है। वहां से भी किराया खा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ईडीएमसी की आमदनी व खर्चो की जांच की जाये व दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाये तथा पीडब्ल्यूडी को निर्देश दें कि निगम पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये। ईडीएमसी से सब लोग परेशान हैं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कृपया इससे जनता को राहत दिलाये, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, भारत सरकार के दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक अ ति महत्वाकांक्षी योजना लैंड पूलिंग पोलिसी जिसके अंतर्गत दिल्ली में 20 लाख नये मकान बनने हैं और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर अनाधिकृत बस्तियां खेतों में बनाई जाती है जिसमें गरीब लोग कम पैसा होने की वजह से उनको खरीदते हैं और उनको नागरिक सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण मौतें तक होती हैं। क्योंकि वहां न पानी होता है, न सीवरेज होता है। ये लैंड माफिया उसको लगातार दिल्ली में कर रहे हैं और आज भी दिल्ली में इस प्रकार का अनाधिकृत निर्माण जारी है, एक भी कालोनी दिल्ली सरकार नियमित करने में असफल रही, लेकिन उसके बावजूद भी कोई योजना पर काम नहीं हुआ। एक योजना जिस पर काम चल रहा है, लेकिन सारा काम होने के बाद जब मामला दिल्ली सरकार के पास आया सिर्फ अनुशंसा के लिए और नोटिफिकेशन के लिये तो दिल्ली सरकार दो साल से 15 मार्च, 2015 से फाइलों को रोक कर बैठी हुई है। 89 गांव हैं जिनको अर्बनाईज विलेज नोटिफाईन करना है; दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन-नोर्थ एंड साउथ। स्टैंडिंग कमेटी का ये अधिकाकर क्षेत्र है, स्टैंडिंग कमेटी फैसला ले चुकी है। मात्र दिल्ली सरकारको फॉरमैल्टी के तौर पर एक नोटिफिकेशन करना था जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज के माधयम से होना था लेकिन 2 साल से वो नही किया गया। 1954 की धारा 12 के तहत 95 गांवों को डेवलपमेंट एरिया घोषित करना है, उनको घोषित नहीं किया जा रहा है। ये डीडीए का 1954 जो है, उसके अनुसार 12 हैं और तीसरा जो बेस मैप है, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सिर्फ प्रमाणित करना है कि खसरा नंबर जो बेस मैप में लिखे हुए हैं, ये रेवेन्यू रिकार्ड से मेल खाते हैं।

मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के इस रवैये पर घोर अपन्ति दर्ज करता हूं कि वो गरीबों के लिए इकॉनोमिकल वीकर सैक्शन के लिए लगभग 20 लाख में से 40 प्रतिशत मकान उनके लिए बनने हैं। दिल्ली में 60 लाख लोगों को और किसान को अपनी भूमि का एक उचित मूल्य उसको प्राप्त होगा क्योंकि आज दिल्ली में खेती से ज्यादा जमीन की कीमत जो है, वो किसान को एक प्रकार से एट्रैक्ट करती है और जहां पर सरकार की योजना बन चुकी है कि वहां पर भवन निर्माण होगा, घर बनेगें, नई हाउसिंग स्कीम आएगी, और अनाधिकृत कालोनियों का नियमितिकरण जो है, वो हो नहीं पाता और अनाधिकृत कालोनियां बनती जाती हैं। तो मैं चाहूंगा सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या कारण है। मेरे पास सिलसिलेवार वो तमाम चिट्ठियां हैं जो डीडीए द्वारा लिखी जा रही हैं। ये सवाल दिल्ली डेवलपमेंट आथोरिटी की मीटिंग में, मैं कई बार उठा चुका हूं। चीफ सैक्रेटरी हर बार कहते हैं कि मैं पूछ करके आता हूं। यूडी सैक्रेटरी कोई जवाब वो नहीं देते हैं वहां पर और उनकी भावभंगिमा इस बात को दर्शाती है कि जैसे सरकार इनको करना नहीं चाहती है। इसीलिए पॉलिटिकल बॉक्सीजम जो है, वो इसमें आड़े आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर सरकार का यही रवैया है तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि भारत सरकार इस दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने लेवल पर आथोरिटी मीटिंग में फैसले ले और इस योजना को आगे बढ़ाए। क्योंकि सरकार किसी भी रूप में इस योजना को लागू न हो, इस दृष्टिकोण से काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : सत्येंद्र जी।

शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

माध्यम से आदरणीय सदस्य को पहली बात तो यह बताना चाहूंगी कि उनके पास पत्राचार शायद एक ही तरफ का है। कह रहे हैं कि डीडीए ने कुछ पत्र लिखें हैं दिल्ली सरकार को। उनके पास दिल्ली सरकार का भी पत्राचार होना चाहिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं बनाया जा सकता है। अगर वहां पर घर बनेंगे तो घर में रहने वाले लोगों के लिए स्कूल बनाना भी जरूरी है। उनके लिए डिस्पेंसरी भी बनानी जरूरी है या अस्पताल बनाने जरूरी है, फॉयर स्टेशन, पुलिस स्टेशन सब कुछ बनाने की जरूरत है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर डीडीए जो डेवलपर है या किसान है, उससे जमीन लेगा और उनके शायद वो है कि जो लोग शायद 100 एकड़ से कम हैं, उनके 48 प्रतिशत वापिस करें। जो 100 एकड़ से ऊपर है उनको 60 प्रतिशत वापिस करेंगे। लगभग 55 प्रतिशत या... आधी आधी जमीन मान लीजिए आधी डीडीए के पास रहेगी, आधी वापिस डेवपर्स को मिल जाएगी। जो आधी जमीन डीडीए को मिलेगी, उसमें कुछ सड़कें बनेगी, कुछ ओपन लैंड रहेगी और कुछ में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब उनको जवाब देन दें विजेन्द्र जी। वो देखो अब उत्तर दे रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं!

शहरी विकास मंत्री : सर, उनको प्रश्न का आन्सर भी पता है और उनको कारण भी पता है। वो मेरी बात का समर्थन भी करते हैं। परंतु वो थोड़ी राजनीति कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना सर। आपने पब्लिकली क्वेशन पूछा है, पब्लिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको आन्सर नहीं दे रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर, अभी

करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए हमारे आदरणीय सदस्य डीडीए के मैम्बर भी हैं। बीजेपी के बहुत ताकतवर नेता भी हैं और दिल्ली के माननीय सदस्य हैं विधान सभा के। इस नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के ऊपर दिल्ली सरकार को कोई आपत्ति तो नहीं है। परंतु अच्छी पॉलिसी है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। एक इश्यू छोटा सा आता है कि जब वहां घर बनेंगे तो घर बनते ही अगले दिन डिमांड आती है कि स्कूल में बच्चे कहां जाएं, अस्पताल कहां है जी, बताओ, हमारे को अस्पताल दिखाओ, डिस्पेंसरी क्या है, हमारे यहां कहीं भी आग लग जाए तो फयर स्टेशन कहां पर है। हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 50 प्रतिशत लैंड आपके पास बचेगी, सोशल सर्विसेज के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसमें से 10 से 15 प्रतिशत लैंड हमें दे दी जाए, सोशल इन्फ्रास्ट्रेक्चर के लिए स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए वो लैंड हमें दे दो। हमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें से भी बात रहा हूं आपको। लगभग 5 प्रतिशत लैंड ऐसी है जो कि खेतों के अंदर रास्ते हैं, वो दिल्ली सरकार की लैंड है। रास्ते जो होते हैं वो फ्री में जांएगे डीडीए के पास, उसी को वापसी मिलेगी। तो अगर हमारे को 12 प्रतिशत लैंड देते हैं तो 5 प्रतिशत लैंड तो हम देंगे, सात ही प्रतिशत लैंड देनी हैं उन्होंने। वो कहते हें दुर्योधन की तरह से कि एक सूई की नोंक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। लिखित में जवाब है। कन्सीडर भी नहीं करेंगे। सर, ये तो बड़ी असंभव सी बात है। कहते हैं जब जरूरत होगी, तब देखेंगे। पिछले दो साल से मैं डीडीए से 10 प्लाट मांग रहा हूं अस्पताल बनाने के लिए। एक के ऊपर भी उन्होंने प्रोनोटिरी नहीं दी। वो कहते हैं कि हम तो ऑक्शन कराएंगे इनको, पैसे कमाएंगे। डीडीए तो लाला की दुकान है। डीडीए दिल्ली के डेवलामेंट के लिए नहीं बना। यातो अफसरों को डेवलपमेंट कर रही

है वो या प्रोपर्टी का डेवलमेंट कर रही है। आप रोहिणी में रहते हैं हमारे माननीय विपक्ष के नेता। 100-100 एकड़ के दो प्लाट पड़े हैं जिनको कमर्शियल प्लाट कहते हैं वो लोग। 2 5 साल से बोर्ड लगा रखे हैं वहां पर। 25 साल हो गए हैं, अभी तक ऑक्शन नहीं किया। फिर कहते हैं डेवलपमेंट गलत हो रही है जी। दुकानें खुल रही है, खुलेगी। डीडीए वाले कहते हैं जी, हम तो एक साल में उतनी ऑक्शन करेंगे, जितनी हमारी तनख्वाह है। हम नहीं करेंगे उससे ज्यादा कुछ भी। अरे! कहते हैं, प्राईवेट बिल्डर से भी बुरा काम कर रहे हो दिल्ली के अंदर। दिल्ली के डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो दिल्ली विकास प्राधिकरण नहीं, विनाश प्राधिकरण बन गई है ये ! कोई डेवलपमेंट नहीं करते। आप उनसे मीटिंग करिएगा, उनसे कहिएग कि दिल्ली के डवलपमेमंट के लिए स्कूल बनाना भी उतना ही इर्म्पोटेंट है, कायर स्टेशन बनाना जरूरी है, अस्पताल बनाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : डीडीए के मेम्बर भी है विजेंद्र जी। डीडीए के मेम्बर भी तो है।

शहरी विकास मंत्री : हां, इन्हीं से कह रहा हूं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक मिनट सर, सुन लीजिए। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, इस पर बैठकर बातचीत कर लें। अगर इनको करना होता तो सरकार से डयलॉग करते, बैठते। अब 15 नहीं तो 12 दे दो यार। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। 14 दे दीजिएगा, एक आध परसैंट कम ज्यादा कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं है और अपने लिए नहीं चाहिए। हम कोई भी चीज ऑक्शन नहीं करेंगे, ये भी बता देते हैं। कोई बचेंगे नहीं आपकी तरह से। हम उसको कोई कमर्शियल यूज नहीं करेंगे, लिखकर दे देंगे उनको। जो भी करेंगे जनता क लिए करेंगे, फ्री ऑफ

कॉस्ट करेंगे। किसी चीज को हम कमर्शियल यूज में लेने वाले नहीं है एमसीडी की तरह से। हम इनको लिखकर दे देंगे कोई कमर्शियल यूज नही करेंगे, परंतु जमीन हमें मिलनी चाहिए। तभी उसको करने का फायदा है। वरना करने का कोई फायदा नहीं है। आपने कई बातें उठाई हैं। कहते हैं अनआथोराईज्ड कालोनीज की बात...सर पूरी बात सुन लीजिए। आपने कई बातें उठाई हैं। कहते हैं अनआथोराईज्ड कालोनीज, रेगूलरईज नहीं हुई। एक तरफ कहते हैं ये आप कर नहीं रहे। दूसरी तरफ कहते हैं मैं करने नहीं दूंगा। अरे भई साहब! केंद्र सरकार लेकर बैठी है। एक साल से ऊपर हो गया उनको। अगर वो चाहते तो अन-ऑथोराईज्ड कालोनीज को आज शाम को भी कर सकते हैं वो। पर वो अभी करना नहीं चाहते। अभी उनको टाईम नहीं मिला। पॉलीटिकल टाईम जब ठीक आएगा तो कर देंगे। तो उसके लिए भी एक रिक्वेस्ट है। आप कहिएगा कि कभी भी किसी काम का सही टाईम, कभी नहीं, हर टाईम सही होता है। आज ही ल्लिी की सारी अन-ऑथोराईज्ड कालोनिज को अप्रूव करा दीजिएगा। हम आपका अहसान मानेंगे और आप ही को सारा क्रेडिट देंगे। हम कहेंगे सारा क्रेडिट विजेन्द्र गुप्ता जी के, इन्होंने करा दिया। दोनों कामों के लिए आपको क्रेडिट मिलेगा और हम कभी नहीं कहेंगे हमने किया। धन्यवाद। जय हिंद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये जो बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण है और उन्होंने खुद ही माना कि 52 प्रतिशत जमीन सरकार के पास रहेगी। 48 प्रतिशत जो है, वो ले-आउट प्लान बनेगा। पूरा ले-आउट प्लान बन चुका है। मैं आपके माध्यम से बताना चहता हूं और उसमें अस्पताल, स्कूल, कम्युनिटी हाल, प्राईमरी स्कूल एक रूपये कीमत पर वो सरकारको मिलेगी। जैसे-जैसे पूरे लैंड डिस्पोजल की जो पॅलिसी है उसकी कॉपी आपके पास है। आप जितनी जमीन चाहेंगे और एक दिन में घर नहीं वन जाएंगे। अभी आज आप अप्रूवल दोगे, फाईल

दोंगे तो 6-7 साल में वो बिल्डिंगें बनकर तैयार...क्योंकि उसके पहले पूरे नक्शे नबेंगे, उसकी अप्रूवल होगी, एक लंबा प्रोजिसर है। और उसी के बीच में स्थिति ये आएगी कि स्कूल पहले बन जाएंगे और मकान बनने में थोड़ा टाईम लगेगा। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चित नहीं रहें। मैं तो चहूंगा आप विकास प्राधिकरण की मीटिंग में आएं और ये एश्योर कर दें जहां पर....

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, एक सैकेंड।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपको जितने प्लाट चाहिए, जिस भी प्रकार के उसमें जिस भी सोशियल कम्युनिटी फैसिलिटी के आप लीजिए, इनको तो थ्रू करिए। पहले ही ये बात कह रहे हैं। इससे तो साफ लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर सरकार अकर्मण्य है और जो पत्र आपने लिखें हैं क्योंकि मेरी जानकारी में आपने पत्रों के जवाब ही नहीं दिये। अगर अपने जवाब दिया है तो उसकी कॉपी सदन के पटल पर अभी दे दीजिए आप। आप दे दीजिए लाइए। कुछ आपने दो साल में...

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी यह राजनीति हो रही है। सोमनाथ जी एक सैकेंड। विजेंद्र जी, एक सैकेंड।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि जो यह मुद्दा आया, पत्र लेकर तो मैं आया नहीं हूं। कल इनको पत्र की कॉपीज दे

दी जाएगीं। हां कल दे देंगे। मैं जो भी चीज कह रहा हूं, आपको मान लेना चाहिए। सर मान लेना चहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और आपको...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी यह तरीका मुझे पसंद नहीं है। आप बार-बार पद बदल रहे हैं। एक सैकेंड विजेन्द्र जी, पहले आपने कहा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कल में भेज दूंगा। फिर आप खड़े होकर बोल रहे हैं। अब उनके अपनी बात पूरी करने दो।

शहरी विकास मंत्री : सर, दूसरी बात, विजेन्द्र गुप्ता जी ने वही पॉलिटिक्सवाली बातें कर दी यहां पर भी। कहते हैं कि जब भी जितनी जरूरत होगी, एक रूपये में दे देंगे। हमने जमीन नहीं मांगी... जमीन तो मिलने में दो-तीन सा लगेंगे, हमें भी पता है। सर, मैं भी आर्किटेक्ट हूं मुझे भी पता है।

अध्यक्ष महेदय : भैया, एग्रीमेंट में 10-12 प्रतिशत वो कह रहे हैं वो तय तो कर लें 1 0 प्रतिशत देंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जितन अनभिज्ञ बन रहे हें, इतने वो हैं नहीं, इतने भोले बन रहे हैं। इतने भोले भी नहीं हैं और जैसे वो कह रहे हैं ना एक हमारे यहां कहावत है; जान बावले बन रहे हैं, जानबूझकर बावला बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हैं नहीं, वो उन्हें सब पता है। सर, वो मैंने भी यह नहीं कहा कि जमीन पहले दे दें हमने कहा है कि जमीन हमारे लिए 12 परसैंट आप हां कर दो बस, वो कहते हैं, एक इंच जमीन नहीं देंगे उनके

लिखित में आन्सर हैं, हम कुछ नहीं देंगे कन्सीडर ही नहीं करेंगे। उन्होंने लेटर को कन्सीडर करने से मना कर दिया है, हम कहते हैं, ये कह रहे हैं जो बात आज हमारे रिकॉर्ड में होगी, मैं बिल्कुल इसी सदन के माध्यम से कहता हूं ये डीडीए से ओके करा दें, हम उसको कल ही ओके कर देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : विधानसभा की इजाजत तो ले ली ना?

शहरी विकस मंत्री : सर, आप दूसरी बातों पर!

अध्यक्ष महोदय : अब फिर आप दूसरी बात पर जा रहे हो विजेन्द्र जी, वो इससे क्या देना है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यहां पर जो इजाजत दी थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए हो गया। नहीं सोमनाथ जी अभी इसपे नहीं ये 280 प्रश्नोत्तर नहीं है प्लीज...(व्यवधान)... ऐसे तो सदन चलाना मुश्किल हो जाएगा।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय मंत्री जी की बात का मैं समर्थन करना चाहती हूं चूंकि इनके कहने के कारण मैंने उस पद पर जो अरूण गोयल जी थे डीडीए के वाइस चेयरमैन, उनसे पूरी बात रखी थी। उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया था उन्होंने कहा था कि भाई इस प्रकार ये संभव नहीं है ये जो विजेन्द्र गुप्ता जी कह रहे हैं। वो गलत है। माननीय मंत्री जी की चिट्ठियों को लेकर मैं गया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए बैठिए। जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान जी : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहूंगा। नर्सरी कक्षा में दाखिले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12 जनवरी 2017 को जो टिप्पणी की है, वह आंख खोल देने वाली है।

सरकार की कार्यशैली पर न्याय पालिका द्वारा की गई अब तक की सबसे कड़ी टिप्पणी है। संवैधानिक संस्था, न्याय पालिका ने भी दिल्ली सरकार के मनमाने निर्णय पर सवाल उठाकर सरकार को परोक्ष रूप से चेतावनी दी है। एक वह जनहित को प्राथमिकता देकर हर निर्णय समय पर करें ताकि जनता को परेशानियों का सामना करना न पड़े। उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में कहा है कि दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया को लेकरपूरे साल सोती रहती है और जनवरी में जब प्रवेश कार्य शुरू हो चुका, तब सरकार अचानक सात जनवरी को एक भ्रामक अधिसूचना जारी करके पूरी प्रवेश प्रक्रिया को ठप्प कर देती है। इससे दिल्ली के लाखों अभिभावकों व निजी स्कूलों के मध्य संघर्ष तथा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है इसलिए दोनों पक्षों को मजबूरी में हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार का वादा था कि राजधानी की शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी जाएगी जिसको अपनाने के लिए देश के अन्य राज्य विवश हो जाएंगे। शिक्षा का बजट दोगुना करने के बाद भी दिल्ली के लाखों बच्चों का नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। निजी स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। सरकार का दावा था कि अनेक नये स्कूल खोले जायेंगे और पहले से चल रहे स्कूलों में सीटें बढ़ाई

जायेंगी। सरकार को सत्ता में आए दो वर्ष होने वाले हैं लेकिन उसका कोई दावा आज तक पूरा नहीं हुआ; नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने का निर्णय तथा निजी स्कूलों द्वारा कर्मचारियों को कम वेतन देकर उनका शोषण करने पर लगता है कि दिल्ली सरकार स्कूल मालिकों के प्रति ढुलमुल रवैये पर चल रही है इसलिए नवम्बर, 2015 के बाद से आज तक सरकार ने नर्सरी प्रवेश के लिए नियमित कानून नहीं बनाया है। इससे लाखों अभिभावकों का खुले तौर पर आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त संदर्भ में, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे नर्सरी कक्षा में दाखिले को लेकर, समय रहते ऐसी विस्तृत नीति लेकर आएं जो न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में मान्य हो। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाए हैं, पहली बात तो मुझे आपत्ति है। दिल्ली सरकार ने बहुत ही संजीदा तरीके से पूरे साल इस पर मेहनत करके नर्सरी एडमिशन की पॉलिसी को बनाया है। उसमें कुछ दिक्कतें थी और वो आपको भी पता है कि पहले एल. जी. साहब के पास बहुत सारी फाइलें मंगाई गई थी, उस वजह से काम में बाधाएं डाली गई थी, उसकी वजह से डिले हुए हैं और सबको पता है। माननीय सदस्य को भी पता है और जहां तक यह कहना है कि दिल्ली सरकार ने दो साल के अंदर स्कूलों के बनाने में कोई आगे काम नहीं किया है। लगभग 8 हजार कमरे हमारे 31 मार्च तक तैयार हो जायेंगे वो 31, दिसंबर तक तैयार होने थे। डिले होने में मेरा योगदान होने का बनता है कि बीच में डिमोनेटाइजेशन कर दिया इन लोगों ने और कहते हैं, पूरा सारा कन्स्ट्रक्शन बंद हो गया, सारी

लेबर मिलनी बंद हो गई और अब मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि उनके क्षेत्र में भी कई स्कूल बन रहे हैं और उनको अच्छी तरह से पता चल रहा है और आप जाके देखिए ऐसी क्वालिटी की कन्सट्रक्शन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी आज तक हुई हो तो बता देना। हिंदुस्तान के अंदर बता रहा हूं। सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं और वो खुद इस बात की तारीफ करेंगे, काम कर रहे हैं और खुश भी हैं, वो ये नहीं है कि खुश नहीं हैं तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जो खुश हैं, खुशी में बता दें जरा!

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी से मैं बैठकर बातचीत कर रहा था। अनेक बार वो आए मेरे कमरे में, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। आप आते ही नहीं, मैंने तो बहुत बार बुलाया है। नहीं, एक सैकेंड, मैंने खुद मनीष जी से एक दो बार कहा भी, उनके यहां वास्तविकता में कमरों की दिककत थी और आज उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने छूटते ही....जब मेरे पास आए तो मैंन कहा, ''आपके कमरे कुछ बनने चालू हुए या नहीं? उन्होंने कहा, ''73 कमरे मेरे यहां बन रहे हैं।''तो मैंने कमेंट किया कि 73 कमरे का अर्थ हो गया तीन हजार बच्चे। मैंने कहा कि 73 तो मेरे यहां भी नहीं बन रहे जगदीश जी। आपने तो बाजी मार ली! नहीं, नहीं, भई देखो वो तो चीज अलग है, फिर तो बन ही नहीं सकते, फिर तो...विजेन्द्र जी, आप फिर टिप्पणी कर रहे हैं विजेन्द्र जी, फिर मुझे मालूम है, उस पर क्या होगा। नहीं, आप बैठ जाइए विजेन्द्र जी, अब समय खराब हो रहा है, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लेकिन आप कहेंगे कि जब ये खड़ा होगा तो पक्ष की बात कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, ''मौका है हम दोनों को।''

अध्यक्ष महोदय : चलिए, अभी आयेगा। दूसरा, इन्होंने मुझे कहा कि मुझे तीन हजार गज की एक जगह और मिल गई है, उसमें भी कमरे जल्द ही

बन जायेंगे। कारपोरेशन से जगह मिली है दिल्ली सरकार को लेकिन 12 करोड़ रूपया, इन्होंने खुद कहा है कि कारपोरेशन ने दिल्ली सरकार को लिख के भेज दिया है कि 40 हजार रूपये गज में वो जगह मिल रही है। मनीष चले गए, मैं उनसे आग्रह करता कि 12 करोड़ रूपया दिल्ली सरकार जल्द ही दे ताकि उनके एक स्कूल का और निर्माण हो सके, अभी ओके हो।

शहरी विकास मंत्री : अब दोनों लोग बैठे हैं, देखो एमसीडी में न पैसे बहुत लेते हैं। नक्शे-वक्शे पास करती नहीं है। वो पैसे मांगते हैं हर चीज के।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल मालूम है इनको, विजेन्द्र जी को मालूम है सारा।

शहरी विकास मंत्री : ये कह रहे हैं लेंटर नहीं है। लेंटर इसलिए नहीं है कि लेंटर डालते हैं तो नक्शे पास कराने पड़ते हैं। हमने नया तरीका निकाला। 50 साल चलेगी बिल्डिंग, चिंता मत करना और बिल्डिग इतनी बढ़िया बनाई है जो पहले बनी थी ना, जो आप के राज में कांग्रेस...2050 की गारंटी मैं दे रहा हूं ना। 50 साल गिरेगी तो मैं हूं यहां पे तब तक जिंदा हूं। तब तक ये गारंटी ले रहा हूं और दूसरी बात सर, जमीन तो आप दिलवा दोगे, नक्शा पास कराने की गारंटी भी ले लेना। हम बढ़िया स्कूल बनाके देंगे, पक्का लेंटर वाला बनाके देंगे। एक साल में बना देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारी : धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे 280 पे बोलने का मौका दिया।

सर, हमारे एरिया में आम आदमी से रिलेटिड राशन की बहुत बड़ी समस्या है और शायद पूरी दिल्ली में होगी। लगभग पिछले एक साल से नये राशन कार्ड भी एक नहीं बनाए जा रहे हैं और न ही कोई पर्सन की उसमें एंट्री हो रही है। एक भी आदमी की उसमें एंट्री नहीं हो रही है और न ही किसी का नाम, एड्रेस चैंज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक जेजे कल्स्टर में पुराने 20-20 साल से राशन उठा रहा है और उनके राशन कार्ड केंसल कर दिए जा रहे हैं, ये जनवरी में बड़ी नई पहल शुरू हो गई है। जो बहुत सारे राशन बहुत तेजी से उनके काटे गए हैं। पिछले साल बीपीएल कार्ड को एपीएल कार्ड में बदल दिया गया था फ्लेटों और मकानों में रहने वाले नाम नही काटे गए, बहुत सारे कोठियों में भी रह रहे हैं, उनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं लेकिन झुग्गी के काटे जा रहे हैं। अब किस बेस पे हो रहे हैं, कहीं कोई हमारी...न विजलेंस कमेटी को पता होती है न वहां के एमएलए को पता होती है राशन कार्ड से नाम काट दिए जाते हैं और किसी भी तरह की बात पूछने पर अरे! पेसे देकर बना लिया होगा किसी ने, इस तरह से उल्टे सीधे बात अधिकारी लोग बोलते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मंत्री जी संज्ञान में लेते हुए, सीरियसली इस मसले को लेते हुए, सभी अधिकारियों को बुलाएं और पूछें, जो इस तरह की घटिया बात पब्लिक के बीच में आम आदमी के साथ करते हैं और कहते हैं जो कि आपकी नहीं जोड़ी जाएगी किसी की भी, जबकि उनके घर में संख्या दिख रही है, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय दिख रही है फिर भी उनकी नाम ऐड नहीं किया जाता है उनसे मांगते हैं पुराना कार्ड, पुराना कार्ड जब नया बना तो पुराना कार्ड जमा करवा दिया गया था तो इसलिए मैं चाहूंगी कि एक बार उन अधिकारियों को बुलाया जाए और राशन कार्ड में जो हो रहा है, किस तरह की दुविधा आ रही है और किस

तरह की समस्या आ रही है जो हम क्यों नहीं सही से कर पा रहे हैं, क्यों सही से नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी संज्ञान लें।

अध्यक्ष महोदय : इमरान जी कुछ बताएंगे।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन) : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल सितंबर में हमारी जो लिमिट थी, जो कैप है हमारा 72 लाख 77 हजार 995 का, वो पूरा हो गया था। उसक बाद से एडीशन और डिलीशन दोनों रोके हुए थे, डिलीशन तो चल रहा है अगर कोई नाम कटवाना चाहे, वो कटवा दे और एडीशन इन्होंने बंद कर रखा है। इसके संदर्भ में मैं कई बार रामविलास पासवान जी को लिख भी चुका हूं और उनसे मिल भी चुका हूं तो उन्होंने मुझे कई बार आश्वासन दिया कि अभी रूक जाओ, दो महीने रूक जाओ, छह महीने रूक जाओ उसके बाद में करेंगे, बढ़ा देंगे लिमिट और अगर किसी का नाम काटा जाता है, गलत काटा जाता है तो वो एडीएम के यहां अपील में जा सकता है और बिना किसी उसके एडीएम के यहां अपील कर सकता है। जब तक वो अपील में रहेगा तब तक उसका नाम काटा नहीं जायेगा और अगर वो अपील नहीं करेगा तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एफएसओ जो है, एफएसओ के यहां वो जाता ही है। इंस्पेक्टर से कहता है कि वो शायद उनके अधिकार क्षेत्र में ये नही आता है, जो डीजीआरओ हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो पॉवर दी हुई है, वो एडीएम को दी हुई है तो मेरी आप सब, यहां जितने भी विधायक हैं, सबसे मेरी अपील है, गुजारिश है कि अगर किसी के यहां इस तरीके की कोई शिकायत हो तो वो अपने एडीमए के यहां पर अपील करवा सकते हैं और उसके अंदर वो मामला हल हो जाएगा और फिर भी बंदना जी ने मुझसे कहा है तो मैं अधिकारियों को बुलाऊंगा

और बाकायदा इसकी मीटिंग लेंगे और उनको आदेश देंगे, किसी का भी गलत नाम नहीं कटना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इसमें ये जो आपने बताया 72 लाख 77 हजार 995 ये लिमिट कौन से ईयर की है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : ये लिमिट पूरे इंडिया के अंदर केंद्र सरकार की तरफ...

अध्यक्ष महोदय : हमारी दिल्ली की कौन सी...

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : दिल्ली की लिमिट है दिल्ली के अंदर...

अध्यक्ष महोदय : कौन से ईयर की थी उसके बाद बढ़े नहीं?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : ये अभी हमारी पिछले साल 2015 सितंबर में पूरी हुई है ये और इसके बाद आगे बढ़ना था जो कि अभी तक बढ़ा नहीं है।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मंत्री जी से एक चीज पूछा चाहूंगा एक जीवन....कार्ड है जिसमें एक यूनिट होने के बावजूद भी उन्हें 25 किलो गेहूं 25 किलो चावल मिलते हैं तो ये ऐसा क्यों है कि एक की यूनिट है लेकिन उसको मिल रहे हैं 25-25 किलो क्या वो खा लेगा 25 किलो गेहूं और चावल सर इनको कैंसिल किया जाए ना ये बहुत कार्ड हैं और ये सब कार्ड जो हैं दुकानदारों के बने हुए हैं। सब दुकानदारों ने बनवाकर रखे हुए वो कार्ड्स।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : इसकी जांच करवा लेते हैं। लेकिन यदि इसके

अंदर आप लोग बता रहे हो तो इसकी जांच करा लेते हैं, जो भी उसमें होगा करते हैं।

श्री जितेंद्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि एडीएम के पास अपील करने के बाद एक झुग्गी में रहने वाला पहले तो एडीएम को ढूंढेगा दो महीने, एक बात। दूसरी बात ये कि क्योंकि आपकी कैपिंग हो चुकी है सितंबर 2015 में अब आप एक भी यूनिट बढ़ाने की स्थिति में नहीं है फिर आप ये लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं आप सुन लीजिए प्लीज मेरी बात। मंत्री जी, एडीएम के पास अपील करने जायेगा कोई, कैपिंग आपकी हो रखी है आप एक यूनिट बढ़ा नहीं सकते। मैं सफर कर रहा हूं। सुनिए, मेरे यहां सितंबर 2015 के बाद झुग्गियों के जो रेहड़ी लगाता है। कोई नाई की दुकान है, सड़क पे ऐसे लोगों के 1185 राशन कार्ड काट दिए गए। मैं 10 बार आपसे बात कर चुका हूं मैंने यह मामला इस हाउस में दो बार उठा लिया है। इस बार फिर मैंने क्वैश्चन लगा रखा है लेकिन मुझे पता है कुछ नहीं होगा। मंत्री जी कुछ कीजिए आपकी कैपिंग खुलवाइए या फिर एक और जो सरकार ने प्रपोजल किया था कि सब्सिडी देंगे और राशन कार्ड बढ़ा देंगे सबके यहां एक-एक हजार कुछ राशन की बात थी, उसके देख लीजिए प्लीज क्योंकि बहुत लोग सफर कर रहे हैं गरीब लोग सफर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : जो आप, जैसा बता रहे हो, ये मैं उसके लिए कह रहा हूं अगर किसी का राशन कार्ड राशन नहीं मिलता है तो एडीएम के यहां अपील कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : तोमर जी, अब चर्चा नहीं इस पर प्लीज।

श्री जितेंद्र सिंह तोमर : मैं बहुत सफर कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये देखिए 280 है, ये चर्चा का विषय नहीं है। क्वैश्चन आंसर नहीं है।

श्री जितेंद्र सिंह तोमर : सर, पिछली बार भी उठाया हाउस में तब कुछ नहीं हुआ। अब मैंने क्वेश्चन लगाया तो उसमें स्टार्ड में नहीं आया, बताइए मैं कैसे लोगों को जवाब दूं?

अध्यक्ष महोदय : करते हैं बात। इमरान जी अगर संभव है तो एक काम करिए एक सेकेंड राशन कार्ड में से नाम काटने से पूर्व जिसका नाम काटा जा रहा है, उसको डिपार्टमेंट एक शो-कॉज नोटिस दे। ये अभी व्यवस्था भी आई है कोर्ट का निर्णय भी आया है पेंशन के विषय में कि किसी की कट रही है तो उसको नोटिस जाए। तो ये अब इस विषय में अधिकारियों से बातचीत करके केबिनेट में लेके वो किसी का नाम काटें।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : ठीक है अध्यक्ष महोदय, इस पे कल ही मीटिंग बुला के और आदेश दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं विधायक को तो नहीं, उसी को जाएगी। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का अवसर दियरा। मैं आपका ध्यान दिल्ली के ज्यादातर पीडब्ल्यूडी रोड्स की तरफ ले जाना चाहता हूं समस्या मेरे यहां की है जो मैंने रखी है। लेकिन मेरे साथ-साथ में मुझे लगता है कि दिल्ली के तमाम

एमएलए के एरिये में जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, उन रोड्स पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से लोहे के क्योस्क बन रहे हैं, लोहे के केबिन बना के और वो लोहे के क्योस्क नाला और फुटपाथ दोनों को कवर करके बना दिए हैं। ना उस पे कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है न एमसीडी उस पे कोई कार्रवाई कर रही है और एमसीडी और पुलिस दोनों उनसे मंथली कलैक्शन करते हैं ये पक्की जानकारी मेरे पास है। एक तरफ मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में वार्ड-241 में जीटीबी एंकलेव के अंदर फुटपाथ के ऊपर एमसीडी के द्वारा बकायदा टॉयलेट बना रखा है पूरा कवर करके पूरा फुटपाथ और वही पर हमारा मौहल्ला क्लीनिक बनना था आधा बन गया, दीवारें खड़ी हो गई, वो दीवारें हटवा दी गई है। उसी के ऊपर केवल 50 मीटर की दूरी....50 मीटर भी नहीं होगी 30 मीटर होगी करीब, 30 मीटर की दूरी पर पूरा का पूरा फुटपाथ कवर करके उस पे टॉयलेट बना हुआ है। टॉयलेट ब्लाक एमसीडी के द्वारा, पत्थर लगा है वहां के निगम पार्षद का लेकिन वहां एली जी के द्वारा डीस जगह पर बनी हुई दीवारें तक तुड़वा दी गई जो मौहल्ला क्लीनिक बनना था जबकि वो बाहर का मेन रोड नहीं है, इन रोड है जीटीबी एंकलेव का, वो रूकवा दिया गया है।

तो अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी बात करें, अपने पीडब्ल्यूडी के विभाग को डायरेक्शन्स दें कि पीडब्ल्यूडी, हां, एक दिक्कत जरूर है, इस पे कुछ कर सकते हो तो सरकार करे, चालान काटने की पावर दे रखी है एमसीडी को, वो जितनी भी दुकानें वहां धंधा करते हैं, वो सारा कचरा रोज शाम को उस नाले में वहीं पे वहीं गिरा देते हैं। नाले भर रहे हैं उनल क्योस्क की वजह से और उनका चालान काटने की पावर एमसीडी पे, एमसीडी चालान काटती नहीं है। उनके तो सब लोग पुलिस की और एमसीडी

की मिलीभगत से सारे फुटपाथ धीरे-धीरे कब्जे हो रहे हैं दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। कृपया इस पे कुछ कार्रवाई करवाइए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, 4:15 बजे तक सदन को चाय ब्रेक के लिए स्थगित किया जाता है, धन्यवाद।

सन अपराह्न 4.18 बजे पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

अध्यक्ष महोदय : श्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के नगर निगमों में कथित रजाकोषीय कुप्रबंधन से दिल्ली की जनता को हुई परेशानी और सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर आजकल देखने में ये आ रहा है कि पिछले दो सालों से बार-बार एमसीडी के कर्मचारी खासतौर पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। जब हड़ताल पर जा रहे हैं तो बार-बार ये बताया जा रहा है कि क्योंकि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को कई महीने तक उनकी सेलरी नहीं दी जा रही है तो इस कारण उनको हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। ये बात बार-बार टेलीविजन के अंदर, अखबारों के अंदर भी पब्लिश होती रही है। कर्मचारी एमसीडी से तनख्वाह मांगते हैं और एमसीडी के जो स्टेडिंग कमेटी के अध्यक्ष हो, मेयर हो या काउन्सलर्स हों, वो बाहर आकर बयान देते हैं कि क्योंकि दिल्ली सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, इस कारण से वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ये मामले बार-बार हाईकोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं। कई

बार इसके अंदर रिट-पटीशन भी डले। कई बार इसके अंदर पीआईएल डली। क्योंकि जब हड़ताल होती है सफाई कर्मचारियों की; एक हड़ताल तो ये होती है कि सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर दें। कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाये। पर ये जो हड़तालें होती हैं उसके अंदर खास बात ये होती है कि न तो सिर्फ वो कूड़ा उठाते नहीं हैं बल्कि कूड़ा इकट्ठा करके जो मेन रोड है, पीडब्ल्यूडी की जो मेन रोड्स है, एमसीडी की मेन रोड्स है, उस पर इकट्ठा कर देते हैं या जो चौराहे हैं, उस पनर इठ्ठा कर देते हैं। जो मंत्री है, मंत्रियों के ऑफिस के बाहर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। एमएलएज के ऑफिस के बाहर खासतौर पर आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं, उनके ऑफिसों के बाहर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और पूरी पैनिक की स्थिति हो जाती है। अजीब बात ये है कि जब वो कूड़ा एक जगह से ला रहे हैं और किसी मेन चौराहे पर इकट्ठा कर रहे हैं या किसी सड़क पर इकट्ठा कर रहे हैं तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी ये सुनने में नहीं आया कि पुलिस ने कूड़ा डालने से कहीं पर उनको रोका हो। हालांकि पुलिस की आईपीसी की धाराओं के अंदर आप कहीं पर कूड़ा नहीं डाल सकते। ऐसे आप पब्लिक न्यूसैंस नहीं क्रियेट कर सकते हैं। मगर इसके अंदर पुलिस की भी पूरी की पूरी मिलीभगत रहती है जिस कारण से मेन चौराहों के ऊपर कूड़ा एमसीडी के कर्मचारी और खासतौर पर कुछ यूनियन, जिनका संबंध भाजपा की यूनियन से और कांग्रेस की यूनियन से रहता है, वो जो है ये कूड़ा इकट्ठा करती हैं; टीवी के माध्यम से और अखबार के माध्यम से रहता है, वो जो है ये कूड़ा इकट्ठा करती हैं; टीवी के माध्यम से और अखबार के माध्यम से ये कहा जाता है कि इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है और जब कोर्टस के अंदर ये मामला जाता है; हाईकोर्ट के अंदर वहां पर एफिडेविट के अंदर ये बात

कहनी पड़ती है तो एमसीडी के अधिकारी कहीं पर ये नहीं कहते कि हमको दिल्ली सरकार ने अपना बकाया नहीं दिया। इस बार भी अभी-अभी जो ईस्ट दिल्ली के अंदर आज ही कहा जा रहा है कि जो हड़ताल खत्म हुई है, कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार के जो वकील था, उसने ये बात साफ-साफ रखी कि भई, हमारे ऊपर जो देनदारी थी वो हमारी पूरी हो चुकी है और वहां पर एमसीडी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा। मगर राजनीतिक चर्चा ये होती है कि दिल्ली सरकार इसके अंदर पैसा नहीं देती है। मैं कई बार टीवी की बहस में भी जाता हूं वहां पर भी तू-तू, मैं-मैं होती है। हम कहते हैं कि हमने दे दिया। सरकार कहती है, ''हमने पैसा दे दिया।'' एमसीडी के बीजेपी के नेता कहते हैं कि भई इन्होंने पैसा नहीं दिया। मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। या तो पैसा दिया गया है या पैसा नहीं दिया गया है। पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री ने अलग-अलग प्रेस स्टेटमेंटस के अंदर, अपने अधिकारिक बयान के अंदर ये कहा कि हम नार्थ एमसीडी को जितना पैसा देते आये, 2012-13 में 2013-14 में, 2015-16 में उसके मुकाबले 2016-17 में हमने बहुत ज्यादा पैसा दिया। मैं सिर्फ अगर उस वक्त की बात करूं। 2014-15, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2014-15 के अंदर दिल्ली एलजी साहब के अधीन था। केंद्र में भाजपा की सरकार थी। तो सिर्फ 2014-15 के अंदर अगर हम नार्थ एमसीडी की बात करें तो नार्थ एमसीडी को दिल्ली सरकार ने 848.4 करोड़ रूपये दिये। जब भाजपा की केंद्रशासित दिल्ली की सरकार चल रही थी और इस साल, पिछले साल 2015-16 के अंदर दिल्ली सरकार ने उनको 1206 करोड़ रूपये दिये। मतलब अगर हम सिर्फ एक साल को कम्पेयर करें। 2014-15 में 848 करोड़ रूपये दिये गये। सबकी तनख्वाहें हो

गयी। सब राजी-खुशी घर में थे उसके अगले साल हमने डेढ़ गुना ज्यादा पैसा दिया। 1206 करोड़ रूपये दिये, तब भी लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलीं। तो मेरा ये प्रश्न है और सामान्य लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि भई एक साल के अंदर या तो एमसीडी ने डेढ़ गुना सफाई कर्मचारी भर्ती कर लिये हों। इसलिए तनख्वाहों को बोझ बढ़ गया हो हो या ये जो सफाई कर्मचारी हैं, सरकार ने इनकी तनख्वाहें डेढ़ गुना बढ़ा दीं हो एमसीडी में। तो ये बात समझ में आती है कि भई डेढ़ गुना पैसे देने के बारद भी एमसीडी इनको पैसा नहीं दे पा रही है। इनको तनख्वाह नहीं दे पा रही है। मगर इस तरीके की बात जो हमें पता चलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। न तो कर्मचारी डेढ़ गुना हुए। न उनकी तनख्वाह डेढ़ गुना हुई है। तो जब सरकारी पैसा ये पब्लिक का पैसा है। ये किसी आम आदमी पार्टी का पैसा नहीं है। ये भाजपा का पैसा नहीं है। जब एक सरकारी पैसा जो दिल्ली का रेवेन्यू है, वो एक एमसीडी को दिया जा रहा हैं नार्थ एमसीडी को दिया जा रहा है, उसके बाद भी उनकी तनख्वाहें रोकीं जा रही है फिर वो स्ट्राईक करते हैं। कूड़ा फैलाते हैं, हंगामा फैलाते हैं। पब्लिक को परेशान करते हैं और इसकी जांच नहीं होती। पिछली बार भी आपको याद है कि किसी अफसर के अंडर एक कमेटी का गठन हुआ था। बार-बार एमसीडी ये कहती है कि भई, हम खाते दिखाने के लिए तैयार हैं मगर उस समय, उस वक्त के अफसर अंब्रान्सूं जी थे। उनके अंडर एक कमेटी बनायी थी और उन्होंने अधिकारिक रूप से मना किया कि हम अपने खातों की जांच नहीं कराएंगे। ईस्ट एमसीडी की अगर बात करूंगा तो 2014-15 का कम्पैरिजन मैं करना चाहूंगा 2015-16 से। क्योंकि 2014-15 में भाजपा की सरकार केंद्र में थी और कोई हड़ताल नहीं हुई। सब लोगों को बराबर तनख्वाह दी गयी। उसके ठीक अगले साल लगभग दो गुने पैसे

दिये गये एमसीडी को। ईस्ट एमसीडी को 2015-16 के अंदर 702 करोड़ रुपये दिये गये अध्यक्ष जी। उसके बावजूद भी कम से कम चार या पांच बार एमसीडी की स्ट्राईक हुई ईस्ट दिल्ली के अंदर और इसका कोई जवाब अब तक हमें नहीं मिल पा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके के चीजों के अंदर ट्रांसपेरेन्सी होनी चाहिए और क्या होता है टीवी के अंदर! टीवी के अंदर क्या दिखाया जाता है। कूड़ा दिखाया जाता है और कोई एक शॉट दिखाया जाता है कि दिल्ली के अंदर इतना कूड़ा है। लक्ष्मी नगर में इतना कूड़ा है और दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का फोटो लगाया जाता है उसके अंदर और लिखा जाता है कि दिल्ली कूड़ा-कूड़ा! तो बहुत सारे लोग है। देखिए, हमारा प्रजातंत्र है और सारी चीजें परसेप्शन पर बनती हैं और प्रजातंत्र में देश के अंदर ऐसे बहुत राज्य हैं, जो नहीं समझते कि ये जो कूड़ा है, किसकी व्यवस्था है! मगर अगर इस तरीके से टीवी के अंदर दिखाया जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो और कूड़ा-कूड़ा तो एक तरह से परसेप्शन खराब करने की कोशिश की जाती है। अध्यक्ष जी, ये ऐसा ही है, जैसा आप देखें कि बिहार के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से करोड़ों रूपये मांगते रहते हैं कि भई, हमें केंद्र से मदद की जरूरत है। या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कई बार केंद्र सरकार से पैसा मांगती रहती हैं। मगर ऐसा कभी नहीं होता कि क्योंकि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है जो कि कोई आब्लिगेशन नहीं है। तो ममता बनर्जी ये कह रही थी कि भई अस्पतालों के अंदर डाक्टरों और नर्सों को तनख्वाह देनी बंद कर दें और वहां पर सारे अस्पताल बंद हो जायें और बंद अस्पतालों के साथ मोदी जी की तस्वीर लगे और कहा जी कि देखो जी, कितना बुरा हाल है बंगाल के अंदर और तस्वीर मोदी जी की लगाई जाये। ऐसा कभी बंगाल में नहीं हुआ कि बंगाल के मुख्यमंत्री अपने कर्मचारियों की

तनख्वाह बांटना बंद कर दें। वहां त्राहि-त्राहि मच जाये और मोदी जी की फोटो चले आज तक पर या किसी और टीवी चैनल पर। तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है है कि एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन मजदूरों को भी परेशान किया जा रहा है, जिसको तनख्वाह नहीं दोगे वो तो परेशान होगा ही। जिसके घर में दो महीने तक, तीन महीने तक तनख्वाह नहीं आयेगी, उसको आप ब्लैकमेल करोगे और ब्लैकमेल करके उनको एक मेसेज दिया जाता है भई इन्हें परेशान करो, दिल्ली सरकार को। अगर दिल्ली सरकार को आप परेशान कर दोगे तो आपकी तनख्वाह रिलीज कर दी जायेगी। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये सात बार मोडसऑपरैण्डी आपके सामने आ गयी है कि बार-बार हाईकोर्ट के आदेशों के बावजू पिछली बार हाईकोर्ट ने आदेश दिया था एमसीडी को कि भई, आप विकास कार्य कर ये तनख्वाह मजदूरों को बांट दें। पर उसके बावजूद आप देखें कि ईस्ट एमसीडी के अंदर दो महीने तक हाईकोर्ट के आर्डर का कन्टेम्ट करते हुए इन्होंने तनख्वाह नहीं बांटी और बाद में इन्होंने पूरी स्ट्राईक की। वो स्ट्राईक किन लोगों ने की? वो मजदूर संघ आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनसे एफलियेटेड है या नहीं हैं, ये सब लोग जानते हैं और इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है । और ये एमसीडी का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ कचरे को लेकर नहीं है अध्यक्ष जी। ये हमारे एमएलएज आज भी शिकायत कर रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने जगदीश प्रधान जी के साथ चर्चा करते हुए क्या कहा। आपने कहा जगदीश प्रधान जी ने कहा कि भई हमारे यहां 73 कमरे बनवा दो स्कूलों के अंदर। दिल्ली सरकार उनके यहां 73 कमरे बनवा रही हैं। वो फंड जगदीश जी का नहीं है। वो फंड दिल्ली सरकार के एजूकेशन डिपार्टमेंट का फंड है। सिर्फ इसके लिए कि क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है इसलिए मंत्री जी ने कहा कि नहीं भई इनके यहां भी स्कूल

बनने चाहिए। उनके यहां भी कमरे बनने चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं? देखिए, एमसीडी के अंदर। वो फंड जो विधायक का फंड है। जो हमारा डिसस्क्रीशनरी फंड है। जो इस विधान सभा के जरिये हमें मिलता है। चार-चार करोड़ रूपये का फंड सब विधायकों का मिलता है। और देखिये दिल्ली की व्यवस्था ऐसी है जिसके हंदर अगर विधायक अपना फंड खर्च करना चाहता है तो 80 9परसेंट से 90 परसेंट जो फंड है, वो आप एमसीडी के जरिये ही खर्च कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर लैंड ऑनिंग एजेंसी एमसीडी है। अब दो तरीके बचते हैं। या तो आपएमसीडी को एज ए एक्जीक्यूटिव एजेंसी मान लो और आप कहो कि भई आप हमें एस्टीमेंट बनाके दे दो, हम आपको पैसा दे देते हैं विधायक फंड का और आप हमारा काम एक्जीक्यूट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप एमसीडी से कहो कि भई, हमें तुम पर भरोसा नहीं है या हम दिल्ली की किसी दूसरी एजेंसी से काम कराना चाहते हैं आप हमें एनओसी दे दो। हम दिल्ली गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से; फ्लड से, इरिगेशन से, पीडब्ल्यूडी से, स्लम डिपार्टमेंट से, किसी से हम काम करा लेंगे। ये शिकायत लगभग सभी विधायकों की है दिल्ली के अंदर भाजपा के विधायकों को छोड़ के। मैंने बहुत सारे सवाल इसके विषय में लगाये हैं। कल उनके जवाब भी आयेंगे कि जहां तक आम आदमी पार्टी के विधायकों का सवाल है, हमारे एस्टीमेट एमसीडी नहीं बनाती है और अगर एस्टीमेट बना देती है तो उनके वर्क आर्डर नहीं करती है, उनके टेंडर नहीं करती है। अध्यक्ष जी, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र ग्रेटर कैलाश में 2015 अगस्त का जो फंड दिया था, वो भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया। आज पौने दो साल होने को आ गये। विजेन्द्र गुप्ता जी बात कर रहे हैं जगदीश जी से। जगदीश जी मुस्करा रहे हैं। मगर आप कन्ट्रास्ट देखिए। देखिए, ईमानदारी दोनों तरफ दिल्ली सरकार है। हमारे

भोले–भाले मंत्री जी है कि आप एक बार उनके पास आ जाते हैं। वो आपको चाय भी पिलाते हैं और आपका काम भी कराते हैं। आपके यहां स्कूल भी बनवाते हैं और सुनो, आपकी गालियां भी सुनते हैं हर बार। और एक तरफ हमारे विधायक है। नहीं...मेरे भी तो मंत्री है। एक तरफ हमारे विधायक हैं, वो अपना फंड देते हैं। एमएलए लैड फंड देते हैं और उसके बावजूद एमसीडी उनके कामों को एक्जीक्यूट नहीं करती और देखिए, हमने एमसीडी के अधिकारियों को क्वेश्चन एंड रिफ्रेंस कमेटी में बुलाना शुरू किया। अधिकारियों के ऊपर दबाव बना कि भई ये काम आप एक्जीक्यूट क्यों नहीं करते। आप जवाबदेही दो। तो अधिकारियों को लगा कि भई अब तो हम काम नहीं रोक सकते तो अधिकारियों की चाल देखिए कि अधिकारियों ने क्या किया। अधिकारियों ने विधायकों के कामों को बंडल कर दिया। जैसे अगर मेरा साढ़े छ: लाख का काम है तो ऐसे ढेर सारे काम जोड़ के उन्होंने बीस करोड़ के बना दिये। पांच करोड़ के बना दिये। ढाई करोड़ के बना दिये और वो सारे के सारे काम उन्होंने स्टेंडिंग कमेटी को भेज दिए और स्टेंडिंग कमेटी में, बेशर्मी देखिये; भाजपा के भी पार्षद हैं, कांग्रेस के भी पार्षद है। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो शैलेंद्र सिंह मान्टी हैं, कांग्रेस के फरहाद सूरी हैं, सबने हाथ उठाके कहा कि हम एक ऐसा रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हम ये सारे काम विधायक फंड से नहीं होने देंगे और न ही इन कामों को कोई और एजेंसी कर सके। उसके लिए एनओसी नहीं दें। ये इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में पास किया है। उसके बाद भी नहीं रूके। उसके बाद ये इसको हाउस में ले गये और कांग्रेस और बीजेपी वैसे तो देखो, कितना लड़ते हैं। वहां पर इन्होंने सीटों पर उछल–उछल कर सबने हाथ उठा–उठा के कहा कि हां, ये रिजोल्यूशन हम सबको मंजूर है और अध्यक्ष जी, ऐसा केवल एक रिजोल्यूशन नहीं पास

किया, ऐसे इन्होंने करीब आधे दर्जन रिजोल्यूशन पास किये कि हम स्ट्रीट लाईट का जो फंड है, उसके अंदर एमएलए लैड से काम नहीं होने देंगे। किसी और एजेंसी को एनओसी भी नहीं देंगे। जिम का जो फंड है। उसके लिए न तो हम एनओसी देंगे, न खुद काम करेंगे। मतलब ये तो बेशर्मी हो गई और इसमें मुझे लगता है कि देखो, विजेन्द्र गुप्ता जी ऐज एन एमएलए भी मुझे लगता है कि विजेन्द्र गुप्ता जी को इमसें अपनी जिम्मोरी माननी चाहिए, वो काउंसिलर भी रहे हैं। उनको मालूम है कि एमसीडी का फंक्शन इसमें डिसाइड करने की अथॉरिटी नहीं है। MCD is just an executive agency है इसके अंदर। अगर विधायक के फंड का काम यूडी करा रही है तो एमसीडी कोई sanctioning authority नहीं है इसके अंदर सिर्फ एक executing angency है और इसका जो पूरा का पूरा प्रावधान है, वो इनके एक्ट में भी है कि they will just act an executing agency मगर ये हैं कि चुनाव इनके सर पर है तो ये बदमाशी कर रहे हैं और सुनिये एक रिजोल्यूशन इन्होंने क्या पास किया! इन सबको जब काउंसलर बनाया गया था, इन्होंने कहा कि भई हमको न एक-एक मोबाईल नंबर दे दो क्योंकि क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान रहती है तो एक मोबाईल नंबर हो हर वार्ड के अंदर ताकि वो फोन करके काउंसिलर से बात कर सकें। इन सबको सरकारी खर्च पर एक मोबाईल नंबर दिया गया। अब इन्होंने दो महीने पहले क्या रिजोल्यूशन पास किया; इन्होंने रिजोल्यूशन के अंदर ये कहा कि जी, क्योंकि आचार संहिता जब लग जाती है तो हमें ये मोबाईल नंबर वापिस करना पड़ जाता है तो उस वक्त हमारा और क्षेत्र की जनता का जो कनेक्शन है, वो टूट जाता है। इसलिए वो सारे के सारे जो मोबाईल नंबर्स हैं, जो सरकारी हैं, उनको प्राईवेट में कनवर्ट कर दिया जाए और इन्होंने वो रिजोल्यूशन भी पास कर दिया। मुझे नहीं पता कि

कमिश्नर ने उसको कैसे एक्जीक्यूट कर दिया। क्योंकि वो रिजोल्यूशन न सिर्फ सदन की अवमानना है, वो रिजोल्यूशन तो चुनाव आयोग का जो मॉडल कोड आफ कंडक्ट है, उसके भी खिलाफ है। क्योंकि आप मानिये कि एक नंबर जो आपने पार्षदों को दिया हुआ है, पूरी जनता को ये कहकर दिया हुआ है कि इसके द्वारा आपके एमसीडी के काम होंगे तो बेसिकली तो वो एमसीडी के लिए है और अगर चुनाव की आचार संहिता के दौरान वो नंबर आपके पार्षद के पास है तो अफसरों को भी ये मालूम है कि ये ऑफिशियल नंबर हैं लोगों को भी मालूम है कि वो ऑफिशियल नंबर है। तो मेरे हिसाब से मॉडल कोडऑफ कंडक्ट की खुल्लेआम अवमानना है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी, अपने गुड ऑफिस का प्रयोग करें और चुनाव आयोग को इसके बारे में चिट्ठी लिखें कि मतलब इस तरीके की मतलब ये तो मजाक उड़ा रहे हैं। आपको चुना हुआ प्रतिनिधि बनाके भेजा गया है, हाउस में आपको पावर दी गई है, वो इसलिए नहीं दी गई है कि आप इस तरीके के काम करेंगे। अध्यक्ष जी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी बातें बोलूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी मगर इनके यहां ऐसे काउंसलर भी हैं; पालम विधानसभा के अंदर इतनी बेशर्मी पर उतरे हैं कि वो काउंसलर हैं चुने हुए और उनके दोनों बच्चे ईडब्लयूएस कोटे में स्कूलों में एडमिटेड हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर, ये हालत है इनकी! आरटीआई का जवाब है हमारे पास। तो देखिये कि अब तो दिल्ली की जनता जो है, वो इनका फैसला करने वाली है। मगर अध्यक्ष जी, इसके ऊपर आप जरूर कोई न कोई निर्णय लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। एमसीडी दिल्ली के बहुत सारे कामों को स्पेशियली

सफाई व्यवस्था को बिल्डिंग बनाने, तोड़ने या रूकवाने उसकी छोटी नालियां, सड़कें, छोटे चिकित्सा संस्थानों को प्राईमरी स्कूलों को इन सबका रख-रखाव एमसीडी दिल्ली में करती है जो कि एक इंडीपेंडेंट बॉडी है और आज करीबन 10 सालों से बीजेपी की सरकार उसमें है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक लेख में पढ़ रहा था कि दिल्ली की एमसीडी वर्ल्ड की सबसे करप्ट संस्था के नाम से जानी जाती है। हमारे माननीय मेम्बर ने अभी बताया कि एमसीडी में किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो चुने हुए विधायक हैं, उनके कामों को रोका जा रहा है और एक मनमाने तरीके से कोई भी रूल और रेगुलेशन पास किये जाते हैं जो दिल्ली की जनता के हितों के खिलाफ होते हैं। एक रूल मैं पढ़ा रहा था जिसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट में कहा कि हम एमसीडी के करीबन करीबन एक हजार करोड़ रूपये के आसपास का और एक्स्ट्रा बजट देते हैं जबकि पिछले वर्ष के मुकाबले ये बहुत बड़ा अमाउंट एमसीडी को दिया गया और जिसके कारण मुझे लगता है कि एमसीडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत बड़ी सहायता दिल्ली सरकार ने की लेकिन बार-बार करीबन तीन बार इस साल में, एमसीडी ने कहा कि हमारे पास सेलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं और जो पैसा है, उसका हिसाब नहीं दिया जाता। मनमाने तरीके से किसी भी कांट्रेक्टर की पेमेंट की जाती है। किसी भी काम को जो दो रूपये का, उसे बीस रूपये का और जो बीस रूपये का है, उसे पांच सौ का और एक मनमाने से पैसों का इस्तेमाल किया जाता है और ज नता को लूटने का एक बहुत बड़ा कार्य किया जाता है।

अभी कुछ दिन पहले फिर एक और स्ट्राइक हुई। उसमें कहा कि हमारे पास सेलरी के लिए पैसे नहीं हैं और किन लोगों की सेलरी के लिए पैसे

नहीं हैं, वो लोग जो अपनी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, जो बहुत ही गरीब तबका है, जो दिल्ली की सफाई की सेवा में लगा हुआ है, दिल्ली में जो सफाई की सेवा है, उसमें करीबन-करीबन डेढ़ लाख वर्कर लगा हुआ है और उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति कमा कर लाये। उनकी तीन-तीन महीने सेलरी रोककर, उनको परेशान किया जाता है और अपनी राजनीतिक रोटी सेंकी जाती हैं और वो राजनीतिक रोटी सेंकने का इनका एक ही तात्पर्य है कि जो दिल्ली की जनता है, उसमें इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए कि दिल्ली में अराजकता है, दिल्ली सरकार उनको पैसा नहीं दे पा रही है जो कि बहुत, सरासर एक झूठ का, एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है और इससे एक बात तो जनता को पता चल रही है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार एक तरफ एमसीडी के पैसे बढ़ा रही है दूसरी तरफ दिल्ली में दिल्ली की सरकार स्कूलों को बढ़ा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा रही है, ट्रांसपोर्ट को बढ़ा रही है और एमसीडी में जो बीजेपी सरकार बैठी है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने के लिए प्रोपगंडा रच रही है। इस बार भी दो हफ्ते पहले इन्होंने स्ट्राइक शुरू की और कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमारे उप-मुख्यमंत्री, जो हमारे वित्तमंत्री भी हैं, ने कहा कि हम आपको और पैसा दे देंगे लेकिन आप काम न रोकें। जब बात आती है दिल्ली में सफाई व्यवस्था को चलाने की, तो सफाई व्यवस्था को चलाने के लिए अभी पीछे एक साल पहले हमने इसी विषय पर और डिस्कशन किया था तब हमने पाया कि एमसीडी में कीरबन 22 हजार के आसपास घोस्ट इम्प्लाई हैं, वो भूतिया इम्प्लाई हैं जिनकी सेलरी तो जाती है, लेकिन उनके बारे में पता नहीं चलता। हमने कई बार इस सदन में ये बात उठाई कि उनके बारे में ब्यौरा दिया जाए, उनको कहा जाए

कि इन कर्मचारियों को लेकर आओ, उसके विषय में कोई बात नहीं हुई। दिल्ली में एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है जिसको बिल्डिंग माफिया के नाम से जाना जाता है। वो बिल्डिंग माफिया मेयर जो इस दिल्ली के तीनों एमसीडी के अध्यक्ष माने जाते हैं, उनके अंडर जो एमसीडी है, उसमें चलाया जाता है। किसी मकान पर 75 हजार रूपये पर लेंटर, किसी में एक लाख रूपये प्रति लेंटर मांगे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कनक्ल्यूड करिये अजय जी, कनक्लूड करिए प्लीज। बहुत वक्ता हैं।

श्री अजय दत्त : और इस तरीके से दिल्ली में लोगों को परेशान करने की जो कवायद चल रही है, वो दिन-रात जारी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय जो बड़ा गंभीर है, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक टॉयलेट क्लस्टर बन रहा था और दो महीने पहले एमसीडी के अधिकारियों ने आकर उसको रोक दिया, वो ड्यूसिब विभाग चला रहा था। हमने उनसे पूछा कि भई आपने रोका क्यों? उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी लैंड पर नहीं बन सकती जबकि ऐसा कुछ नहीं था। झुग्गी बस्ती के पास की जो लैंड है, जेजेआर में वो सारा ड्यूसिब के अंतर्गत आता है। ये एक अंडर स्टेंडिंग बाय रूल है, बाय लॉज नहीं है और उन्होंने वो रोक दिया जब कि ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर डूसिब को भी सैंट्रल गवर्नमेंट से ये हिदायत है कि आप स्वच्छ भारत अभियान को चलाओ और एमसीडी के अधिकारियों ने वहां के काउंसलर के कहने पर वो टॉयलेट कलस्टर रोक दिया तो इस तरीके की घटना, ये तुच्छ हरकत ये कर रहे हैं गवर्नमेंट को और जनता को परेशान करने के लिये। ये मुझे लगता है कि ये बहुत

ही गंभीर है और मैंने छह महीने पहले कुछ काम दिये थे एमसीडी को। उनको कह कर कर, कमिश्नर को कह कह कर वो भी मैंने रिपयेर के काम दिये, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम दिये, वो आज तक ओन ग्राउंड नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं थोड़ा सा संज्ञान में लाना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ कामों को क्लब करके वो एक करोड़ दो करोड़ करने के बाद उसे वो कमेटी में, सदन में ले जा के रोक देते हैं लेकिन मेरे केस में जो काम है, वे पंद्रह लाख के, बारह लाख के, तेरह लाख के हैं, उनको भी ओन ग्राउंड नहीं करा रहे हैं। तो इससे साफ-साफ ये देखने को मिलता है कि दिल्ली की जनता को परेशान करने का बीड़ा एमसीडी ने उठाया है और उसका जितना भी, जो भी गलत क्रेडिट है, वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एमसीडी के तीनों मेयर्स और कमिशनर्स को बुलाकर ये पूछा जाये कि एमएलए लैड फंड का काम क्यों नहीं हो रहा है जो टॉयलेट क्लस्टर बन रहे हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है और ये कब तक होगा? इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मु झे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज पूरा हिंदुस्तानल जानता है कि हमारे दिल्ली में एमसीडी सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। दस साल से इसमें बीजेपी का राज है और बीजेपी के पार्षदों ने इसको इतना भ्रष्ट बना दिया है कि यहां पर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ये तो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे

इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। इनके कहने पर ही काम होते है। हमारे कहने पर लोग फोन भी नहीं उठाते। आज ये स्थिति है कि हम अगर जेई को भी फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाता। अगर हम किसी और के नंबर से फोन करते हैं तो वो फोन उठा लेता है। जैसे ही वो बोलता है कि विधायक जी बात करना चाहते हैं, उसी समय उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। एक दिन तो स्थिति मेरे साथ ऐसी हो गई कि मैं उसके आफिस के बाहर खड़ा रिंग कर रहा था, उसकी टेबल पर रिंग बज रही थी, वो फोन नहीं उठा रहा था। जब मैंने जा के उस को बोला तो कहता मुझे ध्यान नहीं पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये स्थिति है कि वहां के सब अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि न तो विधायक के साथ जायेंगे, न उनका फोन उठायेंगे और न उनका कोई एस्‌ओमेट बनायेंगे। हमारे क्ष्नेत्र में लगभग डेढ़ साल से मैंने एमएलए फंड से एमसीडी को करने के लिये कुछ काम दिये हुए हैं, आज तक उसके एस्टीमेट नहीं बने, आज तक कोई काम नहीं हो पाया। जनता ने हमें बड़ी उम्मीदों के साथ जिताया। जनता को सारी उम्मीदें हम से हैं। रोजमर्रा के काम जो एमसीडी के पास हैं, जनता हमें फोन करके कहती है कि आप कराओ। हमें क्या मतलब एमसीडी से? वो तो चाहते हैं कि आप ही के द्वारा सब काममम हों। एमसीडी सुबह कूड़ा उठाने का काम, नालियां साफ करने का काम, एमसीडी के सकूल, एमसीडी की डिस्पैन्सरियां, एमसीडी के हैन्डीकैप्ड के बूथ्य, ये सारे काम एमसीडी के पास हैं लेकिन स्थिति ये है कि मैं हैन्डीकेप्ड के बूथ पर जाता हूं कि स्थिति क्या है वहां की। मेरे यहां पर केवल सात बूथ हैं जो एमसीडी ने परामीशन दी हुई है और 2007 के बाद से उन्होंने परमीशन नहीं दी। हमारे डिस्ट्रिक्ट सैंटर के अंदर केवल 4 2 बूथ लगे हुीए हैं जिसमें वहां के मयेर के भी बूथ लगे हुए हैं, वहां के पार्षद के भी बूथ

लगे हुए हैं और बीस-बीस हजार रूपये किराया वसूला जा रहा है उनसे। हमने कई बार उनको लिख कर दिया कि ये बूथ नाजायज हैं, इनको हटाया जाये लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं जाकर गरिमा गुप्ता हमारी डीसी हैं, मैं उनसे भी जाकर मिला। मैंने उनके सामने बहुत सारे प्रश्न रखे। मैंने उनके साथ मीटिंग की। मैंने उनसे दो महीने बाद मींटिग के मिनिटस मांगे, उन्होंने आज तक मुझे नहीं दिये। लास्ट में ये पता चलता है कि वो कहती हैं कि वो सब खो गये जी। जो कागज आपके थे, आप दोबारा से हमे दे दीजिए, हम कर लेते हैं। ये स्थिति हो गई है एमसीडी की अधिकारियों की और बड़े बैठे अधिकारियों की। मेरे पास एक लैटर है जो मैंने पुनीत गोयल जी को 18 सितंबर को दिया था। रिसीविंग लेके आया था। आज तक उस लैटर का उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। ये एमसीडी की पोजीशन हो चुकी है। एमसीडी के स्कूलों में मैं गया, मेरे वहां के स्कूल जो हैं। उसमें पढ़ने वालों की भीड़ तो बहुत है लेकिन पढ़ाने वाले नहीं हैं वहां पर। मैंने वहां पर प्रिंसीपल साहब से पूछा कि यहां पर एमएमसी बनी होगी, बोले हां, ''बनी है।'' मैंने उनको कहा, ''आप मुझे लिस्ट दे दो फोन नंबर के साथ।'' मैं उनसे लिस्ट लेकर आया, मैंने उनको फोन मारा, वो बोलते कि मेरे बच्चे को तो पढ़े हुए पांच साल हो गये वहां पर। मैंने कहा कि आप आज तक वहां के मैम्बर हैं। मैंने पार्षद को फोन मारा। वो कांग्रेस की, वहां की पार्षद हैं, बोलती, ''एमएमसी क्या होता है?'' आप ये देखो, पार्षद को यही नहीं पता कि एमएमसी क्या है! तो वो एमएमसी मैम्बर कर क्या रहा है वहां पर? स्थिति इतनी खराब है वहां के स्कूलों की कि वहां पर पानी की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। एमसीडी पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रही वहां पर। मैं देखने गया डिस्पैन्सरीज को, मैं डिस्पैन्सरी देखेन गया तो देखा कि मरीज तो नीचे बैठे हैं लेकिन ऊपर सारे डाक्टर लापता

हैं। मैंने फोन मारा एक से नंबर ले के तो डाक्टर साहब बोले कि मैं किसी काम से आया हूं। मैं लिखवा के आया हूं कि काम से निकला हुआ हूं। नर्से वहां बैठ के इलाज कर रही हैं, दवाइयां वहां हैं नहीं, पट्टी वहां है नहीं और ये स्थिति है कि पैसा हजारों लाखों करोड़ रूपया लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अस्पतालों की स्थिति तो सब जानते ही हैं। एक अस्पताल जो टीबी का हास्पिटल है, उसके बारे में तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि लोग कहते हैं, ''यहां लोग आते तो स्ट्रेचर पर हैं, जाते अर्थी पर हैं।'' ऐसी स्थिति एमसीडी की है। इसको सुधारना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : कन्कलूड करिये।

श्री राजेश ऋषि : ये समझ में नहीं आता कि एमसीडी के तीन टुकड़े करने का मतलब क्या था? क्या लूटने का तरीका बनाया गया?

अध्यक्ष महोदय : ऋषि जी, कन्कलूड करिये कन्कलूड करिये।

श्री राजेश ऋषि : एमसीडी के पार्षद इस समय ऐसी स्थिति में हैं कि उनकी स्थिति आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे जिसको एक रूपया नहीं मिलता वहां से, एमसीडी से तनख्वाह नहीं मिलती, उनके पास आज दो दो करोड़ के बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उनके पास ये कहां से आये? ये सारा करप्शन वो कर रहे हैं।

मैं एक आपको छोटी सी और बात बताता हूं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऋषि जी अब कन्कलूड करिये, प्लीज कन्कलूड करिये।

श्री राजेश ऋषि : मेरे यहां एक सब्जी वाले का मकान बन रहा था। 25 गजे का मकान वो बना रहा था पता चला कि एमसीडी वाले तोड़ने आये हुए हैं। मैं वहां पहुंच गया। मैंने वहां रोका उनको। वो रूक तो गये बोले कि आप एक्सईएन साहब से बात कर लीजिये। एक्सईएन साहब को फोन मारते रहे। उन्होंने फोन नहीं उठाया। आखिर मैंने उन्हीं के एक अधिकारी का, जो वहां पर आया हुआ था, उसी के फोन से मैंने फोन मारा, उसने उठाया, मुझे बोलते हैं,'अरे! वो तो टूट गया, वो तो टूट गया भाई साहब। आपने फोन देर से किया है।'' मैंने कहा, ''मैं वहीं खड़ा हूं जिसके सामने ये बिल्डिंग लगी हुई है। बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ हूं मैं।'' मेरे जाते ही उन्होंने पूरी बिल्डिंग को ढहा दिया जब कि उसकी बगल में पांच-पांच सौ गज के बहुत बड़े बड़े फ्लोर बन रहे हैं, उनको छुआ तक नहीं। इन्क्रोचमेंट इतना कर दिया कि फुटपाथ पर मकान बना दिये हैं इन्होंने। एमसीडी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाये। क्योंकि जिस तरीके से ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, इसको ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि कम समय लें। वक्ता बहुत है। मैं चाहता हूं कि सब बोल लें। जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान: धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दो साल के अंदर एमसीडी को लेकर सदन में कई बार चर्चा हुई और एमसीडी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाये गय। जब ये तीन एमसीडी का गठन हुआ, शीला जी की सरकार थी उस समय और मैं उस समय निगम पार्षद था। उमेश सहगल

की कमेटी बनी थी जसने इसका सारा खाका तैयार किया। उसमें हमें भी जाने का मौका लिए और मैंने उस समय खास कर ईस्ट एमसीडी को लेकर, इस पर अपनी नाराजगी रखी थी क्योंकि ईस्ट एमसीडी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां 25 गज, 50 गज झुग्गी झोंपड़ी अनऔथराईज बस्तियां हैं, यहां से टैक्स ज्यादा कलैक्ट नहीं हो पाता और हमने उस समय से कहा था कि तीन एमसीडी बनाने से ईस्ट एमसीडी की हालत खराब रहेगी। तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली सरकार से इसकी भरपाई ईस्ट एमसीडी को करेंगे। तो आज बार-बार छह सात बार या आठ बार ईस्ट एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं। एक तो ये चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट थी, उसको आप को लागू करवाना चाहिए और जो ईस्ट एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं या दूसरे डिपाटमेंट हैं, क्योंकि ईस्ट एमसीडी के पास में अपना कमाई का कोई साधन नहीं है, बहुत बड़ा। साउथ एमसीडी की अच्छा इन्कम है, उसके बाद नार्थ आता है। ईस्ट एमसीडी बिल्कुल गये गुजरों में है। तो मैं इस पर ज्यादा राजनीति ना करते हुए विजेन्द्र गुप्ता जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन्होंने दुखड़ा यहां रोया है कि एमसीडी हमारे काम नहीं कर रही तो अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी निवेदन करना चहाता हूं, विजेन्द्र गुप्ता जी से भी और उप मुख्य मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, कि इसका कोई इस तरह का निर्णय निकाला जाये ताकि सफाई कर्मचारी हों या दूसरे डिपार्टमेंटस हो, उनको समय पर उनकी तनख्वाह मिले और जो एमसीडी हमारे विधायकों के काम नहीं कर रही है, उसको हिदायत दी जाये। एलजी साहब के पास जाना चाहिए, गुप्ता जी आपको भी और इन भाइयों की हमें मदद करनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं, ''भईया, अगर काम नहीं कर रहे तो वहां बैठ के इसका रास्ता निकालना चाहिए।''

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री जगदीश प्रधान : खाली कारेपोरेशन को यहां आकर हम गाली देते हैं सदन में, उससे काम चलने वाला नहीं है। यदि मैं बार-बार दिल्ली सरकार की हर वक्त गलतियां निकालता रहूंगा तो शायद आप भी मेरा काम नहीं करें। तो हमें सबको ताल मेल बना कर अपने काम निकालने चाहिए। एमसीडी से निकालने चाहिए, दिल्ली सरकार से निकालने चाहिए और जो उनकी भरपाई हमें करनी चाहिए, उससे दिल्ली सरकार को पीछे नहीं हटना है, उसको करनी चाहिए। धन्यवाद जी।

अध्यक्ष महोदय : राजेंद्र पाल गौतम जी।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से कई बार एमसीडी में हड़ताल हुई। पूरी दिल्ली को गंदगी के ढेर पर बिठा के रख दिया। एक तरफ तो एमसीडी कहती है कि उनके पास सफाई कर्मचारियों को और बाकी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ जहां एमसीडी प्रति मिट्रिक टन उठवाने के लिए 470/- रूपया देती है, वहीं उसी एमसीडी में प्राइवेट 4 कंपनियों को 13 00 से लेकर लगभग 1500 प्रति मिट्रिक टन पैसा दिया जा रहा है, कितना बड़ा घोटाला है ये! मतलब कितनी कंट्रोवर्सियल चीजें सामने आती हैं, जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो 470 रूपए प्रति मिट्रिक टन में आज भी उठ रहा है और दूसरी तरफ उसी एमसीडी में 1300 से लेकर 1500 प्रति मिट्रिक टन कूड़ा उठ रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार! और इसके बारे में हमने एंटी करप्शन ब्रांच में भी कंपलेंट दी। अभी तक न एफआईआर दर्ज हुई है, न कोई कार्रवाई

हुई है। विद प्रुफ दी है और इतना ही नहीं एमसीडी के खुद के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर आपस में लड़ पड़े और ये बात निकलकर आई कि जो बीजेपी के अध्यक्ष थे पिछले, उनके इशारे पर उन 4 बड़ी कंपनियों को इतने ज्यादा पैसे पर वो ठेके दिए गए हैं...जी बिल्कुल सतीश उपाध्याय जी।

माननीय अध्यक्ष जी, एमसीडी के पास फंडस के कई प्रकार के साधन हैं जैसे; यूनीपोल एडवटाईज से जो पैसा आता है, पार्किंग से पैसा आता है, प्रोपर्टी टैक्स से पैसा आता है, चालान्स कटते हैं, उससे पैसा आता है, एडवटाईजमेंट से पैसा आता है और जो कम्युनिटी हॉल बुक होते हैं, उससे पैसा आता है। जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टरी होती है प्रोपर्टीज की, उसमें से भी काफी बड़ा हिस्सा एमसीडी के पास जाता है। एमसीडी की बिल्डिंग के किराए का पैसा आता है और जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं और जब वो प्रोपर्टीज बुक हो जाती है, उसको कंपाउंड करके एक बहुत बड़ा एमाउंट अनअथोराइज कंस्ट्रक्शन करने वाले से लिया जाता है, तब वो मैटर कंपाउंड किया जाता है, उससे भी पैसा आता है। आखिर इतने सारे फंडस जनरेट करने के साधन होने के बावजूद ऐसी कौन सी वजह है कि एमसीडी हमेशा पैसे का रोना रोती है। मैं समझता हूं कि एमसीडी में इच्छा शक्ति की कमी है। एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। वरना मैं समझता हूं कि एमसीडी को अगर सही तरीके से चलाया जाए तो पर्याप्त साधन मौजूद हैं और एमसीडी को दिल्ली सरकार से फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार का मामला है, जिसकी वजह से एमसीडी आर्थिक तंगी से गुजर रही है।

अध्यक्ष महोदय, कई बार मैंने देखा, यूनीपोल के अंदर बड़े-बड़े होर्डिंग लगे होते हैं निगम पार्षदों के। मैं 23 साल की वकालत के बाद भी आज

एक महीने के लिए यूनीपोल किराए पर नहीं ले सकता और मेरे से 10 साल जूनियर वकील जो काउंसलर बन गए, उनके कई-कई महीनों तक यूनीपोल पर एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं। आखिर उनके पास इतना फंड आ कहां से रहा है। मतलब काउंसलर तो अमीर हो रहे हैं लेकिन एमसीडी गरीब हो रही है। ये चिंता का विषय है, जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए कि एमसीडी की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में किसका रोल है और ये जो स्ट्राइक बार-बार हो रही है, मैं ये समझने की कोशिश करता हूं इसकी वजह क्या है। मैं समझता हूं इसकी राजनैतिक वजह है। ये दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश है क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, पब्लिक से मिलते हैं घर-घर जाते हैं और मैंने पीछे अभी अपनी 40 मौहल्ला सभाओं में जनता संवाद भी किए, तो जनता संवाद में नहीं रखी। जबकि ओपननेस थी कि कोई भी व्यक्ति, कुछ भी पूछ सकता था, कुछ भी कह सकता था। जितनी भी समस्याएं आई, वो कूड़े को लेकर, नाली की सफाई को लेकर, कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, उसको तुड़वाने को लेकर या मेड को भेजकर प्रोपर्टी बुक की और उसके बाद 20-30-40 हजार रूपए लेकर उसको रैगुरलाइज किया गया या ये कहिए कि उसको तोड़ने से बच गए। तो इस तरह की शिकायतें जितनी भी आ रही हैं, सारी एमसीडी को लेकर आ रही हैं। एक भी तो शिकायत दिल्ली सरकार को लेकर जनता ने हमोर सामने नहीं रखी। अब आप देखेंगे, ये सैक्शन (42) इसमें कुछ obligatory functions of Corporations हैं। जब इसको देखते हैं तो Construction, maintence and cleaning of drains and drainage, works in public latrines and urinals ans similar conveniences. अगर इसमें देखें तो ड्रेनेज की जनता शिकायत करती है एक-एक सप्ताह में, 10-10 दिन में सफाई हो रही है नाली की, 10-10

दिन तक कूड़ा रोड पर पड़ा रहता है, कोई उठाने नहीं आता और लोग ये जानते हुए भी कि एमसीडी के कर्मचारी हैं, कोई निगम पार्षद को नहीं कहता, हमें कहते हैं कि हमने आपको जिताया, दिल्ली में आप जवाब दीजिए।

दूसरा, unhealthy locatlities, the removal of noxious vegetaion and generally the abetment of all nuisances दिल्ली के अंदर जगह-जगह nuisances क्रिएट हो रही है उस nuisances को एमसीडी नहीं रोक रही है। एनजीटी की जो गाईड लाइंस है, उसके अनुसार जहां-जहां आग लगाई जाती है, उस आग लगाने वाली एजेंसी या आग लगाने वाले प्राइवेट जो लोग हैं, उनके चालान काटने की जिम्मेदारी एमसीडी की है लेकिन उसको एमसीडी नहीं करती है। दिल्ली में वैक्सिनेशन की जिम्मेमदारी है और जो खतरनाक बीमारी; जैसे मलेरिया, डेंगी और चिकनगुनियका की रोकथाम के लिए जो प्रिवेंटिव भेजर्स एमसीडी को लेने चाहिए, जो फोगिंग करनी चाहिए, रैगुलर नाली साफ करनी चाहिए, कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ये सारे काम अगर देखें तो एमसीडी एक भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर पा रही है। इसके साथ-साथ जैसा अभी राजेश ऋषि जी बोल रहे थे, इनकी डिसपेंसरिज की हालत, स्कूल्स की हालत, पीछे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूरा का पूरा डेटा रखा था कि जो प्राइमरी स्कूलों से, एमसीडी से बच्चे पास करके और सीनियर सैकेंडरी स्कूल्स में आ रहे हैं, दिल्ली गर्वनमेंट के स्कूल्स में वहां 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिताजी का नाम नहीं लिख सकते। आखिर इन स्कूलों की इतनी बदहाली किस लिए कि गई है।

अध्यक्ष महोदय : गौतम जी कंकलूड करिए प्लीज।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : सर, मेरी ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बातें हैं।

मैं ये बताना चाह रहा था कि जो जिम्मेदारी एमसीडी की है, जिसमें क्लीनलीनेस, एयर पोल्यूशन, सोलिड वैस्ट मैनेजमेंट, Financial situation and preventive health care, सैनीटेशन, कल्प लाइसैंसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, ये जितने भी काम एमसीडी को दिए गए हैं, अगर इसमें काम का रिजल्ट देखें, एमसीडी ने क्या किया? अगर उसको नंबर देने पड़ें तो 10 में से किसी में 0 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, किसी में 3 मिलेगा, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बदहाल स्थिति दिल्ली के इन लोगों ने कर दी है और एमएलए लैड का तो आप देख ही रहे हैं। अभी आपने भी ये महसूस किया होगा। माननीय स्पीकर साहब, आपने भी झेला होगा, मैं भी झेल रहा हूं और बाकी भी हमारे साथी झेल रहे हैं। एमएलए लैड फंड में जैसे हम एस्टीमेट बनवाने में हम सफल हो गये और हमने फंड भी रिलीज करवा दिया, उसके बाद जब हमने पूछा टैंडर? तो कहा कि टैंडर नहीं हो पाया चूंकि 5 परसेंट काट लिया एमसीडी ने इसलिए अब जितनी जरूरत थी, उतना पैसा कम रह गया और पहले वो पैसा दिलवाओ उसके बाद हम टैंडर करेंगे। तो जो काम आज हमारा हो जाना चाहिए, वहीं काम हमारा 7-8 महीने कम से कम लेट होने वाला है उप मुख्यमंत्री जी ने बकायदा डायरेक्शन दी थी कमिश्नर साहब को बुलाके उसके बाद भी रिजल्ट जीरो है। और तो और मैंने एक चीज ओर देखी है आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : गौतम जी कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : सिर्फ लास्ट बात अध्यक्ष जी। मैंने अपने यहां जितने भी काम हुए, उन कामों की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दिया, उसका असर इस साल मुझे यह देखने को मिला कि ठेकेदारों ने टैंडर ही नहीं डाले और

अगर डाले तो पिछले साल जितना एस्टीमेमट बना था, उस एस्टीमेट से किसी ने 40 परसेंट बिलो डाला, किसी ने 30 परसैंट बिलो डाला और इस बार मेरे जितने टैंडर हैं, जितना एस्टीमेट था, उतना या थोड़ा बहुत ऊपर टैंडर आ रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है! पहले वही 60 परसैंट पर, 70 परसैंट पर हो रहा था काम और अब वही 100 परसैंट या उससे भी ऊपर जा रहा है। एक साल के अंदर ऐसा क्या हो गया!

अध्यक्ष जी, ये जांच का विषय है इसकी जांच कराई जाये एमसीडी पूरी तरह से नाकाम है और मैं समझता हूं अगर संभव हो तो ये जो तीन एमसीडी जो बनी है, इसका सारा नुकसान निचले तबे का जो एमसीडी कर्मचारी है, वो झेल रहा है, इसपर कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही जरूरी विषय पर बोलने का अवसर दिया। अब से कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी तब एमसीडी के ऊपर एक चर्चा की गई थी जिस वक्त डेंगू व चिकनगुनिया से पूरी दिल्ली त्रस्त थी, परेशान थी और तब भी एमसीडी का नाकारात्मक रवैया, उनका काम न करने का रवैया, मिस मैनजमेंट इस बारे में बहुत सारा डिसक्शन हुआ था। जैसा कि सौरभ भाई बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले, वे भी टीवी चैनल्स पर कई बार डिबेट पर जाते हैं, मैं भी कई बार गया हूं और वहां पर सीन एक बड़ा अजीब सा हो जाता है। तब हम बात करते थे प्रिवेन्टिव मेजर्स जो हैं वो एमसीडी के पास हैं, क्यूरेटिव जो हैं, जब डेंगू और चिकनगुनिया की बात कर रहे थे और क्यूरेटिव जो है, वो दिल्ली सरकार के पास होते

हैं और जो एंकर होता था किसी भी शो का, वो कहता था कि इनकी आपसी राजनीति में न जाने दिल्ली की जनता कब तक पिसती रहेगी। सेम एक दम वैसा ही होता है, जब भी सफाई कर्मचारियों की स्ट्राईक होती है; दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा होता है, जगह-जगह कूड़ा फैला हुआ होता है, गंदगी की भरमार होती है और फिर से डिबेट होती है फिर हम कहते हैं कि पैसे दे चुके हैं। वो कहते हैं कि जी पैसे नहीं मिले। यहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है और फिर एंकर एंड में कहता है कि इन दोनों की आपसी राजनीति के बीच में दिल्ली की जनता कब तक पिसती रहेगी! ये क्लेयरिटी होनी बहुत जरूरी है, ये चीजें क्लीयर होनी बहुत जरूरी है। ये चीजें क्लीयर होनी चाहिए। पैसा दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? सफाई कर्मचारी बहुत ही गरीब घरों से आये हुए लोग हैं। उनकी मजबूरी है। अगर 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी तो स्ट्राईक करेंगे, हमें उनस कोई परेशानी नहीं है, परेशानी उनसे है जिनके पास पैसे पहुंच गये और आगे नहीं दिये, उन्होंने फंड को डायवर्ट कर दिया। डायेवर्ट कैसे करते हैं; 12 करोड़ रूपये की वेबसाईट बन रही है जो आज तक बनकर तैयार नहीं हुई है। ऐसी-ऐसी चीजें बनाते हैं जिसकी कोई जरूरत ना हो, बनती भी नहीं है और करोड़ों रूपये उसमें खर्च हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे यूनीपोल लगे हुए हैं जो उनकी लिस्ट में नहीं है। मैंने दिखाये हैं, एमसीडी के लोगों को ले जाकर दिखाये है और उनकी लिस्ट में वो नहीं है। मैंने दिखाये हैं, एमसीडी लोगों को ले जाकर दिखाये हैं और उनकी लिस्ट में वो पोल नहीं हैं, एक्शन लेंगे इस पर। आज 10 साल हो गये भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में कायम हुए। विजेन्द्र जी सही कह रहा हूं? In 10 years BJP councillors who are ruling the MCD are absolutely clueless how to run this MCD! They are clueless

how to increase the income of MCD! They are clueless what the people who have voted for them, they are absolutely clueless कि वो आदमी जिसको 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, उसके घर में रोटी कैसे बनती है!

सर, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं; एक स्टालिन नाम के जार थे रशिया में। वे एक बार अपने काउंसिल के पास मीटिंग में गये और एक मुर्गा लेकर गये। आजकल बहुत चल रही है वो स्टोरी। वो मुर्गा लेकर गये काउंसिल के बीच में बैठे-बैठे एक-एक करके पंख निकालने लगे, मुर्गा चिल्लाता रहा दर्द से खून से निकलता रहा, पर वो पंख निकालते रहे और सारे पंख निकाल दिये सर। मुर्गा चिल्ला रहा था, खून भी बह रहा था। उसने उस मुर्गे को जमीन पर छोड़ा, चार दाने डाले उसके सामने। मुर्गे ने वो 4 चाने खाये, 4 दाने और डाले वो चार दाने ओर खाये, उसके बाद स्टालिन खड़ा हुआ और आगे चलने लगा 2-4 दाने डालता गया मुर्गा उसके पीछे-पीछे चलने लगा और थोड़ी देर बाद जा के मुर्गा उसके पैरों में लिपट गया, तो स्टालिन ने कहा, ''ये जनता है।'' ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद उसी स्कूल ऑफ थोट से आते हैं जो जनता को ऐसा समझते हैं कि इतने दिन तक इनके पर नौचते रहो, इनको लहू-लुहान कर दो एंड में बस थोड़ा सा लॉलीपोप दे दें, ये तुमको वोट देंगे। 2012 में बिल्कुल ऐसा किया था इन्होंने, अगर आपको याद हो 2012 के आस-पास ये पैंशन की एक स्कीम लेकर आये थे। ये फंड रोना रोते रहते हैं। ये फंड इन पर तब भी नहीं थे, उधार लेकर दिल्ली आये थे। ये फंड का रोना रोते रहते हैं। ये फंड इन पर तब भी नहीं थे, उधार लेकर दिल्ली सरकार से तब भी काम चला रहे थे जिस उधार की अभी तक हम लोगों ने रिकवरी नहीं शुरू की है प्रेजेंट सरकार ने। तब भी उधार लेकर

चला रहे थे पर एमसीडी के काउंसलर्स की वोट बनाने के लिए इन लोगों ने पैंशन स्कीम शुरू की थी। इनक ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में पेंशन स्कीम नहीं आती है। पर जनता को धोखा देने के लिए कुछ महीने पेंशन दी थी। ये फंड को चुराने की कोशिश करते हैं या इनको फंड को खर्च करना नहीं आता, ये समझ में नहीं आता कि ये लोग चोर बड़े हैं या इनकम्पिटैंट बड़े हैं! ये समझ में नहीं आता। ये जो सफाई कर्मचारियों की दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ सालों का इतिहास पूरे देश में देखा गया है कि कितने बड़े दलित विरोधी हैं। चाहे वो रोहित वैमुला का मामला उठा लीजिये, चाहे वो गुजरात के पिटते हुए दलितों का मामला उठा लीजिये। ये लोग बार-बार दलितों के खिलाफ करते हैं। इन्होंने हमेशा दलितों को परेशान करने की कोशिकश की है दिल्ली में। इस तरीके की राजनीति करते हैं ये लोग, बांटने की कोशिश की। कोशिश की है दिल्ली में। इस तरीके की राजनीति करते हैं ये लोग, बांटने की कोशिश करते हैं हमेशा। जैसे दिल्ली की जनता ने उठा क बीजेपी को तीन सीट पर समेट दिया है, उसका बदला निकाला जा रहा है। हर साल समय पर दवाई नहीं छिड़की जाती, सफाई नहीं की जाती, मलेरिया की, डेंगू की इन सबकी रोकथाम के ऊपर काम नहीं किया जाता। दिल्ली की जनता से बदला लिया जाता है। उसी तरह से बार-बार कूड़ा फैला के, सफाई ना करवा के फिर ल्लिी की जनता से बदला लेते हैं। ऐसी राजनीति करते हैं! किस तरीके की इन्टैंशन, किस तरीके से गिरे हुए स्तर पर पहुंच गई आज राजनीति को लेकर आ गये हैं ये लोग! हम लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बहुत जोर-शोर के साथ ये बात जनता तक पहुंच जानी चाहिए। इस सदन के माध्यम से सर, आपको भी इसके ऊपर इन्कवारी बिठानी चाहिए कि ये होता क्या है, ये फंड जाता कहां है! इनके खाते ऐसे क्यों कि ये खो दिखा नहीं सकते। इनके खाते चैक होने चाहिए। ये किस तरीके की वीभत्स

रूप की राजनीति ये आज कर रहे हैं, ये इस देश में ये समझ में नहीं आ रहा! सर, मैं बहुत विनम्रता के साथ आदरणीय विजेन्द्र गुप्ता जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कुछ ही महीने बचे हैं, अपने पार्षदों से कहें कि ऐसी राजनीति छोड़ दें। कोशिश करें, सफाया तो हम कर ही देंगे, जनता देख रही है पर कोशिश करें, जितना भी समय बचा है जिस काम के लिए आये हैं, उसके लिये लगायें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सदन में जो चर्चा चल रही है, मुद्दों के आधार पर कम और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त भावनाओं को आधार बनाकर यहां की चर्चा की जा रही है। इस चर्चा में तथ्यों का अभाव है। इस चर्चा में वास्तविकता को झुठलाने की कोशिश की जा रही है, परिस्थितियों का जो निर्माण हुआ, उसकी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जा रही है। कोई भी संस्थान किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं लेकिन व्यवस्थाएं सदैव-सदैव स्थापित रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्था तीन हिस्सों में बंटी हुई है। कुछ विषय केंद्र से जुड़े हुए हैं, कुछ विषय राज्य सरकारों के हैं और कुछ विषय पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा हैं, नगर निगमों के विषय हैं। सीधे तौर पर 74वें संशोधन के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य सरकारें नगर निगमों के वित्तीय संस्थानों की रक्षा करेंगी। क्योंकि यह देखा गया कि देश भर में नगर निगम की जो आय के साधन हैं और संवैधानिक जिम्मेदारियां है, उसमें लेकर के बड़ा गैप है।

संसाधनों की कमी के कारण अगर संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी होने में कमी हो रही है तो एक प्रकार से लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर सरकार हस्तक्षेप करे। इसीलिए सैंट्रल फाईनेंस कमिशन की तरह स्टेट फाईनेंस कमिशन का गठन किया गया। मुझे इस बात को कहने में बहुत ही दुख हो रहा है कि इस पूरे विषय पर जब अप्रैल 2013 में चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट आई, उसका एक ध्येय है कि वो रिपोर्ट सिर्फ सदन के पटल पर रखी जा सकती है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने और उसके बाद दोनों बार दिल्ली की मैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ करक उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखा। वरना जितने विषयों पर यहां चर्चा होती है, उन तमाम विषयों का एक पूरा पुलिंदा उस संवैधानिक पैनल के माध्यम से उस रिपोर्ट में लिखा गया था। एक-एक बात, एक-एक जन्म पत्री, मैं करता हूं नगर निगम के बारे में उनके संस्थानों के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, उनके बारे में कही जाती हैं, मैं जब सदन में यह बात कह रहा था तो आपने ही यह आदेश दिया था, जब मैं मंत्री जी से यह सवाल कर रहा था और यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी ध्यानाकर्षण किया था सदन का कि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए तो पटल पर रखने की बजाए आपके आदेश से मार्शल्स के द्वारा मुझे सदन से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में इसी सदन के एक सदय ने ल्लिी के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस सरकार की जिम्मेदारी है सदन में रिपोर्ट रखने की, वो सरकार नहीं रखती है। उस पर कोई जवाब नहीं देती है। जब विपक्ष उसके सवाल करता है कि रिपोर्ट को टैबल करो तो कोई जवाब नहीं दिया जाता है बल्कि मार्शलों का प्रयोग किया जाता है। जब हाईकोर्ट में जाकर मैंने बयान किया कि दिल्ली की नगर निगमों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को

जानबूझ कर सरकार रिपोर्ट को दबाकर और ट्राईफरकेशन के बाद जो वित्तीय संस्थानों की कमी आएगी, वो भी उस रिपोर्ट में लिखा गया। हाई कोर्ट के इन्टरवेंशन के बाद रिपोर्ट को टेबल तो किया गया। दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट को इम्पीलमेंट नहीं किया गया। थर्ड फाईनेंस कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार भी लगभग 2300 करोड़ रूपया, मेरे पास वो आंकड़े भी हैं, 816 करोड़ रूपये दक्षिणी दिल्ली कार्पोरेशन के, थर्ड फाईनेंस कमिशन के अनुसार, 854 करोड़ 65 लाख रूपया नार्थ दिल्ली कार्पोरेशन का और 527.41 करोड़ रूपया ईस्ट दिल्ली कार्पोरेशन का थर्ड फाइनेंस की रिक्मेंडेशन का भी अभी बकाया है जिसको सरकार ने दिया नहीं है, नगर निगमों को जो बनता है कुल लगभग 2300 करोड़ रूपया। उसके बाद चौथे फाईनेंस कमिशन में कहा गया कि ''As per recommendations of 4th Delhi Finacne Commission, the globel share should be 12.5% againse 4% as per recommendations of 3rd Finance Commission." यानि की चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो ग्लोबल शेयर है, और ये कोई भीख नहीं है जो आप बार-बार यहां पर सदस्य से कह रहे हैं कि हमने पैसा दे दिया। ये उनका शेयर है, ग्लोबल शेयर। जब ये फाइनेंस कमिशन का प्रावधान आया था तो एमसीडी के टैक्सेज को मर्ज किया गया था दिल्ली सरकारके पास। तो जब ये रिपोर्ट में कहा गया कि चार प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत शेयर दिया जाए, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने चौथे वित्त आयोग की रिपोर्अ के अनुसार कितने प्रतिशत उसको लागू किया है? दूसरी रिकमण्डेशन "As per the recommendations of 4th Finance Commission the establishment of education expenses should be hundred prercent reimbursement against 70% of actual expenditure subject to a cap of

5% net tax income of GNCT of Delhi whichever is les as per the recommendations of 3rd Delhi Finance Commission, वो नीचे आ गया। फिर उसके बाद Delhi Motor Vehicle Tax, Delhi Entertainment and vetting Tax should be assigned to municipalities, वो नहीं दिया गया। Share of GNCTD on account of financial assistance to special state plan assistance और इस तरह से municipal Services को लेकर के जितनी भी रिकमण्डेशन्स थी, दिल्ली फाईनेंस कमिशन की, उसमें से एक को भी इम्पलीमेंट नहीं किया गया। जब ल्लिी में स्ट्राईक होती है सफाई कर्मचारियों की तो, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि अभी एक हमारे सम्मानित विधायक भी कह रहे थे कि उनके घर के आगे कूड़ा डाल गए। वो कर्मचारी क्यों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं? कर्मचारी किसी दल के नहीं हैं। कर्मचारी क्यों सरकार से ये बात कहते आ रहे हैं? उनको भी पता है कि ये जो धन की कमी आ रही है, ट्राईफरकेशन के समय भी, कम से कम अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा क्या वो इस बात को झूठला सकते हैं कि जो फार्मूला है फॉईनेंस कमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडस का, ग्लोबल शेयर का, उसमें कहा गया था कि नहीं कहा गया था कि ईस्ट दिल्ली जो फार्मूला लिया गया, वो डेन्सिटी ऑफ पॉपुलेशन और एरिया का एक रेश्यो बनाया गया और उसके के एकोर्डिंग ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को 20 प्रतिशत शेयर जो आप दे रहे हैं, वो 27 प्रतिशत बनता है, रिपोर्ट के अनुसार, आप जो दे रहे हैं, उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा 7 प्रतिशत यानि कि 33 प्रतिशत एनहांस होना चाहिए था, जो दे रहे हैं, उसमें ही वो आपने क्या, ईस्ट दिल्ली के साथ ये दोहरा व्यवहार सरकार का क्यों है? क्यों नहीं सरकार ने प्रोपोर्शनेट एनहांसमैंट किया जो शेयरिंग में एनहांसमैंट

करना था? आप 40:40:20 दे रहे हैं। लेकिन आपको 27 प्रतिशत उसमें से ईस्ट दिल्ली को देना था। उसको भी आपने इम्पलीमेंट नहीं किया। स्ट्राईक क्यों होती है बार-बार ईस्ट दिल्ली में? हम सब जानते हैं ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। 70 से 80 प्रतिशत ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन अन-ऑथोराईज्ड डेवलप्ड हैं। अन-ऑथोराईज्ड कालोनीज हैं। छोटे-छोटे मकान हैं। आप क्या मानते हैं, प्रोपर्टी टैक्स का कितना शयेर, कितनी उनकी कमाई हो सकती है ईस्ट दिल्ली की? ईस्ट दिल्ली की फाईनेन्शियल वायेबिलटी को जब तक आप सिम्पेथिटिकली नहीं देखेंगे, साईंटिफिकली नहीं देखेंगे, जब तक आप दिल्ली की 27 प्रतिशत आबादी के साथ किसी ने किसी रूप में अन्याय कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मुझे सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपने सारे मामले को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। नगर निगम के चुनाव हैं, नगर निगमों के चुनावों के पास देखकर के आप सिर्फ यहां पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये साफ रूप से कहना है कि ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला विषय है। अल्टीमेट देखिए, अल्टीमेटली गाज दिल्ली सरकार पर ही गिरगी। चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद में हो। जब तब आप इस नासूर को, जो ये पूरा नासूर बन गया है, इस फाईनेंसियल क्राईसिस का कोई हल नहीं निकालेंगे, आप इसको किश्तों में आगे बढ़ाते रहेंगे। 195 करोड़ दे किया, कितने दिन चलेगा? मैं डंक की चोट पर कहता हूं... मीडिया लिखे और बताए दिल्ली की जनता का कि क्राईसिस खत्म नहीं हुआ है, फिर स्ट्राईक होंगी, कब तक ये स्ट्राईक होती रहेगी, आप बताइए। क्या दो महीने सेलरी देने से क्योंकि रेवेन्यू गैप है। जो रिसोर्सेज हैं और जो लाएबिलटी है, उसमें भारी गैप है। जब तक वो गैप आप नहीं भरोगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप अगर

ये कहें कि बीस गुणा प्रोपर्टी टैक्स कर दिया जाए, वो वॉएबल नहीं है। आप एमसीडी के रिसोर्सेज देखिए जो ओब्लीगेटरी टैक्सेज हैं, वो लिमिटैड हैं। उसके अंदर इलैक्ट्रीसिटी टैक्स हैं; डिस्क्रीशनरी और ओब्लीगेटरी में जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट हैं उसके अंयर प्रोपर्टी टैक्स हैं, उसके अंदर ट्रांसफर ड्यूटी है। ये लिमिटेड चार या पांच तरह के रिसोर्सेज हैं। इनको आप पूरा अपने तरीके से, आप भी अगर सत्ता में होते दिल्ली नगर निगम में, तब भी आपको दिक्कत आती। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें जो हैं, ये इसके बेसिक में जाइए। इसको राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोप करिए आप, आपका अधिकार है, पोलिटिकल पार्टीज हैं। हमें अपनी बात करनी चाहिए अपने अपने तरीके से। हमें अपने-अपने तरीके से समझाना चाहिए। लेकिन इसके बेस में तो जाइए। जब आप अपनी सीट पर बैठाते हैं तो उसके गूढ़ में जाइए, ये कहने से क्या एमसीडी की समस्या हल हो जाएगी? एमसीडी काउंसलर तनख्वाह लेकर भाग गए, ये रिलेवेंट रिप्लाई गर्वमेंट का नहीं है, रिलेवेंट बात करिए। इररेलेवेंट बात करने के लिए तो आपके पास 67 लोग हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी से भी दिलवाइए। लेकिन मंत्री अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो ऐसा लगता है, कहीं न कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : राजेश गुप्ता जी। संक्षेप में रखना माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर देना है बाद में।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, बोलने के लिए मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जहां तक मेरा ख्याल है, संक्षेप में, मैं हमेशा ही रखता हूं। लेकिन विपक्ष के नेता लगभग आधे सदन का समय हमेशा खा जाते हैं और मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं। मैं लगातार आज तीन बार बोल चुका हूं

प्लीज, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। इनकी कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं। ये मंत्री जी से मिल लें, उप मुख्यमंत्री जी मिल लें, पूरा समय इनको मिल जाएगा। ये हमारे समय का कृपा कर थोड़ा ध्यान रखें।

सर, ये बहुत तथ्य की बात कर रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा तथ्यों में न जा के क्योंकि आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी वो जवाब दे देंगे। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो तीनों इनकी एमसीडीज हैं, ये कह रहे हैं, ईस्ट एमसीडी की इन्होंने खासतौर से ये बात की। वैसे मैं नॉर्थ एमसीडी से हूं, जिससे आदरणीय विपक्ष के नेता जी भी हैं लेकिन ईस्ट एमसीडी की ये बात कर रहे थे लेकिन ये भूल गए कि जब तीनों की तीनों एमसीडी बंटी थी तो ये पहले ही निर्धारित था कि जो उनके रेवेन्यू होंगे, वो आपस में बराबर बंटेंगे। क्योंकि रेवन्यू तीनों के अलग हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप दोनों पूर्व पार्षद हैं। यहां पर आपकी धर्मपत्नी आज भी पार्षद हैं तो तीनों रेवेन्यू बराबर बंटने थे सर, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, बात नंबर एक।

बात नंबर दो कि आज भी जब रेवेन्यू की लड़ाई होती तो आपकी लड़ाई एमसीडी की सिविक सेंटर की जो बिल्डिंग है, सर, उसको लेकर तो है इनकी कि सिविक सेंटर की बिल्डिंग कौन लेगा। लेकिन इस बात पे ये चर्चा नहीं करते कि जो रेवन्यू है, जो साउथ एमसीडी के पास थोड़ा सा ज्यादा है, नॉर्थ के पास लगभग बराबर का सा है और ईस्ट के पास जो सबसे ज्यादा बोझ है, उसे बराबर बांटा जाए। लेकिन ये हम हर बात को रखते हैं।

दूसरी बात ये बार-बार कह रहे हैं कि फोर्थ कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इनको थोड़ा पैसा ज्यादा मिलना चाहिए लेकिन ये एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं देते जो सेंटर हमारा हिस्सा लेकर बैठा रहता है,

जो कई सालों से उतना का उतना ही पड़ा है, जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, उसका एक पैसा बढाने के लिए ये हमारे साथ मे जाके सेंटर पर हमारी बात को नहीं रखते। हमारा जो टैक्स का पैसा है जैसे कि आपेन एमसीडी की बात की, ऐसे दिल्ली सरकार से दिल्ली से जो टेक्स सेंटर में जाता है, उसकी जो वापसी है, उसको बिल्कुल नहीं बढाया गया है। पिछले तकरीबन 10-12 सालों से वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मेरे भाई, नेताजी ने बार बार कहा कि ये 10 साल से उस सीट पर काबिज हैं। एमसीडी इनके पास है। कुछ ऐसा सुनने में लगा जैसे 10 साल से इनको जनता जता रही है लेकिन ऐसा है नहीं ये बड़े चुनावों में लगातार हार रहे थे। रहे लेकिन छोटे चुनावों में, इनको क्योंकि मैनेजमेंट के गुरू हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वही करते रहे हैं, उसी तरीके से मैनेजमंट करके छोटे चुनावों में निर्दलीय लोगों को खड़ा करके जानबूझके बीएसपी को खड़ा करके, एसपी को खड़ा करके सबको ला ला के ये छोटे चुनावों को किसी तरीके से अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। बड़े चुनावों में कुछ नहीं कर पाए। ये लगातार सातों की सातों सीटें एमपी की हारे और दिल्ली विधान सभा को लगातार तीन बार हारे। एक बार आये थे, उसके बाद आज तक नहीं आए। दोबारा मौका नहीं दिया दिल्ली की जनता ने और न आगे कोई चांस है। तो ये ऐसा नहीं है कि दस साल से इन्हें जनता जिता रही है। ये जनता को बस किसी तरह बांट बूट के जो आपकी ये स्पेशिलिटी है कि बांटो, बसपा में कर दो, सपा में कर दो, र्निदलीय खड़ा कर दो। ये जुगाड़ आजकल हमारे भी कुछ लोगों के पीछे पड़े हैं रोज कि अगर टिकट नहीं मिले तो हमारी तरफ आ जाना, हम पैसे दे देंगे, पैसे तो हैं ही इनके पास, नोट भी इनके पास तो हैं ही। बदलवाए भी इन्होंने ही। हमारे पास तो कुछ था नहीं। अब ये जैसा कि राजेंद्र गौतम जी कह रहे थे

कि हम जाते हैं, जब दिल्ली में हम जनता संवाद करते हैं दस में से सात प्रॉब्लम कम से कम इनकी होती हैं सर, एक आध डीडीए की होती है, एक आध जगह पानी और सीवर की भी आ जाती है तो उन सात प्रॉब्लम में जिसमें खासतौर से पार्क की सफाई, झाड़ू लगाना, कुत्ते, बिल्ली की प्रॉब्लम, गाय उठना, मच्छर, मक्खी, डेंगू मलेरिया जितने जानवरों के काम हैं, ये कोई नहीं करते हैं। हैं सब इनके। लेकिन ये एक भी करने को राजी नहीं हैं। अब इनको दिक्कत ये आयेगी कि जो पानी और सीवर का काम था, जो दिल्ली सरकार बहुत अच्छा कर रही थी तो इन्होंने इसका नया तरीका निकाला। क्योंकि मैं नॉर्थ एमसीडी से हूं और मैं इसमें बात करना चाहता हूं। आदरणीय मंत्री जी मेरे सामने आगे बैठे हुए ये भी जातने हैं और विपक्ष के नेता जरूर जानते होंगे। इन्होंने ये नया तरीका निकाला सर, कि 694 रू. मीटर ये आर आर चार्जेस के मांग रहे हैं जिसको ये कह रहे हैं जी, कि हम किराया लेंगे, उसका जो मेरी पानी की लाइन नीचे बिछेगी, उसका ये किराया मांगेंगे जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने सुना नहीं। ये कहते हैं कि हमारी एमसीडी की रोड है, आप इसमें पानी की लाइन डाल रहे हो, सर्विसिज यूज कर रहे हो, सीवर डालोगे, आप इसका किराया दो। सर, मेरा कम तीन लाख रूपये का है, पानी की लाइन डालने का। मैं इनको 15 लाख रूपया दे दूंगा एमसीडी को। पैसे मेरे नहीं है सर, न आपके हैं, जनता का है। जनता का पैसे आप तीन के 15, लोग ये चाहते ही ये थे कि पानी की लाइनें न डलें, वे रूक जएं क्योंकि ये साहब काम तो कर ही नहीं पा रहे थे। वो तो इन्होंने रोके हुए हैं। बिल्कुल जीरो करके एक आध काम डीडीए का था, उसको भी किसी तरीके से आके रूकवा देते थे। जो हम काम कर रहे थे, इन्होंने उसको रूकवाने

की पूरी चाल बना ली कि अब ये कम रूक जाए। एक आध करा भी लें तो सारा पैसा जल बोर्ड का जो है, उसमें घुस जाए। तो मैं एक ही लाइन डलवाऊं। बाकी जनता मर जाए पानी के लिए, गंदा पानी आता रहे, हम कुछ न कर पाएं और हमारे पास चारा है नहीं, हम रोते रहें या विधान सभा में करते रहें, ये डीबीओ को किसी तरीके से मैनेज करेंगे और वहां पे कुछ बोल देंगे उसके चला देंगे, ये एक नया तरीका इन्होंने निकाल लिया कि तीन लाख के काम के 15 लाख रूपये दो।

अब एमएलए फंड पर आ जाओ। सर, पिछले साल जो जनवरी फरवरी में पैसा दे दिया गया। एक साल का ब्याज मुझे तो दे देंगे। मैं इनसे डूडा की जो मीटिंग्स होती हैं। कहता हूं कि एक साल का ब्याज दे दो, दो तीन छोटी गलियां तो वैसे ही बन जाएंगी, इनके यहां पर जिम लग गया सर, विपक्ष के नेता के यहां देखो, हम तो इतने अच्छे हैं कि जब हमने वो मौहल्ला क्लीनिक्स, पॉलिक्लीनिक्स बनाए तो 20 बनाए थे, एक इनके यहां बना दिया। 70 विधान सभाओं में एक इनके यहां बना दिया जिनके इनकी तरफ सिर्फ सदस्य थे मैं खुद गया था वहां पर, इनके यहां बना दिया। लेकिन जब जिम लगे तो आदरणीयम त्री जी के यहां, जैन साहब के यहां पर भी वो जिम एक साल की जद्दोजेहद करते रहे, वो फंड पिछले साल का रोक के बैठे थे और बनाया नहीं। अब जाकर शायद बनाएं और हमारे यहां तो एमसीडी ये कह देती है कि साहब हमको तो पता ही नहीं, बनना कैसे है, सिविल बनाएगा या हॉर्ल्टिकल्चर बनाएगा। हमें ये ही नहीं पता। इनके यहां कैसे लग गया सर? मेरे यहां तो पता नहीं है सिविल बनाएगा कि हॉर्ल्टिकल्चर बनाएगा! इनके यहां कैसे लग गया। ये इस बात का जवाब दे दें। शायद भाभी जी

ने बनवा दिया क्योंकि वो हां, 20 लग गए। देखिए खुद ही बता रहे हैं कि हमारे एक नहीं इनके यहां 20 आदरणीय उपमुख्य मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि सर, आपने जो 73 कमरे उनके बनवा दिए, अब आप इनसे भी कुछ ले लें बदले में। वैसे देने वाले तो हैं नहीं लेकिन फिर भी देखिए कितना अजीब हिसाब-किताब हो रहा है। आज मेरे यहां पर सर, अगर कोई मौहल्ला क्लीनिक रोड पर बनता है तो एमसीडी रोकती है और ये कहती है कि एन्क्रोचमेंट है साहब जीओ का सिम बनाने के लिए खोका लगा लो, आप जीओ का सिम बेचना होता है ना, खोक लगाओ रोड पर कोई मना नहीं कर रहा है। एमसीडी कह रही है बेचो। जीओ का है। जीओ के तो वैसे ही इनके थोड़े ज्यादा तालुक्कात है जीओ वालों से और हमारे एक सदस्य अब है नहीं, उनके बारे में कहना नहीं चाहिए तो वो बैच रहे थे बाकायदा ट्विट करके कि जीओ के सिम फ्री लो। लेकिन मैं वहां पर मौहल्ला क्लीनिक नहीं बना सकता, जो फ्री में दवाइयां देकर, 220 टेस्ट फ्री में कर देगा, लेकिन ये उस पर जीओ के सिम बैच सकते हैं। मुझे अगर पानी की लाइन डालने के लिए सड़क काटनी हो तो मैं इनको 694 रूपये मीटर दूं और इनको अगर, जैसे कि हमारे सभी सदस्य बता रहे थे कि रोड काटनी है तो खुदाई करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, किसी की परमिशन नहीं है, किससे ली है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब एक ससे जबर्दस्त बात, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले रखूंगा कि हमने इनको पैसा नहीं दिया, इनका कहना है दिल्ली सरकार ने दो सालों से, सर, निगम के चुनाव आ रहे हैं, हमारे यहां के कुछ काउंसलर्स हैं, आप ही के यहां के हैं। उन्होंने बड़े-बड़े पोस्टर लगवाए हैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर कि विकास कार्य शुरू, सारे इलाकों के अंदर सड़कें बनने शुरू, लाइटें शुरू हैं। सर, मुझे

ये पता नहीं लगा कि दो साल से तो पैसा दिया नहीं। आपके चुनाव में दे दिया। हम इतने मूर्ख हैं यानि अब पैसा लेके बैठे हुए थे सारे का सारा, आप लाइटें लेके बैठे हुए थे। पहली बात तो है कि लाइटें 10 ली थी। मैंने 100 लगा रखी हैं, तो चलो मैंने सोचा 100 के साथ 10 लगा देंगे। जनता को पता नहीं लगता कई बार हम एडवटाईजमेंट कम कर पाते हैं। इसलिए अब इनको सारा पैसा हमने दे दिया। हमने आपके चुनाव में और सर, एमसीडी की बेलगाम होने की ये हालात हैं कि जिस तरीके से बच्चे को कभी अगर मां बाप बिगाड़ देते है थोड़ा सा, वो इतना बिगड़ जाता है कि अपने मां बाप के ऊपर ही भारी पड़ जाता है। इन्हीं की सांसद मीनाक्षी लेखी जी ने संसद के अंदर सवाल लगाया था कि मैं कुछ काम एमसीडी से कराना चाहती हूं, कुछ जिम लगाना चाहती हूं, एमसीडी सहयोग नहीं कर रही और लगा नहीं रही, ये ऑन-रिकॉर्ड है। ये केई भी जा के चैक कर सकता है।

सर, मुझे आप सबसे एक बात कहनी है कि आपने जितना तंग करना था, कर लिय। अब आखिरी के तीन महीने रहे गए। मैं बिल्कुल अपनी आखिरी बात रख रहा हूं। तीन महीने रह गए हैं। आपने जो करना है, आपने करना ही है। अब मानना तो है नहीं। आपने जैसा कहा कि राजनीति करनी है, करनी है। हमें जो करना आता है, हम वो कर रहे हैं। हम राजनीति बदलने आए थे, हम उसमें लग हुए हैं, हम स्कूल बना रहे हैं। उसमें आप ज्यादा अड़ंगा डाल नहीं पा रहे थे। स्कूल्स बना हरे हैं हम। मोहल्ला क्लीनिक्स तो चल ही रहे हैं, हॉस्पिटल में की दवाइयां दी जा रही हैं। जहां जहां अपने रोकना है, आप रोक रहे हैं। लेकिन इस बार न, पिछली बार तो झाड़ू चली थी, कुछ तिनके बचे गए थे, कुछ कचरा रह गया था सर, मैं आपको गारंटी दे रह हूं कि बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। बिल्कुल इस तरीके की सफाई होने वाली

है,....नहीं, नहीं, भाई साहब तो लड़ नहीं रहे चुनाव, भाईसाहब तो लड़ नहीं रहे, भाभी जी लड़ेंगी। नहीं, उनको मालूम है कौन पंगा लेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कुछ तो आपने सफाई से काम कर दिया था, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कुछ तो आपने सफाई मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो तीन रह गए भाई साहब, इसकी भी कमी पड़ जाएगी। विलुप्त प्रजाति जो एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं विलुप्त प्रजाति होने वली है ये, बिल्कुल आपको बीजेपी के लोग ढूढने से नहीं मिलेंगे और हमारे यहां तो ऐसे ऐसे झगड़े हो रहे हैं हमें अराजक बताते हो, हमारे निगम पार्षदजी 10 दिन पहले रोड पर लैट गए थे कुछ खोके उठ रहे थे। आपके कार्यकर्ताओं के उठ रहे थे। उठवा कौन रहा था? आपके आरएसएस के लोग उठवा रहे हैं। तो अंत में जो आपने करना है सर, करिए, मेरा आपसे यही कहना है हो सके तो जनता के लिए कुछ सेवा करें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी। शार्ट रखिएगा जरा।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, चूंकि साथियों ने बड़े विस्तार से एमसीडी की दुर्गति पर अपना विचार रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने, चूंकि मेरे साथ आपबीती जो घटना घटी पिछले साल जुलाई के महीने में, मैंने एसडीएमसी के डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि मुझे अपने क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों से मीटिंग करनी है। पहले वो राजी हो गए, कहा कि बिल्कुल मीटिंग कर सकते हैं लेकिन कल को जब मीटिंग करने की बारी आई तो वहां से फोन आया कि जी, ये मीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो गयी है। हमने कहा कि इसमें राजनीति कहां है तो ऑफ दा रिकार्ड उन्होंने कहा है कि चूंकि मोर देन फिफ्टी परसेंट एम्पलाइज दे आर घोस्ट

तो अगर आपने मीटिंग कर ली अगर अपने रोलकॉल ले ली तो इनके लिए तो मुसीबत बन जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिस एमसीडी के अंदर फिफ्टी परसेंट एम्पलाइज अगर घोस्ट हो तो उससे कहां से काम निकाला जा सकता है! अध्यक्ष महोदय, मैंने फिर और जानकारी लेनी चाही तो मुझे एक सेनिटरी इंस्पेक्टर जो क्षेत्र का था, उन्होंने कहा कि जी, हम 50 हजार रूपया महीना काउंसलर को देते हैं। अगर 50 हजार रूपया महीना काउंसलर को सेनिटरी इंस्पेक्टर देता है तो उस काउंसलर की मोरल अथोरिटी खो गई उससे काम निकलवाने के लिए। इससे बड़ी बेशर्मी वाली बात नहीं हो सकती कि एक सेनिटरी इंस्पेक्टर से पैसे लेकर के इस तरह का वहां पर घोटाला चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने, चूंकि मेरे क्षेत्र साउथ दिल्ली के अंदर काफी सारा एमसीडी का जो ढलाव है, वो इस तरह से है जैसे कि कोई नरक बन गया क्षेत्र का। अभी मैं कोलकाता गया था कोलकाता से, वहां की म्युनिसिपैलिटी से सीख के आया था कुछ स्कीम्स और उसमें मालूम पड़ा अगर एक काम्पैक्टर लगा दिया जाए जगह-जगह, जहां जो ढलाव हैं ढलाव को रिप्लेस करते काम्पैक्टर्स से तो वहां की जो स्थिति है, वो बड़ा बेहतरीन हो सकती है। ये मैंने लिखकर के म्युनिसिपल्टी कश्निर को दिया है कि जी, मैं अपने एमएलए लेड फंड से काम्पैक्टर लगाना चाहता हूं। उन्होंने बाकायदा उसको रिफ्यूज किया कि जी, एमएलए लेड फंड उसमें नहीं लग सकता जिस तरह से,....नहीं-नहीं जो चूंकि मैंने इंटेंट अपना बताया कमिश्नर साहब को, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है ना। अध्यक्ष महोदय, ये कारण क्या है कि एमसीडी मुसीबत नहीं है, मुसीबत है वहां बैठे काउंसलर्स। अध्यक्ष महोदय, एमसीडी एक चाकू की तरह है, अगर चाकू किसी अच्छे आदमी के हाथ लग जाए, उससे सब्जी बन सकती है लेकिन किसी खराब के हाथ लग जाए, उससे किसी का गला कट सकता

है। एमसीडी एक टूल है, यह टूल अगर किसी अच्छे इसांन के हाथ लग जाए, अगर हमारी पार्टी के हाथ लग जाए तो इसी एमसीडी से दिल्ली को साफ करके दिखा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब कनक्लूड करिए सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : इसमें अभी तो शुरूआत की है। अध्यक्ष महोदय, एंटीकरप्शन ब्रांच जो माननीय मोदी जी ने आते के साथ ही हमसे छीन लिया था। मुझे याद है कि जब हम 49 दिन की सरकार में थे, इस एन्टीकरप्शन ब्रांच से जिस तरह की एफआईआर की गई थी, जो हड़कंप मचा था पूरे देश के अंदर, उस हड़कंप के डर से कि अरविंद केजरीवाल साहब की जब सरकार आएगी तो पता नहीं किस-किस को अरेस्ट करके अंदर भेजेगी! अध्यक्ष महोदय, मेरा खुला चैलेंज है एमसीडी को और वहां बैठे भाजपा, कांग्रेस के साथियों को वहां के काउंसलर्स जो हैं, अगर उनके एसेट्स को ऑडिट करी जाए कि चुनाव लड़ने से पहले क्या एसेट्स थे, जहां तक मेरी जानकारी है कि कई साथियों के पास, वहां जो बैठे हैं किसी के पास साइकिल थी, किसी के पास स्कूटर था और आज वो बीएमडब्ल्यू में चलते हैं, आज उनके पास फरारी है, बारह-बारह मकान हैं, गोवा में कैसिनो है। क्या-क्या चीज नहीं उनके पास! अगर ये एन्टीकरप्शन ब्रांच हमारे पास होती तो मेरा ऐसा मानना है कुछ नहीं तो 60 परसेंट 70 परसेंट भाजपा के, कांग्रेस के काउंसलर्स जेल में होते। अध्यक्ष महोदय, इसी से तो डर है इनको सारा का सारा हुजूम ये है जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी के आने के बाद। आम आदमी पार्टी कोई छोटा-मोटा परिवर्तन शिफ्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी के आने के बाद। आम आदमी पार्टी कोई छोटा-मोटा परिवर्तन लेके नहीं आई, ये परिवर्तन इस तरह

का है जिसमें कि जो हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है they very basic fundamental understanding, राजनीति में आया करते थे लोग पैसा बनाने के लिए। यहां जो मेरे साथी बैठे हैं एक-एक की गारंटी लेता हूं। सबने सेवा करने की जो राजनीतिक करने की ठानी है, इससे भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई और सिर्फ यहां नहीं, पंजाब में नींद उड़ी हुई है, गोवा में नींद उड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, एमसीडी आज की तारीख में अगर, चूंकि बड़ा पापुलरली we have been callilng MCD as mother of all currupt departments and positively it is true but it is true not because of MCD, it is true because of people sitting in MCD. BJP and congress has made such a blunder of MCD, such a corrupt practice of MCD कि आज पूरा दिल्ली कहता है कि जी, एमसीडी के अंदर आप लोग कब आओगे? अध्यक्ष महोदय, हम आम आदमी पार्टी एमएलएज की पीड़ा ये है कि हमारे पास सारे लोग आते हैं काम कराने के लिए लेकिन जो काम हमने एमसीडी से कराना है, वो काम होता ही नहीं है। हमारी पीड़ा ये है जो दिल्लीवासी सुन रहे हैं दिल्लीवासियों को सबको पता है, क्षेत्रवासियों को सबको पता है जिस दिन एमसीडी में चुनाव होगा, उस दिन दिल्ली वाले घर से बाहर निकले उनके पास एक ही ऑप्शन है एक्सरसइाज करने के लिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए और ये चूकि आज चर्चा तो हो रही है लेकिन चर्चा का जो रिजल्ट है, वो चार महीने के बादज ब एमसीडी का चुनाव होगा, एमसीडी के अंदर आम आदमी पाटी के साथ आयेंगे, ऐज अ कांउसलर्स बनके, तब जाकर के दिल्लीवासियों की ये पीड़ा का समाधान हो पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बर्स को दो महीने पहले आईपेड दिया गया। आईपेड उन्होंने खरीदा है। मुझे लगता है कि वो

आईपेड इसका उपयोग ना करना जानते हों, आम आदमी के पैसों का दुरूपयोग आईपेड केजरिए, वो नम्बर्स जो कि एक मिनट...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी अब कनक्लूड करें प्लीज। अब कनक्लूड करें।

श्री सोमनाथ भारती : उसको अपना बनाकर के जो उन्होंने किया है, उसका सारा का सारा हिसाब-किताब दिल्ली आने वाले एमसीडी के चुनाव में मिलेगा अध्यक्ष जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सत्येंद्र जैन जी अपनी बात रखें, उससे पहले मैं एक सेकेंड चाहूंगा विजेन्द्र जी ने हड़ताल की बात कही पूर्वी दिल्ली में विजेन्द्र जी हड़ताल दो हिस्सों में बंट गई एक संगठन ने हड़ताल तोड़ दी। एक संगठन ने हड़ताल नहीं तोड़ी है और जिस संगठन ने नहीं तोड़ी वो मजदूर संगठन है मैसेज आया कि मेरे घर पर कूड़ा डाला जाएगा। मैं मजदूर संघ के सभी अधिकारियों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने फोन किया। उनका जो उत्तर था, वो मैं दे रहा हूं कि संगठन हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेताओं के हाथ में है। फिर मैंने बात की तो मेरे यहां कूड़ा डालने नहीं आए। ये वास्तविकता हमारे सामने है, मैं इसका दूसरे उसमें नहीं ले रहा कि मजदूर संघ कौन चला रहा है; इंटक ने हड़ताल तोड़ दी। मजदूर संघ की मजबूरी क्या थी, मुझे समझ नहीं आया। माननीय सत्येंद्र जैन जी।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय महोदय, मैं दो-चार चीजों के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दिलाना चाहूंगा सदन का। एक तो नेता प्रतिपक्ष ने जो हमारे सदन में

हड़ताल की धमकी दी, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, शोभनीय नहीं है कि एमसीडी के अंदर हड़ताल कराने की धमकी इस सदन के अंदर दे रहे हैं कि फिर से हड़ताल की जाएगी। सबको पता है कि हड़ताल एमसीडी में जो हो रही है या कराई जाती है वो बीजेपी के लोग कराते हैं तो इसमें जो बात सबको पता ही है, जग जाहिर है, उसको जुबान पर लाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो बता ही सकता हूं, कह ही सकता हूं। हम जो बातें कहते हैं....(व्यवधाान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, उनको बात करने दो आप।

स्वास्थ्य मंत्री : हम अक्सर कहते हैं कि हड़ताल जो है, प्रायोजित है, बीजेपी करा रही है और आम! सरेआम आज तो आपने सदन में भी कह दिया कि फिर से कराई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ये राजनीतिज्ञ उस चक्र में फंसे हुए हैं और इनको लगता है कि नेता इस देश की राजनीति को इतने नीचे लेवल पर ले गए हैं कि हर चीज में राजनीति होती है। पंजाब के इलेक्शन हैं 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी तक ये जो नहीं कर सकते, वो करेंगे। बहुत सारी चीजें करेंगे और उमसें हड़तालें करना भी इनके एक कर्म का हिस्सा है, इनकी बिसात का एक रास्ता है। मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी इन्होंने हड़ताल कराई थी। वो तो ठीक है, शुक्र है कि लोग समझदार थे, इनकी बातों में ज्यादा नहीं आए और यहां पर संवाद की स्थिति ये है कि जिस दिन हड़ताल हुई, मैं अगले दिन चला गया, खुद ही चला गया। तो वो कह रहे थे कि मंत्री जी खुद ही आ गए तो मैंने कहा कि इनके चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये 4 फरवरी तक तुम्हें ऐसे ही नई-नई चीजें बताते रहेंगे और ऐसी-ऐसी चीजें करते हैं कि जैसे ही इलेक्शन

एनाउंस हुए, कल से ही यह हड़ताल, परसों से यह हड़ताल, ये वाली हड़ताल, वो वाली हड़ताल। मैं तो कह ही सकता हूं, जनता को भी पता है, हमें भी पता है, सब को पता है। मुझे लगता है कि अगर आपको हड़तालें करानी भी हों तो 4 फरवरी तक न कराये, 4 फरवरी तक लोगों को बहुत आपसे, स्पष्ट हो जाएगा कि ये आप ही करा रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। जहां तक एमसीडी के अंदर बार-बार कहा जाता है कि रेवेन्यू और खर्चों का बड़ा गैप है। गैप तो जो एमसीडी काउंसलर्स हैं, उनकी सैलरी में और उनके खर्चों में भी बहुत है। उनको तो 300 रूपये मिलते हैं एक मीटिंग के, महीने के तीन हजार और उनके खर्चे देखो! आज अभी हमारे एक सदस्य ने बताया, आप देख सवकते हैं दिल्ली के अंदर यूनिपोल्स के ऊपर कितने काउंसलर्स के होर्डिंग लगे हुए हैं। इस सदन के अंदर 67 सदस्य हैं, मैं एक सदस्य की बात नहीं कर सकता, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, हो सकता है कि उनके होर्डिंग लगे हो कहीं, बाकी किसी भी सदस्य के यूनिपोल नहीं लगे होंगे कम से कम। एक यूनिपोल का मंथली रैंट 50 हजार रूपये से लेकर 5 लाख रूपये है। जो काउंसलर महीने के तीन हजार रूपये कमाता है, अब वो एक लाख रूपया, दो लाख रूपये महीना कहां से देता है, समझ से परे है! जनता को भी समझ में आ रहा है। परे भी नहीं है, इतना भी परे नहीं है कि समझ में ना आये। अभी मैं तरूण एन्क्लेव, मेरे यहां पर बड़ी अच्छी कालोनी है, वहां पर गया तो कई सारे लोगों ने अपनी कई सारी समस्याएं बताई मुझे कि सर, यह करा दीजिएगा, यह करा दीजिएगा। मैंने कहा, देखो ऐसा है लिस्ट बना लो, आप लोग पढ़े-लिखे लोग हैं और इसके आगे लिख दो किस डिपार्टमेंट का काम है, हम बैठे हैं कि दस काम बना लो, सारे कामों की तो जरूरत नहीं है दस बड़े-बड़े काम कर लीजिएगा। वहां पर दस काम की लिस्ट बनाई,

हमारे राजेश जी जरा मोडेस्ट हो रहे थे, वो कह रहे थे कि दस में से सात काम एमसीडी के होते हैं, उसमें दस में दस एमसीडी के निकले। एक भी काम ऐसा नहीं निकला, कोई और निकला हो, दस के दस एमसीडी के। मैंने कहा एमसीडी के काम हैं तो एमसीडी करेगी। वो कह रहे हैं, एमसीडी कैसे करेगी, उनके पास पैसा नहीं है? कमाल हो गया जी! आप ऐसा करो तरूण एन्क्लेव के अंदर चक्कर लगा लो, अपनी लिस्ट बना लेना कि कितनी कोठियां बन रहीं हैं। सर, रेट है 200 गज के प्लॉट पर दो लाख रूपया पर लेंटर और 300 गज के प्लॉट पर तीन लाख रूपया पर लेंटर। एक बिल्डिंग पर दस लाख से लेकर पन्द्रह लाख रूपया लेते हैं और 20 बिल्डिंगें बन रही हैं। डेमोनेटाइजेशन से पहले की मीटिंग थी तो सर, एक कालोनी के अंदर 20 करोड़ रूपये रिश्वत एमसीडी वाले इकट्ठे कर रहे हैं और खर्चा उन्होंने सारा बताया। मैंने कहा कि खर्चा कितना है आपका, जितनले भी काम थे, वो पांच-सात लाख रूपये के काम थे, दस लाख के काम थे। मैंने कहा कि ये 20 करोड़ की रिश्वत लके रहे हैं तो दस लाख रूपये के काम नहीं करा सकते? कहा, हां जी, करा तो सकते हैं। तो मैंने कहा कि करते क्यों नहीं है? अब उनको भी समझ में आ रही है। कहते हैं, कोई बात नहीं जी, तीन-चार महीने की बात है, अब इनकी तो छुट्टी करनी पड़ेगी तभी हमारे काम होंगे, वैसे काम होने वाले नहीं है। जनता को बार-बार ये कहते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर हजारों यूनिपोल लगे हुए हैं। सड़क के ऊपर तो कई बार दिखता है कि यूनीपोल ही है सड़क तो है ही नहीं और पूरे साल में एक महीने के अंदर सिर्फ सवा करोड़ रूपये का कलैशन होता है उनका। 15 करोड़ का इन्होंने लिख कर दिया है अभी मुझे। हो सकता है कि पिछले साल 12 रहा हो। सवा करोड़

रूपये साल देते हैं, मतलब इकट्ठा करते थे, उसके अंदर खाली यूनिपोल नहीं है, उसमें खम्भों के ऊपर भी ठेका दे दिया इन्होंने। पता नहीं कहां-कहां ठेके दे दिये! आज मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी 15 करोड़ की कमाई है 30 करोड़ दिल्ली सरकार को दे दो, हम ले लेते हैं। हम दिल्ली सरकार के एडवरटाइजमेंट लगा देंगे वहां पर। मतलब हर जगह पर क्या होता है कि दस रूपये एमसीडी कमाती है तो सौ रूपये रिश्वत के कमाती है साथ में। इन्होंने सिर्फ रिश्वत कमाने का धंधा बना लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ओलंपिक के अंदर हमारे देश को गोल्ड मैडल मिलने के चांस हो रहे हैं। अगर करप्शन का वहां पर कम्पीटिशन करा दिया जाये तो एमसीडी पक्का ले आयेगी और एक बारी नहीं, हर साल लेकर आयेगी, हर बारी लेकर आयेगी। इन्होंने ऐसा रिकार्ड बना रखा है! सर, ये हंस रहे हैं। इनके एक मंत्री जी आये थे मेरे पास। नाम ले सकता हूं मंत्री जी का, वो सदन में नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

स्वास्थ्य मंत्री : आये मेरे पास, उत्तरी नगर निगम की शिकायतें लेकर आये। मैंने कहा सर, आप तो बड़े आदमी हो, आप ही की सरकार है। कहते हैं, ये बिल्कुल भी सुने नहीं हैं, आप कुछ करो। मैंने कहा कि मेरे पास कहां पॉवर है? कहते हैं कि आपके पास दूसरी पावर तो है ना। आप बोल सकते हो, हम तो बोल भी नहीं सकते। वो बेचारे इतने असहाय थे कि हम पार्टी के अंदर इनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। हालात यह है, दिल से चाहते हैं सारे के सारे।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी भी जानते हैं इस बात को।

स्वास्थ्य मंत्री : विजेन्द्र जी का कोई काम पड़ जाये तो उनका होगा नहीं, वैसे ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, वाइफ पार्षद हैं, कोई बात नहीं। एमसीडी के अंदर जो माहौल है, जो तरीका बनाया है इन लोगों ने, ये विश्व कीर्तिमान बना रहे है। रिश्वतें लेने के, हर चीज में! 470 रूपये में ये ईस्ट एमसीडी के अंदर कूड़ा उठवाते हैं और वही एमसीडी 1200-1300 रूपये टन के हिसाब से कूड़ा उठवाती है यानी तीन गुने रेट तो इनके हैं ही और 470 में कौन सा कमीशन नहीं होता, आधा तो उसमें भी होता है। आप वैसे ही पता कर लो, चले जाओ मार्किट में। मैं सब को चैलेंज करता हूं कहना जी, एक ट्रक मेरे यहां से मलबा उठा कर वहां डाल आना है या कूड़ा उठाकर डाल कर आना है, कितने पैसे मांगेगा? 2000 रूपये। दस टन कूडत्र होता है। दस टन कूड़ा दो हजार रूपये में। कितने का हुआ जी, 200 रूपये टन तो उसके 1400 रूपये टन कहां से हो गये? एक हजार करोड़ का तो घोटाला कूड़ा उठाने में करते हैं एक साल में। इनके घोटालों की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलैस! और ये इस तरह का गड्ढा है वो है बॉटमलैस जिसमें जो मर्जी डाल दो, जितना मर्जी पैसा इनको दे दो, कितना भी पैसा दे दीजिएगा एक पिक्चर का गाना बार-बार याद आता है। कहते हैं–तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है... एमसीडी का वही हाल है। जितना मर्जी दे दो, इनको फर्क नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि एमसीडी के एक पार्षद हैं, उनके बच्चे ईग्डब्ल्यूएस कोटे में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। देखो, वैसे तो देखा जाये सच्चाई में जो एक नंबर की कमाई है तो वो ईडब्ल्यूएस के ही लोग हैं; तीन हजार रूपये महीना कमाते हैं बेचारे! और 8 हजार कमाने वाला भी ईडब्ल्यूएस में आता है तो सच्चाई में तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं एक नंबर

में, पर दो नंबर का नहीं देखा आपने। वो तीन हजार के आगे एक लाख लगता है या दो लाख लगता है, पता नहीं। एक बारी एक मीडिया वाले आये, पिछली बार जब इन्होंने हड़ताल कराई थी ना, तो वो बड़ा इंटरव्यू ले रहे थे। तब मैंने कह दिया, जितने पैसे उनको महीने में मिलते हैं ना, उतने तो उनकी एक दिन में कार का पेट्रोल लगाता है। ऑडी में घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं। मैंने कहा, एक काम करो, एक स्टोरी बनाओ कि कितने फार्म हाउस हैं। वो बेचारा लग गया पीछे-पीछे, नया-नया था। उसने 12 काउंसलर के दो-दो, तीन-तीन फार्म हाउस की शूटिंग कर ली। कहता है, सर, बड़ी बढ़िया स्टोरी बनी है। कहा जी, अभी तो 12 काउंसलर के मैंने इंटरव्यू लिए हैं और एक-एक काउंसलर के दो-दो, तीन-तीन फार्म हाउस दिल्ली के अंदर हैं। बाहर के तो छोड़ दो। मैंने उससे कहा, टी. वी. पर दिखा नहीं पाओगे आप। कहता है नहीं सर चैनल वाले चलायेंगे,उसन टाइम भी दे दिया मुझे कि इस टाइम इस दिन चलेगा, बाद में चला नहीं। क्यों नहीं चला? इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। वहां भी पहुंच गये। कहते हें सर, आपको क्या चाहिए, आप ही ले लो। तो इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, काम करना चाहते नहीं हैं। ये क्या कहते हें, ''हमारी कमाई कम है और खर्चे ज्यादा है।'' हद हो गई! कमाई आपने बढ़ानी है, खर्चे आपने कम करते हैं। जो घोस्ट और होस्ट का इनका दुष्चक्र है, होस्ट कौन है कासउंसलर और घोस्ट कौन है घोस्ट एम्प्लाईज। वो गलत बता रहे थे भाई साहब! आप 50 हजार रूपये महीना देते हैं। इतना छोटा एमाउंट नहीं लेते तो ये लोग कि 50 हजार रूपये ले लेंगे। सेनेटरी इंस्पेक्टर से 50 हजार रूपये नहीं लेते, एक-एक काउंसलर पांच साल के अंदर 50-50 करोड़ बनाता है। जो आदमी साइकिल पर चलता था उसके पास दिल्ली में दो-तीन फार्म हाउस होते हैं। उसकी अगर

प्रोपर्टी की जांच करा ली जाये तो काउंसलर 50 करोड़ वाला तो ईमानदार कहलाता है। बेईमान तो वो है जो 200, 400, 500 करोड़ बनाकर बैठा होता है। एक करोड़ रूपये महीना कैसे बनाता है वो, जितने घोस्ट एम्प्लाईज हैं। जितनी तनख्वाह बनती है, उसकी आधी काउंसलर के पास जाती है। जितनी बिल्डिंगें बनती हैं, आधा पैसा इंजीनियर लेते हैं और आधा पैसा काउंसलर लेते हैं और आप में दस हो जिस मर्जी काउंसलर को जानते हो, जितनी मर्जी अप्रोच लगा लेना, चले जाना, पता है क्या कहेगा? भाई साहब, इंजीनियर मेरी तो सुनता ही नहीं है क्यों? अगर इंजीनियर को फोन कर दिया कि भाई साहब इसको छोड़ देना तो उसके हिसाब से लिख देता है वो कि दस लाख रूपये कम होंगे आपके। इतना बढ़िया हिसाब चल रहा है इनका। यहां पर सिविल लाइंस में एक दफ्तर है, आप खड़े हो जाओ दो घंटे के लिए वहां पर। जैसे मंदिर के आगे लोग मत्था टेकते हैं, ऐसे वहां पर जाते हैं, गालियां देते हैं, कहते हैं बड़ा लूटा है इन्होंने। जो बिल्डिंग के आगे से निकलता है, कहता है लूट कर ले गये। आप ऐसा करो मुखर्जी नगर में छोटी-छोटी दुकानें हैं, वहां पता कर लो। एक दुकान पर सर्वे करने चले जाओ, किसी दुकान से पांच हजार रूपये लेते हैं, किसी से चार हजार रूपये लेते हैं, किसी से तीन हजार रूपये महीना लेते हैं। किस बात के लेते हैं कि हम एमसीडी वाले हैं। कुछ लेना नहीं, देना नहीं। वो कहते हैं जब बनाई थी, तब तो दिये थे। अब मंथली किस बात के? कहते हैं, देख लो जी, हम एमसीडी वाले हैं। मतलब इस बात की धमकी कि एमसीडी वाले हैं और वो चुपचाप दे देते है।। अब वो इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं कि एक तो हमारी जो कमाई थी थोड़ी बहुत, यह डेमोनेटाइजेशन करके, इनकी सैल बेचारों की आधी हो गई, कमाई खत्म हो गई। कहते हैं कि इनका धंधा अभी बंद नहीं हुआ। कुल मिलाकर इनके कई

सारे डिपार्टमेंट हैं सेनेटरी वाले जाते हैं, बिल्डिंग वाले जाते हैं, पांच-छह डिपार्टमेंट जाते हैं, एक दुकानदार बेचारा मेरे पास आया, कहता है पंद्रह हजार रूपये महीना देने पड़ते हैं। कहता है एक आदमी की नौकरी तो इनको देनी पड़ गई और एक से नहीं लेते, सबसे लेते हैं छोड़ते नहीं किसी को। सर, यह कांग्रेस और बीजेपी की जो बात ले रही थी ना, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे चित कांग्रेस और पट बीजेपी की जो बात चल रही थी ना, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे चित कांग्रेस और पट बीजेपी। अगर आप कहो कि चित अलग है, अरे! चित भी सिक्का है और पट भी वही सिक्का है। कांग्रेस भी वही व्यवस्था है और बीजेपी भी वही व्यवस्था है। पर जनता अब समझदार हो गई है। जनता को रास्ता दिखाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने बताया है कि जो चीज चाहो तो डेमोनेटाइज की जा सकती है। हमें नहीं पता था, ऐसा भी होता है। तो अब जनता इस कांग्रेस व बीजेपी रूपी सिक्के को डेमोनेटाइज करने जा रही है जल्दी। पहले पंजाब में करेंगे, फिर दिल्ली के अंदर भी करेंगे तो इसकी जल्दी से डेमोनेटाइज करें तभी काम चलेगा और यहां पर झाड़ू चलेगी, तभी ठीक होगा ये। और इनको तो जनता झाड़ू से सीधा करेगी। मैं अभी दो-तीन दिन के पंजाब दौरे पर गया था तो वहां पर एक गांव में गया। एक माताजी से बात हुई कि कैसा माहौल है, बेटा, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा किसको वोट दे रहे हो, झाड़ू दे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि इन चोरों के लिए झाड़ू ही काम आयेगी। कहते हैं हम तो भूत भी झाड़ू से भगाते थे। कहते हैं कि इन भूतों को झाड़ू से भगायेंगे, चोरों को झाड़ू से पीटेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता ने मूड बना लिया है। अब झाड़ू ही इन भ्रष्टाचारियों का सत्यानाश करेगी, झाड़ू ही इनको साफ करेगी और झाड़ू ही इनको ठीक करेगी। धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी। सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा लिया जाये, मेरा ये अनुरोध है।

(सदन की सहमति से सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया)

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसौदिया) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथियों ने एमसीडी के बारे में बात रखी। उसमें दो-तीन चीजें मूल रूप से हैं. एक तो सब के मन में यह पीड़ा भी है कि समय-समय पर दिल्ली कूड़े का ढेरा बना दी जाती है। बार-बार कूड़े का ढेर बना दी जाती है। संविधान की बात अभी नेता, प्रतिपक्ष कर रहे थे। संविधान में दिल्ली को साफ-सुथरा रखना नगर निगम का दायित्व है। दूसरा, उसके साथियेां का इशु था कि बीच-बीच में नगर निगम में यह स्थिति हो जाती है। अब तो साल में कई बार हो जा रही है कि सफाई कर्मचारी जो एक गरीब आदमी है, उसका चूल्हा नहीं जलता। आपसे राजनीति नहीं आ रही है, आपसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रहा, आपसे ईमानारी से काम नहीं हो रहा तो इसमें बेचारे नगर निगम कर्मचारी की क्या गलती है और सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर्स, नर्सेस और कई और तरह का स्टाफ, टीचर्स उनकी भी सैलरी नहीं देते बहुत दिन तक आप। आपका पेट नहीं भर रहा तो कम से कम उनका पेट तो मत काटो। उनके घर का चूल्हा क्यों बंद करा देते हो बार-बार? दूसरा कंसर्न यह भी था और तीसरा बड़ा कंसर्न इस बातचीत में यह भी निकल कर आया कि जो पैसा जा रहा है, मैं तो बार-बार कहता रहा हूं कि वो जा कहा रहा है घोस्ट कर्मचारी या भ्रष्टाचार या यह सब तो इस बस पर बात सब साथियों ने रखी। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण इशूज हैं। कूड़ा, गंदगी, बीमारी फैलना दिल्ली में, सफाई कर्मी, जैसे गरीब लोगों का, मुझे तो लगता है पूरी

दिल्ली में तीनों नगर निगम में देखें तो लाख से ज्यादा होंगे। करीब डेढ़ लाख घरों का चूल्हा बार-बार बंद होना और तीसरा जो दिल्ली की सरकार से भी पैसा जा रहा है, वो भी कोई पेड़ पर तो लग नहीं रहा, वो भी जनता की मेहनत की कमाई का ही आ रहा है। दिल्ली सरकार के करप्शन के कुएं में जो समाता जा रहा है, उसको लकर कई साथी यहां कंसन्र्ड हैं। सारे लोग, यह सदन इसको लेकर काफी कंसन्र्ड है। नेता, प्रतिपक्ष ने क्योंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी की तीनों नगर निगमों में सरकार है इस समय। उन्होंने अपने साथियों के, अपनी पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार को बहुत आंकड़ों की फर्जीगिरी से दबाने की कोशिश की, लेकिन दबेगा नहीं ये। कह रहे हैं पैसा नहीं दे रहे, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास पैसा नहीं है नगर निगम को चलाने के लिए। सफाई कर्मचारियों के घरों को चलाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास पैसा नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम हो या उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो, इनके पास में सफाई कर्मचारी का घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पार्षदों का महल खड़ा करने के लिए पैसा है। वो पार्षदों के महल कहां से खड़े हो रहे हैं, इस बात की जांच तो कराई जानी चाहिए और मैं आपको कह रहा हूं इस सदन में और रिकार्ड के लिए कह रहा हूं क्योंकि असली फैसला तो जनता को लेना है कि जितना पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पार्षद कमा रहे हैं नंबर 2 का, उसके 10 परसेंट में तीनों नगर निगमों के कर्मचारियों की तनख्वाह निकल सकती है। तीनों नगर निगमों की, जितना वो नंबर 2 से कमा रहे हैं। आपने बात ठीक कही, अनऑथोराइज्ड कालोनी है, आपने बात ठीक कही, छोटी-छोटी कालोनी हैं, लेकिन यहां पांच-पांच फ्लोर के मकान जब बन रहे हैं ना, मुझे नहीं पता ये बड़े इलाके वाले लोग हैं 200 गज वाले, 500 गज वाले, मैं तो

इधर से ही आता हूं आप भी उधर से ही आते हैं। बहुत कम ऐसी कालोनीज है जहां 100-150 गज से ऊपर का कोई मकान होता होगा। 50-50 गज के, 25-25 गज के मकान है और पर फ्लोर 50 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक का रेट कहीं भी पूछ लीजिए, नहीं तो अगले दिन बुल्डोजर पहुंच जाता है तोड़ने के लिए। आदमी कंस्ट्रक्शन कराता है, यह पैसा जो कमाया जा रहा है, इसका 10 परसेंट भी अगर ईमानदारी से नगर निगम के खाते में आ जाये तो कई साल का नगर निगम का खर्चा निकल जायेगा और डेवलपमेंट का भी निकल जायेगा, तनख्वाहों की तो बात छोड़ दीजिए। पर उसमें बात कर नहीं पायेंगे विजेन्द्र जी, क्योंकि उनके पास अपनी पार्टी से भी मेन्डेट नहीं है और असलियत वो भी जानते हैं। मैं ये बातें बार-बार कह चुका हूं जगदीश जी ने भी उठाई, नॉर्थ में भी हमने पैसा दिया है, ईस्ट में भी सिर्फ रेफरेंस के लिए, लेकिन विजेन्द्र जी ने पहले उसका मुद्दा उठाया फाइनेंस कमीशन का। विजेन्द्र जी, जब भी फाइनेंस कमीशन पर बोलते हैं इनका सबसे प्रिय विषय है यह। ये ऊपर उठकर, नीचे बैठ कर, लेट कर, बैठ कर, डांस करके, चिल्ला कर, प्यार से, हर तरह से बोल चुके हैं इस सदन में।

अध्यक्ष महोदय : बेंच पर चढ़ कर!

उप मुख्यमंत्री : हां, ऊपर उठ कर मैंने इसलिए कहां मतलब वक्तव्य देने की जितनी भी कलाएं हो सकती हैं विजेन्द्र जी ने दिखाई हैं यहां पर। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, फाईनेंस कमीशन पर तो इसलिए फाईनेंस कमीशन इनका बहुत प्रिय विषय है लेकिन मैं विजेन्द्र जी से प्रार्थना करूंगा कि पूरा पढ़ लो, ये अधूरा पढ़ने के चक्कर में तो मोदी जी मारे जा रहे हैं। अधूरा पढ़ने के चक्कर में मारे जा रहे हैं। किसी ने बताया होगा भई हजार का.

...मैं उधर नहीं ले जा रहा डिस्कशन को, कि भई डिमोनिटईजेशन के ये फायदे हैं ये नुकसान होंगे, उन्होंने आधा पढ़ा लागू कर दिया, पूरे देश की लंका लगा दी। वैसे ही ये कर रहे हैं। देखिये, जब फाइनेंस कमीशन बनाया गया तो फाइनेंस कमीशन एक अथॉरिटी है, फाइनेंस कमीश्पन किसी की विशफुल थिंकिंग नहीं है और वहां जो व्यक्ति बिठाये जाते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत विश्वास के साथ बिठाये जाते हैं कि इनकी विजडम पर भरोसा किया जाएगा। इस सदन ने अगर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को मंजूर किया है तो ये मानते हुए किया है कि फाइनेंस कमीशन एक जिम्मेदार संस्था है और फाइनेंस कमीशन में जो लोग बैठे थे, वो जिम्मेदार लोग हैं उनकी विजडम है, कुछ उस विजडम का इस्तेमाल करके अगर फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि भईया, ये तो दिल्ली सरकार के इनपुट होंगे फाइनेंस में, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं खीचूंगा इसको कि ये तो सोर्सेज ऑफ इनपुट होंगे और उसमें से साढ़े बारह परसेंट नगर निगम को दे देना तो ये कहेंगे कि नही, नहीं पहले वाला तो बात ही नहीं करेंगे। सोर्सेज जो जो तो हों, वो तो ये कहेंगे कि नहीं, नहीं पहले वाला तो बात ही नहीं करेंगे, सोर्सेज जो जो तो हों, वो तो नहीं जी, वो तो विजडम नहीं थी उनकी। वो तो उन्होंने गलती कर दी। वो तो उनकी मूर्खता है। आगे का जो जो है, वो उनकी समझदारी है। तो ये सुविधानुसार समझदारी नहीं चलती है। या तो मानो कि सारा समझदारी भरा है या बोलो भई थोड़ी सी कमी है उसमें, क्योंकि दिल्ली सरकार, फाइनेंस कमीशन तो बीस परसेंट भी लिख सकता था, पच्चीस परसेंट भी लिख सकता था लेकिन मैं समझता हूं कि फाइनेंस कमीशन में बैठे हुए लोग इतने वाइज एनफ थे कि अगर उनके मन में पच्चीस परसेंट आता तो वो बताते पच्चीस परसेंट कहां से आएगां जब उनके मन में साढ़े बारह परसेंट आया तो उन्होंने

बताया कि साढ़े बारह परसेंट कहां से आयेगा। तो कहां से आया तो पढ़ते नहीं हैं साढ़े बारह परसेंट पढ़े जा रहे हैं, साढ़े बारह परसेंट पढ़े जा रहे हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह रहा हूं साढ़े बारह परेसेंट ही दिलवा दो अपने पार्षदों की कमाई का। दिल्ली सरकार का तो हम खर्च कर ही रहे हैं आपकी विधानसभा में भी स्कूलों में कर रहे हैं, अस्पताल में कर रहे हें, मोहल्ला क्लिनिक में कर रहे हें। पार्षदों को बोल दो साढ़े बारह परसेंट अपनी नंबर दो की कमाई का इधर खर्च कर दें तो एक कर्मचारी तनख्वाह मांगने के लिए नही बचेगा, एक भी। किसी कर्मचारी के घर का चूल्हा नहीं बंद होगा। पर खैर! वो तो हमने टैबल भी कर दी रिपोर्ट और उस पर सरकार का जो रूख है, वो भी हमने बता दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी विजेन्द्र जी ने एक चीज और कही थी पहले राजेंद्र गौतम जी ने कही थी इच्छा शक्ति की कमी है नगर निगम के नेतृत्व में, राजेंद्र गौतम जी ने कही थी। भाई साहब, इच्छाशक्ति की कमी नहीं, अध्यक्ष जी, इच्छाशक्ति तो भरपूर है पर पैसा कमाने की इच्छाशक्ति है, जनता का काम करने की इच्छाशक्ति नहीं है। इच्छाशक्ति तो साइंस के नियम के हिसाब से सबमें होती है पर वो जनता का काम करने की जगह पैसा कमाने की इच्छाशक्ति है, सब कमा रहे हैं। जिस दिन जनता के लिए काम करने की इच्छाशक्ति होती, उस दिन देखेंगे और नहीं होगी, तो जनता में इच्छाशक्ति बहुत है, दिल्ली सरकार में भी बदला नगर निगम में भी बदलकर दिखाएगी। नेता प्रतिपक्ष बहुत है, दिल्ली सरकार में भी बदला नगर निगम में भी बदलकर दिखाएगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि संस्थान किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, बात तो सही है पर ये बात कहते हुए थोड़ी इनकी बात थोड़ी किताबी

लगी क्योंकि अगर दिल्ली नगर में बैठकर इनकी पार्टी के नेता ये डिसाइड करते हैं कि जब आम आदमी पार्टी के एमएलऐज या दिल्ली के एमएलऐज, इस विधानसभा के एमएलऐज, क्योंकि यहां बहुमत भी इसी का है, ऑलमोस्ट एकमत ही है, आप दो ही हैं, तीन हैं। जब दिल्ली विधानसथा का कोई सदस्य काम कराने के लिए कहेगा तो पांच परसेंट एक्स्ट्रा फीस लगेगी लेकिन सांसद कहेगा तो नहीं लगेगी तो ये तो साफ-साफ पार्टी डिविजन है साहब। दिल्ली विधानसभा का काम होगा या सदस्य का अगर कोई काम और कौन सा काम! अपने घर के बाउंड्री थोड़े ही बनवा रहे हैं। इसी संविधान ने, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, इसी संविधान ने अगर सैक्टर्स थ्री लेयर्स में बांटे हैं तो दायित्व में कुछ भौगोलिक क्षेत्र भी आपको दिया है काम करने के लिए। और उस भौगोलिक क्षेत्र में संविधान के हिसाब से नाली, खड़ंजा, सड़क और लाइट की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी थी, आप फेल होते हैं तो लोग एमएलए के पास आते हैं। एमएलए कहता है कि अच्छा मैं फंड दे देता हूं तो आप कहते हो, उसमें से पांच परसेंट लगेगा। ये गजब साहब दलाली का धंधा खोल लिया है! लीगल दलाली का धंधा खोल लिया है पांच परसेंट! कि ऊपर से कहेंगे नहीं-नहीं और दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, कहना अच्छा लगता है कि साहब, पार्टी विशेष का नहीं होता है सदन लेकिन किस तरह से पार्टी विशेष के प्रति नगर निगम की वर्तमान सरकार पूर्वाग्रह के साथ चलती है। कैसे हिम्मत हो सकती है किसी सदन की ये कहने की कि अगर दिल्ली का कोई एमएलए नगर निगम के किसी अधिकारी को यहां बुलाएगा, तो अधिकारी नहीं जाएगा। कल को ये विधानसभा दिल्ली सरकार आदेश पारित कर दे कि कोई सांसद अगर एजुकेशन के हेल्थ के, रेवेन्यू के किसी ऑफिसर को बुलाएगा तो ऑफिसर नहीं जाएगा। ये संविधान की गरिमा के अनुरूप है

क्योंकि आपकी पार्टी की यहां सरकार नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी का यहां तीन को छोड़कर एमएलऐज नहीं है तो आप अपनी पार्टी के हिसाब से ये आदेश पारित करेंगे, आपने सांसदों के बारे में तो नहीं किया प्रस्ताव पारित कि नगर निगम का कोई कर्मचारी एमपी के बुलाने पर नहीं जाएगा। इससे ज्यादा पार्टी का पक्षपात रेजोल्यूशन्स में और क्या हो सकता है, ऐसे तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर! इस सोच पर शर्म आनी चाहिए कि किसी एक पार्टी के नेताओं को, चुने हुए प्रतिनिधियों को आप कहते हैं कि आपके साथ न अधिकारी जाएंगे। आपका काम कराया जाएगा तो पांच परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप ही की पार्टी की सांसद हैं, आप उनके लिए तो ऐसे प्रस्ताव पारित नहीं करते हैं। तो इससे ज्यादा घटिया सोच क्या हो सकती है! इससे ज्यादा न्यूनतम स्तर क्या हो सकता है पार्टी विशेष के सामने समर्पित होने का, किसी एमसीडी के लिए! मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है इस बात का। किताबी बातें तभी अच्छी लगती हैं जब किताब के अनुसार फोलो हो रही हों। किताबी बातें तब अच्छी नहीं लगती हैं जब सुविधानुसार फोलो हो रही हों।

अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन पर मैंने बताया जहां तक पैसे देने का सवाल है, उसके बावजूद पिछले दो साल में दिल्ली सरकार ने जितना पैसा नगर निगमों को दिया है, मैं चुनौती देकर कहता हूं कि न राष्ट्रपति शासन में इनकी सरकार ने दिया और न उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने दिया और रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं। रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं कि मैंने सार्वजनिक किया है, ये कोई पहली बार नहीं दे रहा हूं। 2012-13 में 399 करोड़ रूपये इनको दिया ऑन पेपर लेकिन उसमें से 81 करोड़ और 48 करोड़ काट लिया लोन का, लोन का प्रिसिंपल अमाउंट और इंट्रेस्ट अमाउंट।

2013-14 में 416 करोड़ ऑन पेपर इनके खातों में दिया लेकिन उसमें से 51 और 78 करोड़ रूपया काट लिया कांग्रेस की सरकारों ने। जब कांग्रेस की सरकार थी यहां पर। इस सदन में कांग्रेस के बैठते थे और इधर इनके बैठते थे। 2014-15 में 441 करोड़ रूपये का सैंक्शन दिया गया था लेकिन उसमें से 45 करोड़ रूपये काट लिये गये। इनकी अपनी पार्टी की सरकार थी, एलजी साहब की, सेंटर से चल रही थीं उसके बावजूद नगर निगमों का 45 करोड़...किस पक्षपात की बात करते हैं और फाइनेंस कमीशन के हिसाब से कराना था तो उस वक्त करा लेते न, आप ही की पार्टी के नेता थे अरूण जेटली जी, वित्त मंत्री जी देश के। उन्होंने ही बजट बनाया था दिल्ली का, करवा लिया होता। वहां तो किया नहीं, वहां तो बात नहीं की, वहां तो और 45 करोड़ कटवा दिये 441 में से 45 करोड़ रूपये लोन के कटवा दिये। उनको बेचारों को पूरा पैसा तक नहीं मिला, नगर निगम के लोगों को। हमारी सरकार आई, हमने देखा नगर निगम की माली हालत ठीक नहीं है। वो पांच परसेंट लगाते रहे अपने अधिकारियों को उल्टे-सीधे आदेश देते रहें, जो भी करते रहे लेकिन हमें मालूम है कि दिल्ली के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टर्स, टीचर्स की तनख्वाह नहीं रूकनी चाहिए, उनके घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए। इसलिए 2015-16 में 702 करोड़ रूपये दिये और एक रूपये का डेडक्शन नहीं किया, एक रूपये का। 2016-17 में 609 करोड़ रूपये दे चुके हैं अभी तक, ईस्ट दिल्ली के लिए कह रहा हूं और एक रूपये का डिडक्शन नहीं किया और आज यहां कह रहा हूं सदन में खड़े होकर सफाई कर्मचारी पार्टी के नहीं हैं किसी के, चाहे वो मजदूर संघ वाले हों या किसी के भी हों, अध्यक्ष महोदय, चूल्हा तो सबके घर में जलना है। ये डॉक्टर्स, ये सब लोग किसी पार्टी से नहीं हैं,

हम नहीं मानते। वो भले ही अपने हिसाब से अपने नेताओं के कहने पर मेरे घर के सामने कूड़ा डाल जाएं, पर मैं मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों ने हमें चुना है। हम उनके घर का चूल्हा नहीं बुझने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें चाहे जो...पैसा तो देखिये, उतना ही है। पैसा कहीं से काटना पड़ेगा, कहीं लगाना पड़ेगा। इसी सदन में प्रस्तुत बजट में से किसी हैड से काटकर किसी उमसें लगाना पड़ेगा। किसी के खर्चे को कम करना पड़ेगा लेकिन सफाई कर्मचारियों को जो पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, उनकी तनख्वाह की, पूरा देंगे। उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे लेकिन जो इस सदन ने आज जिन तीन चीजों पर चिंता व्यक्त की है, वो गहरी बात है, उसका संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। उसको संज्ञान में लिये बिना आज की ये चर्चा अधूरी है, आज की चर्चा ये एकदम फॉर्मैलिटी बनकर रह जाएगी। तो मैं इस सदन के समक्ष...

श्री सौरभ भारद्वाज : सर, ये चर्चा जो है, ये चर्चा ही ना रह जाये इसलिए सदन के अंदर सभी लोग बैठे हैं विपक्ष के लोग भी बैठे हुए हैं। सेंस आफ द हाउस ली जाये और यहां पर सदन के माध्यम से एक रेजोल्यूशन रखा जाये जिसके अंदर एक कमेटी बने, सरकारी कमेटी बने, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने, जो ये देखे कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है। इसके अंदर ट्रांसपरेंसी आये और मैं एक रेजोल्यूशन बना के लाया हूं, अगर आप ठीक समझें, सदन ठीक समझे तो सदन इस पर अपनी राय रखे। सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है :

"The House takes the serious note of the extermely poor financial mis-management in the Municipal Corporaions of Delhi, particularly in the East Delhi Municipal Corporation and North Delhi Municipal.

The House should condemn the sorry state of affairs that has led to the non-payment of salaries of employees in these two corporations, particularly the sanitation workers and the resultant hard-

ships being faced by the residents of Delhi due to piled up grabage and other related problems;

This House notes that the MCD's have failed to pay the salaries of their employees despite having received enhanced funds from the Govt. Of Delhi and the residents of Delhi have a right to know how the MCD's are utilizing these funds;

This House resolves that the MCD's should take urgent and effectivfe measures to improve their financial health and ensure that the residents of Delhi get basic facilities that they are entitled as tax payers;

This House directs the Govt. of Delhi to take all possible steps to look into the finances of the MCD's in accordance with the provisions of Delhi Municipal Corporation Act 1957.

This House also directs the Govt. of Delhi to direct the Municipal Corporations to inform the steps that being taken to improve their financial condition.

The House resolves that a fact finding committee be immediately be constituted by the Govt. under the Chaiormanship of director of Local Bodies to look into the above mention issues pertaining to the Municipal Corporations and to lable is reports in this. House in the next session.

कहने का मतलब यह है कि जब बजट सैशन के लिए हम मिलें तो वो जो कमेटी की रिपोर्ट है, वो इस हाउस के आगे पेश हो ताकि दिल्ली के लोग भी जानें अध्यक्ष महोदय, कि ये पैसा जो बार-बार दिल्ली सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो कहां पर मैन्युपुलेट किया जा रहा है, उसकी क्या गड़बड़ी की जा रही है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाये, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव ये ला रहे हैं, लंबा प्रोसीजर बता रहे हैं तो मंत्री जी वैसे ही युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कल सदन में ही रख दें। जो पैसा आपने दिया है, उसकी सारी रिपोर्ट आपके पास है, तो ये बात कर रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग बनाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : पैसा दिया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं तो कहता हूं मंत्री जी की जिम्मेदारी है, दे दें। कल टैबल पर यहां कल ही आ जायेगा सारा जो ग्लोबल शेयर आप दे रहे हो, उसका एक एक पैसे का हिसाब कल टेबल पर रख दीजिये यहां।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वो खर्चा कहां किया, उसका रिकार्ड कहां जायेगा?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये फिर से क्योंकि सदन की हर चीज रिकार्ड में रहती है, भ्रमित न करें, युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रिकार्ड है, एमसीडी से कई कई साल के भी मिलते हैं, नहीं मिलते और उसकी वजह से ही आप देख लीजिये, ये जो मैंने फीगर्स दिये हैं, आपको नॉन प्लान आ रखे हैं यानि तनख्वाह और उन सब के हैं। जो इनका प्लान का पैसा है। वो रिलीज हो, क्योंकि ये युटिलाईज कर नहीं पा रहे, डाइवर्ट कर हरे हैं उस पैसे को और डाइवर्ट करने के बाद में युटिलाईजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, वहां प्राब्लम है। बात इसकी नहीं है, फिर घबरा क्यों रहे हैं यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट आ जाये या वहां से रिपोर्ट आ जाये, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप घबराते क्यों हो?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम तो कह रहे हैं। डिले करो आप।

उप मुख्यमंत्री : नहीं, डिले नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कर दो 'नो'।

उप मुख्यमंत्री : एक मिनट फैक्ट को समझना सीखिये विजेन्द्र जी। सौरभ जी ने बीच में एक बात रखी, एक तो उस प्रस्ताव का भी समर्थन करते हुए मैं चाहूंगा कि अगर सेंस आफ हाउस ये हो तो सरकार इस तरह की एक कमेटी बनायेगी जिसमें जो उन्होंने जिक्र किया और उसको हम फैक्ट फाईंडिंग कमेटी ही बोलें under the chairmanship of Director, Local Bodies जिसमें ये जो दो तीन चीजें बोल रहे थे कि एक तो ओवर आल फंडस का स्टेटस क्या है, ओवर आल फॅडस का स्टेटस क्या है उनका क्योंकि सिर्फ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस 600 करोड़ और 700 करोड़ की बात नहीं है। वो तो बार बार यहां भी आई है कि किस तरह से घोस्ट इम्प्लाइज बना रखे हैं, किस तरह से जहां एक्चुली ग्राउंड पर पांच कर्मचारी होंगे, वहां 50 दिखा रखें होंगे और उन 45 का पैसा ऊपर से नीचे तक बंट रहा होगा और बेचारे 5 मारे जा रहे हैं इनके 45 फर्जी दिखाने के चक्कर में 5 मारे जा रहे हैं। ये तो सब चीजें पकड़ी जायेंगी। पर एक फैक्ट फाईंडिंग, मैं इसको इन्वेस्टीगेशन नही कह रहा हूं, एक फैक्ट फाईंडिंग कमेटी बना देते हैं और इसमें बाकायदा इसके फंडस का ओवर आल टैक्स से भी कितना ले रहे हैं, जितना यहां कई बार कई डायमेंशन से बात उठी, यूनिपोल से ले के उससे, उसका ओवर ओवर आल एक्सपेंडीचर भी कहां हो रहा है पैसे का और तीसरा क्योंकि सिर्फ एक्सपेंडीचर का ईशू नहीं है ना, फंडस भी तो चाहिए ना। सिर्फ हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने से आपका काम चल जाता हो तो दे दो,

मैं सदन मे रख दूंगा कल लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना। फिर आप कहोगे दोबारा और पैसे लाओ वहां से लायें। कहां जा पैसा एक मिनट....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैंक स्टेटमेंट भी मंगवा लेंगे और इन चोर चोट्टों को भी पकड़ेंगे जो रिश्तेदार बना रखे हैं तो इन लोगों ने। चिंता मत करो आप। सारों को पकड़ेंगे तो पूरा फैक्ट फाइडिंग निकाल कर और स्टैप्स क्या ले रहे हैं, मतलब आप सबसे बढ़िया धंधा है, आप कुछ भी करते रहो, आप लैपटाप बांट लो, आप गेट बना लो, आप पैसा चला ले, आप अपने महल-दो महले बना लो, आराम से शाम को सो जाओ, सुबह उठो, बोलो तनख्वाह दो। ये अच्छा धंधा बना रखा है मतलब अगर कोई रिश्ता है तो रिश्ते की तरह से निभाओ ना। ऐसे नालायक बच्चों की तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो जो मां बाप पर पूरी जिंदगी के लिए उनक कंधों पर बैठ के चलेंगे। अरे! थोड़ा बहुत अपने आप भी चलो, थोड़ा मां बाप की उंगली पकड़ के चलो, ऐसी स्थिति क्यों कर रखी है? तो इसकी फैक्ट फाइडिंग कमेटी हम बना देंगे, दूसरा, मैं इस सदन में, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कई बार बहुत बार कह रहे थे, अध्यक्ष, जी मैं कह रहा हूं आज खड़े हो के, अप्रैल में मई में चुनाव हो जायेंगे, जब भी चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा, उसके बाद जितना पैसा दे रहे हैं ना, इसी में नगर निगम चला के दिखायेंगे और एक आदमी की तनख्वाह नहीं रूकने देंगे, एक भी आदमी की। क्योंकि पैसा देने में कमी नहीं है दिल्ली सरकार को। मैं समझता हूं वो भी कम नहीं था, ये जो 399 करोड़ काट के दिया गया, सोच के किया गया होगा उस वक्त। सब तनख्वाह मिलती थी। इनका पेट सुरसा की तरह बढ़ता चला जा रहा है। कहां भ्रष्टाचार का कुआं ये बड़ा

करते चले जा रहे हैं । कहीं कुछ बड़ा लूप होल है। चुनाव होने दीजिये। वहीं बैठेंगे। हमारे भी लोग बैठेंगे। हो सकता है एक दो लोग आपके भी बैठें। फिर बतायें नगर निगम चलाया कैसे जाता है, ईमानदारी से तनख्वाह कैसे दी जाती है, तब बतायेंगे तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने रेजोल्यूशन रखा माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने अगर सदन उसको अनुमति देगा तो उसको...

अध्यक्ष महोदय : अल्पकालिक चर्चा के दौरान सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावना के दृष्टिगत श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है, जिसका समर्थन माननीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसौदिया जी ने भी किया है :

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;
जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता
संकल्प स्वीकार हुआ।

अब सदन की कार्यवाही 18 जनवरी 2017 अपरान्ह दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 18 जनवरी 2017 अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

विषय सूची

सत्र-4 भाग (6) मंगलवार, 17 जनवरी, 2017/27 पौष, 1938 (शक) अंक-42

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	शोक संवेदना	3-14
3.	अध्यक्ष द्वारा घोषणा	14
4.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	14-26
5.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	26-49
6.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	50-74
7.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	75-216
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	217
9.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	217
10.	विशेष उल्लेख (नियम - 280)	218-243
11.	अल्पकालिक चर्चा (नियम - 55)	243-309